हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

07 मार्च, 2022

खण्ड 1, अंक 5

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 07 मार्च, 2022

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

राजकीय मॉडल संस्कृति उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैक्टर–20 पंचकुला के प्रधानाचार्य, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारंभ)

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

सदन के फैसले को रद्द करना

बैठक का स्थगन

सार्थक राजकीय एकीकृत मॉडल वरिष्ठ स्कूल, सैक्टर–12–ए पंचकुला के प्रधानाचार्य, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों का अभिनन्दन

सदन में निलंबित सदस्य को वापस बुलाने का अनुरोध

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारंभ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

बैठक का समय बढ़ाना

बैठक का स्थगन

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का (पुनरारम्भ) तथा
धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा) तथा
धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनन्दन

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान
(पुनरारम्भ)
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद हजारों बच्चों को
निजी विद्यालयों में दाखिला न मिलने संबंधी

वक्तव्य–

शिक्षा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

बैठक का समय बढ़ाना

वक्तव्य (पुनरारम्भ)

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 07 मार्च, 2021

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 11:00 बजे हुई । अध्यक्ष (श्री ज्ञान चन्द गुप्ता) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

To Solve the Problem of Saline Water

***1718. Shri Aftab Ahmed:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the level of the saline ground water has increased so high in last two years in the villages Hussainpur, Satputiya, Bahupur and Raipuri of district Nuh that due to which the agriculture land of the farmers has been degraded; if so, the action taken or likely to be taken by the Government to solve the abovesaid problem togetherwith the details thereof; and

(b) the arrangements made by the Government for drainage of water in the low lying area like villages Akeda, Rithora and Chandaini of district Nuh togetherwith the details thereof ?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) श्रीमान जी, इस समस्या के समाधान के लिए कृषि विभाग के केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल (सीएसएसआरआई) से परामर्श मांगा है। सीएसएसआरआई की सिफारिश के अनुसार इन गांवों में सतही नलकूप लगाने का परियोजना प्रांक्कलन सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है और इसे 31.03.2022 से पहले अनुमोदन के लिए विभाग की स्थायी तकनीकी समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(ख) श्रीमान जी, इन गांवों में आवश्यकता के अनुसार बिजली और डीजल पंपिंग सेट लगाकर पानी की निकासी की जा रही है और बाढ़ का पानी कोटला ड्रेन, चंदैनी ड्रेन और चंदैनी कट ड्रेन में छोड़ा जाता है।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि इन गांवों में पिछले कई सालों से खारे पानी का जल स्तर ऊंचा हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए कृषि विभाग के केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल (सीएसएसआरआई) से परामर्श मांगा है। सीएसएसआरआई की सिफारिश के अनुसार

@ Replied by the Agriculture and Farmers Welfare Minister (Shri Jai Parkash Dalal)

इन गांवों में सतही नलकूप लगाने की परियोजना का एस्टिमेट्स सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है और उसे दिनांक 31.03.2022 से पहले अनुमोदन के लिए विभाग की स्थायी तकनीकी समिति के समक्ष रखा जाएगा और उपचारात्मक उपाय किये जाएंगे।

(ख) श्रीमान् जी, इन गांवों में आवश्यकता के अनुसार बिजली और डीजल पम्पिंग सैट लगाकर पानी की निकासी की जा रही है और बाढ का पानी कोटला ड्रेन, चंदैनी ड्रेन और चंदैनी कट ड्रेन में छोड़ा जाता है। इस साल करीब 500 एकड़ जमीन में पानी अकेड़ा गांव में, करीब 30 एकड़ जमीन में पानी रिठोरा गांव में और करीब 100 एकड़ जमीन में चंदैनी गांव में बारिश का पानी इकट्ठा किया है। गांव अकेड़ा में पानी की निकासी के लिए 5 क्यूसिक के 3 ई.पी. सैट और 3 क्यूसिक का 1 ई.पी. सैट लगाया गया है। रिठोरा और चंदैनी गांव में जमा हुआ पानी नवम्बर के अंत तक फ्लो के द्वारा निकल गया था।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इस समस्या का मूल कारण यह है कि गुरूग्राम कनाल से खेतों के लिए जो पानी मिलता है, उसकी क्वालिटी खराब है। उस पानी की क्वालिटी का माननीय मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी की अध्यक्षता वाली कमेटी में भी अध्ययन किया था। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन्डस्ट्रीयल वेस्ट और एसिड की वजह से धरती को भी नुक्सान हो रहा है, पशुओं को भी नुक्सान हो रहा है और लोगों को भी नुक्सान हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय मंत्री जी ने सुधार के लिए कदम उठाने की कोशिश करने की बात की है। इस कदम उठाने की बात के साथ–साथ गुरूग्राम कैनाल के पानी का फिलट्रेशन करने के लिए माननीय मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी की अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी की भी 2 मीटिंग्ज हो चुकी हैं, लेकिन वहां पर सेम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है जिससे वहां की धरती पर सेम का एरिया भी बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इसकी चपेट में पूरे गांव के गांव ही आ गये हैं, इसलिए इस समस्या का समाधान जल्दी किया जाए। इसके साथ ही साथ जो ड्रेन बनी हुई हैं, उनकी भी सफाई होनी चाहिए। इन ड्रेनों का लेवल ऐसा होना चाहिए जिससे उनमें पानी खड़ा न हो सके। वहां पर रेगुलेटर तो बना दिये हैं, परन्तु रेगुलेटर बनाने की वजह से पानी खड़ा हो जाता है और वह पानी ऊपर आ रहा है। मेरा कहना यह है कि इस मामले में मूल कारण पर सरकार कार्यवाही

करेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे वहां पर सेम की समस्या बहुत ज्यादा है और उस एरिया की धरती में तो वैसे ही पानी नहीं है। वहां पर डेढ़ फुट पर अगर फावड़ा मारे तो भी पानी निकल आता है जिसके कारण वहां पर किसानी नहीं हो सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जमीन से डेढ़ मीटर नीचे पानी होना चाहिए तब जाकर उस जमीन पर खेती हो सकती है। हमारे एरिया के किसान इस कारण बड़ी भारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर अपनी बात स्पष्ट करें।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह सही कहा है कि उस इलाके में दिल्ली से जो पानी आता है, वह प्रदूषित होता है। हमारे माननीय मंत्री पंडित मूलचन्द शर्मा जी का विभाग इस समस्या को लगातार उठा रहा है। एन.जी.टी. के माध्यम से भी यह समस्या उठायी गयी है। दिल्ली में ही संबंधित पानी को शुद्ध करके सिंचाई के लिए डालने की योजना बने तब जाकर उस इलाके की समस्या का समाधान होगा। जहां तक ड्रेनों की सफाई की बात है तो उसकी सफाई समय– समय पर खुदाई करके करवाते रहते हैं और जहां– जहां पर जरूरत होगी, उनकी खुदाई करवाएंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि 31 मार्च, 2022 से पहले कोई ऐसी योजना बनाएं जिससे पानी का स्तर ड्रेन आउट करके डेढ़ मीटर से नीचे ले जाएं। यह योजना बनाने के बाद माननीय सदस्य को उसकी जानकारी दे देंगे। हम सब सॉयल वॉटर के स्तर को नीचे ले जाने की योजना को दिनांक 31 मार्च, 2022 से पहले पास करवाएंगे।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक बात और कहना चाहूंगा कि इसमें 3 विभागों की भागीदारी जैसे पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमैंट, एग्रीकल्चर विभाग और ईरीगेशन विभाग की सुनिश्चित की जाये। इन तीनों विभागों को आपस में कॉर्डिनेट करके एक पॉयलेट प्रोजैक्ट के तौर पर इनमें से एक विभाग को नोडल विभाग बनाया जाये क्योंकि यह प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। वैसे भी खेती की जमीन कम होती जा रही है। अगर इसके लिए कॉर्डिनेट करके एफर्टस किये जायेंगे, मेरे कहने का मतलब यही है कि दूसरे विभाग पर इसकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि ये काम उस विभाग का है या इस विभाग का है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपनी रिप्लाई में 2 विभागों के बारे में जिक्र किया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें पब्लिक हैल्थ

इंजीनियरिंग विभाग को भी शामिल कर लिया जाये ताकि धरती के नीचे से subsoil water और खराब होता जा रहा है वह न हो।

श्री मामन खान : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसे हमारे माननीय सदस्य श्री आफताब जी ने बताया है मैं भी इस बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे पंडित मूलचंन्द शर्मा जी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं। इस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की दो साल में एक बार ही मीटिंग हुई है। हम जो इरीगेशन में कैमिकल युक्त पानी दे रहे हैं जिसके कारण हमारे क्षेत्र में कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैलती जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या इस चीज का सरकार समाधान करेगी? हमारे किसान कब तक अपनी गेहूं की फसल या सब्जियों को इस कैमिकल युक्त पानी से सिंचाई करते रहेंगे। यह बात नहीं है कि उस एरिया में ही ये सब्जियां पहुंचाई जाती हैं, इन सब्जियों को दूसरे एरिया में भी भेजने का काम किया जाता है जैसे आलू, टमाटर, गेहूं, आदि। इसमें ऐसी बात भी नहीं है कि इससे एक एरिया ही इफैक्टिड हो रहा है इससे तो पूरा हरियाणा इफैक्टिड हो रहा है इसलिए मेरी हाउस के माध्यम से सरकार से दरख्वास्त है कि बल्लभगढ़ के पास या जहां से मेवात कैनाल निकलती है वहां पर ट्रीटमैंट प्लांट लगाया जाये जिससे लोगों को खेतों में सिंचाई के लिए शुद्ध पानी मिल सके।

———————

राजकीय मॉडल संस्कृति उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैक्टर–20, पंचकुला से आए प्रधानाचार्य, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि गवर्नमैंट मॉडल संस्कृति सीनियर सैकेंडरी स्कूल, सैक्टर 20, पंचकुला के विद्यार्थी तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं।

———————

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, अभी तक मेरी सप्लीमैंट्री का जवाब नहीं आया है।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी चितिंत है। यह बात सभी के संज्ञान में है कि इसमें मेवात कैनाल का पानी आता है। हम इस विषय को गंभीरता से लेकर जितने विभागों की जरूरत होगी। सभी मिलजुल कर सरकार इनकी समस्या का समाधान करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, अभी तक मेरी बात का जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, माननीय मंत्री जी ने आपकी बात के लिए एश्योर कर दिया है।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मेरी सप्लीमैंट्री का जवाब अभी तक नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, आपने पहले ही अपने प्रश्न से संबंधित तीन सप्लीमैंट्री पूछ ली है।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, अभी तक मेरी सप्लीमैंट्री का जवाब नहीं आया है। मैंने यह बात कही है कि 3 विभागों का एक कॉर्डिनेटिड नोडल विभाग बनाया जाये। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस काम की समय सीमा भी तय की जाये।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि इसमें 3 विभाग नहीं बल्कि इसमें और भी विभाग शामिल होंगे। इसमें पॉल्यूशन विभाग भी शामिल होगा। इससे जितने विभाग संबंधित होंगे, वे सब मिलजुल करके इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। हमारा फोकस यह है कि हमारे मेवात का एरिया है, उसमें जो पानी खराब होता जा रहा है उसको कैसे शुद्ध किया जाये।

———

To Open Forest Research Institute

***1734. Shri Ghanshyam Dass Arora:** Will the Forest Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open any Forest Research Institute or Agroforestry University in Yamunanagar in order to encourage Yamuna Nagar Ply Board Industry; and

(b) if so, the time by which it is likely to be opened?

वन मंत्री (श्री कंवर पाल) : (क) हां, श्रीमान वन अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। यमुनानगर में वन अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए सरकार उपयुक्त भूमि की तलाश कर रही है। कम से कम 50 एकड़ इकट्ठी जमीन उपलब्ध होने पर सरकार द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

(ख) उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर, इस कार्य के लिए फिलहाल कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

श्री घनश्याम दास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि यमुनानगर बोर्ड प्लाई उद्योग का एक हब है और उस उद्योग के लिए लकड़ी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा आवश्यक कच्चा माल है यमुनानगर में पोपुलर और सफेदा दोनों होते ही है परन्तु यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का पोपुलर और सफेदा बिकने के लिए आता है। अध्यक्ष महोदय, उसकी कीमत ट्रांसपोरेटेशन की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस समय यमुनानगर में यह उद्योग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है इसलिए जितना जल्दी हो सके वन अनुसंधान केन्द्र या कृषि वाणिज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये ताकि ऐसी लकड़ी की खोज की जा सके जो जल्दी बढ़े, जल्दी तैयार हो और स्थानीय उद्योग को स्थानीय स्तर पर ही यह लकड़ी उपलब्ध हो जाये। इसके साथ ही मैं मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि इसमें दो तरह की लकड़ी प्रयोग होती है । एक तो जो कोर बनती है उसके लिए जो लकड़ी प्रयोग होती है वह भारतवर्ष और यमुनानगर के आस पास यानि उत्तर प्रदेश और पंजाब में मिल जाती है। दूसरा फेस की आवश्यकता होती है और फेस जिस लकड़ी से बनता है वह लकड़ी हमारे देश में पैदा नहीं होती । फेस के लिए लकड़ी इंडोनेशिया, म्यांमार, चाइना और साउथ अफ्रीका के गैबन से आयात करते हैं । अध्यक्ष महोदय, यदि किसी वजह से आयात में व्यवधान आ जाए तो लाखों श्रमिक बेकार हो जाएंगें तथा प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है उसका नुकसान होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये 50 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई जा सकती है। इसको जितनी जल्दी स्थापित किया जायेगा, यह उद्योगों के लिये बहुत अच्छा होगा तथा अपने देश और राष्ट्र के लिए अच्छा होगा अन्यथा यह स्थिति न आए जाए कि बोर्ड और प्लाई हमें विदेशों से आयात करना पड़े । मंत्री जी ने इस प्रश्न के जवाब में कहा है कि इसके लिये कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती तो मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि यदि इसके लिये कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी तो यह प्लांट लग नहीं पायेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि इसके लिए समय सीमा जरूर निर्धारित की जाए तथा इसके लिए मंत्री जी जितने दिन में जमीन उपलब्ध करवाने के लिए कहेंगें, मैं जमीन उपलब्ध करवा दूंगा । मंत्री जी ने इसके लिए जो 50 एकड़ जमीन की

सीमा बताई है उस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मैं पंचायत की या कोई और 50 एकड़ जमीन इस काम के लिए उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारा विभाग इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है और माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूँ बहुत सही और गंभीर प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कोई आश्वासन तो नहीं दे रहा हूँ फिर भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस काम को जल्दी से जल्दी किया जाये।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, माननीय सदस्य 50 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने के लिये तैयार हैं तो उसके बाद तो इनको इस काम के लिये आपकी तरफ से आश्वासन मिल जाना चाहिए।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, जैसे ही जमीन उपलब्ध हो जायेगी, हम यह काम करवा देंगे।

श्री घनश्याम दासः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी भी उसी जिले से संबंध रखते हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी भी अगर स्वयं कोशिश करें और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो 50 एकड़ जमीन कई स्थानों पर मिल जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस काम के लिये 50 एकड़ जमीन कई स्थानों पर उपलब्ध है और वह मिल भी जाएगी ।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, जब तक जमीन फाइनल नहीं हो पाती तब तक इस संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।

———————

To Provide Tablets to the Students

***1664. Shri Varun Chaudhry:** Will the Education Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide tablets to the students of Government Schools of State; if so, the details thereof; and

(b) the time by which the above said proposal is likely to be materialized?

शिक्षा मन्त्री (श्री कंवर पाल) : (क) हाँ, श्रीमान जी। अगले षैक्षणिक सत्र के दौरान राजकीय विद्यालयों में सैकेण्डरी कक्षाओं में पढ़ रहे 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को पहले से लोड की गई पठन सामग्री व पर्सनलाइज्ड अडैपटिव लर्निंग (PAL)

सॉफ्टवेयर युक्त और निःशुल्क इंटरनेट डेटा सहित टैबलेट्स उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ख) यह प्रस्ताव मई, 2022 तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

श्री वरुण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों को न तो पुस्तकें मिली हैं और न ही टैब मिले हैं। अब एक साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। जो हमारे विद्यार्थी हैं उनकी संख्या घटा दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति है । यह 5 मार्च, 2021 को दिया गया था । इस अभिभाषण के पैरा नं. 66 को मैं पढ़ रहा हूं इसमें लिखा है –

To facilitate online education, my Government has decided to provide free tablets to 8,06,000 students of all categories studying in class 8th to 12th in Government Schools.

अध्यक्ष महोदय, पहले तो 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों को टैब देने की बात की गई है । मैं जानना चाहता हूं कि एक साल हो गया है लेकिन अभी तक इस काम के लिए कोई टैण्डर्ज क्यों नहीं दिए ? मैं समझता हूं कि हम प्रदेश के भविष्य को कहां लेकर जा रहे हैं ? मंत्री जी बताएं कि ये क्लासिज क्यों घटाई गई हैं तथा क्यों इसके लिए अभी तक कोई टैण्डर्ज नहीं किए गए ।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि इसके टैण्डर्ज हो चुके हैं । जो बात इन्होंने कही और आमतौर पर यह विचार है कि यह कोविड के कारण हुआ है । सरकार की नीति है और हमारी सरकार की सोच है कि हमारे जो बच्चे अभावग्रस्त हैं तथा एक तरफ तो ऐसे अभिभावक हैं जिनके पास संसाधन हैं और दूसरी तरफ ऐसे अभिभावक हैं जिनके पास संसाधन नहीं है उनके बीच का अंतर समाप्त होना चाहिए या फिर कम से कम होना चाहिए। यह हमने केवल कोविड के लिए नहीं किया है । हरियाणा देश में पहला राज्य है जिसने बच्चों को इतनी बड़ी संख्या में टैबलेट्स देने का इंसैंटिव लिया है। विपक्ष के साथियों को कोई संदेह है तो ये पता भी कर सकते हैं। हम 620 करोड़ रुपये खर्च करके 10 वीं से 12 वीं तक के छात्रों को टैबलेट्स देने जा रहे है और अगले सैशन में उनको टैबलेट्स उपलब्ध भी करवा देंगे।

श्री वरुण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 10 वीं से 12 वीं कक्षा के विद्यार्थियों को आने वाले सैशन में टैबलेट्स दे दिये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि 8 वीं और 9 वीं कक्षा के विद्यार्थियों का क्या कसूर

है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उनका जिक्र करने के बावजूद भी उनको टैबलेट्स नहीं दिये जायेंगे। उन बच्चों के माता–पिता गरीब होने के कारण और सरकार टैबलेट्स देगी यह सोचकर उन बच्चों को टैबलेट्स नहीं दिलवा रहे तथा अब मंत्री जी भी कहे रहे हैं कि उनको टैबलेट्स नहीं देंगे। मंत्री जी, अपने जवाब में यह स्पष्ट करें कि जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 8 वीं से 12 वीं कक्षा के बच्चों को टैबलेट्स देने की बात की गई है तो क्या वह झूठ है? क्या मंत्री जी 8 वीं और 9 वीं के बच्चों को टैबलेट्स देने की बात को स्वीकार करेंगे?

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि पहले हमारा विचार 8 वीं से 12 वीं कक्षा तक ही टैबलेट्स देने का था लेकिन अब हमने विचार किया कि पहले 10 वीं से 12 वीं कक्षा के बच्चों को टैबलेट्स देंगे और 8 वीं और 9 वीं के बच्चों को टैबलेट्स देने बारे बाद में विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में टैबलेट्स पूरे देश में केवल हरियाणा प्रदेश ही देने जा रहा है । (विघ्न)

श्री अध्यक्षः वरूण जी, प्लीज आप बैठें । सरकार की पॉलिसी चेंज हुई है उसी के अनुसार निर्णय लिया गया है।

———

तारांकित प्रश्न संख्या– 1526

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री अमरजीत ढाण्डा सदन में उपस्थित नहीं थे)

———

तारांकित प्रश्न संख्या– 1793

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री लक्ष्मण नापा सदन में उपस्थित नहीं थे)

———

तारांकित प्रश्न संख्या– 1794

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री धर्मपाल गोंदर सदन में उपस्थित नहीं थे)

————————

To Construct a New Building of CHC

***1576. Dr. Abhe Singh Yadav:** Will the Health Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new building of CHC Nangal Chaudhary in Mahendergarh district; and

(b) if so, the time by which the abovesaid building is likely to be constructed

@**Health Minister (Shri Anil Vij) :** (a) Yes Sir.

(b) It is likely to commence in six months.

डॉ अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब से संतुष्ट हूं और इसके लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

———————

तारांकित प्रश्न संख्या– 1486

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी सदन में उपस्थित नहीं थी)

———————

To Open a Government College

***1636. Mohd. Ilyas:** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College in Punhana Assembly Constituency; if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : नहीं, श्रीमान जी।

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने मना किस आधार पर किया है और इसके क्या कारण हैं ? जिला नूंह में हर तहसील वाइज लड़कों का एक कॉलेज है और लड़कियों का कॉलेज भी है उसके लिए मैं मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं लेकिन अफसोस मेरे हल्के पुन्हाना में तहसील है, ब्लॉक भी है, और मेरा हल्का भी है। वहां पर

@Replied by Urban Local Bodies and Housing Minister (Dr. Kamal Gupta)

कॉलेज नहीं है हमारे वहां के बच्चों को 30–35 किलोमीटर दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता है। सरकार एक तरफ तो कहती है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है और देना भी चाहिए यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे वहां शिक्षा को बढ़ावा देने की कोई बात नहीं की जा रही बल्कि घटावा देने की बात की जा रही है। जहां सारे जिलों में तहसील वाइज एक–एक कॉलेज है। आपके मना करने के बाद भी मैं आपसे पुनः हम्बली रिक्वैस्ट है कि वहां पर कॉलेज बनाया जाये । हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे जिले को पिछड़ा घोषित किया है । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र को पिछड़ा घोषित किया है तो वहां पर कॉलेज अवश्य खोला जाये और प्रधानमंत्री जी की बात को शिक्षा मंत्री जी फूल चढ़ायें। सही मायने में आपका दिखावा नहीं है तो मेहरबानी करके वहां पर कॉलेज बनवाया जाये। इनकी बहुत–बहुत मेहरवानी होगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह मेरे हल्के के पिलंगवा गांव में लड़कियों का हायर सैकेण्डरी तक का स्कूल है । मुख्यमंत्री जी और सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया हुआ है। इस स्कूल कि बिल्डिंग की हालत बहुत जर्जर अवस्था में है। मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार न करते हुए इस स्कूल की बिल्डिंग को भी जल्दी से जल्दी बनवाया जाये।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद हमने प्रदेश में 67 कॉलेज वो खोले हैं जोकि रिकार्ड की बात है। इससे पहले किसी भी सरकार ने अपने कार्यकाल में इतने कॉलेज नहीं खोले। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः प्लीज, आप बैठिये।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय जो हमने 67 नये कॉलेज खोले है इससे प्रमाणित होता है कि हमारी सरकार शिक्षा के लिए चिंतित है। जहां पहले 22 संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गये थे और हमने 2 साल के कार्यकाल में 114 संस्कृति मॉडल स्कूल खोले हैं हमारी सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर है। जहां तक माननीय सदस्य की मांग है कि वहां पर कॉलेज खोला जाये। वहां पर लड़कियों का कॉलेज है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हुई है कि लड़कियों को 20 किलो मीटर से दूर शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाना पड़ेगा। यह तो जीरो किलो मीटर है । वहां पर दूसरा कॉलेज होडल में है जोकि 19 किलो मीटर पर पड़ता है। मैं सदन को यह भी

बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में डिमांड पर नहीं बल्कि मेपिंग करवाकर जरूरत के मुताबिक स्कूल खोलने की व्यवस्था की जायेगी। (विघ्न)

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया हुआ है कि लड़कियों को 20 किलो मीटर से दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा कि आप इंक्वायरी करवा लीजिए अगर पुन्हाना से लड़कियों के कॉलेज की दूरी 20 किलोमीटर से कम हुई तो मैं कोई मांग नहीं करूंगा। वहां से अगर हमारे बच्चे 30–35 किलो मीटर दूर जाते हैं तो क्या कॉलेज बनायेंगे।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैंने जानकारी दी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हुई है कि हमारे प्रदेश की लड़कियों को 20 किलोमीटर से दूर शिक्षा ग्रहण करने नहीं जायेंगी उसके बीच में कॉलेज बनायेंगे तथा भविष्य में मैपिंग करवाकर ही कॉलेज बनाये जायेंगे। पुन्हाना से होड़ल 19 किलोमीटर की दूरी पर है । तीसरा मैंने कहा है भविष्य में हम मैपिंग करवायेंगे और जहां कॉलेज खोलने की जरूरत होगी तो अवश्य कॉलेज खोलेंगे।

———————

To Construct Four Lane Road

***1609. Rao Dan Singh :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct four lane road from Mahendergarh to Rewari via Kanina road; and

(b) if so, the time by which the construction work of abovesaid road is likely to be started?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) : (a) Sir, a proposal to construct four lane road from Mahendergarh to Rewari via Kanina, to be taken up under Hybrid Annuity Mode, is under consideration of the Government.

(b) Likely date of start of its construction can be given only after grant of Administrative Approval by the Government.

राव दान सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमारे महेन्द्रगढ़ जिले से बुरी हालत सड़कों की पूरे हरियाणा में देखने

को और कही नहीं मिलेगी । विशेषतौर से रिवाड़ी से महेन्द्रगढ़ और दादरी से नारनौल रोड की हालत भी बहुत खराब है। अध्यक्ष महोदय, मैनें महेन्द्रगढ़ से रिवाड़ी रोड को चार मार्गीय करने के लिए पहले भी निवेदन किया था लेकिन व्हीकल्ज वॉल्यूम कम होने के कारण मना कर दिया गया था। अब मैं गारन्टी के साथ कह सकता हूं कि वहां व्हीकल्ज वॉल्यूम पूरी मिलेगी इसलिए इस रोड को चार मार्गीय बना देने की प्रार्थना करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वहां पर पिछले 1 साल में 42 एक्सीडैंट् हुए हैं जिनमें से 22 लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे लोग गम्भीर रूप से घायल हुए हैं जबकि रोड टूटा होने के कारण वहां पर व्हीकल्स की स्पीड भी बहुत कम रहती है। महेन्द्रगढ़ में नैशनल हाईवे 148–बी पर जब हम कन्वर्ट करके फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं तो जो यू–टर्न है वह बहुत शॉर्प है जिसके कारण ट्रैफिक जाम रहता है, धूल उड़ती है और एक्सीडैंट्स होते हैं। मैं इस नैशनल हाईवे 148–बी के बारे में पिछले तीन सैशन्ज से आवाज उठा रहा हूं और उप–मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम इसको बना रहे है लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा कठोर कदम नहीं उठाया गया है जिससे हम यह कह सकें कि कनीना और महेन्द्रगढ़ की समस्या का समाधान हो सकेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान कब तक हो जायेगा?

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह सवाल पिछले से पिछले सत्र में पूछा था। हमने इसका ट्रैफिक सैंसस करवा लिया है और फिजिबिलिटी और राईट ऑफ वे वहां पर मिला है। हमने इसकी डी.पी.आर. कंसल्टैंट को दे दी है और जैसे ही इसकी डी.पी.आर. आ जायेगी तो आगामी वित्त वर्ष में इसको हाईब्रिड एन्यूटी मोड के अधीन स्टेट गवर्नमैंट टेकअप करेगी। साथ ही साथ मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह एक ऐसा स्ट्रैच है जिसके बारे में पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से भी बात हुई थी। इसके अतिरिक्त हमने हिसार से तोशाम और बाढड़ा होते हुए महेन्द्रगढ़, कनीना, रेवाड़ी से लेकर के.एम.पी. एक्सप्रैसवे तक के इस स्ट्रैच को बनाने के लिए एन.एच.ए.आई. से मांग की है क्योंकि यह 7 नैशनल हाईवेज को क्रॉस करता है। एन.एच.ए.आई. भी इसकी फिजिबिलिटी चैक करवा रहा है। हमारा तो यही प्रयास है कि यह फोरलेन नहीं बल्कि इसको भी एक्सैस कंट्रोल्ड सिक्सलेन हाईवे के तौर पर डिवैल्प करें ताकि

ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक इसका फायदा पहुंच सके तथा इस पूरे इलाके की इसके माध्यम से ईस्ट–वैस्ट कनैक्टिविटी हो। मैं सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जैसे ही इसकी डी.पी.आर. आयेगी तो हमें इंतजार रहेगा कि अगर केन्द्र सरकार पॉजिटिव सोचती है तो ठीक है अन्यथा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल राज्य सरकार देगी और एच.ए.एम. के तहत इसको राज्य सरकार बनायेगी।

राव दान सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो योजना बताई है वह बहुत अच्छी है। अगर ये कार्यान्वित कर देते हैं तो हमारी ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो जायेगा। लेकिन परेशानी इस बात की है कि 148–बी को आज तकरीबन 7 साल से ज्यादा हो गये हैं। इस प्रकार से हम पंचवर्षीय नहीं सप्तवर्षीय योजना में आते हैं। जब हमारी सरकार थी और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे उस समय इसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया था। इसमें पहले एक कम्पनी ने टैंडर दिया था और फिर दूसरी कम्पनी ने टैंडर भरा था लेकिन विभाग की तरफ से कहा गया कि सिंगल बिडर है इसलिए टैंडर अलॉट नहीं किया जा सकता है। अब दो कम्पनियां आई हैं लेकिन उसका स्टेक इतना हाई है कि हम उसको नैगोशिएशन के लिए बुला रहे हैं। उसके बाद टी.ए.सी. से कंसल्टेशन करेंगे और यह मामला सालों साल खिंचता चला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या महेन्द्रगढ़–कनीना रोड का काम भी इसी तरह से खिंचता रहेगा या ये समय पर इस काम को करवायेंगे?

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गम्भीरता और रिक्विजीशन की बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि यह 4 किलोमीटर का पैच दादरी जिले में था जिसमें लैंड की हैंडिंगओवर और टेकिंगओवर नहीं हुई थी जिसके कारण 148–बी का काम रुका हुआ था। अब वह जमीन हैंडओवर कर दी गई है और हमें उम्मीद है कि आगामी अप्रैल और मई में हम उसको पूरी तरह से फंक्शनल देखेंगे। इसके पैरलली ही दादरी से नारनौल का जो स्ट्रैच है उसका काम भी अलॉट हो चुका है और काम चल रहा है। पूरे प्रदेश में कैसे ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो, सड़कों के हालात कैसे बेहतर हों, इसके लिए हमारी सरकार निरन्तर काम कर रही है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आगामी वित्त वर्ष में हम

इस कार्य को शुरू करवा देंगे। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि वहां पर कितनी सड़कों पर काम हुआ है तो उसकी डिटेल मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा।

———————

To Shift the Automarkets

***1769. Shri Bharat Bhushan Batra:** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that there was a proposal of the Government to shift all the auto markets like Subhash road, Hisar road, Mal Godown road and Kathmandi after developing the Sector 18, 18A, Sector 21 & 21A in Rohtak, if so, the reasons for which the said auto markets have not been shifted so far together with the details thereof?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हॉ, श्रीमान जी। परिवहन नगर की स्थापना के लिए सेक्टर 18 व 18 ए, रोहतक में भूमि का अधिग्रहण किया गया था और सेक्टर 21, रोहतक में काठ मण्डी को स्थानांतरित करने के लिए भी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। हशविप्रा ने सीमित नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से इन दुकानदारों को स्थानांतरित करने का प्रयास किया है। वर्ष 2021 में इन सेक्टरों में कुल 9 दुकानें/कियोस्क (सेक्टर 18–18ए, परिवहन नगर में 8 नम्बर तथा सेक्टर 21–पी, काठ मंडी, रोहतक में 1 नम्बर) खुली नीलामी के माध्यम से बेचे गए। इन दुकानदारों को स्थानांतरित करने और इन सेक्टरों को क्रियाशील बनाने और स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो थोड़ा लम्बा था लेकिन टैक्निकल्टी की वजह से इस प्रश्न का केवल पहला पार्ट ही आया है और दूसरे वाले दोनों पार्ट ओमिट हो गये। कोई बात नहीं उसमें मैं सप्लीमैंट्री पूछ लूंगा। स्पीकर सर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री जी ने सात साल में वहां प्लॉट न बिकने का कोई कारण नहीं बताया। जहां पर सरकार ने सैक्टर–18, 18–ए के अन्दर 1060 दुकानें डिवैल्प करके सारे शहर को कंजैस्ट कर दिया है इसलिए शहर को डी कंजैस्ट करने के लिए मार्केट्स का बाहर जाना बहुत आवश्यक है। इसमें सरकार की सीरियसनैस इस बात की लगती है कि क्या सात साल में सिर्फ आठ प्लॉट्स ही बिके हैं और वहां प्लॉट्स क्यों बिके, क्यों नहीं बिके उसका भी मैं कारण

———————————————————————————————————————

@ Replied by the Agriculture and Farmers Welfare Minister (Shri Jai Parkash Dala)

बताउंगा। इस बारे में मैं दो बार मुख्यमंत्री जी से भी मिला हूं। उनको मैंने रिप्रजंटेशन भी दी है। उसी तरह काठ मंडी रोहतक के प्लॉट्स में से भी सरकार का सिर्फ एक प्लॉट बिका है। स्पीकर सर, वहां हुडा अथोरिटी पब्लिक इंट्रस्ट में या पब्लिक के लिए कम काम करती है। सैक्टर–18, 18–ए में ऑटो मार्केट इत्यादि को विकसित करने के लिए जमीन की टोटल लागत 71 करोड़ रुपये आई है, इसके बाद उसके इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें, पानी आदि के लिए जो लागत आनी थी वह सब मिलाकर सरकार की टोटल लागत 11 हजार रुपये प्रति स्क्वैयर मीटर के हिसाब से कोस्ट आई थी और सरकार ने उसकी कीमत 37 हजार रुपये प्रति स्क्वैयर मीटर रख दी जिसकी वजह से वहां पर कोई भी प्लॉट लेने के लिए नहीं आता है। सरकार वहां सात साल से ऑक्शन कर रही है लेकिन वहां प्लॉट लेने के लिए कोई नहीं आता है। उसी तरह से जहां काठ मंडी को शिफ्ट करने की बात है वहां पर सरकार की जमीन की टोटल लागत 113 करोड़ रुपये आई है। सरकार ने वहां पर 94 एकड़ जमीन को डिवैल्प करने की बात कही थी लेकिन वहां सरकार की केवल एक एकड़ जमीन ही बिक पाई थी क्योंकि सरकार ने वहां जमीन का रेट 34484 रुपये प्रति स्क्वैयर मीटर रख दिया। स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि सरकार का काम यह नहीं होता है कि जिस जमीन की 11 हजार रुपये प्रति स्कवेयर मीटर कौस्ट आई है और सरकार उसकी 37 हजार रुपये प्रति स्कवेयर मीटर कोस्ट रख रही है। सरकार वहां इतनी ज्यादा कीमत रख रही है जबकि वहां पर एक्चुअल में इतनी कीमत नहीं है। स्पीकर सर, Haryana Urban Development (Disposal of Land & Buildings) Regulations, 1978 का सैक्शन 4(1) जो कि Fixation of tentative price/premium से संबंधित है, कहता है कि–

> The tentative price/premium for the disposal of land or building by the Authority shall be such as may be determined by the authority taking into consideration the cost of land, estimated cost of development, cost of buildings and other direct and indirect charges, as may be determined by the Authority from time to time.

अगर सरकार 11 हजार रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर का 37 हजार रुपये प्रति स्कवेयर मीटर वसूल करेगी तो फिर वहां प्लॉट कैसे बिकेंगे। मेरी रोहतक विधान सभा क्षेत्र की यह मांग है कि शहर में बहुत ज्यादा मार्केट होने की वजह से शहर बहुत ही ज्यादा कंजस्टिड हो चुका है। वहां ट्रैफिक का बुरा हाल है इसलिए सरकार को

चाहिए कि वहां प्लॉट्स की कीमत कम करें और काठ मंडी का इनीशियेटिव लें और माल गोदाम रोड व हिसार रोड सभी को वहां से शिफ्टिंग करवाएं। यह एग्जोरबिटैंट रेट फिक्स हो गये हैं which is unbearable और लोगों की पहुंच से बाहर हैं इसलिए वहां पर प्लॉटिंग नहीं हुई हैं। अगर सात साल के अन्दर 9 प्लॉटस ही बिकते हैं तो इस बात के लिए सारा कुछ एविडेंट हो जाता है कि सरकार कितना जल्दी कर रही है जिसका क्या कारण है। मैं जानना चाहूंगा कि आप वहां पर शिफ्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्लॉट न बिकने की वजह अपने लहजे में बता दी है। हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने सारी मार्केट को यह आश्वासन दे रखा है कि मैं तुम्हें 11 हजार रुपये में प्लॉट दिलवाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा क्यों कहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य खुद 11 हजार रुपये कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) सभी शहरों में हुडा की नीति के अनुसार प्लॉट बेचने के रेट फिक्स किये जाते हैं। ऐसे ही रोहतक में भी रेट फिक्स किया गया है। रोहतक में रिजर्व प्राईस 35800 रुपये थी लेकिन हमने जब ओपन ऑक्शन करवाई तो वह प्लॉट हाईयेस्ट रेट 128015 रुपये में बिका। हमने जब लिमिटिड ऑक्शन करवाई तो एक भी आदमी की बिडिंग नहीं आई लेकिन जब ओपन ऑक्शन करवाई तो वह प्लॉट हाईयेस्ट रेट 128015 रुपये पर बिक गया। दूसरा हांसी में छोटी मार्केट में 122000 रुपये में सेम इसी मार्केट के भाव में प्लॉट बिके हैं और बहादुरगढ़ में 76 हजार रुपये में प्लॉट बिके हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको मार्केट रेट बता रहा हूं। आपके रोहतक में 128000 रुपये मार्केट रेट है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम जब एक प्लॉट को ओपन आक्शन में 128015 रूपये पर स्क्वेयर मीटर के हिसाब से बेच सकते हैं तो माननीय सदस्य के कहे अनुसार प्लॉट्स को 11 हजार रूपये पर स्क्वेयर मीटर के हिसाब से क्यों बेचें। यह जरूर हो सकता है कि हम दोबारा से लिमिटेड आक्शन करायें और अगर लिमिटेड ऑक्शन में लोग भाग नहीं लेना चाहेंगे तो हम ओपन आक्शन भी करेंगे और जो इच्छुक लोग होंगे उनको प्लॉट मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, समस्या का समाधान तो माननीय सदस्य के पास ही है। अगर यह लोगों को गलत स्टेटमैंट न दें तो यह समस्या आयेगी ही नहीं। माननीय सदस्य ने लोगों को कह रखा है कि ये 11 हजार रूपये

पर स्क्वेयर मीटर के हिसाब से प्लॉट्स दिलायेंगे और ठीक इसी प्रकार इनके द्वारा आज हाउस को मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इनके यहां पर जो 35800 रूपये पर स्क्वेयर मीटर के हिसाब से रिजर्व प्राइस रखने का काम किया गया था जोकि बिल्कुल जायज रेट है और इतना रिजर्व प्राइस होने के बावजूद भी यहां लिमिटेड आक्शन में 128015 रूपये पर स्क्वेयर मीटर के हिसाब से प्लॉट बिक चुका है। यही नही हम दोबारा से 35800 रूपये पर स्क्वेयर मीटर के हिसाब से रिजर्व प्राइस रखते हुए, लिमिटेड आक्शन करेंगे और हमें उम्मीद है कि इस बार भी लोग जरूर भाग लेने का काम करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इनको इस तरह से सदन को बरगलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः शकुंतला जी, प्लीज आप बैठिए। बतरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हाउस में नहीं हैं उनके साथ बाकायदा तौर पर संबंधित विषय पर काफी चर्चा हुई थी और उन्होंने अपने डिपार्टमैंट के जो उच्च अधिकारी हैं, उनको इस बारे में आवश्यक दिशा–निर्देश देते हुए कहा था कि इस जमीन की कीमत 20000 रूपये पर स्क्वेयर मीटर के हिसाब से फिक्स कर दी जाये और आक्शन में जितना रेट जायेगा वह तो जायेगा ही। अध्यक्ष महोदय, प्लॉट्स की कीमत तो जायज होनी चाहिए और आक्शन में चाहे कितना रेट जाये, वह अलग बात होती है। अगर आपको मार्किट रेट लेना है तो आप प्लॉट्स की रिर्जव प्राईस तो ठीक रख दें। अगर लोगों को प्लॉट खरीदना होगा तो लोग प्लॉट खरीदने के लिए आयेंगे ही। अगर रेट्स बेतहाशा ढंग से तय किए जायेंगे तो प्लॉट्स को खरीदने कौन आयेगा ? अध्यक्ष महोदय, सारे इंफ्रास्ट्रकचर को तैयार करने में 11 हजार रूप पर स्क्वैयर मीटर की लागत आई है लेकिन रिजर्व प्राइस रख दिया 37000 रूपये पर स्क्वैयर मीटर। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, यहां पर प्लॉट्स की 35800 रूपये पर स्क्वेयर मीटर के हिसाब से रिजर्व प्राइस तय की गई थी और लिमिटेड आक्शन में प्लॉट 128015 रूपये पर स्क्वेयर मीटर के हिसाब से बिक गया है तो इसमें गलत बात क्या है। माननीय सदस्य को सदन में इस तरह की बहकाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए ?

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, माननीय मंत्री जी ने सभी बातें बता दी हैं। अब आप प्लीज बैठिए और विनोद भ्याना जी को उनका अपना प्रश्न पूछने दें।

———

To Construct the Roads

***1667. Shri Vinod Bhayana:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the roads from Hansi to Umra and Umra to Kanwari are in very bad condititon; and

(b) if so, whether thereis any proposal under consideration of the Government to construct the abovesaid roads togetherwith the time by which abovesaid roads are likely to be constructed?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) : (a) No Sir,

(b) This part of the question does not arise.

श्री विनोद भ्यानाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि उनके पास हांसी से लेकर उमर तक की सड़क की जो रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि यह सड़क बिल्कुल ठीक है। अगर धरातल पर जाकर देखा जाये और माननीय उप–मुख्यमंत्री जी के पास बहुत से विभाग भी हैं, उन विभागों में से लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को छोड़कर अगर किसी दूसरे विभाग के अधिकारियों को यहां पर भेजकर सड़क की हालत दिखाई जाये तो वस्तु स्थिति का स्वतः ही पता चल जायेगा। मैं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के बारे में यह बात इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने तो इस सड़क के बारे में अपनी रिपोर्ट बनाकर दे दी है कि सड़क बिल्कुल ठीक–ठाक है। अध्यक्ष महोदय, हांसी से उमरा तक की सड़क की बहुत खराब हालत है। अतः माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि कृपा करके इस सड़क की अच्छी तरह से जांच करायें और इस सड़क को बनवाने का कार्य करें।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की मैं पीड़ा समझ सकता हूँ। एम.डी.आर. 108 से लेकर एन.एच. 9 तक की कनेक्टिविटी की जो रोड है, इसकी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड 31 दिसम्बर, 2021 को एक्सपॉयर हुई है और अभी पिछले दो महीने से इसकी कोई रखवाली करने वाला नहीं बचा है। अब हम इसका

ट्रैफिक सैंसस भी करवा लेते हैं और मैं एश्योर करता हूँ कि 30 दिन के अंदर जैसे ही रिपोर्ट आयेगी we will take it up.

To Construct Bye-Pass

***1701. Shri Jagdish Nayar :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bye-pass in Hassanpur town of Hodal Assembly Constituencyl; if so, the time by which the said bye-pass is likely to be constructed?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) : No Sir, the other part of the question, therefore, does not arise.

श्री जगदीश नायरः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि क्या होडल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के हसनपुर शहर में बाई–पास निर्मित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है, के संदर्भ में माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने ना में जवाब दे दिया। अध्यक्ष महोदय, यह शहर यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है और इसके बीच में से जो सड़क गुजरती है, उसमें हमेशा जाम लगा रहता है और जाम की वजह से वहां पर यात्री एक–एक दो–दो घंटे फंसे रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा एरिया बृज के एरिया के साथ लगता एरिया है। यहां पर जब गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा चलती है तो उस समय करोडों यात्रियों को इसी रोड से निकलना पड़ता है। मेरा माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इसकी अच्छी तरीके से जांच करायें और जहां–जहां पर भी इस तरह के शहर हैं, वहां पर लोक निर्माण विभाग की तरफ से बाई–पास के रूप में सड़कों को बनाया जाये और जब बाई–पास की सड़कें बनाई जायें तो इन सड़कों के साथ–साथ पानी की निकासी का भी उचित प्रबंध किया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार हसनपुर का बाईपास बनाने का भी मेरा एक अनुरोध है। यह बाईपास लिखी गांव से जाकर सतुआगढ़ी गांव से घूमेगा और माहौली रोड से घूमकर सनौली को क्रॉस करके यह होडल–हसनपुर रोड तक जायेगा। इससे शहर के ट्रैफिक का दबाव कम हो जायेगा। मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरी मांग पर विचार करें और इसकी स्कीम बनाकर मंजूरी देने का काम करे।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो सवाल पूछे हैं, एक सवाल हसनपुर बाईपास का पूछा है, जिसका पिछले दिनों ही ट्रैफिक सैंसस हुआ था और उसके अंदर ट्रैफिक डैनसिटी जो मोडरेट पाई गई है। आज के दिन वहां पर बड़ी मात्रा में जाम की स्थिति हमारे सामने नहीं आई है। फिर भी यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो दोबारा से ट्रैफिक सैंसस करवा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर तक नाली बनाने की बात की है क्योंकि अधिकतम फिरनियां पंचायती राज बनाती है। सरकार ने पहले से ही पॉण्ड अथॉरिटी के साथ जोहड़ की सफाई का प्रोजैक्ट दिया है, उसके अंदर इसको टेकअप करेंगे। प्रत्येक गांव के जितने भी outer peripheral ways हैं उनके अंदर ड्रेनेज की व्यवस्था बन जाये, जिससे जहां पर पानी खड़ा होता है वह न हो और निकासी का काम भी प्रॉपर हो जाये।

श्री जगदीश नायरः अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि वहां पर ट्रैफिक का बहुत कम लोड रहता है। माननीय परिवहन मंत्री पंडित मूल चंद शर्मा भी उसी जिले से संबंध रखते हैं। उसी इलाके में श्री दीपक मंगला व श्री प्रवीण डागर का भी निर्वाचन क्षेत्र आता है। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ कि शहर के बीचों–बीच सड़क गुजर रही है। जिसके कारण ट्रैफिक जाम लगा रहता है। वहां पर हमारे उत्तर प्रदेश का भी ट्रैफिक आता है और हरियाणा का भी ट्रैफिक रहता है, इसलिए वहां पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा दबाव रहता है। मैं चाहता हूँ माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय अपने विभाग के उच्च अधिकारी से सर्वे करवाकर रिपार्ट तैयार करे और इसे जल्दी से जल्दी बनाया जाये। धन्यवाद।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हम इसकी डिटेल्ड सर्वे दोबारा से करवा देंगे और उसकी रिपोर्ट भी माननीय सदस्य के पास भेज देंगे।

श्री दीपक मंगलाः अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा यह कहना है। (विघ्न)

मौ. इलियासः अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस प्रश्न के साथ एक सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछना चाहता हूँ क्योंकि मेरा संबंध भी हसनपुर से है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः इलियास साहब, आपका सप्लीमैंट्री प्रश्न हसनपुर से संबंधित होना चाहिए।

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि मैंने हर सत्र के अंदर पिनगवा और पुन्हाना का बाईपास के प्रश्न लगाया है।

श्री अध्यक्षः मौ. इलियास जी, यह अलग प्रश्न है, इसलिए प्लीज आप बैठ जाइये।

श्री दीपक मंगलाः अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमैंट्री प्रश्न इसी से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात सदन के पटल पर रखी है वह सही है। यह बाईपास केवल होडल के लिये ही नहीं बल्कि वहां पर मल मास में बृज–84 कोस की परिक्रमा भी चलती है। जिसके कारण पूरे हरियाणा से ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से लाखों की संख्या में श्रृदालु वहां आते–जाते हैं। इस प्रकार से यह बाईपास बनना हमारे लिये और भी बहुत जरूरी है। यह समस्या होडल की ही नहीं बल्कि आप–पास के जिलों की भी भारी समस्या है।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात सदन के पटल पर रखी है, मेरा उसके संबंध में यह कहना है कि पाटन ब्रिज जो उत्तर प्रदेश को कनैक्ट करता है, वह भी हसनपुर जाता है। पलवल से हसनपुर रोड का भी इंटर चेंज है, होडल से हसनपुर रोड का भी यहां पर इंटर चेंज है। बावनी खेड़ा–हसनपुर और हसनपुर–जटौली रोड इन पांच जंक्शंज शहर के अलग–अलग कोनों में मिलते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम दोबारा से ट्रैफिक सैंसस करवा लेंगे, इसका जो डाटा होगा उसको देखते हुए सरकार आने वाले भविष्य के हिसाब से निर्णय लेगी।

———————

To Increase the Strength of Home Guards

***1587. Shri Sita Ram Yadav:** Will the Home Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the strength of Home Guards in State was 14025 in 1st November, 1966 and it is still same till to date; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the strength of Home Guards in State togetherwith the time by which the strength of Home Guards is likely to be increased?

@ गृह मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) हाँ जी महोदय, राज्य में होमगार्ड स्वयंसेवकों की वर्तमान स्वीकृत संख्या 14025 है।

(ख) हाँ जी महोदय, गृह रक्षी स्वयंसेवकों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

———————————————————————————————————

@Replied by the Power Minister (Shri Ranjit Singh)

श्री सीता रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि दिनांक 1 नवम्बर, 1966 को हरियाणा प्रदेश बना था और उस समय हरियाणा प्रदेश की आबादी तकरीबन 92 लाख के आस–पास ही थी। प्रदेश में उस समय केवल 7 ही जिले हुआ करते थे। उस समय होम गार्डों की संख्या 14025 थी। अब 1 जनवरी, 2022 को हरियाणा की जनसंख्या 2 करोड़ 70 लाख हो चुकी है, जिले 22 बन चुके हैं लेकिन होमगार्ड स्वयंसेवकों की संख्या आज भी 14,025 ही है । अतः मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि जब प्रदेश की जनसंख्या 3 गुना बढ़ चुकी है तो फिर होमगार्ड स्वयंसेवकों की संख्या भी 3 गुना की जानी चाहिए । माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की संख्या 10 हजार तक बढ़ाने का सरकार के पास प्रस्ताव गया हुआ है । मेरा निवेदन है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की संख्या को 3 गुना किया जाए और इसकी समयसीमा भी निर्धारित की जाए ।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा में होमगार्ड स्वयंसेवकों की संख्या 14,025 है और वर्ष 2021 से इनकी संख्या में 10 हजार और बढ़ोतरी करने का प्रपोजल है । मैं होमगार्ड स्वयंसेवकों के बारे में बताना चाहता हूं कि इनका बेसिक ओरिजिन इंग्लैण्ड से है । जब वर्ल्ड वार हुआ तो उस समय जो लोग फौज में चले गए उन्होंने तो फौज में लड़ाई लड़ी और जो लोग घरों में रह गए थे उनको होमगार्ड बना दिया गया था । हमारे प्रदेश में जब कोई मेला लगता है तो उस मेले में होमगार्ड्स को भेज देते हैं, रेडक्रॉस वगैरह के लगे हुए कैम्प्स में होमगार्ड्स को भेज दिया जाता है, नेचुरल डिजास्टर आने पर इनकी हैल्प ली जाती है आदि कामों में होमगार्ड्स को लगाया जाता है । अतः इनकी स्टेट में ज्यादा जरूरत नहीं रहती है । इन्होंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली होती है । फिलहाल हम होमगार्ड स्वयंसेवकों की संख्या 10 हजार तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं । अगर इससे ज्यादा की जरूरत पड़ी तो इस पर भी विचार कर लिया जाएगा ।

श्री सीता राम यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि हर जिले में जितने होमगार्ड स्वयंसेवक लगे हुए हैं वे काफी कम हैं । अतः मेरा निवेदन है कि उनकी संख्या को भी पूरा किया जाए ।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी तो इसका भी आश्वासन नहीं दिया जा सकता क्योंकि अभी नये होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती नहीं हुई है । जब नये

होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती हो जाएगी तो फिर इस बात पर विचार किया जाएगा ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में लगे हुए एस.पी.ओज. की रिटायरमैंट एज 55 वर्ष है जोकि बहुत ही कम है । उनकी बार–बार रिकवैस्ट आती है कि उनकी रिटायरमैंट एज को बढ़ाकर 58 वर्ष या 60 वर्ष किया जाए । इसके लिए बेशक उनसे मैडिकल फिटनैस सर्टिफिकेट ले लिया जाए ।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत–सी चीजें हैं । इसमें financial implication भी देखी जाती है । माननीय सदस्या का सुझाव बहुत अच्छा है । ऐसे सुझाव इनके वक्त में भी आते रहे, अब भी आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे । इस तरह के निर्णय करने में कैबिनेट, डिपार्टमैंट और ऑफिसर्ज से भी सलाह–मशविरा किया जाता है ।

———————

To Supply Drinking Water

***1724. Shri Mohan Lal Badoli :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to supply drinking water in Kundli from the ranney-well situated at Dahisara; and

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to supply drinking water in various Sectors of Sonepat from the ranney well situated at Jainpur, Tikola and Mehandipur; if so, the details thereof ?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) नहीं श्रीमान् जी, वर्तमान में कुंडली में रैनी वेल से पेयजल आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि दहीसारा में कोई रैनी वेल स्थित नहीं है।

(ख) हां श्रीमान् जी, सोनीपत के विभिन्न सैक्टरों के लिए रैनी वेल आधारित जलापूर्ति परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। ये रैनी वेलज जैनपुर,

---

@ Replied by the Agriculture and Farmers Welfare Minister (Shri Jai Parkash Dala)

टिकोला और मेंहदीपुर में स्थित नहीं हैं। वास्तव में, ये रैनी वेलज गांव बख्तावरपुर में स्थित हैं जो इन गावों के निकट हैं।

पारेषण लाइन बिछाने की लागत सहित इस परियोजना पर होने वाला कुल खर्च 115 करोड़ है और इस परियोजना के मई, 2022 तक कार्यशील होने की संभावना है।

श्री मोहन लाल बड़ौली : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने पिछले सत्र में भी सदन में दहीसरा में रैनीवेल बनाकर उससे कुण्डली को पेयजल की आपूर्ति करने बारे मुद्दा उठाया था । कुण्डली नगर पालिका बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पर लगी हुई है । उसकी बहुत बड़ी आबादी है । 'जल ही जीवन है' और 'हर घर को पेयजल देने' की हमारी सरकार की जो सोच है । इस पर कार्यवाही हुई है और दहीसरा गांव में जमीन भी अलॉट हो चुकी है । इसका प्रपोजल भी बन चुका है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रपोजल बनाया गया है कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदन में बजट पेश करेंगे । अतः बजट के अंदर नगर पालिका कुण्डली को पानी देने का प्रावधान अवश्य किया जाए । नगर पालिका कुण्डली में लगभग 50 हजार मकान बने हुए हैं । अतः उनको सरकार के द्वारा पानी देने की व्यवस्था की जाए । यह कार्य अति आवश्यक है ।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने लिखित जवाब में भी बताया था कि गांव बख्तावरपुर में स्थित रैनीवैल से जलापूर्ति परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है । इस परियोजना पर कुल 115 करोड़ रुपये खर्च होने हैं । इसके मई, 2022 तक कार्यशील होने की संभावना है । गांव बख्तावरपुर में स्थित रैनीवैल से ही सोनीपत शहर के सैक्टर्ज में जलापूर्ति की जाएगी । अगर आगे और जलापूर्ति की आवश्यकता हुई तो फिर सरकार इस पर विचार कर लेगी ।

श्री मोहन लाल बड़ौली: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत करवाना चाहूंगा कि बख्तावरपुर रैनीवल से पानी सप्लाई की योजना पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के समय में बनकर पास हुई थी। यह 115 करोड़ रुपये की योजना बनायी गयी थी, लेकिन सोनीपत की जनता को अब तक वह पानी नहीं मिला है क्योंकि वहां पर पाइप लाइंज में रुकावट है। मैंने यह प्रश्न पिछली बार के सैशन में भी लगाया था। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करें कि वह पानी सोनीपत की

जनता को कब मिलेगा? सोनीपत और कुंडली के एरिया में बहुत अन्तर है क्योंकि कुंडली नगरपालिका दिल्ली बॉर्डर के साथ लगती है। इसके लिए अलग से रैनीवल की व्यवस्था करके पानी देने की योजना है। यह जो बख्तावरपुर रैनीवल से पानी आएगा, वह सोनीपत शहर के लिए आएगा।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करके फैसले के बारे में उनको भी सूचित कर दिया जाएगा।

———————————

To Replace the Old Sewerage and Drinking Water Pipe Lines

***1659. Shri Surender Panwar:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the 30 to 40 years old sewerage and drinking water pipelines in Sonepat Municipal Corporation; and

(b) if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized togetherwith the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : (क) श्रीमान जी, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 1.0 के तहत नगर निगम, सोनीपत में लगभग 14 किलोमीटर पुरानी सीवर लाइन तथा 8.7 किलोमीटर ट्रंक सीवर लाइन बदली जानी प्रस्तावित है । 30 से 40 साल पुरानी सीवर या पानी की पाइप लाइन बदलने का कोई मानक नहीं है । अपितु जब पाइप लाइन की क्षमता अपर्याप्त हो अथवा पाइप लाइन अन्य विभिन्न कारणो से कुशलता से काम न कर रही हो, तब इनको बदला जाता है । ऐसी पाइप लाइनों को बिना उनका जीवनकाल देखे बदल दिया जाएगा ।

(ख) अमृत 1.0 के तहत पुरानी सीवर लाइन को बदलने का आबंटित कार्य 30.06. 2022 तक पूर्ण करके उसे शुरू किया जाना संभावित है ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि सोनीपत नगर निगम में 30 से 40 वर्ष पुरानी सीवरेज तथा पीने के पानी की पाइप लाइंज को बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई मानक नहीं है कि अगर कोई चीज 30 या 40 साल पुरानी है तो उसको बदला जाए। लेकिन यदि संबंधित पाइप

नैरो है और खराब हो गया है तो उसको बदलने की व्यवस्था है। अमृत– 1 योजना के तहत 68 किलोमीटर नयी पाइप लाइंज बिछाने का कार्य किया गया है, 14 किलोमीटर पुरानी सीवरेज लाइंज और 8.7 किलोमीटर ट्रंक सीवर लाइंज बदली जाने का प्रस्ताव है। लगभग 20.94 किलोमीटर ओल्ड पाइप लाइंज को बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त बाकी बची हुई पाइप लाइंज को दिनांक 30.6.2022 तक पूर्ण करके कार्य शुरू किया जाना संभावित है।

श्री सुरेंद्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यह सवाल था कि क्या 30 से 40 साल पुरानी पाइप लाइंज के बदले जाने का कोई प्रावधान है ? माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि अगर कोई पाइप लाइन 30 से 40 साल पुरानी है तो उसको बदला जाए। सोनीपत में जितनी भी कॉलोनीज हैं उनमें फिर चाहे मॉडल टाउन कॉलोनी हो, जटवाड़ा कॉलोनी हो, वैस्ट राम नगर कॉलोनी हो, विकास नगर कॉलोनी हो, देव नगर कॉलोनी हो, सिक्का कॉलोनी हो, जनता कॉलोनी हो, जीवन विहार कॉलोनी हो, ब्रम्ह कॉलोनी हो और कालूपुर मोहल्ला हो। ये इस प्रकार की 15– 20 कॉलोनीज हैं जो लगभग पिछले 40 सालों से बसी हुई हैं। इन कॉलोनीज में जिस समय पानी की लाइंज और सीवरेज लाइंज डाली गयी थी, उस वक्त इनकी आबादी 1,000–1,000 के करीब थी, परन्तु अब उन कॉलोनीज की आबादी बढ़कर लगभग 5,000, 7,000 और 10,000 के करीब हो चुकी है। इस कारण से संबंधित पाइप लाइंज पर बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया है। मैंने अभी जितनी भी कॉलोनीज का नाम लिया है उनमें पानी की लाइंज में समस्या है। इसके कारण पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है और इसको पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। जब तक वहां पर पूरी की पूरी पाइप लाइंज नहीं बदली जाएंगी तब तक इस समस्या का सुधार नहीं होगा। अगर कहीं पर लीकेज हो जाती है और उसके बारे में संबंधित अधिकारी को अवगत करवाते हैं तो वह कहता है कि यह पूरी पाइप लाइन चेंज होनी है और इस लीकेज का कोई समाधान नहीं है। वहां पर कुछ कॉलोनीज में तो ऐसे हालात हैं कि वहां पर सीवर ब्लॉक होने ने गलियों से 1–2 फुट पानी खड़ा है। यहां तक भी हालात हो गये हैं कि अगर उन कॉलोनीज में लड़कों/लड़कियों का रिश्ता लेकर आते हैं तो वापिस भाग जाते हैं। उनका कहना यह होता है कि उनकी लड़की संबंधित कॉलोनी में कैसे रहेगी क्योंकि वहां पर पीने का पानी भी गंदा है और सीवरेज ब्लॉक होने से गलियों में भी 1–2 फुट पानी खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना है कि सोनीपत एक ऐतिहासिक शहर है, लेकिन वहां पर बहुत बुरे हालात हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जब आप सोनीपत में आएं तो वहां पर संबंधित कॉलोनीज में विजिट करके देख लें। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन सभी कॉलोनीज में पीने के पानी और सीवरेज की नयी पाइप लाइंज बिछायी जाएं।

डॉ0 कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य की चिंता के बारे में पहले भी बताया है कि अमृत योजना के तहत 68 किलोमीटर नयी पाइप लाइंज बिछायी गयी हैं। इसके अतिरिक्त पुरानी 22.7 किलोमीटर पाइप लाइंज में से 20.94 किलोमीटर पाइप लाइंज रिप्लेस की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने जो बात बतायी है, उसके बारे एग्जामिन करवा लेंगे और अगर कहीं पर डिफैक्ट हुआ मिलेगा तो उसको जरूर बदलने का काम करेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि सोनीपत में रिश्तों की कोई कमी नहीं रहेगी।

श्री सुरेंद्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, वहां पर कॉलोनीज की हालत बहुत खराब है।

डॉ0 कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं एग्जामिन करवाकर जहां– जहां पर कमी मिलेगी, उसको दुरुस्त करवा दूंगा।

श्री सुरेंद्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी का आश्वासन ही रहेगा ?

डॉ0 कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आश्वासन दो– तीन तरह के नहीं होते हैं। जैंटलमैन का तो एक ही आश्वासन होता है और वह मैंने दे दिया है।

To Upgrade PHC as CHC

***1492. Shri Shamsher Singh Gogi:** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the PHC, Jundla as CHC?

@स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं श्रीमान जी ।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं लेकिन संबंधित माननीय मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं है इसलिए प्रौक्सी में ही काम चल रहा है। गांव जुण्डला नैशनल हाईवे पर है। जहां तक इस गांव की

@ Replied by the Urban Local Bodies & Housing Minister (Dr. Kamal Gupta)

आबादी की बात है तो वहां की 10 हजार की आबादी है। अगर पी.एच.सी. को सी.एच.सी. बना दिया जाये तो वहां पर आसपास के बहुत सारे गांव पड़ते हैं, इसका उनको भी फायदा मिलेगा। वहां से असंध भी दूर है और वहां से करनाल भी दूर पड़ता है। अगर इनके बीच में सी.एच.सी. बना दी जाये तो यह बहुत ही लाभबंद होगी और पब्लिक के इंट्रेस्ट में होगी। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि वहां पर पहले से ही न तो स्टाफ है और न ही डॉक्टर अवेलेबल है। बस नाम ही नाम बदलना है और अगर पी.एच.सी. का नाम बदल दे तो इनकी वाह–वाह हो जायेगी। माल तो वैसा का वैसा ही रहना है जैसा है।

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय विधायक को एक बात क्लीयर कर दूं कि प्रौक्सी नहीं होती है। जो आदमी जवाब देने के लिए खड़ा होता है, वह ओरिजनल ही होता है। मैं डॉक्टर भी हूं, इसलिए माननीय सदस्य इसको प्रौक्सी मत कहें। मैं इनको बताना चाहूंगा कि आई.पी.एच.एस. (इंडियन पब्लिक हैल्थ स्टैंडडर्स) के कुछ मानक होते हैं। उस मानक में यह पी.एच.सी. से सी.एच.सी. में कंवर्ट किया जाये, ऐसा मानक नहीं है। इन्होंने जहां तक दूरी की बात बताई तो वहां से निसिंग की दूरी 10 किलोमीटर है। वहां से करनाल की दूरी 14 किलोमीटर है। वहां की जनसंख्या 38 हजार 392 है। जबकि सी.एच.सी. के लिए लगभग 80 हजार से 1 लाख 20 हजार तक जनसंख्या होनी चाहिए और 80 हजार की जनसंख्या भी पहाड़ी इलाके में होनी चाहिए। वह इनका एरिया है, इसकी जनसंख्या 1 लाख 20 हजार के करीब हो तो इनकी बात पर विचार किया जा सकता है। इन सभी कारणों के कारण अभी पी.एच.सी. से सी.एच.सी. में कंवर्ट करना संभव नहीं है।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा ज्योग्राफिकली बता दूं, इनकी यह बात ठीक है कि जुण्डला गांव करनाल से 15 किलोमीटर दूर है और असंध से करनाल 30 किलोमीटर दूर है लेकिन निसिंग की दूरी 10 किलोमीटर पर है तो वह भी दिखनी चाहिए। ऐसे हाउस में झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि वहां से करनाल की दूरी 24 किलोमीटर है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, माननीय सदस्य यह बात कह रहे है कि जो आप दूरी बता रहे हो वह 10 किलोमीटर से ज्यादा है?

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बल्लाह में सी.एच.सी. बनी है उससे उतना ही बड़ा गांव जुण्डला है तो वहां भी मानक पूरे हुए होंगे तभी तो बनी होगी इसलिए यहां भी मानक पूरे हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, आपको वही बात माननीय मंत्री जी ने बताई है कि हम मैपिंग करवा रहे हैं। पहले जहां किसी ने बना दी, वह बात अलग है लेकिन अब माननीय मंत्री ने कहा है कि हम इसकी मैपिंग करवा रहे हैं।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी तो खुद एक डॉक्टर हैं, वे अगर मुझे सिंथेटिकली यह बात कह देते कि हम वहां पर सी.एच.सी. बना देंगे तो मैं भी खुश हो जाता और माननीय मंत्री जी भी खुश हो जाते।

———

To Regularize Illegal Colonies

***1634. Shri Ram Kumar Gautam:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to introduce any law/policy/instructions/guidelines for the regularization of illegal colonies in State; if so, the details thereof togetherwith the time by which the abovesaid law/policy/instructions/guidelines are likely to be enforced in State?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : हां श्रीमान्, ''हरियाणा प्रबंधन नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्रों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2016'' को अधिसूचना दिनांक 10.09.2021 द्वारा संशोधित किया गया है। सरकार ने कॉलोनियों को नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के मानदंडों को अंतिम रूप दे दिया है। इन मानदंडों को दिनांक 14.02.2022 के पत्र द्वारा सभी नगर निकायों को अवगत करा दिया गया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने रेजिडैंट वैल्फेयर एसोसिएशन और डिवैल्पर्स से अपने पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए थे। राज्य में कॉलोनियों से लगभग 1300 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 845 कॉलोनियां नगरपालिका सीमा में आती हैं। इन कॉलोनियों या किसी अन्य कॉलोनी को दिनांक 14.02.2022 के पत्र द्वारा बताए गए मानदंडों को पूरा करने पर कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के रूप में घोषित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय

विधायक ने जो अनअथॉराइज्ड कॉलोनी के बारे में बात की है और इन्होंने पूछा भी है कि क्या सरकार उनको रैगुलराइज करने की कोई योजना बना रही है तो हां श्रीमान् जी। पहले हरियाणा में वर्ष 2016 में नियम बनाया गया था। जिसमें अनअथॉराइज कॉलोनी को अथॉराइज करने का प्रावधान था लेकिन इसमें कुछ नियम ऐसे थे, जिसमें अड़चनें आ रही थी। उसमें ऐसा था कि 50 परसैंट प्लॉट बने हुए होने चाहिए या इस तरह की कोई बात थी या 5 साल से ज्यादा पुराने प्लॉट बने हुए होने चाहिए थें। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021 में उन नियमों को हटाकर उनमें रिलैक्सेशन देकर अनअथॉराइज कॉलोनी को अथॉराइज कॉलोनी में कंवर्ट करने का प्रोसैस जारी है और मैं माननीय साथी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में 1300 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 845 कालोनियां नगर पालिका की सीमा में है इसलिए उनको जल्दी से जल्दी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर रैगुलर करने का हमारा प्रौविजन है ।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में 14.02.22 के पत्र का हवाला दिया है । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 14.02.2022 को जो पत्र लिखा गया है उसके अनुसार क्या नार्म्ज तय किए गए हैं ।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जो पहले नॉर्म्ज थे उनको हटा दिया गया है । पहले जो यह नियम था कि 50 परसैंट मकान बने होने चाहिएं, उस नियम को समाप्त कर दिया गया है । दूसरी कंडीशन जो थी कि 5 साल पुरानी कालोनी होनी चाहिए, उस कंडीशन को भी हटा दिया गया है । अब हमने कहा है कि 25 परसैंट मकान यदि नियमित होंगे तो उन कालोनियों को नियमित करने में हमें कोई दिक्कत नहीं । अब हमने कॉलोनियों की ग्रुपिंग कर दी है । 25 परसैंट तक पहला ग्रुप, 25 से 50 परसैंट तक दूसरा ग्रुप, 50 से 75 परसैंट तक तीसरा ग्रुप तथा 75 से 100 परसैंट तक चौथा ग्रुप है । हमने कहा है कि इन कालोनियों को 4 ग्रुपों में बांटकर प्रायरिटी बेसिज पर अनअथोराइज्ड कालोनियों को अथोराइज्ड करने की मंजूरी दी जाए ।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से गुजारिश है कि जितनी भी कॉलोनियां इस वक्त बन चुकी हैं उनमें से किसी को भी रैगुलर करने से न छोड़ा जाए । चाहे इसके लिए उन अवैध कालोनी वालों से कोई फीस भी वसूलनी हो तो उनसे वसूल की जाए लेकिन उन कालोनियों को नियमित किया जाए । अध्यक्ष महोदय, कुछ कालोनियां ऐसी भी हैं जिनको बने हुए 7–8

साल हो चुके हैं लेकिन टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट उनको लगातार नोटिस देता चला गया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो कालोनीज बन चुकी हैं और लोगों ने मकान खरीद लिए हैं अब उनके लिए कोई चारा नहीं है ।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि सरकार की मंशा स्पष्ट है । जो पहले रिस्ट्रिक्शंज लगाई हुई थी उनको दूर करके हमारी सरकार का प्रयास है कि सबको पानी, बिजली, सड़कें आदि की सुविधाएं मिलें और इस बात के लिए हम अग्रसर हैं ।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, 25 परसैंट मिनीमम मकान बने होने वाली जो कंडीशन है उसको खत्म किया जाना चाहिए ।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस कंडीशन को तो खत्म कर दिया गया है । अब तो ग्रुप बना दिए गए हैं । 0 से 25 परसैंट का पहला ग्रुप है, 25 से 50 परसैंट का दूसरा ग्रुप है, 50 से 75 परसैंट का तीसरा ग्रुप तथा 75 से 100 परसैंट का चौथा ग्रुप बनाया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह लैटर माननीय साथी को उपलब्ध करवा दूंगा ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है ।

———————

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

The Number of Cases

***1570 Shri Chiranjeev Rao**: Will the Home Minister be pleased to State-

(a) whether it is a fact that the law and order situation has been deteriorated in the last seven years in the State;

(b) if so, the number of cases of Rape, Kidnapping, Murder, Theft, Extortion, Road Robberies taken place in State from the year 2014 till to date; and

(c) the steps taken by the Government to prevent rape cases especially of minor girls in State ?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : महोदय, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

(क) नहीं महोदय, राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

(ख) वर्ष 2014 से माह जनवरी 2022 तक बलात्कार, अपहरण, हत्या, चोरी, जबरन वसूली और सड़क डकैती के मामलों की संख्या इस प्रकार है:–

शीर्षक	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**जनवरी 2022**
बलात्कार	1113	1011	988	1124	1383	1537	1411	1762	131
अपहरण	2736	3227	3448	3848	3988	3070	2553	3154	227
हत्या	1129	1018	1073	1051	1100	1121	1126	1096	54
चोरी	20570	20639	21684	23380	25836	24709	19940	26178	1982
जबरन वसूली	218	320	319	321	311	354	308	363	29
सड़क डकैती	602	651	653	714	724	716	728	828	68

(ग) बलात्कार के मामलें, विशेषकर नाबालिक लड़कियों से सम्बंधित, पुलिस नियमित रूप से स्कूलों, महाविधालयों, झुग्गी-झोपडी, काँलोनियों एंव मोहल्लों में महिला हैल्प लाईन न0 1091 के बारे में जागरुकता अभियान चलाती है। पुलिस द्वारा लड़कियों की आत्म रक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। दुर्गा शक्ति ऐप खतरे को भांपने वाली लड़कियों को जी.पी.एस. से जुड़े एस.ओ.एस. भेजने में सक्षम बनाता है ताकि पुलिस टीम अपराध स्थल पर जल्दी पहुंच सके। दुर्गा शक्ति वाहन, जो महिला अपराध रोकने को कटिबद्ध क्वीक रिस्पोन्स टीम का एक राज्यव्यापी तन्त्र है, को उन सार्वजनिक स्थानो एवं संस्थाओं में तैनात किया गया है जहां महिलाओं का आवागमन है। सरकार की महत्वाकांक्षी 'डायल 112' योजना के तहत राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में तैनात 2 ERVs (Emergency Response Vehicles) को भी उन जगहों पर खड़ा किया जाता है जहां महिलाओं की आवाजाही है। वे महिलाओं के एस.ओ.एस. पर फटाफट घटना स्थल पर पहुंचते हैं। राज्य भर में 33 महिला पुलिस थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क हैं, जो महिलाओं द्वारा दर्ज शिकायतों की पड़ताल में लगे हैं। महिलाओ के खिलाफ सनसनीखेज अपराधों में सजा सुनिश्चित करने के लिए इन्हें चिन्हित अपराध में वर्गीकृत किया जाता है। इन मुकदमों की सशक्त पैरवी के लिए इन्हें विशेष पैरवी अभियान में शामिल किया जा रहा है। यौन अपराधों के अनुसंधान की ट्रैकिगं के लिए गृह मंत्रालय द्वारा संचालित ITTSO (Investigation Tracking System

for Sexual Offences) प्रणाली में हरियाणा देश में छटे स्थान पर है। ये गृह मंत्रालय का ऑनलाईन मोड्यूल है जो यौन अपराधों का अनुसंधान दो महीने के अन्दर पूरा करने पर नजर रखता है।

Number of 100 Sq. Yard Plots

***1532. Shri Rakesh Daultabad:** Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state the yearwise total number of 100-100 sq. yard plots given to SC/OBC/BPL families in the Gurugram District from the year 2015-16 to 2021-2022?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली) : श्रीमान जी, विवरण (अनुबन्ध 'क') को पटल पर रखा गया है।

अनुबन्ध 'क'

वर्ष 2015–16 से 2021–22 तक जिला गुरुग्राम में अनुसूचित जाति / पिछड़े वर्ग (क) / बीपीएल परिवारों को दिए गए 100–100 वर्ग गज के प्लाटो की वर्षवार कुल संख्या।

वर्ष	आवंटित किए गये प्लॉटो की संख्या	प्लॉटो की संख्या जिनकी गिफट डीड की गई तथा कब्जा दिया गया
2015-16	-	64
2016-17	-	-
2017-18	-	22
2018-19	-	62
2019-20	-	-
2020-21	-	140
2021-22	-	-
कुल	**-**	**288**

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

To Start Distribution of Ration

693. Shri Ghanshyam Dass Arora: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the distribution of ration have not been started on the new BPL cards in State so far; and

(b) if so, the time by which the distribution of ration is likely to be started after starting the website together with the details thereof?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) नहीं श्रीमान् जी।

(ख) वर्ष 2017 से एक ऐसा तंत्र (mechanism) पहले से ही स्थापित किया गया है, जिसके तहत सभी लाभार्थियों हेतु, सभी आवश्यक वस्तुओं (राशन) का आनलाईन आबंटन किया जा रहा है। जब कभी भी किसी राशन कार्ड में सदस्य को जोड़ा अथवा काटा जाता है तो उसके लिए आनलाईन तंत्र (mechanism) के माध्यम से स्वतः ही राशन का आबंटन हो जाता है।

———

To Open Science Centres

696. Shri Sita Ram Yadav: Will the Science & Technology Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open Science Centres in villages of State; and

(b) if so, the time by which the abovesaid centres are likely to be opened?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (अनिल विज) : (क) श्रीमान जी, सरकार के पास राज्य में गावों के स्तर पर विज्ञान केन्द्र खोलने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(ख) लागू नहीं है।

————

To Increase the Crushing Capacity of Sugar Mill

627. Dr. Krishan Lal Middha: Will the Co-operation Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the crushing capacity of Jind Sugar Mill; and

(b) if so, the time by which it is likely to be increased?

सहकारिता मंत्री (डॉ. बनवारी लाल) : (क) हाँ श्रीमान जी, राज्य सरकार पहले ही जींद चीनी मिल की पिराई क्षमता 1600 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 2200 टी.सी.डी. करने का फैसला कर चुकी है।

(ख) अगले पिराई सत्र 2022–23 से जींद चीनी मिल की पिराई क्षमता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

————

To Set up Rice Mill

621. Shri Indu Raj : Will the Cooperation Minister be please to state-

(a) whether it is a fact that an announcement was made by the Hon'ble Chief Minister to set up a Rice Mill in Baroda Constituency during the bye election of Baroda Assembly Constituency; and

(b) if so, the present status thereof together with the time by which the abovesaid Rice Mills is likely to be set up?

सहकारिता मंत्री (डॉ बनवारी लाल) : (क) हाँ सर।

(ख) परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया गया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जल्द ही प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। दो साल में परियोजना को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

———

To Declare Village Mohana as Block

753. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to declare village Mohana as Block in Gohana Assembly Constituency ?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली) : श्रीमान् जी, नहीं ।

———

Quantity of Fly Ash

742. Shri Balraj Kundu: Will the Power Minister be pleased to state-

(a) the quantity of fly ash being provided by the Government to the contractors of package number 1,2,3,4 and 5 engaged in the construction of Delhi-Amritsar-Katra Expressway under the Bharatmala project togetherwith the details of the rate fixed for it; and

(b) whether fly ash is being provided in equal amount and rate to all the above contractors; if not, the reasons thereof?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान जी,

(क) भारतमाला परियोजना के अंतर्गत दिल्ली–अमृतसर–कटरा एक्सप्रेसवे परियोजना के पांच पैकेजों को एन.एच.ए.आई. द्वारा मांगी गई मात्रा के अनुसार एच. एस.आर. यूनिक कोड सीए 025 आइटम 3.1.5 की कीमत पर (लोडिंग/अनलोडिंग

को छोड़कर) भुगतान के समय 10% की प्रचलित छूट पर फ्लाई ऐश आवंटित की गयी। प्रत्येक पैकज के लिए फ्लाई ऐश की मात्रा इस प्रकार है :

पैकेज संख्या	**फ्लाई ऐश की मात्रा** लाख क्यूबिक मीटर	**लागू दर** (C प्रति क्यूबिक मीटर प्रति कि.मी.)
पैकेज-1	60	2.724
पैकेज-2	35	2.744
पैकेज-3	50	2.736
पैकेज-4	60	2.727
पैकेज-5	40	2.727

(ख) फ्लाई ऐश को एन.एच.ए.आई. द्वारा अनुरोधित मात्रा के अनुसार आवंटित किया गया है और दर (प्रति कि.मी. प्रति क्यूबिक मीटर) ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार है जो एच.एस.आर. 2021 के तहत है जिसमें लोडिंग / अनलोडिंग शुल्क को छोड़कर 10% की छूट है।

———————

To Construct the Road over the Covered Dirty Nullah

661. Shri Subhash Gangoli : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the road over the covered dirty nullah from Mahatma Gandhi road to house of Ram Mehar Thakur in Safidon city; if so, the time by which the abovesaid road is likely to be constructed?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता) : जी, श्रीमान। सफीदों शहर में महात्मा गांधी मार्ग से राम मेहर ठाकुर के घर तक ढके गंदे नाले के ऊपर सड़क निर्माण का प्रस्ताव नगरपालिका, सफीदों के विचाराधीन है। नगरपालिका द्वारा 2.50 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान तैयार किया गया है। यह भी सूचित किया जाता है कि गंदे नाले को ढकने के लिए नगरपालिका द्वारा किए गए भूमिगत पाइप बिछाने के कार्य की विभागीय जांच चल रही है। विभागीय जांच पूर्ण होने और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृति होने तथा धनराशि की व्यवस्था होने उपरांत कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

———————

Auction of Agro Malls

636. Shri Kuldeep Vats : Will the Agriculture & Farmers Welfare Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to auction the four Agro-Malls constructed in the State; and

(b) if so, the reasons thereof?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

ब्यौरा

(क) हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2013 से 2015 के दौरान चार एग्रो मॉल्स पंचकुला, करनाल, पानीपत तथा रोहतक में बनाए गए। इनकी वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है–

(i) **एग्रो मॉल पंचकुलाः–** एग्रो मॉल पंचकुला में भूतल पर 91 दुकानों में से 88 दुकानें तथा तीसरी मंजिल पर 46 दुकानों में से 34 दुकानें वर्ष 2008 के दौरान आबंटित की गई। प्रथम व द्वितीय तल खाली है जिसे विभिन्न सरकारी विभागों को आफिस बनाने हेतू किराए पर देने का प्रावधान है। 5 विभागों/ बोर्ड/ निगमों से जगह किराए पर लेने हेतू प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं जो कि विचाराधीन है। एग्रो मॉल पंचकुला के प्रथम तल पर हरियाणा अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटिड (एच0आई0एच0एम0सी0एल0) का कार्यालय बनाया गया है ।

(ii) **एग्रो मॉल रोहतकः–** एग्रो मॉल रोहतक में 282 दुकानों में से 78 दुकानों की वर्ष 2013 के दौरान नीलामी की गई थी। बकाया दुकानों की ऑनलाईन नीलामी 30.12.2019 व 19.01.2022 को रखी गई थी पर नीलामी में कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई ।

(iii) **एग्रो मॉल करनाल व पानीपतः–** एग्रो मॉल करनाल व पानीपत पूर्ण रूप से खाली है तथा इन्हें "जैसे है वैसी स्थिति" में बेचने के लिए ऑनलाईन नीलामी 17.11.2021 के लिए निर्धारित की गई थी जिसे बाद में 02.12.2021 तक बढ़ा दिया गया था। इस दौरान केवल एक ही धरोहर राशि प्राप्त हुई थी। अपर्याप्त बोली–दाताओं को ध्यान में रखते हुए नीलामी को पुनः निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। तदानुसार, इन एग्रो मॉल्स की ऑनलाईन नीलामी हेतु विभिन्न समाचार पत्रों जैसे कि दि ट्रिब्यून, इन्डियन एक्सप्रैस, हिन्दुस्तान टाईम्स, दैनिक जागरण,

टाईम्स ऑफ इन्डिया, इकोनोमिक टाईम्स, डीकेन हैराल्ड व दि हिन्दू में दिनॉक 22.10.2021 तथा 31.01.2022 को विज्ञापन प्रकाशित किए गए जिनमें बोली की तारीख 08.03.2022 निर्धारित की गई। हालांकि अभी तक कोई भी धरोहर राशि प्राप्त नहीं हुई है। मैसर्ज डी0आई0एम0टी0एस0, सलाहकार की सिफारिश के आधार पर नीलामी की तारीख 22.03.2022 तक बढ़ा दी गई है।

(ख) एग्रो मॉल पानीपत व करनाल निर्माण के समय से ही खाली पड़े है तथा इन्हें उपयोग करने के लिए सरकार ने इन एग्रो मॉल्स को "जैसे है वैसी स्थिति" में नीलाम करने का निर्णय लिया ताकि निर्माण पर खर्च की गई धनराशि वसूल की जा सके। एग्रो मॉल रोहतक व पंचकुला का कुछ हिस्सा नीलाम/अलॉट किया हुआ है तथा बकाया दुकानों की नीलामी निकट भविष्य में की जाएगी ताकि राजस्व प्राप्त किया जा सके।

———————

To Provide Stenographer to the MLAs

729. Shri Neeraj Sharma: Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the arrangements for providing stenographers to all MLAs are being made by the Government as per the orders vide No. 1/3/2020-1 Pol dated 12/08/2021 of the Chief Secretary to Government Haryana; if so, the names of the MLAs to whom such facilities have been provided togetherwith the reasons for which such facility is not provided to all the MLAs alongwith the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (1) निजी सहायक/आशुलिपिकों/डाटा एंट्री ऑपरेटर/लिपिकों की सुविधा 33 विधान सभा क्षेत्रों के विधायकों को संलग्नक सूची ''क'' अनुसार प्रदान की गई है।

(2) 57 विधान सभा में निजी सहायक/आशुलिपिकों/डाटा एंट्री ऑपरेटर/लिपिकों की सुविधा निम्न कारण से प्रदान नहीं हो पाई है:–

(क) उपयुक्त कर्मचारियों के अभाव के कारण।

(ख) संबंधित विधायक सरकारी कर्मचारी की सुविधा लेने के इच्छुक नहीं है।

सूची "क"

विधायको की सूची जिन्हें निजी सहायक/आशुलिपिकों/डाटा एन्ट्री आपरेटर/लिपिकों की सुविधा प्रदान की गई है।

क्रमांक	जिला	विधान सभा हलका
1.	पंचकुला	कालका/ श्री प्रदीप चौधरी
2.	पानीपत	पानीपत ग्रामीण / श्री महीपाल ढांडा
		पानीपत शहर/ श्री प्रमोद कुमार विज
		इसराना / श्री बलबीर सिंह
		समालखा/ श्री धर्म सिंह छौक्कर
3.	फतेहाबाद	फतेहाबाद/ श्री दुड़ा राम
		रतिया / श्री लक्ष्मण नापा
4.	सिरसा	कालांवाली / श्री शीशपाल सिंह
		डबवाली/ श्री अमित सिहाग
		सिरसा/ श्री गोपाल काण्डा
		ऐलनाबाद/ श्री अभय सिंह चौटाला
5.	हिसार	आदमपुर/ श्री कुलदीप बिश्नोई
		उकलाना / श्री अनूप धानक
		नारनौंद/ श्री राम कुमार गौतम
		हांसी/ श्री विनोद भ्याना
		बरवाला/ श्री जोगी राम सिहाग
		हिसार/डा० कमल गुप्ता
		नलवा/ श्री रणबीर गंगवा
6.	रोहतक	महम/ श्री बलराज कुन्डू
		रोहतक/ श्री भारत भूषण बतरा
		कलानौर / श्रीमति शकुंतला खटक
7.	रेवाड़ी	कोसली/ श्री लक्ष्मण सिंह यादव
		रिवाडी/ श्री चिरंजीव राव
8.	गुरूग्राम	पटौदी / श्री सत्य प्रकाश
		बादशाहपुर/ श्री राकेश दौलताबाद
		गुरूग्राम/ श्री सुधीर कुमार
		सोहना/ श्री संजय सिंह

9.	**नूंह**	नूंह/ श्री आफताब अहमद
		फिरोजपुर झिरका/ श्री मामन खान
		पुन्हाना/मौ0इल्यास
10.	**पलवल**	हथीन/ श्री प्रवीण डागर
		होडल / श्री जगदीश नायर
		पलवल/ श्री दीपक मंगला
कुल		33

———

To Carpet the Road

654. Shri Ghanshyam Saraf : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to carpet the road from Tigrana Mor to Rohtak Gate via Education Board, Hansi Gate and Meham Gate; and

(b) if so, the time by which the said road is likely to be carpeted?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : (क) रोहतक गेट से तिगराना मोड़ (किमी 0.000 से किमी 6.875) तक की सड़क भिवानी–जींद–करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच–709ए) का हिस्सा है और यह एन.एच.ए.आई. के अधिकार क्षेत्र में आती है। सड़क का कुछ भाग किमी 3.335 से किमी 3.675 और किमी 4.575 से किमी 6.875, दिनांक 18.01.2023 तक डिफैक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंतर्गत है। सड़क के शेष भाग किमी 0.000 से किमी 3.335 (रोहतक गेट से शिक्षा बोर्ड) और किमी 3.675 से किमी 4.575 (आरओबी भाग) के लिए एन.एच.ए.आई. ने सूचित किया है कि विस्तृत अनुमान तैयार किया जा रहा है और स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) चूंकि कार्य एन.एच.ए.आई के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी स्वीकृत करना है, इस स्तर पर कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

———

To Provide Generator Set

643. Shri Pardeep Chaudhary : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide Generator set in the Tehsil office of Raipur Rani

for the smooth functioning of work during electricity cut; if so, the time by which Generator Set is likely to be provided in the abovesaid office?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : हां, श्रीमान् जी, रायपुर रानी के तहसील कार्यालय के विस्तार का कार्य चल रहा है व भवन में जनरेटर सैट शीघ्र अर्थात् दिनांक 15.03.2022 तक स्थापित कर दिया जायेगा।

———————

Details of Mining at Dadam

747. Shri Bharat Bhushan Batra: Will the Mines and Geology Minister be pleased to state-

(a) the date on which the permission of mining has been given by the Government to M/S Goverdhan Mines and Minerals in Dadam togetherwith the terms and conditions thereof alongwith the details of area in which permission was given.

(b) whether it is a fact that five people had died in accident during mining in Dadam Mine recently; if so, the reasons of accident; and

(c) the time since when the conditions of mining ih Hill River Land of Dadam were removed and illegal mining has been operated therin togetherwith the action taken by the Government in this regard alongwith the details thereof?

खनन मंत्री (पंडित मूल चन्द शर्मा) : (क) श्रीमान्, '' सम्बद्ध लघु खनिजों सहित पत्थर'' के खनन के लिए गांव डाडम, तहसील तोशाम, जिला भिवानी में खसरा नम्बर 132 मिन में 48.87 हैक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टा दिनांक 11.10.2018 को डाडम में मैसर्ज गोवर्धन खान तथा खनिज के पक्ष में दिया गया था। दिनांक 11.10. 2018 के आशय का पत्र तथा दिए गए पट्टे निबंधन तथा शर्तों की प्रति अनुलग्नक ''क'' के रूप में संलग्न है।

(ख) दिनांक 01.01.2022 को खनन कार्य के दौरान हुई दुर्घटना में, पांच व्यक्ति मारे गए तथा तीन घायल हुए। दुर्घटना के कारण जानने के लिए,–

i. दिनांक 18.01.2022 के आदेशानुसार राज्य सरकार ने श्री एस.एस. प्रसाद आई.ए.एस. (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय किया।

ii. राष्ट्रीय हरित अभिकरण ने दिनांक 03.01.2022 के आदेश द्वारा घटना का स्वप्रेरणा से नोटिस लेते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (क्षेत्रीय कार्यालय), चण्डीगढ़, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, महानिदेशक खान सुरक्षा, भारत सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बलों के प्रमुख), हरियाणा, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जिला मजिस्ट्रेट के नामांकित को मिलाकर आठ सदस्यों की समिति गठित की थी। समिति को माननीय एनजीटी के सम्मुख अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया तथा उसे अब दिनांक 05.04.2022 को लिया जाएगा।

इसलिए उक्त समितियों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही दुर्घटना के कारणों का पता चल सकेगा।

(ग) 48.87 हैक्टेयर के क्षेत्र पर डाडम खान में खनन करने के लिए मैसर्ज गोवरधन माईन्स तथा मिनरल को दिया पट्टा एवं खनन दिनांक 01.01.2022 को हुई दुर्घटना के शोघ्र बाद उपायुक्त, भिवानी द्वारा रोक दिया गया था। निदेशक खान सुरक्षा, गाजियाबाद, में सरकार के श्रम मन्त्री ने आदेश दिनांक 25.01.2022 द्वारा खानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियन्त्रण प्राधिकारी ने नौ विभिन्न टुकड़ों में नियमित खनन कार्यवाई प्रतिबन्धित की। उसको ध्यान में रखते हुए उपायुक्त, भिवानी ने दिनांक 30.01.2022 को अपने पूर्व दिनांक 01.01.2022 के आदेश वापस लिए तथा उसके बाद डाडम में खनन दोबारा शुरू किया गया। उपरोक्त पैरे में बताए गए अनुसार मामले में जाँच करने के लिए समिति अपनी रिपोर्ट भी देगी कि क्या पट्टा क्षेत्र से बाहर कोई अवैध खनन किया गया था।

अनुलग्नक क

प्रेषक

निदेशक,
खान एवं भू–विज्ञान विभाग, हरियाणा,
30 बेज, सैक्टर–17, चण्डीगढ़

सेवा में,

मैसर्ज गोवरधन माईन्ज एण्ड मिनरलस,
मकान नं0 51, शहरी संम्पदा–2,
हिसार।

यादि क्रमांकः– डी एम जी/एच वाई/एम एल/डाडम/2018/5062
दिनांकः–चण्डीगढ़ 11–10–2018

विषयः— दिनांक 04.01.2018 तथा 05.01.2018 को हुई ई—नीलामी में प्रस्तावित तथा सीडब्लयू पी नं0 18712/2018 में पारित माननीय उच्च न्यायलय के दिनांक 14.08.2018 के आदेशों की पालना में जिला भिवानी में 48.87 हैक्टेयर के अस्थायी क्षेत्र के ''डाडम'' के ''पत्थर सहित सम्बद्ध लघु खनिजों'' की लघु खनिज खानों के सम्बन्ध में उच्चतम बोली की स्वीकृति/ आशय पत्र (एल ओ आई) जारी करने बारे।

कृप्या उपरोक्त कथित विषय के संदर्भ में।

आपके गांव ''डाडम'' जिला भिवानी में लघु खनिज खान का खनन पट्टा प्राप्त करने के उद्देश्य से नीलामी नोटिस क्रमांक डी.एम.जी/एच.वाई/ई—नीलामी/ पत्थर/2017/डाडम/7362, दिनांक 8.12.2017 के निबन्धन तथा शर्तों को स्वीकार करने के बाद राज्य सरकार वैब पोर्टल https://haryanaeprocurement.gov.in पर दिनांक 04.01.2018 तथा 05.01.2018 को हुई ई—नीलामी में भाग लिया है। आपके खसरा नं0 132 मिन में पड़ने वाले 48.87 हैक्टेयर के अस्थायी क्षेत्र के ''सम्बद्ध लघु खनिजों सहित पत्थर'' का निष्कर्षण करने के लिए लघु खनिज खान अर्थात ''डाडम'' का खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए 92,00,00,000/— प्रति वर्ष के आरक्षित मूल्य के विरूद्ध 92,12,00,000/— रूपये; (केवल बानवें करोड़ बारह लाख रूपये) को उच्चतम बोली दी है। आपने नीलामी के समय पर प्रारम्भिक बोली प्रतिभूति के लिए 9,21,20,000/— रूपये की राशि भी जमा की है।

2. तथापि, आप द्वारा प्रस्तावित बोली राज्य सरकार द्वारा इन्कार कर दी थी क्योंकि उसे एच.एस आई.आई.डी.सी राज्य पी.एस.यू को लोक हित में दिए जाने का निर्णय किया गया था। उपरोक्त के अनुसार निर्णय इस कार्यालय के यादि क्रमांक डी.एम.जी/एच.वाई/ई—निलामी/पत्थर/2016/3697 दिनांक 25.07.2018 द्वारा आपको सूचित किया गया था।

3. आपने दिनांक 25.07.2018 के निर्णय को माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के सम्मुख दायर सी.डब्लयू.पी नं 18712/18 के रूप में चुनौती दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 14.08.2018 द्वारा दिनांक 25.07.2018 का आदेश रद्द कर दिया है तथा आप द्वारा दायर रिट याचिका अनुज्ञात कर दी है। राज्य को यथा—सम्भव शीघ्रता से आपके पक्ष में खनन पट्टा देने के लिए निर्देशित किया था।

4. माननीय उच्च न्यायलय के उपरोक्त आदेशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के "सम्बद्ध लघु खनिजों सहित पत्थर" के निष्कर्षण के लिए खसरा संख्या 132 मिन में पड़ने वाले 48.87 हैक्टेयर के अस्थायी क्षेत्र के गाँव डाडम, तहसील तौशाम जिला भिवानी की लघु खनिज खान के सम्बद्ध में दिनांक 04–05 जनवरी, 2018 को हुई ई–निलामी में आप द्वारा प्रस्तावित 92,12,00,000/– रूपये (केवल बानवें करोड़ बारह लाख रूपये) को उच्चतम बोली स्वीकार करके खनन पट्टा देने का निर्णय किया है।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार ने नीलामी नोटिस दिनांक 08.12.2017 की शर्त संख्या 12 के अनुसार दिनांक 4–5 जनवरी, 2018 की नीलामी में प्रस्तावित आपकी बोली स्वीकृत करती है। आप जिला भिवानी की ''डाडम'' खान के सम्बन्ध में सफल बोलीदाता बन गए हैं।

6. राज्य सरकार ने आप द्वारा प्रस्तावित पूर्वोक्त वर्णित उच्चतम बोली स्वीकृत की है, विभाग निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तो के अध्यधीन ''सम्बद्ध लघु खनिजों सहित पत्थर'' की ''डाडम'' खान/क्षेत्र के सम्बन्ध में सफल बोलीदाता होने के कारण आपके पक्ष में यह अभिरूचि पत्र (एल.ओ.आई) जारी करता हैः–

(i) पट्टे की अवधि दस वर्ष होगी तथा यह ई आई ए की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अधीन यथा अपेक्षित सक्षम प्राधिकारी द्वारा पर्यावरणीय समाशोधन देने की तिथि से तथा एम.ओ.ई.एफ. द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित या उच्चतम बोली की स्वीकृति/''आशय पत्र'' के जारी होने की इस सूचना की तिथि से 12 मास की अवधि की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, से आरम्भ होगा;

(ii) आप नोट करें कि खनन पट्टे का क्षेत्र अस्थायी है तथा ''जैसा है जहां है'' के आधार पर अधिसूचित किया गया था (नोटिस की शर्त संख्या 4 के संदर्भ में)। किसी अनजाने में हुई गलती के मामले में, यदि कोई हो, उसे पट्टा विलेख/करार के निष्पादन से पूर्व परिशोधित/संशोधित कर दिया जाएगा। (नोटिस की शर्त संख्या 4 के संदर्भ में);

(iii) किसी भी स्तर पर खसरा संख्या/स्थान आदि के वर्णन में उसके परिवर्तन सहित किसी भी कारण से खनन पट्टे की भूमि/क्षेत्र में कमी के कारण बोली राशि में कटौती के बारे में कोई अनुरोध ग्रहण नहीं किया जाएगा। खनन या पट्टा क्षेत्र के भाग जो विगत में पहले ही संचालित था, के लिए

लागू कानून/प्रतिबन्धों के पालन के अभाव में वास्तविक खनन के लिए क्षेत्र की कोई हानि/कमी भी शामिल होगी। यह कहना व्यर्थ है कि इसमें नीलामी नोटिस की शर्त संख्या (3) के अनुसार परिवर्तन, यदि कोई हो, भी शामिल है;

(iv) उच्चतम बोली की राशि अर्थात् 92,12,00,000/–रूपये (केवल बानवें करोड़ बारह लाख रूप्ये) राज्य नियमों से संलग्न प्रारूप एम एल–I में निष्पादित किए जाने वाले पट्टा विलेख/करार में विहित रीति में आप द्वारा भुगतान योग्य ''वार्षिक अनिवार्य भाटक'' होगा।

(v) उपरोक्त कथित वार्षिक अनिवार्य भाटक तीन वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक के समापन पर 25 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाऐगा। तदानुसार, वार्षिक अनिवार्य भाटक/पट्टा धनराशि की वर्ष–वार राशि नीचे दिए गए ब्योरों के अनुसार होगीः–

क्रम संख्या	पट्टा अवधि का वर्ष	वार्षिक अनिवार्य भाटक (आई.एन.आर. में)
1	प्रथम वर्ष	रूपये 92,12,00,000/–
2	द्वितीय वर्ष	रूपये 92,12,00,000/–
3	तृतीय वर्ष	रूपये 92,12,00,000/–
4	चौथा वर्ष	रूपये 115,15,00,000/–
5	पंचवा वर्ष	रूपये 115,15,00,000/–
6	छठा वर्ष	रूपये 115,15,00,000/–
7	सातवां वर्ष	रूपये 143,93,75,000/–
8	आठवां वर्ष	रूपये 143,93,75,000/–
9	नौवां वर्ष	रूपये 143,93,75,000/–
10	दसवां वर्ष	रूपये 179,92,18,18,750/–

(vi) अनुदान के निबन्धन तथा शर्तो के अनुसार, आप 23,03,00,000/– रूपये अर्थात् ''प्रतिभूति जमा'' के रूप में वार्षिक बोली राशि के 25 प्रतिशत के समकक्ष तथा एक मास के अग्रिम अनिवार्य भाटक के मद्दे 7,67,66,667/–रूपये जमा कराने के लिए दायी है। जिसमें से आपने 9,21,20,000/–रूपये अर्थात् ई–नीलामी की समाप्ति के बाद "आरम्भिक बोली प्रतिभूति" के रूप में वार्षिक बोलो राशि के 10 प्रतिशत के समकक्ष की राशि पहले जमा की है। बोलो प्रतिभूति की 13,81,80,000/– रूपये की बकाया राशि अर्थात एक मास के अग्रिम अनिवार्य भाटक के मद्दे

7,67,66,667/– रूपये के साथ वार्षिक बोली राशि का 15 प्रतिशत खनन कार्यवाई के प्रारम्भ से पूर्व या 12 मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा की जाएगी;

(vii) आपको इस सूचना के जारी होने एल ओ आई देने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर हरियाणा लघु खनिज रियायत, स्टाकिंग खनिज के परिवहन तथा अवैध खनन निवारण नियम, 2012 (राज्य नियम, 2012) से सलंग्न फार्म एम एल–I में पट्टा विलेख करना होगा

(viii) निष्पादित किया गया करार/पट्टा विलेख सम्बन्धित रजिस्टरिंग प्राधिकारी के पास सम्बनधित कानून के अधीन विधिवत रजिस्टर्ड कराया जाएगा तथा आप लागू दरों के अनुसार तथा रजिस्ट्रेशन के समय पर रजिस्टरिंग प्राधिकारी/ राजस्व विभाग द्वारा मांगे गए अनुसार लागू स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन फीस इत्यादि का भुगतान करने के लिए दायी होंगे;

(ix) यदि आप 90 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर पट्टा करार करने में असफल होते है, तो एलओआई रद्द की गई समझी जाएगी तथा नीलामी के समय पर जमा आरम्भिक बोली प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, बोली प्रतिभूति के लिए 15 प्रतिशत की बकाया राशि वार्षिक बोलीी राशि की 15 प्रतिशत 13,81,80,000/– की राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी तथा एल ओ आई धारक/चूककर्ता के रूप में पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी आगामी नीलामी में भाग लेने से निकाल दिए जाएंगे;

(x) आपको पट्टा विलेख/करार के निष्पादन के लिए वार्षिक बोली की राशि के समकक्ष राशि के लिए विलायक प्रतिभूति भी देनी होगी। यदि पट्टे के अस्तित्व के दौरान पट्टा धारो द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूति विलायक नहीं पाई जाती है, तो पट्टाधारी दूसरी विलायक प्रतिभूति देगा तथा इस आशय के लिए अनुपूरक विलेख निष्पादित करेगा;

(xi) पट्टा विलेख के निष्पादन के बाद खनन प्रक्रिया के प्रारम्भ से पूर्व या इस एलओआई के जारी करने की तिथि से 12 मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व, जो भी पहले हो, प्रतिभूति (उपरोक्त खण्ड (vi) के अधीन अपेक्षा के अनुसार) के लिए बकाया 15 प्रतिशत राशि जमा करने में असफल होने के

मामले में बोली की स्वीकृति/एलओआई जारी करने/करार का निष्पादन रद्द हुआ समझा जाएगा तथा नीलामी के समय पर प्रारम्भिक बोली प्रतिभूति के लिए जमा 10 प्रतिशत राशि जब्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रतिभूति के लिए असंदत 15 प्रतिशत राशि भू–राजस्व के रूप में वसूल की जाएगी तथा आपकों पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी पश्चातवर्ती बोली में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा;

(xii) आप पट्टा विलेख/करार के उपबन्धों के अनुसार अर्थात पट्टा विलेख के प्रारम्भ की तिथि से मासिक अन्तरालों पर अग्रिम में अनिवार्य भाटक जमा कराने के लिए दायी होंगे;

(xiii) आप खुली नीलामी के द्वारा निर्धारित अनुसार अनिवार्य भाटक का भुगतान करने के लिए दायी होंगे या आप द्वारा या एजेंट द्वारा, प्रबन्धक, कर्मचारी इत्यादि द्वारा निकाले गए या हटाए गए या उपभोग किए गए, जो भी अधिक हो, प्रत्येक लघु खनिज के सम्बन्ध में राजशुल्क भुगतान करेंगे। राजशुल्क राज्य नियमों से संलग्न प्रथम अनुसूची में निर्धारित दरों पर तथा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित किया जाए भुगतानयोग्य होगा;

(xiv) आपको "खान तथा खनिज विकास, पुनरूद्वार तथा पुनर्वास निधि" के लिए मासिक किस्तों के साथ देय अनिवार्य भाटक/राजशुल्क के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि भी जमा/भुगतान करनी होगी;

(xv) आप पट्टा विलेख के निबधनों तथा शर्तों के अनुसार भुगतान योग्य संविदा धनराषि के अतिरिक्त आयकर अधिनियम की धारा 206 (ग) के उपबन्धों के अनुसार अग्रिम आयकर का भुगतान करने के दायी होंगे;

(xvi) प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति पर वार्षिक राशि अनिवार्य भाटक की वृद्वि पर आप प्रतिभूति की बकाया जमा करेंगे ताकि तीन वर्ष के अगले ब्लॉक के सम्बन्ध में एक वर्ष के लिए यथा लागू संशोधित वार्षिक अनिवार्य भाटक के 25 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि को बढ़ाया जा सके। किसी भी प्रकार का कोई ब्याज सरकार के निर्धारित प्रतिभूति शीर्ष के अधीन जमा प्रतिभूति राशि पर भुगतान योग्य नहीं होगा;

(xvii) आप "खनन स्थल" के लिए राज्य नियमों के अध्याय 10 के अनुसार खान समाप्ति योजना (प्रगतिशील तथा अन्तिम) सहित खनन योजना तैयार

करेंगे तथा इस निमित्त निदेशक, खान तथा भू–विज्ञान द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित ऐसी खनन योजना के अनुसार के सिवाए किसी क्षेत्र में खनन प्रक्रिया आरम्भ नहीं होगी;

(xviii)इसके अतिरिक्त, वास्तविक खनन पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित दिनांक 14.09. 2006 की ई आई ए अधिसूचना तथा इस निमित्त जारी मार्गदर्शनों/परिपत्रों के अधीन यथा अपेक्षित सक्षम प्राधिकारी से खनन पट्टा क्षेत्र के लिए एल ओ आई धारक /पट्टाधारी के रूप में आप द्वारा केवल पूर्व पर्यावरणीय समाशोधन प्राप्त करने के बाद शुरू किया जाना अनुज्ञात किया जाएगा।

(xix) खनन पट्टाधारी जिसको खनन अधिकार इस पट्टे के माध्यम से दिए गए हैं खनन कार्यवाही करने के लिए भूस्वामियों को निम्नलिखित भुगतान करने के लिए दायी भी होगा :–

(क) रियायत के अधीन ब्लॉक भूमि क्षेत्र के सम्बन्ध में वार्षिक किराया किन्तु जिसे संचालित नहीं किया गया है;

(ख) वास्तविक खनन प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में किराया जमा क्षतिपूर्ति।

(xx) वार्षिक किराया तथा क्षतिपूर्ति की राशि भूस्वामी तथा पट्टाधारी के बीच परस्पर निर्धारित की जाएगी। किराया तथा क्षतिपूर्ति के गैर–निपटान के मामले में उसे राज्य नियमों के अध्याय 9 में दिए गए उपबन्धों के अनुसार सम्बद्ध जिला कलैक्टर द्वारा निश्चित की जाएगी ;

(xxi) खनन पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के भीतर पट्टाधारक द्वारा निकाले गए तथा ढेर लगाए गए कुल खनिज समय के किसी बिन्दु पर अनुमोदित खनन योजना के अनुसार औसत मासिक उत्पादन के दो गुणा से अधिक नहीं होगा ;

(xxii) पट्टाधारी राज्य नियमों के अध्याय–14 में दिए गए उपबन्धें के अनुसार वैध खनिज व्यवहारी लाईसेंस प्राप्त किए बिना खनन पट्टे पर दिए गए रियायर क्षेत्र के बाहर किसी खनिज का स्टॉक नहीं करेगा ;

(xxiii) पट्टाधारी, भारत में लागू किसी विधि द्वारा निषिद्ध किसी आरक्षित/संरक्षितवन या किसी क्षेत्र में या ऐसे प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी से लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी

प्राधिकारी द्वारा निषिद्ध क्षेत्र में कोई खनन कार्यवाही नहीं करेगा। ऐसे प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति की अस्वीकृति के मामले में पट्टाधारी (पट्टाधारियों) इस कारण से संविदा धनराशि के भुगतान में किसी राहत का दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा ;

(xxiv) दो मीटर (2 मीटर) का एक सुरक्षा मार्जन खनन करते समय भू–जल पट्टी (टेबल) से ऊपर अनुरक्षित किया जाएगा तथा कोई भी खनन प्रक्रिया इस स्तर से नीचे अनुज्ञेय नही होगी यदि विशेष अनुमति इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नही की गई है;

(xxv) पट्टाधारी सम्बन्धित कानून के अधीन खनन कार्यवाई करने के लिए यथा अपेक्षित सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमति प्राप्त किए बिना खनन पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में कोई खनन कार्यवाही नही करेगा;

(xxvi) पट्टाधारी खनन अधिनियम, 1952, खान एवं खनिज (विकास एंव विनियमन) अधिनियम, 1957, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम,1981 के अधीन यथा लागू सभी अन्य उपबन्धों के अनुसार खनन करने के लिए बाध्यकारी होगा।

7. तदानुसार, आपको इस बोली स्वीकृति पत्र तथा एल ओ आई के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर करार के निष्पादन के लिए वार्षिक बोली राशि के बराबर राशि हेतु विलायक प्रतिभूति (प्रतिभूतियों) सहित अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ राज्य नियम, 2012 से संलग्न फार्म एम.एल. (पांच प्रतियों में) ने प्रारूप खनन पट्टा विलेख/करार प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

हस्ता/–
राज्य खनन अभियंता
कृतेः निदेशक खान एवं भूविज्ञान, हरियाणा

प्र क्रमांकः– डीएमजी/एच वाई/एम एल/डाडम/2018/5063 दिनांक 11.10.2018

एक प्रति निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु भेजी जाती है।

1. अध्यक्ष, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, सैक्टर 6 पंचकूला
2. उपायुक्त, भिवानी
3. खनन अधिकारी, खान तथा भू–विज्ञान विभाग भिवानी।

हस्ता/–
राज्य खनन अभियंता
कृतेः निदेशक खान एवं भूविज्ञान, हरियाणा

To Make Payment of Sugarcane Farmers

703. Shri Abhay Singh Chautala: Will the Co-operation Minister be pleased to state-

(a) the sugar mill wise total payment made by the cooperative and non-cooperative sugar mills for the crop of sugarcane to farmers in the State in year 2020-21;

(b) the number of farmers whose amount has been pending togetherwith the time since when the payment of sugarcane has not been made; and

(c) whether the amount with interest for late payment has been provided to the farmers as per rules; if so, the details thereof ?

सहकारिता मंत्री (डॉ. बनवारी लाल) : (क) वर्ष 2020–21 में गन्ने की फसल के कुल भुगतान का चीनी मिल–वार ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

ब्यौरा

(i) सहकारी चीनी मिलें

क्र0 स0	चीनी मिलों के नाम	कुल गन्ना भुगतान (रू0 करोड़ में)
1.	पानीपत सहकारी चीनी मिल लि0	116.36
2.	हरियाणा सहकारी चीनी मिल लि0	210.64
3.	करनाल सहकारी चीनी मिल लि0	135.97
4.	सोनीपत सहकारी चीनी मिल लि0.	112.57
5.	शाहबाद सहकारी चीनी मिल लि0	266.88

6.	जींद सहकारी चीनी मिल लि0.	105.25
7.	पलवल सहकारी चीनी मिल लि0.	117.50
8.	महम सहकारी चीनी मिल लि0.	139.80
9.	कैथल सहकारी चीनी मिल लि0.	145.01
10.	चौ0 देवी लाल सहकारी चीनी मिल लि0	148.85
11.	हैफेड़ सहकारी चीनी मिल लि0	129.52
	कुल	**1628.35**

(ii) निजी चीनी मिलें

क0 स0	चीनी मिलों के नाम	कुल गन्ना भुगतान (रू0 करोड़ में)
1.	सरस्वती चीनी मिल, यमुना नगर	565.57
2.	पिकाडली चीनी मिल, भादसों	259.69
3.	नारायणगढ़ चीनी मिल	168.21
	कुल	**993.47**

(ख) जिनकी राशि लंबित है, उन किसानो की संख्या तथा भुगतान कब से नहीं किया गया है, का ब्यौरा निम्नप्रकार हैः–

(i) सहकारी चीनी मिलें

शून्य। वर्ष 2020–21 की कोई भी गन्ना राशि किसी भी सहकारी चीनी मिल के विरुद्ध बकाया नहीं है।

(ii) निजी चीनी मिलें

क0 स0	चीनी मिलों के नाम	किसानों की संख्या जिनकी राशि लम्बित है
1.	सरस्वती चीनी मिल, यमुना नगर	शून्य
2.	पिकाडली चीनी मिल, भादसों	शून्य
3.	नारायणगढ़ चीनी मिल	230

वर्ष 2020–21 की 4.12 करोड़ रुपये की राशि (28.02.2022 तक) नारायणगढ़ चीनी मिल के विरुद्ध बकाया है। हालांकि, नारायणगढ़ चीनी मिल द्वारा उक्त गन्ना उत्पादकों को दिनांकित चेक (पी.डी.सी) जारी किये गए हैं। पी.डी.सी निकासी की अंतिम तिथि 16.03.2022 है।

(ग) नहीं श्रीमान जी । हालांकि, नारायणगढ़ चीनी मिल ने वर्ष 2020–21 के लिए पीडीसी जारी करने के विरूद्ध 3.24 करोड रुपये ब्याज का भुगतान किया है।

————————————

List of Biogas and Biomass Plants

673. Shri Varun Chaudhary: Will the New and Renewable Energy Minister be pleased to state the block wise list of compressed biogas and biomass plants installed by the Government for utilization of crop residue in State?

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : राज्य सरकार ने कोई भी कम्प्रेस्ड बायोगैस और बायोमास प्लांट स्थापित नहीं किया है। हालांकि, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा राज्य में फसल अवशेषों के उपयोग के लिए कम्प्रेस्ड बायो गैस और बायोमास आधारित बिजली संयंत्रों की स्थापना में परियोजना स्थापित करने वाले को सुविधा प्रदान करता है।

फसल अवशेषों के उपयोग के लिए बायोमास आधारित स्थापित/स्थापनाधीन बिजली संयंत्रों की खण्डवार सूची निम्न प्रकार से हैः–

क्र. सं.	बायोमास पावर प्लांट डेवलपरस	खण्ड/ जिला	क्षमता (मैगावाट)	फीडसामग्री	स्थिति
1.	श्री ज्योति रिन्युबल लिमिटेड	जिला एवं खण्ड–भिवानी	9.5	फसल अवशेष	स्थापित हो गया
2.	मैसर्स स्टारवायर इंडिया विद्युत प्राईवेट लिमिटेड	जिला एवं खण्ड–महेन्द्रगढ़	9.9	फसल अवशेष	स्थापित हो गया
3.	जैमको एनर्जी लिमिटेड	खण्ड–तोशाम, भिवानी	8.0	फसल अवशेष	स्थापित हो गया
4.	मैसर्स सैनसनस पेपर इण्डस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड	खण्ड–पिहोवा, कुरूक्षेत्र	8.0	धान की पराली	स्थापित हो गया

5.	मैसर्स हिन्द समाचार लिमिटेड	खण्ड–इस्माईला बाद, कुरूक्षेत्र	15.0	धान की पराली	स्थापित हो गया
6.	मैसर्स सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड	खण्ड–सिवान, कैथल	15.0	धान की पराली	स्थापित हो गया
7.	मैसर्स जीन्द बायो–एनर्जी एल. एल.पी.	खण्ड–अलेवा, जीन्द	9.9	धान की पराली	स्थापनाधीन
8.	मैसर्स फतेहाबाद बायो–एनर्जी एल.एल.पी.	खण्ड–भूना, फतेहाबाद	9.9	धान की पराली	स्थापनाधीन

फसल अवशेषों के उपयोग के लिए कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की खण्डवार सूची निम्न प्रकार से हैः–

क्र. सं.	**कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट डेवलपरस**	**खण्ड/ जिला**	**क्षमता (टी. पी. डी.)**	**फीडसामग्री**	**स्थिति**
1.	स्पेक्ट्रमरेन्यूबल एनर्जीप्राईवेटलिमिटेड	खण्ड–कलानौर , रोहतक	6	प्रेसमड	स्थापित हो गया
2.	जे.पी.एस. एग्रोटेक एंडफार्मस	रोहतक	2.2	गोबर	स्थापित हो गया
3.	अजय बायो एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	खण्ड– घरोंडा, करनाल	12.5	धान की पराली	स्थापनाधीन
4.	अमृत फर्टीलाईजर	खण्ड–कुंजपुरा, करनाल	5	गोबर	स्थापनाधीन
5.	एस.पी.एस. बायो केमिकल प्राईवेट लिमिटेड	खण्ड–रादौर, यमुनानगर	6.4	प्रेसमड एवं धान की पराली	स्थापनाधीन
6.	शार्प रिन्युबल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	खण्ड–इसराना, पानीपत	5	गोबर, कुक्कुट अपशिष्ट, प्रेसमड	स्थापनाधीन

7.	जगलान कोन्ट्रक्टर एण्ड सिक्योरिटी प्राईवेट लिमिटेड	खण्ड–नारनौंद, हिसार	2.4	फसल अवशेष, गोबर	स्थापनाधीन
8.	मैसर्स सैनसनस पेपर इण्डस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड	खण्ड–पिहोवा, कुरूक्षेत्र	2.4	धुलाई अवशेष	स्थापनाधीन

Total Vacant Posts of TGT English

694. Shri Ghanshyam Dass Arora: Will the Education Minister be pleased to state the total vacant posts of TGT English teachers in State together with the time by which the said posts are likely to be filled up by the Government as per new eligibility criteria?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : श्रीमान, टी.जी.टी. अंग्रेजी के 616 पद रिक्त हैं, जिसमें से हरियाणा विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ग) राज्य संवर्ग सेवा (संशोधन) नियम 2021 व मेवात जिला विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम 2021 अनुसार शेष हरियाणा में टी.जी.टी. अंग्रेजी के 293 पद एवं मेवात केडर के 259 पदों की कुल 552 पदों की मांग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को दिनांक 16.02.2022 को भेजी जा चुकी है। जैसे ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से सिफारिश प्राप्त होगी पदों को तुरंत भरने की कार्यवाही कर ली जाएगी। शेष 64 पदों की मांग शीघ्र ही कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी जायेगी।

———————

To Establish an Industry

697. Shri Sita Ram Yadav : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any policy under consideration of the Government to establish an Industry in every block in State; if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : जी, श्रीमान्, हरियाणा सरकार ने एम.एस.एम.ई. के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने के लिए 23 फरवरी 2022 को Programme

to Accelerate Development for MSME Advancement (PADMA) नामक एक योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे हरियाणा में समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और राज्य के युवाओं को नए उद्यम स्थापित करने के लिए सशक्त बनाना और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के अवसर प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर सुक्ष्म और लघु उद्यमों पर केन्द्रित विकासात्मक हस्तक्षेपों को डिजाइन और कार्यान्वित करना, औद्योगिक क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाना और स्थायी रोजगार और उद्यमिता के अवसरों के साथ–साथ संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य के साथ, राज्य के सभी जिलों के 140 ब्लॉकों में से प्रत्येक में एक उत्पाद की पहचान स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों, मौजूदा एम.एस.एम.ई. पारिस्थितिकी तंत्र, हितधारकों के परामर्श, कच्चे मामल की उपलब्धता, जनसांख्यिकीय प्रोफाइल और टिकाऊ और लागत प्रभावी क्लस्टर बनाने के लिए विकास क्षमता के आधार पर की गई है। इनमें से प्रत्येक ब्लॉक में, सरकार द्वारा चयनित ''उत्पाद'' पर केंद्रित एक नया मिनी–औद्योगिक क्लस्टर विकसित किया जाएगा। यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक क्लस्टर कॉमन फैसिलिटी सैंटर (सी.एफ.सी.) और बिजनैस डिवैल्पमैंट सर्विस (बी.डी.एस.) हब के साथ कई नए एम.एस.एम.ई. का गठन करेगा। PADMA योजना पांच साल की अवधि में लागू की जाएगी। प्रत्येक ब्लॉक का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा ताकि प्रत्येक ब्लॉक में एक जीवंत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने पर उचित ध्यान दिया जा सके।

————————

Supply of Canal Water for Irrigation

628. Dr. Krishan Lal Middha: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that canal water is not being supplied to 76 acreage of land of Chaudhary Ranbir Singh University in Jind; and

(b) if so, the time by which the canal water for irrigation is likely to be provided to the abovesaid University?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) एक विवरणी सदन के पटल पर रखी गई है।

विवरणी

यह सूचित किया जाता है कि जींद में स्थित चौधरी रणबीर सिंह विश्वविधालय के लिए 2.10 क्यूसेक नहर के पानी की आपूर्ति करने की मांग की है और इसके लिए जींद डिस्ट्रीब्यूटरी नं0 4 से एक अलग पाइप लाइन बिछाई जानी है, जिसकी अनुमानित राशि 1.50 करोड़ रूपये है।

जींद में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविधालय को नहर का पानी उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। विश्वविधालय को 2.10 क्यूसेक नहरी पानी की आपूर्ति के लिए जींद डिस्ट्रीब्यूटरी नं0 4 से आउटलेट उपलब्ध कराया जाएगा। यह सूचित किया जाता है कि स्थायी तकनीकी समिति (STC) से 15.63 करोड़ रूपये की स्वीकृति के बाद जींद डिस्ट्रीब्यूटरी नं0 4 के पुनर्निर्माण के लिए एक परियोजना को वित्त पोषण के लिए नाबार्ड को प्रस्तुत किया गया है। यह मामला विश्वविधालय के कुलसचिव के साथ विचार विमर्श किया गया है और इस मामले पर विश्वविधालय के कुलसचिव द्वारा जींद डिस्ट्रीब्यूटरी नं0 4 के पुनः निर्माण के लिए नाबार्ड सें फंडिंग की मंजूरी के बाद सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को 1.50 करोड़ रूपये जमा कराने पर सहमति व्यक्त की गई है।

नाबार्ड से फण्ड जारी होने और कुलसचिव विश्वविधालय द्वारा फण्ड जमा करने के बाद तदनुसार कार्य शुरू किया जाएगा। परियोजना को नाबार्ड से मंजूरी मिलने के बाद 18 महीने के अन्दर पूरा कर दिया जाएगा।

———————

To open an ITI

754. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Skill Development and Industrial Training Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open an ITI in village Mohana of Gohana Assembly Constituency?

औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री (पंडित मूल चन्द शर्मा) : नहीं श्रीमान जी, विधानसभा क्षेत्र गोहाना के गांव मोहाना में औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

————————

To Install a Tubewell for Water Supply

662. Shri Subhash Gangoli : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to install a tubewell for water supply in village Kalwa of Safidon Assembly Constituency; if so, the time by which the abovesaid tubewell is likely to be installed ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं, श्रीमान जी।

———————————

To Repair/Reconstruct the Roads

637. Shri Kuldeep Vats: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that Jhajjar-Badli road, Badli-Farukhnagar-Gurugram road and Jhajjar-Kosli road are in very bad condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair/reconstruct the abovesaid roads togetherwith the details thereof?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) :

(क) नहीं, श्रीमान जी। सड़कें यातायात योग्य स्थिति में हैं और नियमित रूप से पैचवर्क के माध्यम से रखरखाव किया जा रहा है।

(ख) हालांकि, इन सड़कों के सुधार के लिए सड़कवार कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है:

(i) झज्जर बादली सडक (एम.डी.आर.–123)– सड़क की कुल लंबाई 18.250 कि. मी. है। सड़क का मौजूदा कैरिजवे कि.मी. 0.550 से 14.150 और 15.750 से 18.250 तक फोर लेन (दोनों तरफ 7.50 मीटर) और कि.मी. 0.00 से 0.550 और 14.150 से 15.750 मीटर तक 10.00 मीटर है। सरकार ने पत्र क्रमांक 09/721/2021–3 बी एंड आर (डब्ल्यू) दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से झज्जर बादली सड़क के फोरलेनिंग के सुधार के लिए 2261.87 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। झज्जर बादली सड़क के फोरलेनिंग के सुधार के लिए निविदा आमंत्रित की गई है और इसे 10.03.2022 को प्राप्त किया जाना है। कार्य आबंटन के बाद काम शुरू किया जाएगा।

(ii) **बादली फारूखनगर गुरूग्रम (बादली ईकबालपुर गुरूग्रम) सड़क**– सड़क की कुल लंबाई 10.00 कि.मी. है (जिला झज्जर) और सड़क की मौजूदा चौड़ाई फोर लेन (दोनों तरफ 7.50 मीटर) है। सरकार ने पत्र क्रमांक 09/459/2021–3बी एंड आर (डब्ल्यू) दिनांक 09.09.2021 के माध्यम से 965.55 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति नाबार्ड आरआईडीएफ–XXVII शीर्ष के तहत प्रदान की है। सुदृढ़ीकरण का कार्य ठेकेदार को पहले ही आबंटित कर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है।

(iii) **झज्जर कोसली सड़क** –सड़क का यह भाग बहादुरगढ़, झज्जर, सुबाना, कोसली और कनीना रोड (एस.एच.–22) का हिस्सा है। इस सड़क की लंबाई 24.800 कि.मी. (आर.डी. 28.20 से 53.00) है। इस सड़क का मौजूदा कैरिजवे 10.00 मीटर है। कि.मी.28.200 से 29.700 तक के सड़क भाग की मरम्मत 30 मि.मी. बी.सी. द्वारा 07/2020 के दौरान की गई थी जो कि दोष दायित्व अवधि (डी.एल.पी.) के अंतर्गत है और अच्छी स्थिति में है। कि.मी. 29.700 से 53.00 तक के सड़क भाग की मरम्मत 110 मि.मी. डी.बी.एम. + 40 मि.मी. बी.सी. द्वारा 04/2015 के दौरान की गई थी जो कि यातायात योग्य स्थिति में है तथा विभाग द्वारा इसका नियमित रूप से पैचवर्क के माध्यम से रखरखाव किया जा रहा है। सरकार ने एन.सी.आर.पी.बी. ऋण योजना के अंतर्गत सुदृढ़ीकरण का कार्य करने हेतु यादि क्रमांक 44/45/2021–5 बी एंड आर (डब्ल्यू) दिनांक 31.12.2021 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। डी.पी.आर. तैयार करने के लिए कच्चा लागत अनुमान यू.ओ. नं. 539/एम.डी.(एच.एस.आर.डी.सी.) दिनांक 09.02.2022 द्वारा सरकार को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है।

To Start Construction Work of Metro Station

730. Shri Neeraj Sharma: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that Faridabad and Gurugram are being connected through the Metro and the metro station is likely to be built at Payali Chowk; and

(b) if so, the time by which the construction work of abovesaid metro station is likely to be started/completed togetherwith the provision made by the Government in the Budget for the said work?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : महोदय, (क) हां, फरीदाबाद और गुरुग्राम को मेट्रो के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इस मार्ग पर प्रस्तावित मेट्रो स्टेशनो में से पायली चौक एक मेट्रो स्टेशन है।

(ख) परियोजना की अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। जब भी डीपीआर तैयार हो जाएगी, उसे मंत्रिपरिषद, हरियाणा के समक्ष रखा जाएगा। मंत्रिपरिषद के अनुमोदन पश्चात डीपीआर को अनुमोदन के लिए आवासन एंव शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाएगा। इसलिए इस स्तर पर स्टेशन के शुरू करने और पूरा करने और सरकार द्वारा उक्त कार्य के लिए बजट में प्रावधान की सटीक जानकारी नहीं दी जा सकती है।

———

To Shift Vegetable Market

655. Shri Ghanshyam Saraf: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state&

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to shift vegetable market outside the Bhiwani city; and

(b) if so; whether there is also any proposal under consideration of the Government to Shift vegetable market on Rohtak Gate or Dadri road togetherwith the details thereof?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्;

(ख) सब्जी मंडी को रोहतक गेट से स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

———

To Remove the Fallen Trees

644. Shri Pardeep Chaudhary: Will the Forest Minister be pleased to state whether it is a fact that fallen trees are not being removed by the Forest Department in the forest area of Kalka Assembly Constituency

which are causing damage to crops and also accidents; if so, the reasons thereof?

वन मंत्री (श्री कंवर पाल) : वन क्षेत्रों में पेड़ों के गिरने की सूचना मिलने पर वन विभाग द्वारा उन्हें शीघ्र हटा दिया जाता है जिससे कि इन गिरे पेड़ों के कारण किसी प्रकार की दुर्घटना व फसलों को नुकसान न हों।

————————

Financial Assistance to the Families of People Died Due to Corona Epidemic

704. Shri Abhay Singh Chautala : Will the Health Minister be pleased to state-

(a) the district wise number of people died due to corona epidemic in the State ; the district wise number of applications received by the Government for financial assistance ; and

(b) the districtwise number of families to whom the financial assistance amount of rupees 50 thousand has been provided by the Government so far togetherwith the number of applications pending alongwith the total number of applications cancelled ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री अनिल विज) : (क), (ख) तथा (ग) श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

क्रम सख्या	जिला	मृतको की सख्या	प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये	भूगतान किया गया	लम्बित	अस्वीकृत
1	अम्बाला	542	563	378	134	51
2	भिवानी	663	655	536	111	08
3	चरखी दादरी	145	187	110	76	01
4	फतेहाबाद	498	504	306	198	00
5	फरीदाबाद	739	865	529	163	173
6	गुरुग्राम	1004	985	554	322	109
7	हिसार	1170	1191	635	442	114
8	झज्जर	343	427	212	202	13
9	जीन्द	541	529	230	243	56

10	कैथल	370	329	238	52	39
11	करनाल	596	534	354	176	04
12	कुरुक्षेत्र	394	353	262	66	25
13	महेन्द्रगढ	164	310	102	161	47
14	नूँह	134	85	60	25	00
15	पानीपत	670	429	328	81	20
16	पंचकूला	414	333	219	96	18
17	पलवल	155	168	87	51	30
18	रिवाडी	224	297	142	155	00
19	रोहतक	534	770	601	54	115
20	सिरसा	537	470	387	65	18
21	सोनीपत	276	579	360	178	41
22	यमुनानगर	455	404	295	94	15
	कुल	10568	10967	6925	3145	897

———————

Mera Pani Meri Virasat Yojana

674. Shri Varun Chaudhry : Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state the district-wise reduction in area under paddy cultivation under "Mera Pani Meri Virasat" Yojana during 2020-21 and 2021-22 in the State?

कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : महोदय, राज्य में 2020–21 और 2021–22 के दौरान ''मेरा पानी मेरी विरासत'' योजना के तहत धान की खेती के क्षेत्र में जिलेवार कमी निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	**जिला**	**एमपीएमवी के तहत 2020-21 के दौरान धान की खेती के तहत कुल क्षेत्रफल में कमी (एकड़)**	**एमपीएमवी (एकड़) के तहत 2021-22 के दौरान धान की खेती के तहत कुल क्षेत्रफल में कमी**
1.	अंबाला	1543.708	3657.5
2.	भिवानी	3000	1391.28
3.	चरखी दादरी	768	825.86
4.	फरीदाबाद	1509.17	437.88
5.	फतेहाबाद	10025.97	7117.93

6.	गुरुग्राम	331.065	142.81
7.	हिसार	7520.135	5156.26
8.	झज्जर	7734.468	1186.02
9.	जींद	10926.88	6246.69
10	कैथल	3473.515	3039.57
11.	करनाल	196.0575	3401.08
12.	कुरुक्षेत्र	935.61	1931.74
13.	महेंद्रगढ़	0	0
14.	मेवात	161.85	228.94
15.	पलवल	41.885	951.26
16.	पंचकुला	1003.755	1348.48
17.	पानीपत	770.7325	848.32
18.	रेवाड़ी	1088.608	161.63
19.	रोहतक	1733.97	734.54
20.	सिरसा	7508.385	6587.55
21.	सोनीपत	2597.898	1685.27
22.	यमुनानगर	1079.325	4793.99
	कुल	**63950.99**	**51874.6**

To Complete the Construction Work of Medical College

629. Dr. Krishan Lal Midda: Will the Medical Education Minister be pleased to state-

(a) the details of the phases of under construction Medical College in the Jind City which have been completed so far; and

(b) the time by which the construction work of above said Medical College is likely to be completed?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट के अनुसार जींद में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण दो फेज में किया जा रहा है।

प्रथम फेज में निम्न शामिल हैं:–

- अस्पताल भवन – 710 बैड
- चिकित्सा महाविद्यालय (शैक्षणिक खंड) 150 एम0बी0बी0एस0 सीटें
- छात्रावास (लडके)
- छात्रावास (लडकियां)
- जूनियर रेजिडेंट आवास
- सीनियर रेजिडेंट आवास
- प्रधानाचार्य आवास

- टीचिंग स्टाफ क्वार्टस (टाईप– V 30 यूनिट एवं टाईप– IV 60 यूनिट)
- नान टीचिंग स्टाफ क्वार्टस (टाईप– V 40 यूनिट एवं टाईप– IV 80 यूनिट)
- पुलिस चौकी
- कचरा प्रबंधन भवन
- सब स्टेशन

द्वितिय फेज में निम्न शामिल हैंः–

- नर्सिंग महाविद्यालय
- नर्स आवास ब्लाक
- छात्रावास (लड़कियां)
- छात्रावास (लड़के)
- टीचिंग स्टाफ क्वार्टस (टाईप– V 40 यूनिट एवं टाईप– IV 80 यूनिट)
- शापिंग काम्पलैक्स एवं अतिथि गृह

प्रथम फेज में शैक्षणिक खंड, अस्पताल एवं छात्रावास भवन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और अब तक लगभग 21 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रथम फेज के पूर्ण होने पर द्वितिय फेज का कार्य शुरू किया जाएगा।

(ख) जींद में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य 02.09.2023 तक पूर्ण होने की संभावना है।

———————

The Number of Degree Colleges

755. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Education Minister be pleased to state-

(a) the district wise details of degree colleges in State together with the colleges which have no building of their own;

(b) the number of colleges which are running without regular Principal and since when; and

(c) the details of the colleges which have less than 200 students?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : श्रीमान् जी, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

वक्तव्य

(क) राज्य में डिग्री महाविद्यालय तथा जिन महाविद्यालयों का अपना भवन नहीं है, का जिलावार ब्यौरा इस प्रकार हैः–

वर्ष	क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	जिला
2012–13	1	राजकीय महाविद्यालय, अम्बाला शहर	अम्बाला
2014–15	2	राजकीय महाविद्यालय, असंध (करनाल)	करनाल
2018–19	3	राजकीय महिला महाविद्यालय, लौहारू	भिवानी
	4	राजकीय महाविद्यालय, मण्डी हरिया	चरखी दादरी
	5	राजकीय महिला महाविद्यालय, वल्लभगढ़	फरीदाबाद
	6	राजकीय महिला महाविद्यालय, नचौली	फरीदाबाद
	7	राजकीय महिला महाविद्यालय, मोहाना	फरीदाबाद
	8	राजकीय महिला महाविद्यालय, रिठौज	गुरूग्राम
	9	राजकीय महिला महाविद्यालय, मानेसर	गुरूग्राम
	10	राजकीय महिला महाविद्यालय, डाटा	हिसार
	11	राजकीय महाविद्यालय, बालसंमंद	हिसार
	12	राजकीय महिला महाविद्यालय, कुलाना	झज्जर
	13	राजकीय महिला महाविद्यालय, जुण्डला	करनाल
	14	राजकीय महिला महाविद्यालय, पाढा	करनाल
	15	राजकीय महिला महाविद्यालय, तरावड़ी	करनाल
	16	राजकीय महाविद्यालय, चाम्मू कलां	कुरूक्षेत्र
	17	राजकीय महिला महाविद्यालय, सिहमां	महेन्द्रगढ़
	18	राजकीय महाविद्यालय, रेवाड़ी	रेवाड़ी
	19	राजकीय महिला महाविद्यालय, बावल	रेवाड़ी
	20	राजकीय महाविद्यालय, जाटूसाना	रेवाड़ी
	21	राजकीय महिला महाविद्यालय, रानिया	सिरसा
	22	राजकीय महिला महाविद्यालय, सोनीपत	सोनीपत

2019–20	23	राजकीय महाविद्यालय, सरस्वती नगर, मुस्तफाबाद	यमुनानगर
	24	राजकीय महाविद्यालय, फारूखनगर	गुरूग्राम
	25	राजकीय महिला महाविद्यालय, बसतली	करनाल
	26	राजकीय महाविद्यालय, बिस्सर, अकबरपुर	नूंह मेवात
	27	राजकीय महिला महाविद्यालय, घरौंडा	करनाल
	28	राजकीय महाविद्यालय, सैक्टर–52 गुरूग्राम	गुरूग्राम
	29	राजकीय महाविद्यालय, पिल्लुखेडा	जींद
	30	राजकीय महिला महाविद्यालय, मोहाना	सोनीपत
2020–21	31	राजकीय महाविद्यालय, भैंसवाल कलां	सोनीपत
	32	राजकीय महाविद्यालय, बडौदा	सोनीपत
	33	राजकीय महाविद्यालय, अग्रोहा	हिसार
	34	राजकीय महाविद्यालय, मंगाली	हिसार
	35	राजकीय महाविद्यालय, गोरीवाला	सिरसा
	36	राजकीय महाविद्यालय, डींग मंडी	सिरसा
	37	राजकीय महाविद्यालय, इसरवाल	भिवानी
	38	राजकीय महाविद्यालय, मोरनी	पंचकूला
	39	राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, मनसा देवी	पंचकूला
	40	राजकीय महाविद्यालय, प्रतापनगर	यमुनानगर
	41	राजकीय महाविद्यालय, लदाना चक्कू	कैथल
	42	राजकीय महाविद्यालय, राजौंद	कैथल
	43	राजकीय महाविद्यालय, छातर	जींद
	44	राजकीय महाविद्यालय, फिरोजपुर जिरखां	नूंह मेवात
	45	राजकीय महाविद्यालय, भंदोली	पलवल
2021–22	46	राजकीय महाविद्यालय, चरखी दादरी	चरखी दादरी

(ख) हरियाणा राज्य में जो राजकीय महाविद्यालय बिना नियमित प्राचार्य के चल रहे है, उनकी सूची निम्नानुसार है :–

जिला	क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य का पद कब से रिक्त है।
अम्बाला	1.	राजकीय महाविद्यालय, अम्बाला छावनी।	06.01.2021
	2.	राजकीय महाविद्यालय, नारायणगढ।	04.02.2021
	3.	राजकीय महाविद्यालय, साहा।	03.07.2020
	4.	राजकीय महिला महाविद्यालय, अम्बाला शहर।	01.03.2022
	5.	राजकीय महिला महाविद्यालय, शहजादपुर	01.12.2021
भिवानी	6.	राजकीय महाविद्यालय, लौहारू।	01.09.2020
	7.	राजकीय महिला महाविद्यालय, बवानी खेडा।	30.07.2021
	8.	राजकीय महिला महाविद्यालय, बहल।	29.12.2020
	9.	राजकीय महाविद्यालय, ईसरवाल।	04.11.2020
चरखी दादरी	10.	राजकीय महिला महाविद्यालय, बाढरा।	01.8.2020
	11.	राजकीय महाविद्यालय, मण्डी हरया।	01.8.2019
	12.	राजकीय महाविद्यालय, बौंद्धकलां	27.11.2020
	13.	राजकीय महाविद्यालय, चरखी दादरी। (अस्वीकृत पद)	जून 2021 (अस्वीकृत पद)
फरीदाबाद	14.	राजकीय महाविद्यालय, तिगांव	30.4.2021
	15.	राजकीय महाविद्यालय, खेडी गुजरान	01.09.2019
	16.	राजकीय महिला महाविद्यालय, नचौली।	04.08.2021
	17.	राजकीय महाविद्यालय, मोहना।	21.10.2020
फतेहाबाद	18.	राजकीय महाविद्यालय, भटटूकलां	21.01.2021
	19.	राजकीय महिला महाविद्यालय, भोडिया खेडा।	01.09.2021
	20.	राजकीय महाविद्यालय, रतिया।	01.04.2021
	21.	राजकीय महाविद्यालय, टोहाना।	जुलाई 2021
	22.	राजकीय महाविद्यालय, भूना।	फरवरी 2022
गुरूग्राम।	23.	राजकीय महाविद्यालय, जटौली हेलीमण्डी।	01.11.2020
	24.	राजकीय महिला महाविद्यालय, मानेसर।	जनवरी 2022
हिसार।	25.	राजकीय महाविद्यालय, आदमपुर।	01.4.2021

जिला	क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य का पद कब से रिक्त है।
			(इस महाविद्यालय में श्री कृष्ण सिहं, सेवानिवृत प्राचार्य को रि–एम्लायमेंट प्रदान करने उपरांत प्राचार्य पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है।)
	26.	राजकीय महाविद्यालय, नारनौंद।	26.10.2021
	27.	राजकीय महाविद्यालय, उकलाना।	16.01.2021
	28.	राजकीय महिला महाविद्यालय, डाटा	01.04.2021
	29.	राजकीय महाविद्यालय, बालसमंद।	20.05.2021
	30.	राजकीय महाविद्यालय, मंगाली।	04.11.2020
	31.	राजकीय महाविद्यालय, अग्रोहा।	04.11.2020
झज्जर	32.	राजकीय महाविद्यालय, बादली।	04.10.2021
	33.	राजकीय महाविद्यालय, बहादुरगढ।	01.12.2021
	34.	राजकीय महाविद्यालय, दुजाना।	01.03.2022
	35.	राजकीय महाविद्यालय, झज्जर।	01.12.2021
	36.	राजकीय महाविद्यालय, बिरोहड।	27.01.2022
	37.	राजकीय महाविद्यालय, बहु।	01.05.2019
	38.	राजकीय महाविद्यालय, छारा।	01.03.2022
	39.	राजकीय महिला महाविद्यालय, जसोर खेडी।	अगस्त 2019
	40.	राजकीय महाविद्यालय, मातनहेल।	24.07.2019
	41.	राजकीय महिला महाविद्यालय, बहादुरगढ।	12.05.2020
	42.	राजकीय महिला महाविद्यालय, कुलाना।	01.03.2022
जींद	43.	राजकीय महिला महाविद्यालय, जींद।	01.12.2021
	44.	राजकीय महाविद्यालय, नरवाना।	01.05.2021
	45.	राजकीय महाविद्यालय, सफीदों	28.01.2021
	46.	राजकीय महाविद्यालय, जुलाना।	01.03.2021
	47.	राजकीय महिला महाविद्यालय, सफीदों।	31.08.2021
	48.	राजकीय महिला महाविद्यालय, पिल्लु खेडा।	22.04.2021
	49.	राजकीय महाविद्यालय, छातर।	04.11.2020
करनाल।	50.	राजकीय महाविद्यालय, घरौण्डा।	01.05.2019
	51.	राजकीय महिला महाविद्यालय, करनाल।	01.11.2021
	52.	राजकीय महाविद्यालय, करनाल।	01.07.2021
	53.	राजकीय महाविद्यालय, मटक	03.09.2019

जिला	क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य का पद कब से रिक्त है।
		माजरी।	
	54.	राजकीय महाविद्यालय, असंध।	24.07.2019
	55.	राजकीय महिला महाविद्यालय, तरावडी।	01.07.2020
	56.	राजकीय महिला महाविद्यालय, जुंडला।	01.04.2021
	57.	राजकीय महिला महाविद्यालय, पाढा।	02.12.2021
	58.	राजकीय महिला महाविद्यालय, बस्तली।	वर्ष 2019
	59.	राजकीय महिला महाविद्यालय, घरौण्डा।	01.02.2022
कैथल।	60.	राजकीय महाविद्यालय, कैथल।	01.07.2021
	61.	राजकीय महिला महाविद्यालय, गुहला चीका।	09.01.2020
	62.	राजकीय महाविद्यालय, लडाना चक्कू।	04.11.2020
	63.	राजकीय महाविद्यालय, राजौंद।	04.11.2020
कुरूक्षेत्र।	64.	राजकीय महाविद्यालय, भेरियां, पेहवा।	01.11.2019
	65.	राजकीय महिला महाविद्यालय, पलवल।	01.12.2021
	66.	राजकीय महाविद्यालय, चम्मूकलां।	01.12.2021
महेन्द्रगढ।	67.	राजकीय महाविद्यालय, अटेली।	31.03.2020
	68.	राजकीय महाविद्यालय, कृष्णनगर।	28.02.2015
	69.	राजकीय महिला महाविद्यालय, महेन्द्रगढ।	29.01.2021
	70.	राजकीय महाविद्यालय, नांगल चौधरी।	20.08.2019
	71.	राजकीय महिला महाविद्यालय, नारनौल।	17.10.2021
	72.	राजकीय शिक्षण महाविद्यालय, नारनौल।	नवंबर 2019
	73.	राजकीय महाविद्यालय, नारनौल।	01.03.2020
	74.	राजकीय महाविद्यालय, सतनाली।	04.07.2020
	75.	राजकीय महिला महाविद्यालय, नांगल चौधरी।	01.7.2019
	76.	पी0के0एस0डी0 महाविद्यालय, कनीना।	31.03.2019
	77.	राजकीय महिला महाविद्यालय, अटेली।	30.07.2020
	78.	राजकीय महिला महाविद्यालय,	जून 2018

जिला	क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य का पद कब से रिक्त है।
		उन्हानी।	
	79.	राजकीय महाविद्यालय, छिल्लरो।	वर्ष 2018
	80.	राजकीय महिला महाविद्यालय, सिम्हा।	जनवरी 2020
नूंह।	81.	राजकीय महाविद्यालय, नगीना।	05.03.2020
	82.	राजकीय महिला महाविद्यालय, सालाहेडी।	28.02.2020
	83.	राजकीय महिला महाविद्यालय, पुनहाना।	19.02.2019
	84.	राजकीय महाविद्यालय, फिरोजपुर झिरका।	04.11.2020
पंचकूला।	85.	राजकीय महिला महाविद्यालय, सै0–14, पंचकूला।	**01.11.2021** (इस महाविद्यालय में श्रीमती बबीता वर्मा, सेवानिवृत प्राचार्य को रि–एम्लायमेंट प्रदान करने उपरांत प्राचार्य पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है।)
	86.	राजकीय महाविद्यालय, सैक्टर–1, पंचकूला।	**01.10.2021** (इस महाविद्यालय में श्रीमती अर्चना सेवानिवृत प्राचार्य को रि–एम्लायमेंट प्रदान करने उपरांत प्राचार्य पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है।
	87.	राजकीय महाविद्यालय, बरवाला।	01.01.2021
	88.	राजकीय महाविद्यालय, रायपुर रानी।	01.12.2021
	89.	राजकीय महाविद्यालय, मोरनी।	04.11.2020
पानीपत।	90.	राजकीय महाविद्यालय, ईसराना।	19.11.2020
	91.	राजकीय महाविद्यालय, बहरामपुर, बापौली।	11.08.2018
पलवल।	92.	राजकीय महाविद्यालय, होडल।	मार्च 2015
	93.	राजकीय महाविद्यालय, पलवल।	01.10.2019
	94.	राजकीय महाविद्यालय, हथीन।	01.07.2020
	95.	राजकीय महाविद्यालय, मण्डकौला।	जुलाई 2018
	96.	राजकीय महिला महाविद्यालय, बढौली।	01.04.2019
	97.	राजकीय महाविद्यालय, भैन्डौली।	20.07.2020
रेवाडी।	98.	राजकीय महाविद्यालय, बावल।	जुलाई 2020
	99.	राजकीय महाविद्यालय, कंवाली।	01.11.2021
	100.	राजकीय महाविद्यालय, नाहड।	11.07.2014
	101.	राजकीय महिला महाविद्यालय,	06.01.2022

जिला	क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य का पद कब से रिक्त है।
		रेवाडी।	
	102.	राजकीय महिला महाविद्यालय, गुरावडा।	01.11.2021
	103.	राजकीय महाविद्यालय, खरखडा।	03.11.2021
	104.	राजकीय महाविद्यालय, कोसली।	01.11.2021
	105.	राजकीय महिला महाविद्यालय, पाली।	11.12.2021
	106.	राजकीय महिला महाविद्यालय, बावल।	28.06.2021
	107.	राजकीय महाविद्यालय, जाटूसाना।	31.10.2021
	108.	राजकीय महाविद्यालय, रेवाडी।	30.04.2021
रोहतक।	109.	राजकीय महिला महाविद्यालय, लाखनमाजरा।	01.07.2021
	110.	राजकीय महाविद्यालय, जसिया।	01.05.2021
सिरसा।	111.	राजकीय महाविद्यालय, मण्डी डबवाली।	01.12.2020
	112.	राजकीय महाविद्यालय, ऐलनाबाद।	30.11.2021
	113.	राजकीय महिला महाविद्यालय, कालांवली।	01.12.2020
	114.	राजकीय महाविद्यालय, डिंगमण्डी।	01.07.2020
	115.	राजकीय महाविद्यालय, गोरीवाला।	04.11.2020
सोनीपत।	116.	राजकीय महिला महाविद्यालय, गोहाना।	03.09.2021
	117.	राजकीय महाविद्यालय, खरखौदा।	31.07.2019
	118.	राजकीय महाविद्यालय, बरौटा।	27.10.2021
	119.	राजकीय महिला महाविद्यालय, सोनीपत।	01.06.2021
	120.	राजकीय महिला महाविद्यालय, मोहना।	जून 2021
	121.	राजकीय महाविद्यालय, बैंसवालकलां	04.11.2020
	122.	राजकीय महाविद्यालय, बडौदा।	04.11.2020
यमुनानगर	123.	राजकीय महाविद्यालय, छछरौली।	05.11.2019
	124.	राजकीय महाविद्यालय, बिलासपुर।	01.07.2021
	125.	राजकीय महाविद्यालय, रादौर।	30.10.2020
	126.	राजकीय महाविद्यालय, सरस्वती नगर, मुस्तफाबाद।	01.12.2020
	127.	राजकीय महाविद्यालय, प्रताप नगर।	04.11.2020

(ग) 200 से कम छात्रों वाले महाविद्यालयों (राजकीय महाविद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय) का ब्यौरा इस प्रकार हैः–

राजकीय महाविद्यालयों की सूची					
क्र0 सं0	**जिला**	**महाविद्यालय के नाम**	**छात्राएं**	**छात्र**	**कुल**
1	भिवानी	राजकीय महाविद्यालय इसरवाल	117	58	175
2	हिसार	राजकीय महाविद्यालय अग्रोहा	96	22	118
3	झज्जर	राजकीय महिला महाविद्यालय जसौर खेड़ी	136		136
4	झज्जर	राजकीय महिला महाविद्यालय कुलाना	166		166
5	जींद	राजकीय महाविद्यालय छातर	74	38	112
6	कैथल	राजकीय महाविद्यालय लदाना चाकू	69	26	95
7	कैथल	राजकीय महाविद्यालय राजौंद	100	20	120
8	करनाल	राजकीय कन्या महाविद्यालय जुंडला	163		163
9	नूंह	राजकीय महाविद्यालय फिरोजपुर झिरका	40	76	116
10	पंचकूला	राजकीय महाविद्यालय मोरनी	11	6	17
11	पंचकूला	श्री माता मनसा देवी संस्कृत राजकीय महाविद्यालय पंचकूला	3	19	22
12	सिरसा	राजकीय महाविद्यालय गौरीवला	79	20	99
13	सोनीपत	राजकीय महाविद्यालय बडौदा	13	79	92
14	सोनीपत	राजकीय महाविद्यालय भैंसवाल कलां	23	54	77

15	सोनीपत	राजकीय कन्या महाविद्यालय मोहाना	147		147
16	यमुनानगर	राजकीय महाविद्यालय प्रताप नगर	79	16	95

राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय

क्र0 सं0	जिला	महाविद्यालय के नाम	छात्राएं	छात्र	कुल
1	अम्बाला	अम्बाला डी0ए0वी निनौला	68	44	112
2	भिवानी	महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, भिवानी		198	198
3	गुरूग्राम	डी0पी0जी डिग्री कॉलेज	4	8	12
4	गुरूग्राम	इण्डियन स्कूल ऑफ हॉस्पेटिलिटी, शिखोंपुर, सैक्टर–83 गुरूग्राम	56	43	99
5	हिसार	आशा गर्ल्स कॉलेज, पनिहार चक		83	83
6	हिसार	गुरू द्रोणाचार्य गर्ल्स कॉलेज (डिग्री) मण्डी आदमपुर		163	163
7	जींद	इंडस डिग्री कॉलेज, किनाना, जींद	43	54	97
8	जीद	राजीव गांधी सनातन धर्म कॉमर्स एण्ड साइंस कॉलेज, नरवाना	38	102	140
9	करनाल	बुद्धा कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन इन्द्री रोड़, रंबा, करनाल	56	117	173
10	करनाल	ग्रीनवुड डिग्री कॉलेज करनाल	80	44	124
11	करनाल	करनाल डिग्री कॉलेज कुंजपुरा करनाल	46	27	73
12	नूंह	श्री शांति सागर जैन कन्या महाविद्यालय,		20	20
13	पलवल	लाला सी0बी अग्रवाल मैमोरियल महिला कॉलेज, हसनपुर		7	7
14	पलवल	एन0जी0एफ डिग्री कॉलेज पलवल	86	57	143
15	पानीपत	आर्य आदर्श कन्या कॉलेज पानीपत		177	177
16	पानीपत	गुरू ब्रह्यानंद महिला कॉलेज, कुराना, पानीपत		147	147

17	पानीपत	पी0आई0ई0टी एन सी आर कॉलेज समालखा	71	77	148
18	रेवाडी	माता राजकौर कॉलेज रेवाडी	48	128	176
19	सोनीपत	सी0सी0ए0एस जैन गर्ल्स कॉलेज गन्नौर		86	86
20	सोनीपत	गुरू नानक उच्च शिक्षा संस्थान बिघान (सोनीपत)	91	27	118
21	सोनीपत	आई0आई0टी0एम कॉलेज ऑफ साइंस आर्ट एण्ड कॉमर्स मुरथल	132	48	180
22	महेन्द्रगढ़	बी0आर0डिग्री कॉलेज सेहलांग महेन्द्रगढ	69	72	141
23	महेन्द्रगढ़	भारतीय डिग्री कॉलेज महेन्द्रगढ	93	28	121
24	महेन्द्रगढ़	जी0एल महिला डिग्री कॉलेज महेन्द्रगढ	1	142	143
25	महेन्द्रगढ़	के0डी डिग्री कॉलेज महेन्द्रगढ	148	48	196
26	महेन्द्रगढ़	राव मूलचंद डिग्री कॉलेज महेन्द्रगढ	11	4	15
27	महेन्द्रगढ़	संस्कार भारती डिग्री महिला महाविद्यालय, महेन्द्रगढ		172	172
28	महेन्द्रगढ़	सावित्री देवी महिला डिग्री कॉलेज, कनीना		57	57
29	महेन्द्रगढ़	श्री राम डिग्री कॉलेज महेन्द्रगढ़	31	16	47

To Reconstruct the Streets

663. Shri Subhash Gangoli : Will the Development & Panchayats Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct all the bad condition streets of Muana village of Safidon Assembly Constituency from ILBP block; if so, the time by which the abovesaid streets are likely to be reconstructed?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां, श्रीमान जी। सीवर लाइन डालने के लिए तोड़ी गई सभी सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। गांव मुआना में सीवर लाइन डालने के लिए करीब 18 किलोमीटर की सड़कों को तोड़ा गया, जिसमें से लगभग 17

किलोमीटर सड़कों की मरम्मत हो चुकी है तथा षेष सड़कों की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, 113.48 लाख रूपये की राशि, सीवर लाइन डालने के तुरंत बाद फिरनी की सड़क मरम्मत करने के लिए, पी.डब्ल्यू.डी विभाग के पास जमा की जा चुकी है। इन सभी कार्यों को 31.12.2022 तक पूर्ण करने की संभावना है।

————————

Acquisition of Land for Railway Line

638. Shri Kuldeep Vats : Will the Deputy Chief Minister be pleased to State-

(a) whether the land for laying down the Railway line from Sonipat to Gurugram is likely to be acquired by the Government in State; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide equal circle rate to all the areas for their acquired land togetherwith the details thereof?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) हाँ, श्रीमान् जी।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी, सभी क्षेत्रों में अधिगृहित भूमि के लिए समान सर्किल दरों के प्रावधान का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भूमि मुआवजे का निर्धारण विभिन्न गांवों (क्षेत्रवार) के लिए लागू होने वाली, विशिष्ट दरों के अनुसार संबंधित भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम अधिकारियों द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 को विस्तारित भूमि अधिग्रहण (सीएएलए) अधिनियम आरएफसीटीएलएआर 2013 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं।

————————

Details of Line Losses

731. Shri Neeraj Sharma: Will the Power Minister be pleased to state--

(a) the difference of line loss between the Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited and Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited; and

(b) whether the line loss of UHBVN is more than DHBVN; if so, whether there is any policy of the Government to promote such

consumers who are paying their electricity bill with honesty togetherwith the details thereof?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : (क और ख) चालू वित्त वर्ष में (जनवरी तक) दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के लाइन लॉस का अंतर केवल 0.12 प्रतिशत है (दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम 14.37 प्रतिशत और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम 14.49 प्रतिशत) जो लगभग बराबर हैं। हालांकि, असामाजिक उपभोक्ताओं को दंडित करने के लिए नीति दोनों निगमों में लागू है।

———

Delay in Development Works in Villages

645. Shri Pardeep Chaudhary : Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state whether it is a fact that development works are suffering in villages due to delay in Panchayat Elections; if so, whether the Government will direct the concerned officers of Panchayat department to redress public grievances by holding administrative darbars in the villages of State?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली) : श्रीमान जी, नहीं, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के विकास कार्य, सरकार द्वारा नियुक्त सम्बन्धित प्रशासकों द्वारा किए जा रहे हैं। लोक शिकायतों के निवारण के लिए प्रशासक सुगम एवं उपलब्ध हैं।

———

Number of Beds in Hospitals

705. Shri Abhay Singh Chautala: Will the Health Minister be pleased to state the yearwise total number of oxygen beds, Non-oxygen beds, ventilator beds and ICU Beds are available in the Government Hospitals and Community Health Centres from the year 2019-20 to 2021-22 in the State ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : महोदय जी, एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

विवरण

राज्य में वर्ष 2019–20 से 2020–21 तक *सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध ऑक्सीजन बैडों, गैर ऑक्सीजन बैडों, आई.सी.यू./वैंटीलेटर बैडों की वर्षवार कुल संख्याः

वर्ष	ऑक्सीजन बैड		गैर ऑक्सीजन बैड		आई.सी.यू./ वैंटीलेटर बैड **	
	सरकारी अस्पताल	सी.एच.सी.	सरकारी अस्पताल	सी.एच.सी.	सरकारी अस्पताल	सी.एच.सी.
2019–20	1341	453	1110	966	49	0
2020–21	1341	587	1811	1483	74	0
2021–22	2512	1152	2971	1741	523	0

*उपरोक्त डेटा में मेडिकल कॉलेजों में बेड की संख्या शामिल नहीं है, क्योंकि सवाल सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से संबंधित है ।

**एक श्रेणी में आई.सी.यू./वैंटीलेटर बैड।

———————————

Details of Paddy Procurement

675. Shri Varun Chaudhary: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state the District wise amount of Paddy procured by the Government in the year 2019-20, 2020-21 and 2021-22 in the State?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : राज्य में वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 के दौरान सरकार द्वारा धान की खरीद की जिलावार राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैंः–

विवरण

राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019–20, 2020–21 व 2021–22 के दौरान खरीदी गई पैडी की राशि का जिलावार विवरण निम्नानुसार है :–राशि करोड में									
	2019.20			2020.21			2021.22		
जिला का नाम	समर्थन मुल्य /1835/-	अन्य खर्चे	कुल राशि	समर्थन मुल्य /1888/-	अन्य खर्चे	कुल राशि	समर्थन मुल्य /1960/-	अन्य खर्चे	कुल राशि
अम्बाला	1622.00	110.49	1732.49	1263.24	85.12	1348.35	1159.10	79.19	1238.29
भिवानी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

चरखी दादरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
फरीदाबाद	18.33	1.25	19.58	8.90	0.60	9.50	15.08	1.03	16.11
फतेहाबाद	1555.84	105.98	1661.82	1194.98	80.52	1275.50	1307.65	89.34	1396.99
गुरूग्राम	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिसार	33.62	2.29	35.91	91.30	6.15	97.45	171.40	11.71	183.11
झज्जर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जीन्द	163.34	11.13	174.46	249.60	16.82	266.42	358.30	24.48	382.78
कैथल	1134.10	77.25	1211.35	1115.68	75.17	1190.86	1483.57	101.36	1584.93
करनाल	3125.44	212.90	3338.33	2466.17	166.17	2632.34	2091.06	142.86	2233.93
कुरूक्षेत्र	2120.37	144.43	2264.80	2016.40	135.86	2152.27	2105.46	143.85	2249.31
मेवात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नारनौल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पलवल	233.02	15.87	248.90	190.98	12.87	203.84	188.29	12.86	201.16
पंचकुला	288.89	19.68	308.57	229.69	15.48	245.16	173.02	11.82	184.84
पानीपत	43.61	2.97	46.58	63.84	4.30	68.14	106.79	7.30	114.09
रेवाडी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रोहतक	8.03	0.55	8.57	10.03	0.68	10.70	33.27	2.27	35.54
सिरसा	189.44	12.90	202.34	293.83	19.80	313.63	308.69	21.09	329.78
सोनीपत	9.17	0.62	9.79	21.08	1.42	22.50	55.79	3.81	59.60
यमुनानगर	1320.79	89.97	1410.76	1349.35	90.92	1440.27	1165.62	79.64	1245.25
कुल	**11865.98**	**808.28**	**12674.26**	**10565.07**	**711.87**	**11276.94**	**10723.08**	**732.62**	**11455.70**

Total Number of Verified Family Identity Cards

630. Shri Krishan Lal Middha: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of family identity cards verified by the Government in Jind districts so far;

(b) the block wise details of the verified family identity cards in Jind District so far; and

(c) the Municipal Council wise details of verified family identity cards in Jind District so far?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) जिला जींद में, 04.03.2022 तक कुल 2,96,415 परिवार पहचान पत्र फॉर्म हस्ताक्षरित (संबंधित परिवारों के सदस्य द्वारा) व अपलोड हो चुके हैं। इनमें से, उन 1,40,154 परिवारों के लिए आय सत्यापन पूरा कर लिया गया है जिन्होंने परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में अपनी आय को 1 लाख रुपये से कम घोषित किया था।

(ख) खण्ड–वार ब्यौरा अनुलग्न–I में दिया है।

(ग) नगरपरिषद–वार ब्यौरा अनुलग्न–II में दिया है।

अनुलग्नक–I

क्रमांक	ब्लॉक का नाम	हस्ताक्षरित परिवार पहचान पत्र	जिन परिवारों की आय सत्यापित हो चुकी है (स्व–घोषित आय <रु 100,000 पीपीपी में)
1	अलेवा ब्लॉक	20,137	10,831
2	जींद ब्लॉक	43,466	22,210
3	जुलाना ब्लॉक	28,923	15,270
4	नरवाना ब्लॉक	27,785	14,092
5	पिल्लूखेड़ा ब्लॉक	19,906	9,864
6	सफीदों ब्लॉक	28,229	14,087
7	उचाना ब्लॉक	40,663	18,219
8	उझाना ब्लॉक	21,383	11,194
	कुल	2,30,492	1,15,767

अनुलग्नक – II

क्रमांक	नगर परिषद / समिति का नाम	हस्ताक्षरित परिवार पहचान पत्र	जिन परिवारों की आय सत्यापित हो चुकी है (स्व–घोषित आय <रु 100,000 पीपीपी में)
1	जींद, नगर परिषद	36,475	13,138
2	जुलाना, नगरपालिका	3,980	2,240

3	नरवाना, नगरपालिका	13,908	4,143
4	सफीदों, नगरपालिका	7,744	3,097
5	उचाना, नगरपालिका	3,816	1,769
	कुल	65,923	24,387

The Number of Drains

756. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether all the drains falling in Gohana Assembly Constituency were cleaned by the Government in 2021 rainy season; if so, the name of the drains alongwith the name of villages through which it passes; and

(b) the amount spent on cleaning each of these drain togetherwith the name of agency through which these were cleaned?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) नहीं, श्रीमान जी। गोहाना विधानसभा क्षेत्र में कुल 35 ड्रेनों में से केवल 18 ड्रेनों की सफाई की आवश्यकता थी, जिन्हें वर्षा ऋतु 2021 से पहले साफ किया गया था। साफ की गई ड्रेनों के ब्यौरे के साथ–साथ उन गांवों के नाम का विवरण, जहां से ये गुजरती है, सदन के पटल पर रखा गया है।

(ख) ड्रेनों की सफाई में शामिल व्यय का विवरण, कार्य करने वाली एजेंसी के नाम सहित सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

गोहाना विधान सभा क्षेत्र का जल निकासी नेटवर्क गोहाना जल सेवा मंडल, गोहाना और सोनीपत जल सेवा मंडल, सोनीपत के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। गोहाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 35 ड्रेनें हैं, जिनमें से 32 ड्रेनें गोहाना जल सेवा मंडल, गोहाना में और बाकी 3 ड्रेनें सोनीपत जल सेवा मंडल, सोनीपत में आती है। वर्षा ऋतु 2021 की शुरूआत से पहले, गोहाना जल सेवा मंडल, गोहाना की 15 ड्रेनों और सोनीपत जल सेवा मंडल, सोनीपत के 3 ड्रेनों की सफाई की गई थी और उनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं0 सं0	ड्रेन का नाम	से गुजरने वाले गांवों के नाम	व्यय हुआ (लाख रूपये में)	एजेंसी का नाम
गोहाना जल सेवा मंडल, गोहाना				
1.	दुबेता ड्रेन	दुबेता	2.97	श्री रवि ठेकेदार
2.	रोलाड लतीफपुर	रोलाड लतीफपुर, भादी, सरगथल	1.10	एसीएमई कंस्ट्रक्शन कंपनी
3.	जेएलएन फीडर के साथ डिच ड्रेन	खेरी दमकन, बाली, मोई–हुड्डा	0.96	श्री वीरेंद्र ठेकेदार
4.	वजीरपुर–खंडराय लिंक ड्रेन	खंडराय, वजीरपुर	1.13	श्री प्रमोद कुमार
5.	टरिब्यूटरी ड्रेन संख्या 3	गढ़ी यूके, गमरी, खानपुर कलां, कैलाना खास, मुंडलाना, बुसाना, जवारा, भधोदी	1.03	सरकारी मशीन
6.	टरिब्यूटरी ड्रेन संख्या 4	गोहाना, बरोटा, नयत, काकाना भादुड़ी, कसंदा, कसंडी, बजाना कलां, बजाना खुर्द, पुगथला	0.57	सरकारी मशीन
7.	सामरी लिंक ड्रेन	सामरी , खानपुर कलां	0.97	राधे कृष्णा सहकारी समिति
8.	बजाना–कसंदी लिंक ड्रेन	बजाना–कसंदी	0.24	पुरखश सहकारी समिति
9.	लाठ लिंक ड्रेन	लाठ	0.30	श्री सतबीर सिंह ठेकेदार
10.	सरगथल लिंक ड्रेन	सरगथल	0.20	श्री सतबीर सिंह ठेकेदार
11.	बिधल लिंक ड्रेन नं0 1 और 2	बिधल, पिनाना	0.50	श्री सतबीर सिंह ठेकेदार
12.	जौली लिंक ड्रेन	जौली	0.20	श्री सतबीर सिंह

				ठेकेदार
13.	भलौत उप शाखा के साथ डिच ड्रेन	जौली, लाठ, कटवाल, बाली	1.73	पुरखास सहकारी समिति
14.	काकाना लिंक ड्रेन	काकाना	0.14	श्री राजेश खासा ठेकेदार
15.	कसंदा लिंक ड्रेन नं0 1 और 2	कसंदा	0.18	श्री राजेश खासा ठेकेदार
		कुल	**12.22**	

सोनीपत जल सेवा मंडल, सोनीपत				
1.	बोहला ड्रेन	बोहला, सलारपुर माजरा, मोहाना	3.40	मनरेगा
2.	पश्चिम जुआ ड्रेन	मोहाना, जाजी, रिधौ, महिपुर	1.90	न्यू चिक्कारा सहकारी समिति
3.	पूर्वी जुआ ड्रेन	चित्ताना, हुल्लेडी, बरवासनी, करेवरी, महलाना	0.99	खांडा आदर्श सहकारी समिति
		कुल	**6.29**	
		कुल योग	**18.51**	

To Fill up the vacant Post of Doctors

664. Shri Subash Gangoli : Will the Health Minister be pleased to state the total number of vacant posts of doctors and other staff in Safidon Civil Hospital togetherwith the time by which the abovesaid vacant posts are likely to be filled up?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :श्रीमान् जी, एक कथन सदन के पटल पर रखा है।

कथन

नागरिक हस्पताल, सफीदों में चिकित्सकों तथा अन्य अमले बारे स्थिति निम्न अनुसार हैः–

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	0	2
2	चिकित्सा अधिकारी	11	0	11
3	दन्तक सर्जन	1	0	1
4	नर्सिंग सिस्टर	2	0	2
5	स्टाफ नर्स	17	15	2
6	जन स्वास्थ्य नर्स	1	0	1
7	औषधाकारक	3	2	1
8	लैब तकनीशियन	4	4	0
9	दन्तक सहायक कम मैकेनिक	1	0	1
10	दन्तक हाईजिनिस्ट	1	0	1
11	रेडियोग्राफर	2	0	2
12	ईसीजी तकनीशियन	1	0	1
13	ऑपरेशन थियेटर सहायक	1	0	1
14	नेत्र सहायक	1	0	1
15	लेखाकार	2	0	2
16	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (पुरुष)	1	0	1
17	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (महिला)	1	0	1
18	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकता (पुरुष)	2	2	0
19	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	2	0	2
	कुल	**56**	**23**	**33**

चिकित्सकों के पद विभाग द्वारा पहले ही शुरु की जा चुकी भर्ती प्रक्रिया के बाद भर लिए जाएंगे। पैरा–चिकित्सक अमले की भर्ती के लिए मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जा चुका है।

———————

Working of Eco Green Energy in MCF

732. Shri Neeraj Sharma: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the ECO Green Energy is working with Municipal Corporation, Faridabad according to the term and conditions of the Government which were settled at the time of contract;

(b) if so, whether there is any provision in the said contract to re-allot the work by the vendor to another vendor togetherwith the details

thereof; and

(c) whether the tender was given to ECO Green Energy for collection of garbage or management of garbage togetherwith the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता) : (क) हाँ, फरीदाबाद में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान) के विकास हेतु ईको ग्रीन एनर्जी गुड़गांव फरीदाबाद प्राइवेट लिमिटेड (रियायती) 14 अगस्त 2017 को हुए हस्ताक्षरित रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित नियमों और शर्तों पर नगर निगम फरीदाबाद के साथ काम कर रहा है।

(ख) हाँ, ईको ग्रीन एनर्जी गुड़गांव फरीदाबाद प्राइवेट लिमिटेड के साथ 14 अगस्त 2017 को हुए हस्ताक्षरित रियायत समझौते के खंड संख्या 5.3 (एफ) के तहत एक प्रावधान है जो इस प्रकार है –

रियायतग्राही को इस समझौते के उद्देश्यों और शर्तों के अधीन उप–अनुबंधों में प्रवेश करने का अधिकार होगा।

(ग) हां, कचरे के संग्रह के साथ–साथ कचरे के प्रबंधन के लिए ईको ग्रीन एनर्जी गुड़गांव फरीदाबाद प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दिया गया है। कार्य का विवरण इस प्रकार है–

(अ) नगर ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का डोर टू डोर संग्रह और फरीदाबाद में स्थापित स्थानांतरण स्टेशनों तक परिवहन का कार्य।

(ब) इस एकत्रित एमएसडब्ल्यू को स्थानांतरण स्टेशनों से बंधवारी स्थल पर अंतिम प्रसंस्करण और निपटान हेतु परिवहन करना।

———————

To Release the Tube Well Connections

712. Shri Varun Choudhry: Will the Power Minister be pleased to state-

(a) the number of tubewell connections released by the Government in the year 2021-2022 (Horse Power Wise);

(b) the number of tubewell connections applied by the farmers and pending as on 31st January, 2022; and

(c) the time by which pending connections as on 31st January, 2022 are likely to be released?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान,

(क) वर्ष 2021–22 (अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक) में राज्य में 16266 नलकूप कनैक्शन जारी किए गए हैं। जारी किए गए नलकूप कनैक्शनों का बी.एच.पी. वार विवरण अनुबन्ध–I के रूप में संलग्न है।

(ख) विवरण अनुबन्ध–II के रूप में संलग्न है।

(ग) उन सभी पात्र आवेदकों को 30.06.2022 तक नलकूप कनैक्शन जारी किए जाने संभावित हैं जिन्होंने 31.12.2018 तक आवेदन किया है तथा 01.01.2019 से 31.01.2022 तक प्राप्त हुए आवेदनों पर उचित समय में निर्णय किया जाएगा।

अनुबन्ध–I

सर्कल का नाम	वर्ष 2021–22 (अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक) में जारी किए गए हॉर्स पावर–वार नलकूप कनैक्शन																
	3	**5**	**7.5**	**10**	**13**	**15**	**18**	**20**	**23**	**25**	**28**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**कुल**
पंचकूला	0	76	28	14	1	18	0	29	0	56	1	24	0	0	0	0	**247**
अम्बाला	37	235	100	55	17	64	3	115	10	99	3	101	6	0	0	0	**845**
यमुना नगर	112	232	239	148	113	193	4	118	42	33	9	5	0	0	0	0	**1248**
कुरूक्षेत्र	0	1	0	4	1	24	4	27	13	6	7	4	0	0	0	0	**91**
कैथल	0	5	31	47	30	113	1	61	6	17	2	8	0	0	0	0	**321**
करनाल	11	97	108	101	98	203	3	142	19	46	6	8	0	1	0	0	**843**
पानीपत	26	70	80	68	43	40	0	12	0	1	0	1	0	0	0	0	**341**
सोनीपत	12	417	1003	361	268	110	10	54	5	15	0	14	0	0	0	0	**2269**
रोहतक	0	99	172	48	7	15	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**344**
झज्जर	10	196	227	95	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**535**
यूएचबीविएन	**208**	**1428**	**1988**	**941**	**582**	**782**	**26**	**561**	**95**	**273**	**28**	**165**	**6**	**1**	**0**	**0**	**7084**
फरीदाबाद	0	1	47	49	5	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**121**
पलवल	0	0	124	346	158	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**711**
गुरूग्राम–I	0	3	7	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23**
गुरूग्राम–II	0	0	30	59	21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**113**
नारनौल	0	0	11	36	22	38	19	13	0	0	0	0	0	0	0	0	**139**
रेवाड़ी	5	453	711	275	98	87	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**1632**
भिवानी	5	40	152	189	182	115	35	21	10	6	0	0	0	0	0	0	**755**
हिसार	33	106	275	334	36	106	2	29	1	5	0	1	0	0	0	0	**928**
फतेहाबाद	0	12	98	293	9	291	1	548	1	166	4	463	43	91	10	39	**2069**
सिरसा	0	3	252	799	173	291	0	172	2	50	3	45	0	0	0	0	**1790**
जीन्द	4	76	303	203	62	114	7	92	7	17	0	15	0	1	0	0	**901**
डीएचबीवीएन	**47**	**694**	**2010**	**2595**	**767**	**1146**	**65**	**878**	**21**	**244**	**7**	**524**	**43**	**92**	**10**	**39**	**9182**
कुल (यूएच+डीएच)	**255**	**2122**	**3998**	**3536**	**1349**	**1928**	**91**	**1439**	**116**	**517**	**35**	**689**	**49**	**93**	**10**	**39**	**16266**

अनुबन्ध–II

31.01.2022 तक आवेदन किए तथा लम्बित नलकूप कनैक्शनों की संख्या

क्र. स.	सर्कल का नाम	01.01.2014 से 31.12.2018 तक आवेदन किए नलकूप कनैक्शनों की स्थिति					01.01.2019 से 31.01. 2022 तक आवेदन किए गए नलकूप कनैक्शन	31.01.2022 तक कुल लम्बित
		कुल आवेदन	पात्र आवेदकों की संख्या जिन्होंने बिजली ढ़ांचे की लागत जमा करवाई है (कॉलम 2 में से)	28.02.2022 तक जारी किए गए कुल कनैक्शन (कॉलम 3 में से)	01.01.2014 से 31.12.2018 तक लम्बित आवेदन जहां ढ़ांचा लागत जमा करवाई गई	लम्बित आवेदन जिनका डिमांड नोटिस के साथ संग्रह नहीं किया गया		
1	1	2	3	4	5=(3–4)	6=(2–3)	7	8=5+6+7
1	पंचकूला	1000	753	628	125	247	539	**911**
2	अम्बाला	2742	1711	985	726	1031	1184	**2941**
3	यमुनानगर	3735	2674	1094	1580	1061	2209	**4850**
4	कुरूक्षेत्र	617	435	91	344	182	2828	**3354**
5	कैथल	3599	3231	534	2697	368	3534	**6599**
6	करनाल	3844	2495	1391	1104	1349	2306	**4759**
7	पानीपत	3048	1615	389	1226	1433	2128	**4787**
8	सोनीपत	6572	4709	3503	1206	1863	4096	**7165**
9	रोहतक	2851	1523	613	910	1328	565	**2803**
10	झज्जर	3110	1752	1483	269	1358	2443	**4070**
यूएचबीविएन		**31118**	**20898**	**10711**	**10187**	**10220**	**21832**	**42239**
1	फरीदाबाद	1669	447	121	326	1222	433	1981
2	पलवल	5625	2302	711	1591	3323	1927	6841
3	गुरूग्राम–I	32	7	7	0	25	1833	1858
4	गुरूग्राम–II	850	323	135	188	527	1165	1880
5	नारनौल	1222	857	768	89	365	5323	5777
6	रेवाड़ी	2989	2000	1759	241	989	3946	5176
7	भिवानी	7256	4159	1884	2275	3097	4842	10214
8	हिसार	6976	3623	1054	2569	3353	7041	12963
9	फतेहाबाद	5140	2845	2279	566	2295	3004	5865
10	सिरसा	10936	6218	2396	3822	4718	7387	15927
11	जीन्द	7138	4834	1600	3234	2304	4410	9948
डीएचबीवीएन		**49833**	**27615**	**12714**	**14901**	**22218**	**41311**	**78430**
कुल (यूएच+डीएच)		**80951**	**48513**	**23425**	**25088**	**32438**	**63143**	**120669**

To Beautify Rani Talab

702. Shri Dharam Pal Gonder : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to statewhether there is any proposal under consideration of the Government for the beautification of Rani Talab situated in Taraori city; if so, the time by which the abovesaidproposal is likely to be materialized?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता) :हाँ, श्रीमान। तरावड़ी शहर में स्थित रानी तालाब के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव नगर पालिकातरावड़ी के विचाराधीन है। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण से डिजिटल सर्वेक्षण, वास्तु रेखाचित्र एवं आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के साथ–साथ धनराशि की उपलब्धता होने उपरांत कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

———————

Details of Saksham Yojana

762. Shri Bharajt Bhushana Batra: Will the Skill Development and Industrial Training Minister be pleased to state-

(a) whehter the applicants whose parents are in service or getting the benefit of pension are eligible for Saksham Yojana-2016 in State; if not, the reasons thereof;

(b) whether the residents of State who get their degree from correspondence/private or any other State may get the beneift of Saksham Yojana-1-2016; if not, the reasons thereof; and

(c) the total number of applicatns registered in Haryana Kaushal Rozgar Nigam upto February, 2022 togetherwith the total number of applicants who have been provided appointment out of the abovesaid registered applicants by the Nigam alongwith the details thereof?

कौशल विकास मंत्री (पंडित मूल चन्द शर्मा) : (क) आवेदक, जिनके माता–पिता सेवा में हैं या पैंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे सक्षम युवा योजना–2016 के लिए तभी पात्र हैं, जब आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय सभी स्रोतों से तीन लाख रुपये (3 लाख रुपये) से अधिकन हो। यह योजना के निम्नलिखित प्रावधान के कारण है:–

''आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से अधिक न हो।''

(ख) राज्य के पात्र आवेदक, जो पत्राचार/निजी माध्यम से डिग्री प्राप्त करते हैं, सक्षम युवा योजना–2016 का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अन्य राज्यों से डिग्री प्राप्त करने वाले आवेदक तभी पात्र हैं जब ये डिग्री पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और यू.टी. चंडीगढ़ या एन.सी.टी. दिल्ली में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से

नियमित पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त की गई हों। यह योजना के निम्नलिखित प्रावधान के कारण हैं:–

(i) पात्र स्नातकोत्तर स्नातक डिग्री केवल पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और यू.टी. चंडीगढ़ या एन.सी.टी. दिल्ली या हरियाणा में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित पाठ्यक्रम के माध्मय से प्राप्त की जानी चाहिए।

(ii) आवेदक द्वारा 102 परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी, केन्द्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड (CBSE), दिल्ली और आई.सी.एस.ई. बोर्ड (ICSE), दिल्ली से संबद्ध उस मान्यता प्राप्त विद्यालय से नियमित विद्यार्थी के रूप में पास की होनी चाहिए, जो हरियाणा और यू.टी. चंडीगढ़ में ही स्थित हो।

(ख) हरियाणा कौशल रोजगार निगम के आई.टी. पोर्टल पर फरवरी, 2022 तक सरकार में कार्य करने का अनुभव रखने वाले 30247 अभ्यार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से 473 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव पत्र जारी किए गए हैं जिनमें से 81 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है। नियुक्त अभ्यर्थियों जिन्होंने प्रस्ताव स्वीकार किए हैं का विवरण अनुलंग्नक–ए पर संलग्न है।

182

अनुलग्नक -'ख'

~~Annexure-A~~

Details of the applicants who have been provided appointment upto 28.02.2022

Sr.No.	Name of Applicant	Father's Name	Appointed as (Job Role)	Appointed in the which Deptt.	Place Of Posting	Wages per month	Category
1	SANJAY KUMAR	RAM SINGH	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Bhiwani	15309	SC
2	AMIR KHAN	REHAMDEEN	DEO	Urban Local Bodies	Ambala	18346	BC (B)
3	ZILE SINGH	BHOOP SINGH	Sweeper	Employees State Insurance, Health Care	Sirsa	12478	SC
4	VASHISHTH	UMESH PAL	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Faridabad	17364	GEN
5	GURDEV SINGH	RANJIT SINGH	Peon	Haryana Women Development Corporation Limited	Panipat	15309	SC
6	DARSHAN LAL	RAM SAWRUP	Peon	Urban Local Bodies	Ambala	15309	GEN
7	RAJESH KUMAR	INDER SINGH	Peon	Urban Local Bodies	Ambala	15309	GEN
8	HARPAL	RAM KUMAR	Sweeper	Employees State Insurance, Health Care	Sonipat	17364	SC
9	PRADEEP SINGH	BODU SINGH	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Ambala	15309	GEN
10	HARJIV KUMAR MANCHANDA	LEKH RAJ MANCHANDA	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Yamunanagar	15309	GEN
11	GAURAV VERMA	RISHI RAM VERMA	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Faridabad	17364	BC (A)

183

12	REENU KUMAR	JAGAT SINGH	Sweeper	Employees State Insurance, Health Care	Gurugram	17364	SC
13	AMIT KUMAR	SULTAN SINGH	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Faridabad	17364	GEN
14	NAPHE SINGH	ROOPDIWAN	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Jhajjar	15309	GEN
15	SIYA RAM	SURAJMAL	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Jind	15309	GEN
16	PARVEEN KUMAR	BEER SINGH	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Panipat	15309	SC
17	AMAN KUMAR	RATTAN LAL	DEO	Urban Local Bodies	Ambala	18346	SC
18	RAKESH KUMAR	RATTAN SINGH	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Bhiwani	15309	SC
19	VISHAL	AMAR NATH	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Faridabad	17364	SC
20	BALWINDER KUMAR	KRISHAN PAL	Peon	Urban Local Bodies	Ambala	15309	BC (A)
21	HAMENT	RAVINDER	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Panipat	15309	GEN
22	SANT LAL	DHARAM PAL	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Yamunanagar	15309	SC
23	OM PARKASH	JHINDU RAM	Peon	Urban Local Bodies	Ambala	15309	BC (A)
24	MANPHOOL SINGH	ITWARI RAM	Sweeper	Employees State Insurance, Health Care	Sonipat	17364	SC
25	PRACHI	BABU RAM	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Yamunanagar	15309	SC
26	SARITA KUMARI	KOSHAL PRASAD	Mali	Urban Local Bodies	Ambala	15309	SC

185

43	SURENDER KUMAR	MEHENDER SINGH	Peon	Medical Education and Research	Panchkula	17364	SC
44	GOURAV KUMAR	JAI KUMAR	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Yamunanagar	15309	SC
45	BHIM SINGH	WAZIR SINGH	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Hisar	15309	GEN
46	MOHAN LAL	BALWAN	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Yamunanagar	15309	BC (A)
47	SUDHIR KUMAR	KARAM SINGH	Junior Engineer	Sports and Youth Welfare	Yamunanagar	18952	GEN
48	NARESH KUMAR	RATTAN SINGH	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Yamunanagar	15309	GEN
49	NAR SINGH	KRISHAN PAL	Driver	Medical Education and Research	Panchkula	21175	BC (B)
50	RAVI KUMAR	DAYANAND	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Bhiwani	15309	BC (A)
51	SAHDEV KUMAR	DHANPAT	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Gurugram	17364	GEN
52	NEELAM SINGH	RAJENDRA PRASAD	Senior Programmer	Haryana Kaushal Rozgar Nigam	Panchkula	74975	GEN
53	RAJESH KUMAR	KALI RAM	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Yamunanagar	15309	GEN
54	AJAY BHAGRAN	RAJINDER KUMAR	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Panipat	15309	SC
55	RAVI	JANAKRAJ	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Yamunanagar	15309	GEN
56	SUNIL	DHARAMPAL	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Sonipat	17364	GEN
57	DINESH	PALA	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Panipat	15309	BC (B)

186

58	VIJAY KUMAR	ZILE SINGH	Draftsman (Civil)	Archaeology and Museums	Chandigarh	35375	SC
59	SUDHIR SINGH	YASHPAL SINGH	Peon	Urban Local Bodies	Ambala	15309	GEN
60	DALWANT SINGH	GURJEET SINGH	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Ambala	15309	BC (B)
61	SANDEEP KUMAR	RAMESH KUMAR	Peon	Urban Local Bodies	Ambala	15309	GEN
62	SHASHI KUMAR	SUNIL KUMAR	Mali	Urban Local Bodies	Ambala	15309	SC
63	RAJENDER KUMAR	KARNAIL SINGH	DEO	Urban Local Bodies	Panchkula	20411	BC (B)
64	MANJU	MAHENDER	Peon	Haryana Women Development Corporation Limited	Jhajjar	15309	GEN
65	SARBJEET KAUR	SHIV DAYAL	DEO	Urban Local Bodies	Ambala	18346	SC
66	TARUN	AJAYPAL SINGH	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Bhiwani	15309	GEN
67	MOHAN SINGH	DILBAG SINGH	Junior Engineer	Sports and Youth Welfare	Jind	18952	GEN
68	SHRAWAN KUMAR	RIHASH	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Sonipat	17364	BC (A)
69	SANDEEP KUMAR	RAM PARASD	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Rewari	15309	GEN
70	MANDEEP	DHOOP SINGH	Security man	Archaeology and Museums	Jind	15309	GEN
71	SANJAY KUMAR	LALA RAM	Sweeper	Employees State Insurance, Health Care	Gurugram	17364	SC

187

72	GURJANT SINGH	MALKIYAT SINGH	DEO	Urban Local Bodies	Ambala	18346	GEN
73	DHARAMBIR	RAJENDER	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Panchkula	17364	BC (A)
74	SRIPAL	SHAMSER	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Panipat	15309	SC
75	RAVINDER KUMAR	KARAMBIR SINGH	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Gurugram	17364	SC
76	DEVENDER SINGH	SHIV LAL	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Mahendergarh	12478	BC (B)
77	SANDEEP KUMAR	DALIP SINGH	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Gurugram	17364	BC (B)
78	VINOD	GHEESA RAM	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Gurugram	17364	BC (B)
79	SATISH	MAHENDER	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Panipat	15309	GEN
80	MANDEEP SINGH	RAGHBIR SINGH	Security man	Employees State Insurance, Health Care	Rewari	15309	BC (A)
81	SATISH KUMAR	SARDARA	Plumber cum pump Operator	Urban Local Bodies	Ambala	15309	BC (A)

अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने मुझे पत्र के माध्यम से सूचित किया है वे स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण आज 7.3.2022 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

———————

सदन के फैसले को रद्द करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ होगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, इससे पूर्व कि आप गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर चर्चा आरंभ करें, मैं आपकी अनुमति से यहां पर उस विषय की चर्चा करना चाहता हूं जोकि पार्लियामैंट और खास तौर से असैम्बली में जो कल यहां पर अनप्रैसिडैंटिड फैसला हुआ जिसके तहत डॉ. रघुवीर सिंह कादियान को पूरे सैशन के लिए सदन से निकाला गया। आपने पहले कह दिया कि शाम तक के लिए निष्कासित है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, मैंने ऐसा नहीं कहा जिसने भी आपको यह सूचना दी है वह गलत है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, सवाल इस बात का है कि क्यों ऐसा फैसला किया गया? इसके पीछे क्या कारण थे? क्या प्रजातंत्र का गला घोंटने की नीयत थी या किसी को बोलने से रोकने की नीयत थी? मैं यही जानना चाहता हूं कि क्यों ऐसा किया गया? दुनिया में कोई भी इंसीडैंस होता है तो उसका कारण पूछा जाता है कि क्यों ऐसा हुआ? मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ?

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, आपने जो प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हुआ। मैं समझता हूं कि सदन की मर्यादा, सदन का सम्मान और सदन की गरिमा ये सभी सर्वोपरि हैं। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी सदस्य सदन की मान मर्यादा को भंग करने का प्रयास करता है या सदन की मर्यादा को तोड़ने का प्रयास करता है तो उसके लिए नियम तय किये हुए हैं। उन नियमों के आधार पर जो भी निर्णय हमने लिया है वह निर्धारित नियमों के अनुसार ही लिया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का निर्णय कोई पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपको आपके ही काल के अंदर जो निर्णय लिये गये उनके बारे में बता देता हूं। ये निर्णय 25.02.2014 को श्री कुलदीप जी के समय में लिया गया जिसके तहत Sarvshri Ashok Kashyap,

Bishan Lal, Bahadur Singh, Dharam Pal (Loharu), Dilbag Singh, Ganga Ram, Hari Chand Middha, Jagdish Nayar, Kali Ram Patwari, Krishan Lal Panwar, Krishan Lal, Mamu Ram, Mohammed Illyas, Narender Sangwan, Naseem Ahmed, Pardeep Chaudhary, Parminder Singh Dhull, Prithi Singh, Phool Singh, Raghbir Singh (Badhra), Rajbir Singh Brara, Rameshwar Dayal, Ram Pal Majra, Smt. Saroj and S. Charanjit Singh, MLAs have been suspended from the service of the House for the remaining sitting (remainder of Session) on 25.02.2014, on motion moved in the House. In order to ensure smooth conduct of the proceedings of the House, I am under an obligation to preserve order in the House as well as in the precincts of the Vidhan Sabha complex. I have an apprehension that the above named MLAs are likely to cause disorder in the precincts. Hence, I have no other option except to take all necessary steps to prevent their entry within the precincts of the Vidhan Sabha compolex. Therefore, I hereby order that Sarvshri Ashok Kashyap, Bishan Lal, Bahadur Singh, Dharam Pal (Loharu), Dilbag Singh, Ganga Ram, Hari Chand Middha, Jagdish Nayar, Kali Ram Patwari, Krishan Lal Panwar, Krishan Lal, Mamu Ram, Mohammed Illyas, Narender Sangwan, Naseem Ahmed, Pardeep Chaudhary, Parminder Singh Dhull, Prithi Singh, Phool Singh, Raghbir Singh (Badhra), Rajbir Singh Brara, Rameshwar Dayal, Ram Pal Majra, Smt. Saroj and S. Charanjit Singh, MLAs shall not be allowed entry in the Vidhan Sabha Complex's precincts during the suspension period. Security Branch may also take appropriate steps to ensure the compliance of the order and may keep liaison with the security personnel to ensure security in the precincts of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat during the Session.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः स्पीकर सर, सवाल इस बात का नहीं है। ये बातें तो पहले भी होती रही हैं। यह हाउस को अधिकार है कि अगर कोई सदस्य हाउस की गरिमा का उल्लंघन करे और हाउस की कार्यवाही में बाधा डाले तो ऐसा किया जा सकता है। मैंने इसको चैलेंज नहीं किया है लेकिन सवाल इस बात का है कि

जिन लोगों ने उनको ऐसा करने के लिए उत्तेजित किया क्या उनको भी हाउस से निकाला गया। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं आपके आदेशों का उल्लंघन करने वाला नहीं हूं। I have heard you. Please have patience to listen me. मुझे यहां पर अपनी बात सुनाने का अधिकार है। (विघ्न) यह कोई तरीका नहीं है। यही यहां पर कल डॉक्टर कादियान के साथ किया गया। अध्यक्ष महोदय, जब कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो मैम्बर को बोलने का अधिकार है। मैम्बर दो ही जगह बोल सकता है। पहले इंट्रोडक्शन पर या फिर कंसीडरेशन पर। इंट्रोडक्शन पर किसी मैम्बर ने बोलने के लिए कहा और ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से उनको ऐसा करने के लिए प्रोवोक किया गया। आपका यह अधिकार था कि आप उनको बोलने के लिए इजाजत नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, मैंने उनको बोलने की इजाजत दी है लेकिन बिल को फाड़ने की इजाजत नहीं दी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मेरा यही कहना है कि उनके बोलने में जो बाधा डाल रहे थे आपको उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए था। आपको हाउस का रिकार्ड निकलवाकर दिखाना चाहिए। आपको हाउस की कार्यवाही की वीडियो भी दिखानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, उनके बोलने में कोई भी बाधा नहीं डाल रहा था। मैं आपको हाउस की प्रोसीडिंग्स और वीडियो निकलवाकर दिखा सकता हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, अब मैं बताता हूं। क्या कारण हुआ । मैं कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि यहां पर कोई बिल फाड़ा जाये। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रहा जिसके परिणामस्वरूप यहां पर बिल फाड़ा गया? स्पीकर सर, आप तो वकील हैं। मैं भी फौजदारी का वकील रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, मैं वकील नहीं हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मेरी नजर में आप और बहुत से दूसरे साथी यहां पर वकील हैं। मैं भी फौजदारी का वकील रहा हूं। आपने कोर्ट में देखा होगा कि वहां पर कई बार मर्डर भी हो जाते हैं लेकिन व्यक्ति sudden provocation के आधार पर बरी हो जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां पर sudden provocation का माहौल क्यों तैयार किया गया। हाउस का एक जिम्मेदार व्यक्ति जो सदन का नेता हो वह यह कहे कि तुम सभी धर्म परिवर्तन कर

लो। आप रिकार्ड निकलवायें। मेरा यह कहना है कि इससे ज्यादा sudden provocation क्या हो सकती है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, आप एक बात सुनिए। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, Leader of the House की यह ग्रेसफुल बात थी जो उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं। उन्होंने रिग्रैट किया। पार्लियामैंट्री प्रैक्टिस में यह अच्छी बात है लेकिन यह तो हो गया कि उन्होंने कुछ ऐसी तो बात कही जिससे sudden provocation हो गया। यह तो स्वयं सदन के नेता ने माना जब उन्होंने अपने शब्द वापिस लिये हैं। यह उनके पार्ट पर तो ग्रेसफुल बात है लेकिन यह बात तो सिद्ध हो गई कि उन्होंने ऐसी बात कही जो उनके दिल में लगी और sudden provocation हुई और sudden provocation में ही उन्होंने बिल फाड़ दिया। उन्होंने बिल को फाड़कर आपके ऊपर या सदन के नेता के ऊपर नहीं फैंका। अध्यक्ष जी, यह अनप्रैसीडैंट है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, पिछले समय में जिन सदस्यों को सदन की कार्यवाही से निकाला गया है उनसे सम्बंधित मेरे पास बहुत सा रिकार्ड है। मैंने आपको अभी एक ही पढ़कर सुनाया है। इनमें से आपके समय की भी हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, अभी मैं बोल रहा हूं तो क्या आप मुझे भी सदन से निकाल देंगे?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, आपने बार–बार उनको मौका दिया जैसा कि नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि उत्तेजना में उन्होंने ऐसा कर दिया। बाद में वे यह कह सकते थे कि उन्होंने ऐसा उत्तेजना में कर दिया और अब मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। उन्होंने उस समय कोई भी खेद व्यक्त नहीं किया।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत लेकर बोल रहा हूं। मंत्री जी को भी आपकी इजाजत लेकर बोलना चाहिए। इनको सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे को तो सदन की गरिमा के लिए सदन से बाहर निकाल दिया जाता है। मंत्री जी को भी हाउस की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, आपको बोलने के लिए पूरा समय दिया जायेगा आप तसल्ली से बोलें। मैं आपको आपके किये हुए सारे कार्यों के बारे में जानकारी दूंगा। मैं आपको शीशा दिखाउंगा। मैं आपको आईना दिखाउंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कई कत्ल कर रखे हैं इसका मतलब आप भी कत्ल करेंगे।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, मैं कत्ल नहीं करूंगा। अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसको सजा हुई है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें। मैं हाउस की गरिमा या आपके आदेशों का उल्लंघन करने वाला नहीं हूं। यहां पर मुझे अपनी बात सुनाने का अधिकार है।

अगर आप मुझे बोलने की परमिशन नहीं देते तो मैं बैठ जाता हूं। मैं आपसे आर्गुमैंट नही करना चाहता। अगर आप मुझे बोलने की इजाजत नहीं देते तो मैं बैठ जाता हूं। जब भी आप मेरे सवालों का जवाब देंगे तो मैं सुनूंगा लेकिन Speaker Sir, have patience to listen me. अध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा में भी रहा हूं वहां पर भी बिलों को फाड़ा गया है और जिस तरह आप प्रैसीडैंट सुना रहे हैं इस तरह से लोक सभा में कभी भी नहीं सुनाया जाता। हां, हाउस की गरिमा रखी जाती है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, अगर हाउस के अंदर पहले कुछ हुआ है उसको मैंने यहां पर पढ़कर सुनाया है तो इसमें गलत क्या है? जो मैं बता रहा हूं वह हाउस के अंदर लिया गया निर्णय है वह निर्णय कोई बाहर नहीं लिया गया है। यह मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्णय पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। निर्णय लेना आपका अधिकार है लेकिन निर्णय लेने के लिए भी कुछ जस्टिफिकेशन चाहिए। ऐसा क्यों हुआ उसका कोई कारण भी होगा? सडन प्रोवोकेशन का आपने डॉ. कादियान को कोई बेनिफिट नहीं दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, जहां तक सडन प्रोवोकेशन की बात है तो यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुली अपने शब्द विद्ड्रा कर लिये थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं ऑर्गुमैंट्स में नहीं जाना चाहता। मुख्यमंत्री जी की ग्रेस की बात तो मैं भी मान रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, मैं ऑर्गुमैंट नहीं कर रहा हूं, जो सवाल आपने उठाया है मैं तो उसका जवाब दे रहा हूं, मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। इसका मतलब तो

यही हुआ मैं बोलूं ही नहीं और आप बोलते रहें। मुझे आपके सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वयं ही कह रहा हूं कि हाउस की गरिमा रखने के लिए जिस प्रकार से सदन के नेता ने ग्रेसफुली अपने शब्द वापिस ले लिये यह बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी तो अभी आये हैं बल्कि मैंने तो इनके आने से पहले ही यह बात कह दी थी लेकिन मैं तो सडन प्रोवोकेशन की बात पर जा रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि उन्होंने जो किया वह क्यों किया? वह इसलिए किया क्योंकि He was suddenly provoked by the words he uttered. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आप गलत एक्ट को प्लीड कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का जवाब दे देता हूं। मैं इस बात को क्लैरीफाई कर देता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी ने मेरे बोलने के बाद वह बिल फाड़ा या मेरे बोलने से पहले ही बिल को फाड़ दिया था? इस बात को स्पष्ट कर लिया जाये। उन्होंने मेरे बोलने से पहले बिल फाड़ा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हाउस का रिकॉर्ड निकाल लिया जाये। अगर डॉ. कादियान ने मुख्यमंत्री जी के बोलने से पहले बिल फाड़ा होगा तो मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं उनसे हाउस में रिग्रैट करवाऊंगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप रिकॉर्ड निकलवा लें उससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आपकी बात समाप्त हो गई हो तो अब मैं कुछ कहूं? मैं आपके बोलने के बाद ही बोलूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं रिकॉर्ड भी निकलवा लूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैंने तो एक बात कही है कि रिकॉर्ड दिखा कर आप मेरी तसल्ली कराओ। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने बिल मेरे बोलने से पहले फाड़ा है। अगर ऐसा है तो आई कंसीड, मैं उनसे कहूंगा कि वे रिग्रैट करेंगे। मैं उस समय हाउस में नहीं था इसलिए मैं अपनी तसल्ली करना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, डॉ. कादियान ने बिल चाहे सी.एम. साहब के बोलने के बाद फाड़ा हो, चाहे उनके बोलने से पहले फाड़ा हो, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो वह गलती है। अगर कोई मुझे प्रोवोक करेगा तो क्या मैं प्रोवोक करने वाले को गोली से उड़ा दूंगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष सुनने के लिए ही होता है। अध्यक्ष को तो सभी सदस्यों की बात सुननी पड़ती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, स्पीकर सुनने के लिए तो होता है लेकिन मैं उनकी गलत नहीं सुनूंगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जब सदन के नेता ने एक बात खड़े हो कर कह दी है, मैं इनकी बात की कद्र कर रहा हूं। जब इन्होंने कह दिया है कि उन्होंने बिल इनके बोलने से पहले फाड़ा है और मैं कहता हूं कि अगर इनकी बात ठीक है और उन्होंने इनके बोलने से पहले बिल फाड़ा है तो यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं उनको लाऊंगा और वे हाउस के सामने रिग्रैट करेंगे। आपने कहा था कि वे रिग्रैट कर दें तो कहानी खत्म हो जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, यह बात मैंने उस समय कही थी, अब नहीं कही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप हमें भी निकाल देना। हमने तो हाउस की गरिमा रखी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, हाउस की गरिमा तो संबंधित सदस्य द्वारा रखी ही नहीं गई। अगर उनको हाउस की गरिमा रखनी होती तो वे इतने वरिष्ठ सदस्य हैं और मैंने उनको बार–बार कहा था कि आप रिग्रैट कर लें लेकिन उन्होंने रिग्रैट नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि ये दो अलग–अलग विषय हैं। एक विषय जैसा कि हुड्डा साहब ने कहा है कि मेरे बोलने के बाद उन्होंने आवेश में आ कर बिल फाड़ा है। जबकि मेरा कहना यह है कि वे पहले ही बिल फाड़ चुके थे और यह विषय पहले ही शुरू हो चुका था। बिल पहले फाड़ा या मेरे बोलने के बाद फाड़ा यह अलग विषय है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि उन्होंने बिल पहले फाड़ा है यह आप रिकॉर्ड निकलवा कर देख लीजिए। बिल पहले फाड़ा या मेरे बोलने के बाद फाड़ा वह फाड़ना तो गलत है ही है लेकिन वह पहले

फाड़ा या बाद में फाड़ा, उत्तेजना आई या नहीं आई, यह अलग विषय है। ये दोनों विषय अलग–अलग हैं। आप रिकॉर्ड निकलवा कर देख लीजिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने मुख्यमंत्री जी के बोलने से पहले बिल फाड़ा है तो मैं उनसे रिग्रैट करवाऊंगा। उन्होंने आवेश में आ कर बिल फाड़ दिया होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, मुख्यमंत्री जी ने आवेश में आ कर कुछ कहा था तो इन्होंने उसके लिए रिग्रैट भी किया है। अगर उन्होंने आवेश में आ कर बिल फाड़ा था तो मैंने उनको बार–बार कहा कि आप रिग्रैट कर लें लेकिन उन्होंने रिग्रैट नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अगर आवेश में मुख्यमंत्री जी मुझे कह दें कि आप धर्म परिवर्तन कर लें तो यह बात कौन बर्दाश्त करेगा? मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इनके आवेश की तो छूट है और उनका आवेश में आ कर बिल फाड़ना गलती हो गया। मैं कहता हूं कि मेरे से बड़ा हिन्दू कौन है और इनसे बड़ा हिन्दू कौन है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ कहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, बिल फाड़कर सदन की मर्यादा को भंग नहीं किया जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ कहा है वह इन लोगों के शोर मचाने पर कहा है। जब इन्होंने यह कहा कि हम यह बिल अस्वीकार करते हैं और यह बिल पेश नहीं होना चाहिए। मेरा स्पष्टीकरण तो केवल इस बिल में गलती क्या है उसको बताने के लिए था।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मेरा एक निवेदन है कि आपने जितना भी बोलना है 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा कितना ही बोल लीजिए लेकिन उसके बाद किसी और को बोलने की इजाजत नहीं होगी। अगर आपने बोलना है तो बोलें, जब आपकी बात खत्म हो जाएगी तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो शुरू से ही एक ही बात कह रहा हूं लेकिन मैं एक वाक्य बोलता हूं तो आप चार वाक्य बोलते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष :ठीक है, आप बोलिये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है। इसमें केवल दो ही बात हैं। उसके लिए हमारी तसल्ली करवाना भी आपका फर्ज है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, वह विषय सदन के नेता का है। इसमें मेरा विषय यह है कि सदन की गरिमा भंग नहीं होनी चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आपने फिर से बोलना शुरू कर दिया। आप किसी को बोलने ही नहीं देते। आपने मुझे खुद कहा है कि आप 2 मिनट, 5 मिनट बोल लीजिए। मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मैं एक वाक्य बोलता हूं तो आप जवाब देना शुरू कर देते हैं। मैं यहां स्पीकर के साथ बहस करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मुझे इस पद का पूरा सम्मान है। हम भी लोगों से चुनकर आए हैं। हमारा सम्मान करना भी आपका फर्ज है। अब बहस की बात तो इतनी लम्बी चौड़ी नहीं है। अब तो दो और दो चार वाली बात है। सदन के नेता ने कह दिया है कि बिल मेरे बोलने से पहले फाड़ा है। उस संबंध में मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी और कादियान साहब से भी रिग्रैट करवा दूंगा। हाऊस में इससे बड़ी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोल रहा हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप खुद ही मुझे बोलने की इजाजत देते हैं और आप ही मुझे बोलने नहीं देते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि रघुवीर कादियान जी की उम्र भी काफी है और उनकी स्टैंडिंग भी सबसे बड़ी है। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उनको माफ कर दिया जाए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, वे सबसे बड़े हैं तो उनको अपना बड़प्पन रखना चाहिए। हमने तो उनको बहुत कहा लेकिन उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। अगर वे उसी दिन कह देते कि मुझसे गलती हुई है तो उसी दिन माफी हो जाती।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं आपकी बात पर ही एतबार कर लूंगा। आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि बिल सदन के नेता के बोलने से पहले फाड़ा है या बाद में फाड़ा है। इसके अलावा तो में आपसे कुछ पूछ ही नहीं रहा हूं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मेरे लिए यह विषय नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आपसे यह बात पूछने का मेरा अधिकार है। मेरा यह भी अधिकार है कि आप उस समय की विडियो चलवाइये। सदन के नेता ने जो बात कही है मैं उनकी बात की कदर करता हूं। उन्होंने कहा है कि बिल मेरे बोलने से पहले फाड़ा है तो आप मुझे वह वीडियो दिखाईये। या आप कह दीजिए कि बिल सदन के नेता के बोलने से पहले फाड़ा है। आई विल ट्रस्ट यू। मैं स्पीकर की बात पर यकीन करूंगा।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आपने अपनी सारी बातें कह दी है, अब आप मेरी बात सुने। किसी भी सदन की मर्यादा, गरिमा, मान–सम्मान रखना हर सम्मानीय सदस्य का फर्ज है और हमारे सम्मानीय सदस्यों के लिए भी कुछ 'Do's' and 'Don't's' बनाये गए हैं कि सदन की मर्यादा रखने के लिए ये–ये काम नहीं करने हैं। उनमें एक काम यह भी है कि कोई भी कागज या बिल सदन के अंदर नहीं फाड़ा जायेगा। दूसरा जब बिल प्रेजेंट हो चुका हो और उसके उपर चर्चा शुरू हो गई है तो वह एक लीगल डाक्यूमैंट बन जाता है और किसी भी लीगल डाक्यूमैंट को विधान सभा के परिसर के अंदर या सदन के अंदर फाड़ने की कार्रवाई को, इस महान सदन का अपमान ही माना जायेगा। यह सदन का घोर अपमान है। इसलिए मैंने आदरणीय रघुवीर सिंह कादियान जी से बार बार निवेदन किया कि आपने सदन का जो अपमान किया है, वह ठीक नहीं है। मेरी इगो का इसमें कोई प्रश्न नहीं है। यह सदन की मर्यादा का सवाल है और इसको आधार बनाकर मैंने डाक्टर साहब से माफी मांगने की बात कही। मेरी कोई ईगो नहीं है लेकिन सदन की मर्यादा मेरे लिए सर्वोपरि है और सदन की मर्यादा रखने के लिए ही मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ। अगर मैं सदन की मर्यादा नहीं रख सकता या सदन को मान–इज्जत के साथ नहीं चला सकता तो मुझे यहां पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सदन की मान–मर्यादा बनाये रखना जहां सत्ता पक्ष का कर्त्तव्य है वहीं विपक्ष का भी उतना ही कर्त्तव्य है। सदन के सभी सदस्यों का भी कर्त्तव्य है कि सदन की मान और मर्यादा को किसी भी प्रकार से ठेस न पहुंचे और उसके लिए हम सबको अपना–अपना प्रयास जरूर करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सदन की मर्यादा रखना आपके लिए भी जितना सर्वोपरि है उतना ही मेरे लिए भी सर्वोपरि है। आखिरकार हमें लोगों ने चुनकर इस महान सदन में भेजा है। इस सदन की

मर्यादा सबसे महत्वपूर्ण विषय है लेकिन इस संदर्भ में मेरा आपसे भी निवेदन है कि आपकी नज़रें भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। यह कदापि नहीं होना चाहिए कि पक्ष के लोग तो कुछ भी करें और विपक्ष के साथी अगर चूं भी करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता कि सदन में कोई बिल फाड़ा जाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, जब आप भी यह बात मान रहे हैं तो कादियान जी को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए रिग्रेट करने में क्या दिक्कत है?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आप मेरी पूरी बात सुनिए। हम सब इंसान हैं और हर इंसान प्रोवोक हो सकता है। सडन प्रोवोकेशन हो सकता है। मैं, आप या डॉ. कादियान या हम सब कोई खुदा नहीं हैं, हैं तो आखिर इंसान ही। अगर मुझसे कोई ऐसी बात कही जाये जो दिल को लग जाये और मैं कहीं कुछ अचानक कर दूं तो उसके लिए तुरंत एक्शन ले लिया जाये, तो इस तरह की बात ठीक नहीं होती है। हालात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। अध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रश्न यह है कि आखिरकार बिल को क्यों फाड़ा गया। मैंने इस बात का सवाल उठाया तो सदन के नेता ने इस सवाल का जवाब दे दिया। बात तो यही खत्म हो जानी चाहिए थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः हुड्डा जी, मेरा सोचने का कुछ अलग ऐंगल है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आप अपने ऐंगल को मुझ पर कैसे लगाओगे। मेरा भी अपना ऐंगल है। अध्यक्ष महोदय, पहले यही चर्चा चल रही थी और मैं यही कह रहा था कि सदन के नेता ने ऐसा सडन प्रोवोकेशन कर दिया जिससे उत्तेजित होकर कादियान जी ने बिल को फाड़ दिया। जब यह सारा विषय चल रहा था तो मैं प्रशंसा कर रहा था कि डॉ. साहब ने बड़ी ग्रेसफुली रिग्रैट करने का काम किया है लेकिन उसी समय अध्यक्ष महोदय आपके बोलने के तुरंत बाद बीच में सदन के नेता विषय में शामिल हो जाते है और उस समय जब मैं यह कह रहा था कि डॉ साहब ने सदन के नेता द्वारा कही गई बातों के कारण इस बिल को फाड़ा है तो सदन के नेता कहने लग गए कि यह बिल मेरे बोलने से पहले फाड़ा गया है। सदन के नेता के द्वारा ऐसा कहने पर मैंने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो मैं कंसीड करता हूँ और मैंने कहा कि मैं डाक्टर साहब को कहूंगा कि रिग्रैट करे उसकी तरफ से मैं भी माफी मांग लूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अध्यक्ष महोदय, मुझे यही पता नहीं लग रहा है कि बिल पहले फाड़ा गया या बाद

में फाड़ा गया, मेरा तो मुख्य सवाल अब यही है। अध्यक्ष महोदय, आपके पास इसका कोई जवाब ही नहीं है या आप जवाब नहीं देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, मेरे लिए अब यह महत्वपूर्ण नहीं है कि बिल को पहले फाड़ा गया या बाद में फाड़ा गया, मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि सदन में बिल को इस तरह से फाड़ने की कार्रवाई क्यों की गई ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो या न हो लेकिन मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, मेरे लिए महत्वपूर्ण यह चीज है कि बिल सदन में क्यों फाड़ा गया। सदन में इस तरह से बिल फाड़कर सदन की तौहीन करने का काम किया गया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं एक इंसान हूँ और मेरे लिए यह जाना बहुत महत्वपूर्ण है कि बिल को पहले फाड़ा गया या बाद में फाड़ा गया।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, जिस दिन राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की कुछ प्रतियां पहले कुछ सत्ता पक्ष के सदस्यों व अधिकारियों के पास चली गई थी तो इसको देखकर आपने कहा कि ऐसा करके विपक्ष के साथ अन्याय करने का काम किया गया है क्योंकि सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों व कुछ अधिकारियों के पास राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियां हैं लेकिन विपक्ष के पास नहीं है और यह भी कहा कि ये प्रतियां बिना प्रक्रिया को पूरा किए ही इनके पास कैसे पहुंच गई तो मुझे भी अहसास हुआ कि यह गलत हुआ है तो मैंने खड़े होकर सारे सदन से उसी समय क्षमा मांगने का काम किया था। ऐसी अवस्था में कहना चाहूंगा कि अगर गलत को डिफेंड करने का काम किया जायेगा, तो भविष्य में इस तरह से सदन की मर्यादाओं की रक्षा नहीं की जा सकेगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडाः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि कोई भी माननीय सदस्य बिल की कॉपी को फाड़े। अध्यक्ष महोदय, जब सदन के नेता ने स्वयं रिग्रेट कर दिया और फिर भी उसके बाद एक उत्तेजना हो गई। अध्यक्ष महोदय, आपका इस संबंध में जो भी आदेश होगा, मैं उसका पालन करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की गरिमा से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। मैं सदन की गरिमा का हर हाल में पालन करूँगा। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मेरा सिर्फ इतना जानने का अधिकार तो है कि डॉ. कादियान साहब ने बिल की कॉपी पहले फाड़ी है या बाद में फाड़ी है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस से निवेदन करता हूँ कि आप हाउस को 20 या 30 मिनट के लिये अर्थात् जितना भी समय इसके लिये चाहिए उस हिसाब से हाउस को स्थगित कर दें। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं अपने चैम्बर में इससे संबंधित वीडियो को अच्छी तरह से देख लें और अध्ययन कर लें कि क्या यह बात सत्य है कि माननीय सदस्य डॉ. कादियान ने बिल की कॉपी मेरे बोलने के बाद फाड़ी है या पहले फाड़ी है। मैं एक बार फिर से निवेदन करूँगा और निवेदन करने के बाद आपसे प्रस्ताव रखूंगा कि डॉ. कादियान साहब को हाउस में बुला लिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

————————

बैठक का स्थगन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सुझाव दिया है तो यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक को 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया जाये।

आवाजें: ठीक है, जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, सदन की बैठक 30 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

***12.31 बजे** (The Sabha then *adjourned at 12.31 for 30 minutes P.M. and reassembled at 13.01 P.M.)

13:00 बजे

सार्थक राजकीय एकीकृत मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सैक्टर 12'ए' पंचकुला के प्रधानाचार्य, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमैंट इंटीग्रेटेड मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल, सैक्टर 12'ए', पंचकुला के प्रधानाचार्य, अध्यापकगण तथा विद्यार्थीगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन की दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं । मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं ।

——————————

सदन से निलंबित सदस्य को वापस बुलाने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ होगा ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः निवेदन करता हूं कि इससे पूर्व की आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा शुरू करें मैं कहना चाहूंगा कि सदन

में डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी के निलम्बन से संबंधित जो इंसीडैंट हुआ था उस पर सदन में चर्चा हुई भी थी । उसके बाद हम अपनी सीटों पर बैठ गए थे । फिर नेता सदन ने ग्रेसफुली कहा कि उस दिन पहले मैंने कहा था । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में गरिमा बनाए रखना चाहता हूं । हमारे देश में प्रजातंत्र है और अगर कोई माननीय सदस्य गलती करता है और अपने को रिग्रैट करता है तो ऐसे में मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि in the interest of Democracy और सदन की कार्यवाही ठीक तरीके से चलती रहे, इसके लिए माननीय सदस्य डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी को सदन में बुला लिया जाए । स्वयं मैं भी उनसे इस बारे में रिक्वैस्ट करूंगा कि वे भी रिग्रैट करें ताकि हाउस चलता रहे ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, उस दिन जिस समय वह बिल सदन में पेश हुआ था उस समय मैं सदन में उपस्थित नहीं था । जब मैंने सदन में प्रवेश किया तो सदन में हो रहे शोर–गुल को सुनकर मेरा इम्प्रैशन यही था कि विपक्ष द्वारा इस बिल का विरोध किया जा रहा है कि यह बिल सदन में नहीं आना चाहिए । उसका स्पष्टीकरण देने के लिए मैंने सदन में कुछ बातें कही थी जिस पर शोर मच गया था । मुझे उस समय भी यह नहीं पता था कि यह बिल उसके बाद फाड़ा गया था या पहले फाड़ा गया था । मेरा इम्प्रैशन यही था कि बिल पहले फट चुका था । मैंने जो कहा उसके कारण उत्तेजना हुई और बहुत कुछ हुआ । अब वीडियो देखने के बाद मेरे ध्यान में आया कि बिल बाद में फटा है, इसलिए उस विषय के लिए अपनी कही हुई बात को तो मैंने वापिस ले ही लिया था । अब मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय आपको जो ठीक लगे और जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, उस प्रकार का निर्णय आप ले तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष : जैसा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि माननीय सदस्य डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी हमारे सम्माननीय विधायक हैं और अगर वे सदन में आकर अपने किये हुए कार्य पर रिग्रैट फील करते हैं तथा अगर सदन की अनुमति हो तो उनको सदन में आने की इजाजत दी जाए । उनका निष्कासन संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव के पास होने के बाद सदन द्वारा हुआ था, इसलिए उनका निष्कासन वापस लेने के लिए सदन में एक प्रस्ताव आना भी आवश्यक है । मुझे लगता है कि सुरक्षा अधिकारी माननीय सदस्य डॉ. कादियान साहब को सदन में आने के बारे में मैसेज पहुंचा दे और उनको बता दे कि उनको सदन के अन्दर आने की इजाजत दी गई है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : ठीक है अध्यक्ष महोदय ।

(कुछ समय पश्चात ही डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, विधायक सदन में आ गए ।)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशानुसार डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी सदन में आ गये है। जो इंस्टीडेंट हुआ उसके बारे में मैंने इन से बात की है और इनको कहा की सदन के नेता ने भी अपनी बात का कॉट किया है अब कादियान जी अपनी बात रखेंगे।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान (बेरी): आदरणीय स्पीकर साहब, 04 तारीख को भी मैंने अपनी बात रखने से पहले यह कहा था कि प्रजातंत्र का मूल मंत्र एक दूसरे के प्रति, सदन के प्रति, हर मैम्बर के प्रति, सम्मान रखना होता है। अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति सम्मान की बात मैंने रिपीट भी की थी कि हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं। मैं इस पर ज्यादा लम्बी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। एक ही बात कहूंगा कि मैंने उस बिल को लेकर अपनी भावना व्यक्त की थी और मैंने कहां था कि इस बिल को सलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाये। इससे पहले किसी बात को लेकर मेरा रियेक्शन नहीं था । अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी आपसे रिक्वैस्ट की थी कि उस बिल को सलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाये कि इस बिल की अरजेंसी है की नहीं है। जब मैंने यह बात कही तो ओनरेबल मैम्बर की तरफ से और बात आ गई कि विभाजन हुआ तो क्यों हुआ इनसीरिज एक बात आई और मैं अचानक वहां प्रोवोकेट हो गया। मैं सदन की गरिमा को भी समझता हूं, मेरी कोई इंटैन्शन नहीं थी न मेरा कोई वजूद है कि मैं सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा सकूं। मैं सदन की गरिमा के सामने नतमस्तक होता हूं । यह सदन 02.50 करोड़ लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है और उनसे चुनकर आया है मैं उनकी कदर करता हूं। उस दिन मेरे उस ऐक्शन से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो उसके के लिए I fill regret.

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

> ''कि डॉ. आर.एस. कादियान, विधायक को दिनांक 04 मार्च, 2022 की प्रथम बैठक में वर्तमान सत्र की शेष बैठकों के लिए उनके निलंबन करने का सदन द्वारा लिया गया निर्णय निरस्त किया जाये।''

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

> ''कि डॉ. आर.एस. कादियान, विधायक को दिनांक 04 मार्च, 2022 की प्रथम बैठक में वर्तमान सत्र की शेष बैठकों के लिए उनके निलंबन करने का सदन द्वारा लिया गया निर्णय निरस्त किया जाये।''

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> ''कि डॉ. आर.एस. कादियान, विधायक को दिनांक 04 मार्च, 2022 की प्रथम बैठक में वर्तमान सत्र की शेष बैठकों के लिए उनके निलंबन करने का सदन द्वारा लिया गया निर्णय निरस्त किया जाये।''

(प्रस्ताव पारित हुआ)

डॉ. रघुबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, निलंबन निरस्त करने के लिए मैं आपका और सदन का हृदय से धन्यवाद करता हूं।

———————

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री प्रदीप चौधरी (कालका): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। हरियाणा सरकार द्वारा आजादी का 75 वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में बड़े सुखद वातावरण की बात की जा रही है कि चारों तरफ सुखद वातावरण है। यह कहा जा रहा है कि सुखद ब्यार बह रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश में चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने बात हो। उसमें हमारे प्रदेश के कालका, पिंजौर और मोरनी क्षेत्र के लोगों को आज भी पीने के पानी के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। आज भी कालका और पिंजौर क्षेत्रों में 15 या 20 मिनट ही पानी आता है। वहां के लोगों को सुबह 4:00 बजे और रात को 11:00 बजे पानी भरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के में ऐसी बहुत–सी कॉलोनीज हैं जिनको रेगुलराईज नहीं किया गया है। इस कारण उन्हें आज भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। फिर उसमें चाहे पीने के पानी की बात हो, स्ट्रीट लाईट्स लगाने की बात हो, रास्ते ठीक करने की बात हो। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त अगर हम सड़कों की बात करें तो आज भी हमारे क्षेत्र की सडकों का बहुत बुरा हाल है। जैसा हमारे एक माननीय सदस्य श्री बिशन लाल सैनी जी ने यहां पर कहा था कि आप संबंधित कार्यों को करवा देंगे तो उनकी जान बच जाएगी। चूंकि लोग समझते हैं कि शायद सड़कें एम0एल0ए0 ने ही बनानी हैं। आज हमारे एरिया की सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि चारों तरफ सड़कें टूटी हुई हैं। मेरे हल्के के पिंजौंर के आर.यू.बी. का मामला पिछले 3 सालों से लटका हुआ है। वहां के लोगों ने कल भी प्रदर्शन किया था कि हमारा जो

रास्ता धर्मपुर और दूसरी कॉलोनीज की तरफ जाता है उस रास्ते को बंद करके आधा किलोमीटर दूर से एक रास्ता देने की बात कही जा रही है। वहां पर शोरूम वाले भी बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके आगे पार्किंग की समस्या है। इसी तरह से रास्ते बंद किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ रही है। हमारे क्षेत्र में ए.सी.सी. सीमेंट फैक्ट्री और एच0एम0टी फैक्ट्री बंद होने की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार 7ए लगाकर लोगों को सजा देने का काम कर रही है। आज चाहे प्रदेश की आंगनवाडी वर्कर्ज हों, चाहे नम्बरदार हों, चौकीदार हों, चाहे हारट्रोन वाले हों, चाहे पुलिस वाले हों, उनसे सरकार ने चुनाव के समय पर जो वायदे किये थे उनको पूरा करने का काम करना चाहिए। इससे प्रदेश के सभी लोगों को खुशी होगी और उनकी चाहत पूरी हो जाएगी। इसी तरह बेसहारा पशुओं की बात है क्योंकि इनसे हमारे क्षेत्र के किसान बहुत परेशान हैं। हमारे कालका विधान सभा क्षेत्र के आम नागरिकों के साथ बहुत–सी दुर्घटना हो चुकी हैं। वहां पर 3–4 ऐसे हादसे भी हुए हैं जिनमें संबंधित लोगों की मृत्यु भी हुई है। इसके अतिरिक्त हॉर्टीकल्चर द्वारा सोलर सिस्टम की भी बात की जा रही थी, लेकिन आज तक ये योजनाएं भी सिरे नहीं चढ़ पायी हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात आती है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य के बारे में भी बड़ी–बड़ी बातें की जाती हैं कि उनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए पूरे प्रदेश की चिन्हित करवायी जा रही है। आज तक मेरे हल्के में मोरनी की पी0एच0सी0 को सी0एच0सी0 में कन्वर्ट नहीं किया गया है। हमारे कालका शहर में मात्र एक ऐम्बूलैंस है। सुविधाएं नाममात्र हैं, अगर रात को कोई एमरजेंसी आ जाती है तो संबंधित पैशैंट को तुरंत रैफर पंचकुला कर दिया जाता है। आज भी हमारे क्षेत्र के माद्यंना के सीनियर सैकेंडरी स्कूल में 5 साल से चौकीदार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है जिसके कारण वहां के बच्चे खुद टॉयलेट साफ करने पर मजबूर हैं। आज भी हमारे कालका के काली माता मंदिर के 35 करोड़ रूपये सरकार के पास पड़े हुए हैं, परन्तु आज तक वहां पर पार्किंग की समस्या का हल नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के की ऐसी अनेकों समस्याए हैं जिनका हल नहीं हो पाया है। हमारे वहां पर बसों की भी समस्या है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की रायपुररानी तहसील में केवल दो दिन ही रजिस्ट्री होती है और अगर वहां पर लाईट चली जाए तो जनरेटर की व्यवस्था भी नहीं है। मेरे हल्के में इस प्रकार की अनेकों समस्याएं हैं। लोग तभी सुखद हो सकते हैं और सुखद वातावरण बन सकता है, जब सरकार

मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम करे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए।

श्री वरुण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है।

श्री अध्यक्षः वरूण जी, आपके नाम की तो स्पैशल अलग से चिट आयी हुई है।

श्री दुड़ा राम (फतेहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा विश्वास है कि ''सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास'', ''हरियाणा एक हरियाणवी एक'' के नारे को लेकर ''कम शासन अधिक अभिशासन'' को लेकर चल रही, हमारी सरकार इस टर्म में तीसरा बजट पेश करेगी। यह बजट प्रदेशवासियों के लिए नई सौगात लेकर आयेगा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कोरोना महामारी जैसे हालात में भी बुरे दौर में प्रदेश के विकास के पहिये को रूकने नहीं दिया। यह हमारे लिये गौरव की बात है कि हमारी सरकार द्वारा कृषि उद्योग, स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में शुरू की गई गवर्नेंस सेवा को न सिर्फ केन्द्र सरकार बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सराहा है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है। जिसमें गरीब व कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। इसके अलावा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सिर पर छत मुहैया करवाने के लिए बेहतरीन काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार खासकर कृषि सुधार एवं किसानों के उत्थान के लिए एम.एस.पी. की गारंटी को लेकर प्राकृतिक आपदा के फैसलों में हुए नुकसान का मुआवजा देने के साथ–साथ ''मेरी फसल मेरा ब्यौरा'', ''हरियाणा भावांतर भरपाई योजना', ''मेरा पानी मेरी विरासत योजना'' ''फसल बीमा योजना'' और ''हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना'' जैसी किसान हितैषी बहुत सी योजनाएं शुरू करके यह कदम उठाकर के हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। सरकार ने ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले और राज्य

का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को उचित मान सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके अलावा हमारी सरकार ने युवाओं को प्राईवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने के बेहतरीन काम किये हैं। मैं खासकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अंदर इस दफा खासकर जो सेम का एरिया था जैस गांव खावड़ा में, गांव सेतुपर में, गांव बड़ोपल में और गांव काजलहेड़ी में सेम की समस्या के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 23 करोड़ रुपये का बजट मंजूर करके लोगों की समस्याओं का समाधान किया और इसके अलावा गंदे पानी की निकासी के लिए भी 75 करोड़ रुपये देने का काम किया है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा फतेहाबाद एरिया में खासकर भूना से फतेहाबाद और रतिया से भटटु सड़क को चौड़ा करने का फैसला किया है, मैं इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। मैं फतेहाबाद हल्के की समस्या के बारे में जिक्र करना चाहता हूं कि जो बहुत ही जरूरी है। मैंने पिछले विधान सभा सत्र में भी इस बात को उठाया था। खासकर हमारा जिला हैड क्वार्टर है। अभी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी उपस्थित नहीं है। हमारे जिला हैड क्वार्टर में गवर्नमैंट कॉलेज नहीं है, वहां पर सिर्फ एक प्राईवेट कॉलेज चल रहा है। सरकारी कॉलेज न होने के कारण से बच्चों को पढ़ने के लिए हिसार और सिरसा जाना पड़ता है। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, अभी तो मुझे बोलते हुए 2 मिनट का भी समय नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : दुड़ा राम जी, आप अपनी बात 1 मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री दुड़ा राम : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरे भट्टू खंड के अंदर आई.टी.आई. कॉलेज के लिए पंचायत ने जमीन दे रखी है। वहां पर हमारी मांग है कि भट्टू आई.टी.आई. कॉलेज को मंजूर किया जाये। भट्टु मंडी के अंदर धक्का बस्ती है। वहां पर कई साल से गरीब आदमी बैठे हुए हैं। वहां सड़कें बन चुकी हैं और इनके बिजली कनैक्शन हो चुके हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि उनको मालिकाना हक दिया जाये। यहां पर बिजली मंत्री जी बैठे हुए हैं। फतेहाबाद जिले के लोग खेतों में ज्यादा निवास करते हैं। हमें वहां पर दो तीन प्रकार की बिजली की दिक्कतें आ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी पहली बात यह है कि वहां की ढाणियों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति दी जाये। दूसरी बात यह है कि जो पुरानी तारें लगी हुई हैं उनको बदलने का काम किया जाये। जब लोड बढ़ जाता है तो वहां पर बिजली की दिक्कत आती है। जब वहां पर नया ट्रांसफार्मर लगाये जाने

की बात करते हैं तो बिजली विभाग कहता है कि आपको अपने एस्टीमेट से पैसे भरने पड़ेंगे। वहां पर पहले से ही बिजली की आपूर्ति जारी है। उनके खेतों में जब ट्रांसफार्मर लगाये जाते हैं तो सरकार अपने बजट में से ट्रांसफार्मर लगाने का काम करती है। मेरी बिजली मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि वहां पर ट्रांसफार्मर लगाया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं खालों की बात करूंगा।

श्री अध्यक्ष : दुड़ा राम जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए अब आप प्लीज बैठ जायें।

श्री दुड़ा राम : अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। सरकार 20 साल के बाद नया खाला बनाती है। मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि 20 साल से घटाकर 10 साल किया जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारे फतेहाबाद और हिसार के किसानों को इसमें दिक्कतें आ रही हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि नई स्कीम के तहत इन किसानों को रियायत देकर के जिन खालों को मरम्मत करवाये जाने हैं उनको करवाया जाये।

श्री बिशन लाल सैनी (रादौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो तीन बातों का यहां जिक्र करना चाहूंगा । पहली बात तो मैं सड़कों का जिक्र करना चाहूंगा । सड़कों का मामला केवल यमुनानगर का नहीं है, रादौर का नहीं है बल्कि पूरे हरियाणा का है । सड़कों की हालत की बात करते हुए मैं रादौर की सड़कों की बात करूं तो यहां की सड़कें इतनी बढ़िया और मलाईदार हैं कि अगर उन पर साईकिल भी चलाई जाए तो स्लिप हो जाएगी । इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं । जितनी अच्छी सड़कें अब बना दी गई हैं ऐसे सड़कें तो हमने पहले कभी देखी नहीं थी । एस.के. रोड जिसको कुरूक्षेत्र–यमुनानगर रोड बोलते हैं, उसका तो कहना ही क्या है । अध्यक्ष महोदय, यदि आपको मौका मिले तो आप उस पर नजर डाल कर जरूर आना । अध्यक्ष महोदय, आप कभी मेरे पास आना, मैं आपको इस सड़क पर लेकर जाउंगा । अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बढ़िया सड़क है । अध्यक्ष महोदय, ड्राईविंग आप ही करना । एक पहिया स्लिप करके इधर जाएगा और दूसरा दूसरी तरफ जाएगा । यह सड़क इतनी बढ़िया और मलाईदार हैं कि 4–5 एक्सीडैंट्स इस सड़क पर रोज ही होते हैं । अध्यक्ष महोदय, यहां जितने भी विधायक बैठे हैं उनमें से 50 परसैंट एम.एल.एज. सड़कों की मांग कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारा इलाका माइनिंग का इलाका है । बड़े बड़े ट्रक रेत और बजरी लेकर चलते हैं । सारी सड़कें तोड़कर गिरा दी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां की सड़कें सीमेंट की बनाई जाएं । अध्यक्ष महोदय, ये सड़कें बनती हैं और टूट जाती हैं । ये सड़कें 20 एम.एम. की बनाई जाती हैं । अध्यक्ष महोदय, 20 एम.एम. एक तार सी होती है । 20 एम.एम.की सड़कें बनाने के लिए तारकोल और बजरी डालते हैं । अध्यक्ष महोदय, ये सड़कें एक दिन बनाई जाती हैं और दूसरे दिन टूट जाती हैं । मैं चाहूंगा कि इन सड़कों को बनाने के लिए ठेकेदारों को कहा जाए कि 20 एम.एम. से बढ़ाकर 35 या 40 एम.एम. का माल गिराया जाए तब बात बनेगी । (विघ्न) मंत्री जी, ये सारी सड़कें आप द्वारा तोड़ी गई हैं यानि इन सड़कों के इस तरह के हालात के लिए आप ही गुनहगार हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने पोंड अथौरिटी ऑफ हरियाणा महकमा बनाया है । यह महकमा ठीक है। सारी बातें ठीक हैं । मंशा भी सरकार की ठीक है लेकिन इस पर अच्छे लैवल पर काम करने की जरूरत है । अध्यक्ष महोदय, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां तालाब लबालब न भरे हों । एक एक गांव में तीन –तीन, चार–चार तालाब हैं । टूटियां सारा दिन चलती हैं और पानी जाता रहता है । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि तालाबों के आस पास की जो जमीनें हैं उनके मालिक पानी को अपनी जमीनों में क्यों जाने देंगे ? अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि उन तालाबों की खुदाई होनी चाहिए तथा सफाई होनी चाहिए । खुदाई होगी तो उसके दो लाभ होंगे । एक तो पानी नीचे जाएगा और दूसरा पानी निष्कासित हो जाएगा । अध्यक्ष महोदय, एक अहम मुद्दा यह है कि जितने भी महकमे हैं जैसे आर्ट एण्ड क्राफ्ट के टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, पी.टी.आई. टीचर्स, गैस्ट लैक्चरार्ज, एक्सटैंशन लैक्चरार्ज आज प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां डी.सी. कार्यालय के सामने लोग हड़ताल पर न बैठे हों। जब ये लोग ज्ञापन देने के लिए जाते हैं तो इन पर डंडे बरसाए जाते हैं और मुकदमें भी दर्ज किये जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इनकी समस्याओं को सुना जाये और उन समस्याओं का समाधान निकाला जाये। अध्यक्ष महोदय, कोर्ट के आदेशों के कारण आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्ज को नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद दोबारा से इनकी पोस्टें निकली और उन्होंने पेपर पास करके इन्टव्यू भी पास कर लिया । लेकिन उनको अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं तो ये कोर्ट का बहाना बना लेते हैं। जबकि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इन 613 टीचर्ज के लिए लिखकर दे दिया है कि इनका आई.टी.आई. डिप्लोमा बिल्कुल सही है। मेरी

अर्ज है कि इनको जल्दी से जल्दी ज्वाईन करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत– बहुत धन्यवाद।

श्री धर्म सिंह छौक्कर (समालखा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान 2–3 विषयों पर दिलाना चाहूंगा । एक तो कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में बी.पी.एल. परिवारों को 100–100गज के प्लाट हर गांव में दिये गये थे जोकि बहुत अच्छा काम था। लेकिन मौजूदा सरकार द्वारा उन प्लाट्स में सड़क, बिजली, पानी आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई। वे प्लाट बिल्कुल खंडहर बनकर रहे गये हैं। मेरा सरकार और पंचायत मंत्री जी से निवेदन है कि इन प्लॉट्स में बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाये ताकि गरीब परिवार ठीक प्रकार से रह सकें। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने आउटसोर्सिंग पोलिसी लागू करके 350 गेस्ट लेक्चरर्ज लगाये हैं उसके बाद एच.पी.एस.सी. ने भी 500 लैक्चरर्ज की वैकेन्सी निकाल दी है। क्या सरकार की मंशा उन गेस्ट लेक्चरर्ज को निकालने की है जो सरकारी पॉलिसी के तहत लगाये गये हैं। उनके साथ ऐसा खिलवाड़ न किया जाये और उनको न हटाया जाये। इसका समाधान अलग से किया जाये। अध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग से संबंधित कहना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में फोरमैन/लाइन मैन सुबह 04:00 से 05:00 बजे घरों की छतों पर चैंकिग के लिए अचानक पहुंच जाते हैं और सुबह–सुबह हमारी बहन बेटियां सोई होती हैं। वे एक दम डोरी काट देते हैं और लाईट चली जाती है जिसके कारण से लोगों को बहुत परेशानी होती है। मैं यह नहीं कहता कि चैंकिग न हो लेकिन इसका प्रोपर सिस्टम होना चाहिए। फोरमैन, लाईनमैंन और जे.ई. चैंकिग के दौरान मौके पर जो स्स्.1 भर देता है, चाहे वह एक लाख रुपये का चालान काट दे उसकी बिजली विभाग में कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। जबकि एक्साईज, रेवेन्यू आदि सभी विभागों में अपील का प्रावधान है। मेरा अनुरोध है कि बिजली विभाग में भी अपील का प्रावधान किया जाये। चाहे वह प्रावधान एस.सी. या चीफ इंजीनियर लेवल पर या कोई नोडल आफिसर नियुक्त किया जाये। कोई न कोई अथौरिटी निश्चित की जाये ताकि लोग अपनी बात रख सकें और समाधान हो सके। अध्यक्ष महोदय, अब मैं हैल्थ विभाग के बारे में अपने हल्के की बात रखना चाहूंगा कि मेरे हल्के में चार पी.एच.सी. घड़ी देसक, पट्टीकल्याना, चुलकाना, आटा गावों में हैं। उनको मैं सी.एच.सी. बनाने की बात

नहीं कर रहा हूं बल्कि उनकी बिल्डिंग खंडहर हो चुकी हैं और छत से भी पानी टपकता है। वहां काम करने वाली नर्सों को स्कूल की बिल्डिंग में बैठ कर काम करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त वहां पर दवाइयों की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर सरकार अवश्य संज्ञान ले । अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी सदन में आ गये हैं। मैंने इन से पहले भी निवेदन किया था कि मेरे हल्के में जो गांधी आदर्श कॉलेज है वह सोसायटी के द्वारा चलाया जाता है उसमें हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर लगा रहता है क्योंकि सोसायटी के द्वारा वह कॉलेज चलाना संभव नहीं है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि उस गांधी आदर्श कालेज को सरकार अपने अधीन लेकर चलाये ताकि वहां बच्चों को पढ़ने में सुविधा हो जाये। धन्यवाद।

———————

बैठक का समय बढ़ाना

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत से सदस्यों को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय नहीं मिला इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, नेता प्रतिपक्ष के आग्रह पर और यदिन सदन की सहमति हो तो सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए बढ़ा दी जाये। पहले सदन की कार्यवाही बाद दोपहर 3:00 बजे तक थी। अब आज की कार्यवाही 4:00 बजे तक चलेगी।

आवाजेंः ठीक है, जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, सदन की कार्यवाही जो पहले 3.00 बजे तक थी, अब एक घंटे के लिए बढ़ाई जाती है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्यों को बोलने के लिए एक घंटे का समय दे दिया जाये।

श्री अध्यक्षः ठीक है, 2:15 से 3:15 तक आपकी पार्टी के सदस्यों को बोलने के लिए समय दे दिया जायेगा, उसके बाद मुख्यमंत्री जी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का जवाब देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

———————

बैठक का स्थगन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन दोपहर भोज के लिए 45 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है।

***13.31 बजे**

(The Sabha then *adjourned at 13.31 P.M. for 45 minutes and reassembled at 14.16P.M.)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चाएवं धन्यवाद(पुनरारम्भ)

श्रीमती शैली (नारायणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी दो–तीन बातें रखना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में आज के दिन मैडिकल, बेरोजगारी, सड़कें, महंगाई और नशा बहुत बड़े मुद्दे हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर बातें तो बहुत सी होती हैं लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो सरकार ने संकल्प लिया है कि हर जिले में मैडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये मैडिकल कॉलेजिज बनाने पर जल्दी से काम शुरू किया जाए ताकि ये कॉलेजिज जल्दी से बनकर तैयार हो सकें क्योंकि जिस तरह से हमारे बच्चे दूसरे देशों में मैडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उनको कहीं और न जाना पड़े। आज आप देख रहे हैं कि यूक्रेन के अन्दर हमारे देश के कितने मैडिकल छात्र फंसे हुए हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे सभी बच्चों को सुरक्षित लाया जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं बेरोजगारी की बात करूं तो आज बेरोजगारी में हरियाणा नम्बर–1 पर है। आज हमारे बच्चे पढ़–लिख कर सड़कों पर घूम रहे हैं। उनके पास रोजगार नहीं है। नशे का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि बच्चों के पास नौकरियों नहीं हैं। आज हमारी बेटियां–बहुएं पढ़–लिखकर घर में बैठी हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए और बच्चों को नौकरियां दी जाएं। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा बेटियों की शादियों में शगुन योजना के तहत जो राशि दी जाती है वह समय पर मिलनी चाहिए क्योंकि शादी के एक साल बाद तक भी ये केस पैंडिंग पड़े रहते हैं। इससे भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा मिलता है। आज आप सभी लोग जानते हैं कि आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। डीजल–पैट्रोल के रेट बहुत बढ़ चुके हैं। आप देखेंगे कि पिछले दिनों में गैस के भी एक सौ कुछ रुपये बढ़ा दिये गये हैं। आज लोगों को घर चलाना

मुश्किल हो गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि इस महंगाई को कैसे और कब कंट्रोल किया जाएगा। अगर यही हालात रहे तो देश और प्रदेश के हालात खराब हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार का संकल्प था कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी कर दी जाएगी। में कहना चाहती हूं कि आज किसानों की आय दुगुनी की बजाए किसानों को उनकी लागत के बराबर भी नहीं मिल पाता। आप देखेंगे कि कभी बारिश व कभी ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए। हमारे अन्नदाताओं की तरफ भी देखा जाए। अभी सरकार ने कहा है कि हमने सभी मिलों में किसानों के गन्ने की पेमेंट कर दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं बार–बार इस सदन के अन्दर हमारे नारायणगढ़ के शुगरमिल की बात उठाती रही हूं कि वहां आज भी हमारे किसानों के गन्ने की लगभग 92 करोड़ रुपये की राशि बकाया है जिसकी वजह से आए दिन हमारे वहां का किसान धरने पर होता है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगी कि हमारे इस शुगरमिल की समस्या को दूर किया जाए। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में किसानों के कर्जे माफ कर दिए गए है, ठीक उसी तर्ज पर हरियाणा में भी किसानो के कर्जे माफ किए जायें और जो किसानों पर मुकदमें दर्ज हुए हैं, उन्हें भी सरकार वापिस लेने का काम करे। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल हो गया है। आज हमारी बहन–बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जहां तक बुढ़ापा पैंशन की बात है, जो परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं, उसके आधार पर जो बुजुर्गों की पैंशन काटी जा रही है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह न काटी जाये। यह बुजुर्गों का सम्मान है। वैसे आप सभी लोगों ने बागवान फिल्म देखी होगी, अगर देखी है तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि बुजुर्गों का क्या हाल होता है। बुढ़ापा पैंशन से बुजुर्गों की छोटी–मोटी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। अतः अनुरोध है कि सभी बुजुर्गों को पैंशन का अधिकार दिया जाना चाहिए। जहां तक सड़कों की बात है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों का बहुत बुरा हाल बना हुआ है। पूरे हरियाणा में सड़कें टूटी हुई हैं। मैं अपने हलके की सड़कों के लिए बार–बार मुद्दा उठाती रहती हूँ। यहां पर जो मंडी बोर्ड की सड़कें हैं वे भी टूटी पड़ी हुई हैं, उनकी रिपेयर तक का कार्य नहीं होता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मंडी बोर्ड की सड़कों को भी पी. डब्ल्यू.डी. द्वारा ही बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। धन्यवाद।

श्री संजय सिंह (सोहना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में यह पहली ऐसी सरकार है जिसमें हर आम आदमी, अपनी भागीदारी महसूस करता है क्योंकि बहुत सी ऐसी योजनाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में लागू कर रखी हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति को घर बैठे–बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ ई–गवर्नेंस पोर्टल पर एप्लाई करने मात्र से ही मिल जाता है। अध्यक्ष महोदय, लोगों को उनके घर पर बैठे–बैठे जो उनके अधिकार देने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। चाहे रोड्ज की बात हो, चाहे बुढ़ापा पैंशन की बात हो, चाहे बी.पी.एल. कार्ड बनवाने की बात हो या चाहे कोई अन्य सुविधा लेने की बात हो, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ई–गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से लोगों को घर बैठे–बैठे उनके हक दिलाने का जो कार्य किया है उसकी वजह से आज लोग बहुत खुश हैं । निश्चित रूप से इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति इसलिए भी खुश नज़र आता है क्योंकि जब वह अपने घर से बाहर निकलकर देखता है कि उसके घर के सामने की, पड़ोस की, गांव की या उसके इलाके की कोई भी सड़क टूटी हुई है तो वह पोर्टल पर जाकर अपनी समस्या को डालता है तो जब वह टूटी हुई सड़क उसको बनती हुई दिखाई देती है तो वह महसूस करता है कि यह पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने महज एक पोर्टल के माध्यम से ही आम आदमी की शिकायतों को दूर करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सुशासन की बात है, आज कोई भी ऐसा क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है, जहां प्रदेश सरकार ने सुशासन के लिए पहल न की हो। आज प्रदेश में ई–गवर्नेंस को पूरी तरह से लागू किया गया है जिससे आम आदमी को किसी प्रकार कठिनाई नहीं होती है और उसको घर बैठे उसका हक मिल जाता है। आज प्रदेश में 135 ई दिशा केन्द्रों तथा 8467 अटल सेवा केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की 537 ई–सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं इसके लिए सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त 10256 सांझा सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनमें 8467 सेवा केन्द्रों पर जो वर्तमान में सेवायें दी जा रही हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रदेश में पहली बार हो रहा है। अभी एक माननीय सदस्या ने बागवान फिल्म का हवाला देकर बुजुर्गों की पैशन की बात रखी लेकिन मैं कहता हूँ

कि सरकार की जो अच्छी नीतियां हैं, उनका प्रचार प्रसार करने का काम करना चाहिए ताकि आम आदमी को उनका फायदा मिल सके। विपक्ष के सदस्य विरोध के माध्यम से अपनी भूमिका निभाने का काम करते हैं लेकिन इस सरकार पर किसी प्रकार का कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है, जिसके बलबूते विपक्ष के साथी सरकार की आलोचना कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार सदन में चुनकर आया हूँ लेकिन बावजूद इसके मैंने लगातार 20 सालों से सदन की कार्यवाही को किसी न किसी तरीके से देखने का काम किया है लेकिन कल सदन में जिस प्रकार की कार्यवाही हई और उसके लिए सरकार की तरफ से जिस प्रकार का कार्य किया गया, वह भी बहुत सराहनीय है और एक तरह से सरकार ने नया इतिहास लिखने का काम किया है। पहले की सरकारों में सदस्यों को बेइज्जत करके सदन से बाहर निकालने का काम किया जाता था। मैंने वो हाल देखें हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत बुरी बेइज्जती करके हमारे साथी सदस्यों को सदन से बाहर निकालने का काम किया जाता था। हमारे बिशन लाल सैनी जी भी मुझे इस बारे में बता रहे थे कि उनके साथ भी ऐसा वाक्या हुआ था। यही नहीं हमारे गृह मंत्री महोदय ने भी बताया है कि किस प्रकार विपक्ष द्वारा उनको सदन से बाहर फेंकने का काम किया जाता था लेकिन आज हमारी सरकार द्वारा ऐसी प्रथा देखने को मिल रही है कि विपक्ष के माननीय सदस्य डॉ. कादियान ने जैसे ही अपनी गलती मानी वैसे ही माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपना दरियादिली का परिचय देते हुए उसका निलंबन निरस्त कर दिया। हमारी सरकार के इस तरह के व्यवहार को विपक्ष को बहुत ज्यादा सीखने की आवश्यकता है। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, कोविड–19 वैश्विक महामारी के संक्रमण के दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश की पूरी जनता का ख्याल रखा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें हैं, उनको भी आपके माध्यम से सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सोहना से तावडू जाते हैं, वहां पर आये दिन कई–कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है। हमें उस समस्या से निजात दिलाई जाये। हमारे इलाके में लगभग 15–20 गांवों में जलस्तर काफी ऊँचा है, जिससे उन गांवों में किसी भी फसल की बिजाई नहीं होती है। इस समस्या को भी जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिये आपका बहुत–बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री शमशेर सिंह गोगी (असंध): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, मैं इसके लिये आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ने की कोशिश की और मैंने केवल पहले दो ही पेज पढ़े थे और मुझे पढ़ने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि अभिभाषण को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे भी इसी तरह की बातों का जिक्र किया होगा। मैंने तो इस संबंध में माननीय सदस्य श्री महिपाल ढाण्डा जी द्वारा दी गई स्पीज सुन ली थी, उसी से अंदाजा लगा लिया था कि अभिभाषण में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने अभिभाषण को आगे पढ़ने की ज्यादा तकलीफ नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल दो–तीन बातें ही सदन में कहना चाहता हूँ। अभिभाषण में लिखा गया है कि 'अमृत महोत्सव' मनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशल मीडिया में इस बात को जोर–शोर से उठाते हैं कि देश तो असल में वर्ष 2014 में आजाद हुआ है तो फिर 'अमृत महोत्सव' कैसे मनाया जा रहा है और उसमें कौन से शहीदों को याद किया जा रहा है। (विघ्न) एक बात यह भी सामने आती है कि हमने अयोध्या में राम मन्दिर बना दिया है। अध्यक्ष महोदय, जिस आदमी के पास इतनी ताकत है कि वह राम का मन्दिर बना सकता है तो उसको राम नाम की जरूरत ही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि राम का मन्दिर बनाने से आस्था नहीं बढ़ेगी बल्कि राम के आदर्शों पर चलते हुए उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने से ही राम के प्रति आस्था बढ़ेगी। (शोर एवं व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये । (शोर एवं व्यवधान) मैं तो भगवान श्री राम की ही बात कर रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, इनको भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाने में दिक्कत हो रही है । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इस बहस में भगवान श्री राम को बीच में न डाला जाए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं भगवान श्री राम के खिलाफ तो नहीं बोल रहा हूं । अब मुझे विश्वास हो गया है कि इनको मेरी सलाह से इतनी तकलीफ इसलिए हुई है क्योंकि ये भगवान श्री राम के आदर्शों में विश्वास नहीं रखते । (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, हम भगवान श्री राम को मानने वाले लोग हैं । माननीय सदस्य की पार्टी ने तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भगवान श्री राम द्वारा

बनवाए गए राम सेतु के एग्जिस्ट न होने बारे ऐफिडेविट दे दिया था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी को रिकवैस्ट की है कि असंध में एक सब डिपो बना हुआ है । उसको पिछले एक साल से चालू नहीं किया जा रहा है । अतः उसको चालू करवाया जाये । पिछले दिनों मैं पेहवा के मुर्तजापुर गांव में एक शादी में शामिल होने के लिए गया था । उस शादी में मेरे लिए रोटी खानी मुश्किल हो गई क्योंकि उस घर के ऊपर से बिजली की तार जा रही थी । 24.03.2020 को उसने 1 लाख 8 हजार 3 रुपये जमा भी कर दिए थे । इसके बावजूद उनके घर से 2 सालों से बिजली के तार नहीं हट रहे हैं । मैं यह बात यहां पर इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे वहां पर उनकी बात सुनकर बहुत शर्म आई थी । इसके अलावा मैं मीडिया में काम करने वाले लोगों के बारे में भी बात करना चाहूंगा । इनका भी कुछ संवैधानिक सिस्टम बनाया जाए और इनकी कोई मान्यता होनी चाहिए । इनको राजस्थान की तर्ज पर कम से कम 15 हजार रुपये पैंशन तो दी ही जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : शमशेर सिंह जी, आपको बोलते हुए 6 मिनट्स हो गए हैं ।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मेरे 2 मिनट्स तो शोर–शराबे में ही खराब हो गये थे । जो ऐप्लाइड बिजली कनैक्शंज 31 दिसम्बर, 2020 तक दिए जाने थे वे अभी तक नहीं दिए गए हैं । अतः वे कनैक्शंज वित्त वर्ष 2022–23 में जल्द–से–जल्द दिए जाएं । अंत में मुझे सिर्फ एक बात कहनी है । डबल स्टैण्डर्ड समाज को तोड़ता और बिखेरता है । अगर भाइचारा और समाज बचेगा तो देश बचेगा । सरकारें तो आनी–जानी चीजें हैं । मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पढ़ा कि केन्द्र सरकार ने श्री गुरू तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व एवं श्री गुरू गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के शहीदी दिवस 26 दिसम्बर को हर वर्ष 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है । मेरा कहना है कि यह तो पहले से ही मनाया जा रहा है । हर वर्ष की 25 और 26 दिसम्बर को फतेहगढ़ साहिब में 'वीर बाल दिवस' मनाया जाता है । मुझे तो तकलीफ तब होती है जब उन्हीं श्री गुरू गोबिंद सिंह जी के बच्चे किसान आन्दोलन में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए बॉर्डर की तरफ जाते हैं तो उन पर गोलियां चलवाई जाती हैं । उनको खालिस्तानी और आतंकवादी तक कहा जाता है जोकि बहुत शर्म की बात है । जय हिन्द । जय भारत ।

श्री राजेश नागर (तिगांव) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं । ऐसे में उन महान स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करना हमारा नैतिक कर्त्तव्य है जिनके तप, त्याग और सर्वोच्च बलिदान से हमें यह महोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है । अध्यक्ष महोदय, अगर हम सुशासन की बात करें तो हमारे धर्मग्रंथों में शासक का प्रथम कर्त्तव्य प्रजा को सुखी करना माना गया है । सुशासन के अभियान में कोई भी विभाग अथवा क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसमें सुशासन की पहल न की गई हो । Maximum Governance Minimum Government को सुनिश्चित करने के लिए कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि हर क्षेत्र में ई–गवर्नैंस की नई–नई पहलें की गई हैं । ई–गवर्नैंस का यह अभियान अब परिवार पहचान पत्र तक पहुंच चुका है। इस एकमात्र दस्तावेज से लोगों को सभी सरकारी सेवाओं/योजनाओं का लाभ घर बैठे मिलेगा और उनको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे। अन्तोदय योजना की बात करूं तो गरीब कमजोर वर्ग की मद्द करना हर कल्याणकारी सरकार का संवैधानिक दायित्व और नैतिक कर्तव्य होता है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सभी सुविधाएं मिलें, इसके लिए सरकार द्वारा कई लाभकारी योजनाएं बनायी गयी हैं। मुख्यमंत्री अन्तोदय परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, प्रधान जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना आदि चलायी गयी हैं। सरकार द्वारा सभी कोविड– 19 के मरीजों का मुफ्त ईलाज व टीकाकरण किया जा रहा है। हमारी सरकार अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयासरत है और उनके मकानों की मरम्मत करने के लिए अनुदान की राशि 50,000 रुपये से बढाकर 80,000 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि को भी 51,000 रुपये से बढाकर 71,000 रुपये कर दिया गया है। श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत 2 लाख से ज्यादा श्रमिकों को 154 करोड़ रुपये के लाभ प्रदान किये गये हैं। हरियाणा प्रदेश का जवान और किसान देश की शान हैं। सरकार ने वीरगति प्राप्त होने वाले सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्सैस रिस्क ग्रांट राशि को 20 लाख रुपये से बढाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। कृषि किसान कल्याण एंव खाद आपूर्ति की बात करें तो हमारी सरकार का मानना है कि यदि किसान समृद्ध होगा तभी प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली आएगी। इसी के तहत

सरकार ने फसलों को एम.एस.पी. पर खरीदकर 27,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि को 12,000 रुपये से बढाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया है। एम.एस.पी. पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा राज्य देश का पहला राज्य है। हमारी सरकार ने युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा के तहत नयी शिक्षा नीति लागू की है। इसके अतिरिक्त रोजगार देने की बात करें तो हमारी सरकार ने 83,000 युवाओं को पक्की सरकारी नौकरियां दी हैं। इसके अतिरिक्त मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के कुछ कार्यों के संबंध में अपनी बात सरकार के समक्ष रखना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों की जमीनों को रोड बनाने के लिए ऐक्वायर किया गया है, परन्तु उनका मुआवजा काफी समय से नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि उनका मुआवजा जल्दी दिया जाए। इसी तरह से फरीदाबाद में एक नया ग्रेटर फरीदाबाद शहर बसाया गया है उसमें बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम बनाया जाए। इसके अतिरिक्त जैसा फरीदाबाद में एक टाउन पार्क बना हुआ है वैसा ही एक टाउन पार्क वहां पर भी बनाया जाए। ग्रेटर फरीदाबाद में बिजली के लिए 2 सब स्टेशंज बनाये जाएं क्योंकि गर्मियों में बिजली की दिक्कत हो जाती है। ग्रेटर फरीदाबाद से फरीदाबाद तक मैट्रो की कनैक्टिविटी की जाए। हमारे ग्रेटर फरीदाबाद में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, इसलिए वहां पर केन्द्रीय विद्यालय भी बनाया जाए। हमारे ग्रेटर फरीदाबाद में एक फायर स्टेशन भी मंजूर किया जाए। मेरे तिगांव की आबादी 50,000 से ज्यादा है जिसके कारण वहां पर आये दिन जाम लग जाता है, इसलिए वहां पर बाईपास बनाया जाए। मेरे हल्के के मजावली में पुल का काम बहुत समय से चल रहा है, उसको भी जल्दी पूरा किया जाए। हमारे नगर निगम में फंड्ज की कमी है, उसके लिए फंड्ज दिए जाएं ताकि जो रुके हुए विकास कार्य हैं, उनको पूरा किया जा सके। मेरी विधान सभा में कई सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. बी. एंड आर. विभाग की हैं और कई सड़कें मार्केट कमेटी की हैं, उनको भी पूरा करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत– बहुत धन्यवाद।

श्रीमती रेनू बाला (सढौरा) (एस.सी.): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि माननीय राज्यपाल महोदय के

अभिभाषण से तो ऐसा लग रहा है कि मानों प्रदेश में सरकार ने धरती पर स्वर्ग बसा दिया है लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस प्रदेश में लाखों युवाओं के साथ मजाक किया गया है। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के मामले में अव्वल नम्बर पर है। ऐसे में प्रदेश का युवा सरकार से भले की क्या उम्मीद करेगा? जहां तक राज्यपाल के अभिभाषण की बात है तो इसमें शासन कम सुशासन ज्यादा वाली बात की गई है। मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि सरकार प्रदेश में करप्शन फ्री प्रशासन की बात करती है लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि सरकार ने गरीब लोगों के लिए ''मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना'' और ''डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास मरम्मत योजना'' चलाई है। इसके तहत उन गरीब लोगों को जो बढ़ी हुई धनराशि दी जाती है। मैं इस बारे में पूछना चाहूंगी कि क्या उन गरीब लोगों को बढ़ी हुई राशि मिलती है जिनको इस धनराशि की जरूरत है। जब ये गरीब लोग अपनी फाइलों को संबंधित विभाग में ऑनलाइन जमा कराते हैं तो इनकी फाइलों को किसी न किसी वजह से रिजैक्ट कर दिया जाता है और संबंधित ऑफिस में जो अधिकारी बैठे होते हैं, उनको कमीशन देने के लिए एजेंटों द्वारा यह कार्य किया जाता है जिसके कारण उन अधिकारियों की कमीशन तय हो जाती है और उस फाइल को 100 परसैंट पूरा करके फिर उन गरीब लोगों को पैसा दिया जाता है लेकिन जब तक उन अधिकारियों को उनका कमीशन न मिले तब तक वे गरीब लोगों को चक्कर पर चक्कर कटवाते रहते हैं। उन गरीब लोगों को जो फायदा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस करप्शन को खत्म किया जाये और गरीब लोगों को उनकी धन राशि टाइम पर मिलनी चाहिए, चाहे वह ''मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना'' का पैसा हो और चाहे वह ''डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास मरम्मत योजना'' का पैसा हो। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के बात करूंगी। मेरे हल्के में सड़कों का बहुत बुरा हाल है। वहां के लोग कहते हैं कि सड़कों में गडढे नहीं बल्कि गडढ़ों में सड़कों वाला हाल है। मेरे हल्के की जितनी भी सड़कें हैं उनको नया बनाने का काम किया जाये। जहां तक मेरे हल्के में ओवर लोडेड वाहन और अवैध खनन की बात है। वैसे तो यह अवैध खनन पूरे हरियाणा की समस्या है लेकिन मैं अपने हल्का सढौरा की बात करूंगी। ओवर लोड होने के कारण काफी लोगों को परेशानी हो रही है। मेरे क्षेत्र के लोगों को ओवर लोड वाहन की वजह से बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही

है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक अवैध खनन की बात है। मेरे हल्के में गांव मदीपुर, गड़वाली नगली, रणजीतपुर, कटखर, पमुवाला और जैतपुर आदि में अवैध खनन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, खनन डिपार्टमैंट के जो अधिकारी हैं, वहां पर उनकी मिलीभगत से अवैध खनन चल रहा है। मेरे पास वहां के लोग परेशान होकर भी आये थे और उन्होंने मुझे एक शिकायत भी दी है। मेरी सरकार से विनती है कि खनन माफिया को रोका जाये। इसके अलावा वहां पर जो अवैध लोडिंग वाहन चल रहे हैं, उनको भी रोकने का काम किया जाये। जहां तक बेरोजगारी की बात है तो मैं इस बारे में कहना चाहूंगी और यह भी देखने वाली बात है कि हमारे यहां पर बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं वे बेरोजगार घूम रहे हैं। जहां तक आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की बात है तो उन्होंने मुझे अपना ज्ञापन सौंपा है कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। एक मैं यह मांग करती हूं कि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा आर्ट एंड क्राफ्ट का 2 साल का डिप्लोमा होता है उसको आई.टी.आई. सर्टिफिकेट के बराबर कर दिया जाये ताकि हजारों युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगी कि 613 अध्यापक इस इंतजार में बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी परीक्षा पास भी कर ली है लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : रेनू जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए प्लीज आप बैठ जायें।

श्रीमती रेनू बाला : अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5–5 करोड़ रुपये देने का काम किया था लेकिन यह पैसा सभी विधायकों को प्राप्त हो गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अतः सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इस राशि को जल्द से जल्द रिलीज किया जाये ताकि हम विधायक साथी अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों को अमलीजाम पहना सकें।

परिवहन मंत्री (पंडित मूल चन्द शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि कोई वैध खनन हो रहा है तो वह भी अवैध खनन माना जाता है। पूर्व की सरकार ने तय किया है कि एक क्षेत्रफल में 10 गांव आते हैं, जैसे 100 हैक्टेयर में या 50 हैक्टेयर में खनन होगा। उसमें 10 गांव भी आते हैं 5 गांव भी आते हैं और 4 गांव भी आते हैं। इसकी सीमा तय की गई कि इस इलाके में खनन होगा। यह किसान की मर्जी होती है कि वह अपनी जमीन

दे या न दे? जहां पर नदी है, वहां पर खनन होगा। मेरी विधायकों से विनती है कि वह संबंधित एरिया देख लिया जाये कि वह खनन का एरिया है या नहीं है। जो आदमी रॉयल्टी देता है क्या वह अवैध खनन है। जो सही खनन कर रहा है वह भी अवैध खनन माना जाता है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि फिर सही क्या है? मैं किसी भी माननीय सदस्य पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। जहां तक यमुनानगर की बात है तो यमुनानगर से एक साल में 168 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरकार के पास आता है। मेरा इसमें यह कहना है कि माननीय सदस्य ने कहा कि सड़कें टूटी हुई हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि हम वहां पर सड़कें भी अच्छी बनवाकर देंगे । जहां तक इन्डस्ट्रीज की बात है तो वहां बहुत सी इन्डस्ट्रीज भी चलती हैं और इंडस्ट्रीज के बहुत से काम इससे जुड़े हुए हैं । रेत और बजरी का मामला तो खनन से जुड़ा हुआ है । उन सड़कों से इन्डस्ट्रीज के बड़े बड़े ट्रक जाते हैं। मेरा कहना यही है कि यह सही है कि सड़कें बढ़िया होनी चाहिएं परन्तु सारे अवैध खनन की बात रोड़ी बजरी पर न लें । सड़कें तो जरूर बढ़िया होनी चाहिएं । ऐसा नहीं है कि रोड़ी बजरी के अवैध खनन से ही सड़कें टूट गईं । अध्यक्ष महोदय, मेरी सभी सदस्यों से विनती है कि वे मर्यादा में रहकर अपनी बात रखें ।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर कोई सदस्य कोई पर्टीकुलर केस के बारे में लिखकर देता है तो आप उसकी जांच जरूर करवा लें ।

पंडित मूलचंद शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं इस तरह के केसिज में जांच अवश्य करवाउंगा।

डा. बिशन लाल सैनीः मंत्री जी, हमारे इलाके में अवैध खनन का काम चलता है।(विघ्न)

पंडित मूलचंद शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बिशनलाल जी को कहना चाहूंगा कि ये मुझे अवैध खनन करने वाले का नाम लिखकर दे दें ।(विघ्न)

डा. बिशन लाल सैनीः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दूंगा ।

श्री सुभाष गांगोली (सफीदों): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं सफीदों की टूटी सड़कों की बात यहां करना चाहूंगा । सफीदों विधान सभा में 3 नैशनल हाइवे बनने लग रहे हैं और बड़े बड़े डम्पर छोटी छोटी सड़कों पर चलते हैं जिसकी वजह से सारी सड़कों की बुरी हालत हो गई है । शहर का जो फोर लेनिंग का

काम चल रहा है उसकी वजह से सड़कों पर रोजाना 15–20 एक्सीडैंट्स होते हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा हल्के में 90 परसैंट सड़कों की हालत खराब है तथा केवल 10 परसैंट सड़कें ही बची हैं । अध्यक्ष महोदय, इस 28 तारीख को मैंने प्रतीकात्मक रूप से अपने यहां की सड़कों के गड्ढों में कमल के फूल उगाने का काम शुरू किया था और इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में समस्या आएगी । जैसे ही मैंने यह काम शुरू किया और मीडिया के थ्रू लोगों के पास खबर पहुंची तो जिन गांवों की सड़कें टूटी हुई थी और जहां मैं नहीं जा पाया, वहां के लोगों ने कमल के फूलों की बुकिंग शुरू कर दी और मुझे फोन करके बताया कि विधायक जी, हमने गांव की सड़कों के गढ्ढों में कमल के फूल उगाने का काम शुरू कर दिया है । अध्यक्ष महोदय, कमल का फूल बहुत जल्दी उगता है । यह फूल लगाते ही बढ़ने लगता है और देखते ही देखते एक इंच बढ़ जाता है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन सड़कों को जल्दी दुरूस्त करवाया जाए । इन सड़कों को बनाया तो जाएगा लेकिन इसके साथ एक समस्या और खड़ी हो जाएगी । जो बड़े बड़े कमल लगे हुए हैं उनके लिए वन विभाग से एन.ओ.सी. लेनी पड़ेगी तथा सड़कों को दुरुस्त करने के काम में देरी होगी । अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि गड्ढों के अंदर जो सड़कें हैं, सरकार उनको दुरुस्त करवाने का काम करे ताकि एक गांव से दूसरे गांव में आने जाने का रास्ता सुगम हो सके । अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा । पिछले विधान सभा सैशन में मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने डाक्टर्ज की कमी का एक प्रश्न विधान सभा में लगाया था । मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपके यहां एक महीने में डॉक्टरों की कमी को पूरा कर दिया जाएगा लेकिन उस समय हुआ क्या था कि हमारे सफीदों में जो एक डाक्टर पोस्टिड था उसको भी मंत्री जी ने वापिस ले लिया था । अध्यक्ष महोदय, मेरे सफीदों में डॉक्टरों की 13 पोस्टें हैं और इस समय सफीदों मे एक भी डॉक्टर पोस्टिड नहीं है । अध्यक्ष महोदय, अगर डाक्टर्ज ही नहीं होंगे तो अस्पताल की क्या जरूरत है । मेरे से एक गलती हुई थी कि मैंने डाक्टरों की कमी का प्रश्न लगाया था और उसकी वजह से हमारे यहां जो एक डाक्टर लगा हुआ था उसको भी वापिस बुला लिया गया था । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे उस एक डॉक्टर को तो वापिस भिजवाने का काम किया जाए ।

मोहम्मद इलियास (पुन्हाना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी–जल्दी अपनी बात पूरी करूंगा क्योंकि समय कम है और समस्याएं ज्यादा हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की बात है यह उनके द्वारा मजबूरी में दिया गया अभिभाषण है क्योंकि सरकार द्वारा जो कुछ भी अभिभाषण में लिखा जाता है उसको पढ़ना राज्यपाल की मजबूरी होता है। सही मायने में सरकार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बातें लिखी गई है उनको अमलीजामा नहीं पहना पा रही है, यही हकीकत है । अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की समस्या सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। पिनंगवा पुन्हाना बाई–पास बनाने के लिए जिस दिन से इस असैम्बली में चुनकर आया हूं उस दिन से अनुरोध कर रहा हूं पिछले बजट सैशन में भी इन बाई–पास को लेकर बात आई थी और बजट में पैसे का प्रावधान किया गया था लेकिन वह प्रावधान ठंडे बस्ते में चला गया, मेरा अनुरोध है कि इस बाई–पास को जल्दी से जल्दी बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ–साथ में अनुरोध करना चाहूंगा कि सिंगार गांव को पानी देने के लिए एक पम्प हाउस बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने वर्ष, 2017 में अनाउसमैंट की थी। मनोहर सरकार दोबारा बने हुए अढाई साल का समय हो गया है लेकिन उस पम्प हाउस को बनाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उस पम्प हाउस को जल्द से जल्द बनाया जाये। उस पम्प हाउस के बनने से सिंगार गांव के खेतों को पानी मिलेगा। सिंगार गांव मेवात का सबसे बड़ा गांव है, आज तक उस गांव के खेतों में पानी नहीं पहुंचा है इसलिए मेरा अनुरोध है कि उस पम्प हाउस को जल्द से जल्द बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, गंगवानी माइनर का कार्य भी लम्बित पड़ा हुआ है। यह माइनर आधा पक्का है और आधा कच्चा है, मेरा अनुरोध है कि इसको आर.डी.–22000 से आर.डी.–40,500 तक एक्सटेन्ड किया जाये। इसी तरह से उजेना ड्रेन पर आर.डी. 26,000 के पास बादली गांव में पुलिया बनाई जाये क्योंकि इस गांव की जमीन पश्चिम की तरफ है और गांव पूर्व की तरफ पड़ता है। वहां पर हादसों में बहुत सी मौतें भी हो चुकी है क्योंकि जवान बच्चे अपने खेतों में जाने के लिए ड्रेन को सीधा पार करने की कोशिश करते है तो हादसों में मौतें भी हुई हैं इसलिए सरकार इस पर विशेष ध्यान दे। (विघ्न) गुड़गांव कैनाल पर राजस्थान लिंक पर आर.डी.–21,616 पर भी जल्द से जल्द ब्रिज बनाया जाये क्योंकि कुतुबपुर

गांव भी पश्चिम की ओर पड़ता है और चांदन गांव पूर्व की तरफ है वहां पुलिया बनने से गांव वालों को अपने खेतों में जाने के लिए असानी हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सामूहिक मांग मेवात क्षेत्र के लिए करना चाहूंगा। मेरी इस मांग में आफताब जी और मामन खान जी भी शामिल हैं। हमारी मांग है कि नूंह तक तो चार मार्गी रोड बन चुका है लेकिन नूंह से अलवर की तरफ राजस्थान बार्डर तक चारमार्गीय बनाया जाये। मैं मुख्यमंत्री जी से और उप–मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उस रोड़ पर हर महीने में 10 से 20 मौतें एक्सीडैंट में हो जाती हैं और आज तक हजारों मौत हो चुकी हैं इसलिए जल्द से जल्द यह रोड चारमार्गी रोड बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, यू.पी. से तिजारा और नूंह से तिजारा रोड पर बहुत ट्रैफिक है, तिजारा रोड पर तो काम भी चालू हो गया था मगर रुक गया । (विघ्न) मेहरबानी करके उसको बनवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं मांग करूंगा कि पिनंगवा में पी.डब्ल्यू.डी. का रैस्ट हाउस बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा और करना चाहूंगा कि हमारे नूंह जिले में किसानों को उनकी फसलों के हुए नुक्सान का आज तक एक पैसा भी मुआवजा नहीं मिला है । खासतौर पर मेरे हल्के के 50–60 गांव ऐसे हैं जो गुड़गांव कैनाल के साथ लगते हैं चाहे वह गुलावट, सिरोली है यदि मैं सबका नाम लूंगा तो ज्यादा समय लग जायेगा। इन गांवों की फसल को काफी नुक्सान हुआ है लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया गया मेरा अनुरोध है कि उनको मुआवजा देकर राहत दी जाये। बेमौसमी वर्षा के कारण उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी इसलिए उन किसानों को मुआवजा दिया जाये। आपकी बहुत–बहुत मेहरबानी होगी। अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

श्री अमित सिहाग (डबवाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की वास्तविकता को चार शब्दों में आंका जा सकता है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ तो सरकार को नहीं मिला यदि सबका साथ, सरकार को मिला होता तो 2019 के चुनाव में मौजूदा सरकार को पूर्ण बहुमत मिला होता। सरकार को उनका विश्वास जरूर मिला जो कहते थे कि 75 पार वाली सरकार को यमुना पार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक विश्वास की बात है यदि किसानों को विश्वास होता तो एक साल तक उनको सड़कों पर आंदोलन नहीं करना पड़ता और सत्ता पक्ष के सदस्यों को एक साल तक कमरों में

बंद हो कर नहीं रहना पड़ता। यदि सरकार सभी किसानों के साथ होती तो वर्ष 2021 में मेरे डबवाली हल्के के किसानों की नर्मे की फसल खराब हुई थी उनको मुआवजे के लिए संघर्ष न करना पड़ता। उस समय उन 10–12 गांवों को गिरदावरी में केवल 23 प्रतिशत का नुक्सान दिखाकर मुआवजे से वंचित कर दिया गया । अध्यक्ष महोदय, जो एन.एच.–54 बनाया जा रहा है उस पर मेरे हल्के के भी 9 गांव पड़ते है और उन गांवों की एन.एच.–54 के लिए भूमि अधिग्रहण की गई। उस रोड के मुआवजे को लेकर, स्ट्रक्चरल अवार्ड को लेकर वहां के लोगों को धरने पर न बैठना पड़ता। अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं मानता हूं कि सरकार यदि किसानों का विश्वास लेना चाहती है तो पिछले साल हमारे वहां जो गिरदावरी हुई थी उसकी वीडियों रिकार्डिंग किसानों के सामने रखनी चाहिये और एन.एच.–54 के अवार्ड का पैसा भी सही ढंग से दिया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से यदि सरकारी कर्मचारियों का साथ, सरकार के साथ होता तो वे ओ.पी.एस. की मांग को लेकर विपक्ष के पास न आकर सरकार के पास जाते। जिसने अपने मैनिफैस्टों में इसका वायदा किया था। इसी तरह से जो क्लर्क हैं वे 35,400 की अपनी जायज मांग को लेकर हमारे पास न आकर सरकार के पास जाते। इसी तरह से जो शिक्षा प्रेरक है जिनको सरकार ने 2017 में हटाया वे भी विपक्ष के पास आकर अपने रोजगार की बार–बार गुहार न लगाते । इसी तरह से जे.बी.टी. भी अपने स्थाई जिले की मांग आपसे बार–बार न करते। यदि सरकार अपने कर्मचारियों का विश्वास जीतना चाहती है तो उनकी इन सभी जायज मांगों को सरकार को मानना चाहिए। जो उनकी ओ.पी.एस. की मांग है वह भी मानी जाये और राजस्थान सरकार की तर्ज पर इस बजट में उसके लिए पैसे का प्रावधान किया जाये। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से किसानों के लिए बनाये गये कानून को चुनने का हक किसानों को है उसी तरीके से पेंशन स्कीम चुनने का हक सरकारी कर्मचारियों को है और क्लर्कों को सम्मान ओहदे के लिये 35,400 का बेसिक वेतन दिया जाये। इसी तरह से जिन शिक्षा प्रेरकों को सरकार ने हटाया है उनको प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा पोर्टल पर रजिस्टर करके रोजगार दिया जाये। इसी तरह से जो जे.बी.टी. अध्यापक है उनमें बहुत सी हमारी बहनें अपने घरों से दूर हैं उन बहनों और अध्यापकों को स्थाई जिले की पोस्टिंग का तोहफा दिया जाये ताकि सरकार के प्रति इन लोगों का विश्वास बन सके। अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रदेश के युवाओं के विश्वास की बात है यदि युवाओं में सरकार के प्रति विश्वास होता तो

बेरोजगारी के चलते उन्हें नशे का सहारा न लेना पड़ता। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो 75 प्रतिशत हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था और उसके लिए कानून भी लेकर आई, उस कानून को लेकर उद्योगों के मन में एक संशय पैदा न होता अगर फिर भी आप चाहते हैं कि युवाओं का विश्वास आपके साथ बने तो जिन स्कूलों में अध्यापक नहीं है उन स्कूलों में अध्यापक देने का काम करें। 75 प्रतिशत हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का जो कानून है उसको इन्सपैक्टर राज की तरह न लागू करके सही मायने में जो उद्योग 75 प्रतिशत हरियाणा के युवाओं को रोजगार दें उनको प्रोत्साहन के तौर पर टैक्स इनसैंटिव देने का काम किया जाये और हरियाणवी को 15 साल के डौमिसाईल का अधिकार भी दिया जाये । अध्यक्ष महोदय, मैं सही मायने में कहना चाहता हूं कि सरकार जब भी सरकारी भर्तियां निकाले उनमें उसी समय पूरी जानकारी दी जानी चाहिए कि किसी समय पेपर होगा, किस समय रिजल्ट निकलेगा और कब तक भर्ती हो जायेगी तब जाकर युवाओं में सरकार के प्रति विश्वास पैदा होगा। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि सरकार बुजुर्गों का विश्वास अपने साथ लेना चाहती है तो उनकी जो बुढ़ापा पेंशन है वह आयु पर आधारित न करके हरेक व्यक्ति और हरेक बुजुर्ग को सम्मान राशि के रूप में देने की व्यवस्था करें तब जाकर आप उनका विश्वास ले पायेंगे। उनका विश्वास भी आप लोग ले लेंगे। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के के गुरू गोबिन्द्र सिंह खेल स्टेडियम में उसी तरह की व्यवस्था हो जायें जिस प्रकार की व्यवस्था आपके पंचकुला के स्टेडियम में हैं तो प्रदेश के हरेक खिलाड़ी का विश्वास आपके साथ आयेगा। सच सुनने का काम आप लोगों को करना है कि जो नगर निकायों के अन्दर हमारे जो शहरी हैं भ्रष्टाचार और पर्ची खर्ची के बजाय उनको सरलता से उनका अधिकार देंगे तो उनका विश्वास आपके साथ आयेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि चुनना आपको है, तय आपको करना है कि आप सबका–साथ सबका विकास, सबका विकास–सबका विश्वास इस किताब में ही देखना चाहते हैं या हरेक हरियाणवी के चेहरे पर और उसकी आंखों में, उसके दिल में देखना चाहते हैं, यह आपको चुनना है। धन्यवाद।

15:00 बजे

श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद) (एन.आई.टी.): अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपका धन्यवाद कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी वाणी की शुरूआत राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सुशासन के उल्लेख

से करना चाहता हूं। सुशासन में एक अहम बात जो कि हमारी रामायण के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में लिखी है, मैं इससे शुरूआत करना चाहता हूं:–

बिनय न मानत जलधि जड़, गये तीनि दिन बीति

बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति।

सुशासन में हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि भय बिन प्रीत ना हो भाई और शायद आज यही कारण है कि प्रदेश के अंदर लालफीताशाही हावी होती जा रही है। विधायकों और मंत्रियों की तो छोड़ो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं हैं उनमें भी पेच फंसता है। जो घोषणाएं समय पर पूरी होनी चाहिए थी, जो लोगों तक कार्य पहुंच जाने चाहिए थे मुख्यमंत्री जी की वे 2016 की घोषणाएं भी आज तक पैंडिंग हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय की व्यक्तिगत ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा मगर आप सबको पता है कि पिछले 5–7 सालों में फरीदाबाद नगर निगम में कितनी लूट खसोट हुई। कई सौ करोड़ रुपये का बिना काम के भुगतान हो गया। इसके बावजूद टाइम पर जांच नहीं हो रही है और जो दुष्ट/अधर्मी लोग हैं उनको सजा भी नहीं हो पा रही है। परन्तु उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ पैसा नगर निगम फरीदाबाद को दिया गया है। उसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

विकास एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसी क्रम में मैं कहना चाहूंगा कि अतिरिक्त उपायुक्त, फरीदाबाद ने अपने पत्र क्रमांक 2041 दिनांक 02.09.2019 को 5 करोड 09 लाख 70 हजार रुपये की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी और उस पर साफ लिखा है कि आचार संहिता लगने के कारण उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं की गई। फिर चुनाव बाद न हरियाणा में मुख्यमंत्री जी बदले और न ही मुख्यमंत्री जी का वचन बदला फिर भी आज दो साल हो गये, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ये कार्य हों क्योंकि ये कार्य मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा राशि भी नहीं लगनी है केवल मात्र 5 करोड़ रुपये के काम हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये कार्य 2 वर्ष पुराने हैं इसलिए हो सकता है कि इनकी लागत राशि भी बढ़ गई होगी इसलिए कृपया नए सिरे से इनका अनुमान बना कर यह पैसा स्वीकृत किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज भ्रष्टाचार की जो बात करे इससे बड़ा दानव हरियाणा में मुझे नजर नहीं आ रहा है। कोशिश हो रही है मगर जमीन पर कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है।

गुड़गांव पुलिस के भ्रष्टाचार का मामला ले लें। इसके बारे में विपक्ष का विधायक नहीं कह रहा है बल्कि अब तो माननीय न्यायलय द्वारा तत्कालीन पुलिस आयुक्त के.के.राव के खिलाफ बहुत सख्त टिप्पणी की है। पंकज सेतिया, डी.एस.पी. इतने दिनों तक फरार रहा, भगोड़ा रहा, जब तक जमानत नहीं हुई, पेश नहीं हुए, कहां छुप कर रहे इतने दिनों तक, क्यों प्रशासन इतने दिनों तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाया? इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि मलाईदार पोस्टों पर इनको किस–किस ने बैठाया और मैं बार–बार कह रहा हूं कि यह मामला एस.टी.एफ. से नहीं सुलझेगा क्योंकि पैसा हरियाणा में बरामद हुआ, नोएडा गया, राजस्थान, गुजरात तथा विदेश में भी गया है इसलिए यह मामला सी.बी.आई. को दिया जाना चाहिए। यह काले धन का मामला है, नोट बंदी के बाद काला धन खत्म हो गया। अपुष्ट सूत्रों से खबर आ रही है कि यह मामला 234 करोड़ का है सिफ अखबारों में बात आ रही है कि 40 से 50 करोड़ रुपये की जबकि एफ.आई.आर. में रुपये का जिक्र नहीं है। वह 234 करोड़ रुपया कहां गया, उसकी कोई जानकारी नहीं है। जब तक यह केस ई.डी. में न जाए और माननीय सिटिंग जज द्वारा इसकी जांच ना हो इसकी जांच न करवाना बहुत बेमानी होगा।

श्री अध्यक्षः नीरज जी, आपका समय समाप्त हो गया है इसलिए आपका जो बोलना बाकी है वह आप लिखित में दे दीजिए उसको सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना दिया जायेगा।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, ठीक है। मैं लिखित में दे देता हूं उसको आप सदन की आज की कार्यवाही का हिस्सा बना दीजिए।

श्री अध्यक्षः ठीक है, आप लिखित में दे दीजिए।

***श्री नीरज शर्माः** अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में एक बिल आया था। हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन(विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2021 जब आया था मैंने उस समय भी सुझाव दिया था कि सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया मेरा और पृथला विधान सभा का एरिया है।

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनाया गया।**

लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। एक तो सी.टी.ओ. की पॉलिसी जारी की जाए और दूसरा मैंने उस बिल के समय भी कहा था कि खास तौर पर सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया और ऐसे अन्य इंडस्ट्रियल एरियाज को भी आप इस बिल में सम्मिलित कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा और लोगों को परेशानी भी नहीं होगी।

ऐसे ही अमरूत योजना जिसका दूसरा फेस आ रहा है और बड़ा दुख होता है कि अधिकतम 40 प्रतिशत प्रगति आई है बाकी कार्य तो 40 प्रतिशत से नीचे है। आप सबको पता है कि आज व्हर्लपूल सारन रोड कितने बड़े भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जिस पर सरकार ने खुद एफिडेविट दिया कि जिसको ठेका दिया गया वह 41.05 करोड़ रुपये महंगा था। सरकार इस बृज गोपाल कंस्ट्रक्शन की जांच करे कि विभाग द्वारा इसको इतना फेवर क्यों दिया जाता है? इसके एक–एक ठेके की जांच सी.बी.आई. से हो क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार पर हम अंकुश नहीं लगायेंगे तब तक हम हरियाणा को अपने देश को बिल्कुल भी तरक्की नहीं दे पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज जैसा आप सभी को पता है कि कोरोना के बाद लोगों की जिन्दगी बहुत ही कष्टदायक हो चुकी है। मध्यम वर्ग का कोई ऐसा घर परिवार नहीं है जिसका सोना बैंकों में गिरवी न हो। आज हर व्यक्ति जीवन यापन के लिए बहुत कठिनाई महसूस कर रहा है। सरकार कोई ऐसी नीति बनाए जिससे लोगों के जीवन में खुशहाली आए। इसके साथ–साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 8 मार्च को बजट पेश कर रहे हैं और बचपन में जब हम लोहड़ी मांगते थे तो प्रायः दो ही बात होती थी जिस घर से लोहड़ी मिलती थी उसके लिए हम कहते थे–कोठे उत्थे बच्चा, ते ऐ घर अच्छा। जहां से लोहड़ी नहीं मिलती थी तो हम कहते थे–कोठे उत्थे हुक्का, ते ऐ घर भुक्खा। असी चाहन्दे हां कि बजट ऐसा पेश हो कि हर विधान सभा में बराबर पैसा पहुंचे।

अध्यक्ष महोदय, मैंने विधान सभा में एक प्रश्न भी लगाया था किः–

(क) वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2021 तक नगर निगम, फरीदाबाद में कितने घोटाले उजागर हुए तथा कितने घोटालों की जांच विजिलेंस विभाग को स्थानांतरित की गई?

(ख) विजिलेंस विभाग द्वारा घोटालों की जांच करके सरकार से क्या सिफारिश की गई तथा सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की गई, विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड सहित उपलब्ध करवाई जाये?

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांग भी सदन के पटल पर रखना चाहूंगा जो इस प्रकार हैं :–

Demand No.15 - Urban Local Bodies

Sr.No.	Ward No.	Name of work	Amount
1.	5	Estimate for providing and laying of 80mm thick M-40 grade interlocking tiles in BBN School Wali Gali, Sain Chowk Road, VSS School Wali Gali, Manoj Wali Gali, Hardware Store Wali Gali of Jiwan Nagar in ward No.05 NIT Faridabad	7001000.00
		Estimate for providing and laying of 80 mm think M-40 grade interlocking tiles in gali No.191, gali No.118 MR School, Gali 101 Parshuram Dharmshala, Ram Mandir, Meera Churi, Gali No.185, Gali No.50-51-52, gali no.10 saran school road, gali No.2, 08, 11 vaidh road wali galiya of parvatiya colony along saran school road in ward No.05 NIT Faridabad.	7572900.00
		Estimate for construction of 2 ft wide RCC Drain both side and providing & laying RMC of M-40 grade at Vaidh Road in ward No.05 NIT Faridabad	7301200.00
2.	6	1 No. tubewell Gali No.24, Khand-B, Jawahar colony in ward No.6 NIT Faridabad	0.00
		5 No. T/well in ward No.6	1625000.00
		Gali No.6 Chacha chowk, Baba sabzi mandi wali road interlocking tiles.	0.00
		Garg Marble to Shiv Boundar RCC drain both side	5375000.00
		P/L 80 mm think interlocking tiles Nangla road to shiv Boundary in ward No.6	0.00
		Connectiion to main line of various streets by450 mm dia sewer line	700000.00
		P/L of water supply line at various places in ward No.6	1170000.00
		P/L RMC M-40 grade on road from 60 feet road end disposal to Chacha chowk in ward No.6	0.00
		P/L RMC M-40 grade on road from 30 feet road to Hanuman marg	5000000.00
		Repairing of PVC pipe 100 mm dia water supply line Chacha chowk to30 feet road to both side	250000.00
3.	7	Providing & Laying 150 mm dia and 100 mm dia K-9 piple water supply line in Ghyan Bharti Pocket & Gurudwara road pocket Jawahar colony ward No.07, NIT Faridabad.	7302700.00
		Construction of 1'6" wide both side RCC Nallah from gurudwara road to Gaunchi drain along shanty niketan road jawahar colony in ward No.07, NIT Faridabad	4257450.00
4.	9	Providing & laying 80 mm think interlocking tiles and raising of drain type 1st in Gulab Pocket, Nagla enclave part-	9136900.00

		2 in ward No.9, NIT Faridabad	
		Construction of 1'6" wide both side RCC Nallah at Ramphal Mandi Road Nagla Enclave Part-1, in ward No.9 NIT Faridabad.	8429130.00
		Construction of 2'0" wide RCC Nallah from Nagla Village to Mahabir General Store (Sothern side) and Nagla Village to Bhadhana Chowk (Northern side) along Nagla Road in ward No.9 NIT Faridabad.	8169870.00
		Construction of 2'0" wide RCC Nallah from Attal Chowk to Sonia Chowk and Sonia Chowk to Air Force Nallah Nagla Enclave Part-I, in ward No.6 & 9 NIT Faridabad.	5142850.00
		Providing & laying 150 mm dia K-9 D.I, pipe and 100 mm dia PVC pipe water supply line in Gulab Pocket, Ha Ha Kali Mandir Gali, Halchal Wali Gali, Nagla Enclave part-2 in ward No.9 NIT Faridabd	3460130.00
		Providing & laying 450 mm dia RCC NP-3 Pipe Sewer line at Anand Joti Ashram Road, Aara Machine road, Nagla Part-I, ward No.9, NIT Faridabad.	3208750.00
		Providing & laying 100 mm dia PVC water supply line and 80 mm think interlocking tiles with raising of drain type IST in Malik Gali, Geeta Gali, Varsena Wali Gali, Dayaram Gali, Madan Gali, Hanuman Mandir Gali, Rakesh Panchal Gali, Begraj Gali, Nagla Part-I, in ward No.9, NIT Faridabad.	5193000.00
		Providing & Laying 80 mm thick interlocking tiles with raising of drain type IST in Mohanti wali Gali, Mohan Ram Mandir Gali, Opp. K.K. Sharma Gali, Opp Mohanti gali, Tilakraj Wali Gali, Nagla Part-I, in ward No.9, NIT Faridabad	3180500.00
		Providing & Laying 80 mm thick interlocking tiles with raising of drain type 1st in Sardar Wali Gali, Banti tanker wali gali, old police chokki T.W. wali gali, Rohit tanker wali gali, Rohan wali gali, Lokesh wali Gali, Nagla Part-I, in ward No.9, NIT Faridabad.	3010500.00
		Providing & Laying 80 mm thick interlocking tiles with raising of drain type 1st in Satpal Gali, Sharma Gali, R.O. Wali Gali, Mandir Gali, Rajkapoor Gali, Gopal gali, Lalaram gali, Radhay shyam Sharma Gali, Nagla Part-I, in ward No.9, NIT Faridabad	4059100.00
		Providing & Laying 80 mm thick interlocking tiles with raising of drain type 1st in Chandan Kashyap Gali, B.K.School Gali, Opp. B.K. School Gali, Shakha Bharti School Gali, Anil Poswal Gali, Chandela wali Gali, Crossing gali Chandela wali, Nagla Enclave Part-I, in ward No.9, NIT Faridabad.	3897000.00
		Providing & Laying 250 mm dia S.W. piple Sewer lin and 80 mm thick interlocking tiles with construction of drain type 1st in Daddu Thakur gali, Nandan Singh gali, Ajay gali, Jyoti Sharma gali, Maya gali, Rajbir gali, Rakesh gali, Manoj gali, Ranbir gali, Sheshnath gali Nagla Enclave part-I, in ward No.9, NIT Faridabad	4941000.00
		Providing & laying 150 mm dia D.I. pipe water supply line and 300 mm dia sewer line and construction of RMC-M-40 grade road at in Baba Mohan Ram Mandir Road, Nagla	4880400.00

		Enclave Part-I, in ward No.9, NIT Faridabad.	
		Providing & laying RMC M-40 grade at Prince School Road and Aara Machine Road, Nagla Enclave Part-I in ward No.9, NIT Faridabad	8519200.00
		Providing and laying RMC M-40 grade at Anand Jyoti Ashram and Chattar Singh Road, Nagla Enclave part-I in ward No.9, NIT Faridabad	7824600.00
		Total	13,06,08,180.00

अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में लीजहोल्डर को मालिकाना हक देने का काम करके अच्छा काम किया है मगर हम चाहते हैं कि कदीमी कब्जेदार डोहलीदार, बोंडेदार, बुट्टेदार को भी सरकार पंचायती जमीन देकर अनुग्रहीत करे। हम केवल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की आलोचना के लिए नहीं हैं बल्कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए सोच रखने वाले हैं। मुख्य विपक्ष के रूप में सरकार को चेताने की हमारी जिम्मेदारी है जिसे हम निभा रहे हैं और जन आवाज को इस महान् सदन के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं :–

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी,

सो नृप अवसि नरक अधिकारी।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री मामन खान (फिरोजपुर झिरका) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं। मैंने यह बात पहले भी इस महान सदन के सामने रखी है और आज फिर से रख देता हूं। मैं कह रहा हूं कि मेवात जिले में काफी संख्या में सैनिक हैं और आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं यह हमारे सैनिकों की वजह से ही ले रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि जब सब जिलों में सैनिक बोर्ड बने हुए हैं, सैनिक कैन्टीन बनी हुई हैं तो मेवात में भी एक सैनिक बोर्ड और सैनिक कैन्टीन होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर कृषि विभाग की बात की जाये तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र खुले हुए हैं लेकिन केवल मेवात ऐसा जिला है जहां पर कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं है। मेरा आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि मेवात में भी एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोला जाये क्योंकि 80 प्रतिशत लोग सीधे और परोक्ष रूप से खेती से जुड़े हुए हैं। अगर कृषि विज्ञान केन्द्र खुल जायेगा तो

वहां के किसान भी टैक्निकली स्ट्रॉंग होंगे। अब मैं शिक्षा पर अपनी बात रखना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा हुआ है कि नूंह(मेवात) में एक मल्टीडिसीप्लीनरी राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि फरवरी, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रूसा के तहत फिरोजपुर झिरका में एक गवर्नमैंट कॉलेज की घोषणा की थी वह कॉलेज आज तक नहीं बना है। उसके पैसे भी बी.एण्ड आर. विभाग के पास जमा हो गये हैं फिर भी इसके निर्माण में देरी क्यों की जा रही है? जहां तक रोजगार की बात है तो मेवात हरियाणा में एक ऐसा जिला है जहां पर एक भी फैक्ट्री नहीं है, जहां पर एक भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। रोजका मेव को इंडस्ट्रियल एरिया तो बना दिया है लेकिन अभी तक एक ही फैक्ट्री का काम शुरू हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं लॉ एण्ड ऑर्डर के संबंध में बताना चाहूंगा कि हमारे मेवात में सरकार लॉ एण्ड ऑर्डर की बात करती है, कानून की बात करती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा जंगल राज कहीं भी नहीं है जितना जंगल राज मेवात के अन्दर है। वहां की पुलिस कोई भी लॉ एण्ड ऑर्डर व कानून मेनटेन नहीं करती है। अगर किसी आदमी को उठाना है तो कानून में तो यह है कि उसके अगेंस्ट पहले एफ.आई.आर. लौज करें, फिर उसके घर जाईये और फिर उसको उठाकर लाईये। मेवात एक ऐसा जिला है जहां पुलिस रात के दो बजे, तीन बजे चाहे हथीन की साईड हो, चाहे पुन्हाना की साईड हो, चाहे गुरूग्राम की साईड हो, चाहे तावडू की साईड हो। हरियाणा में कहीं भी हो बिना एफ.आई.आर. के आदमी को उठाया जाता है और फिर जब उन पर पथराव होता है तो उनके पूरे परिवार पर धारा 307 के केस दर्ज किये जाते हैं। स्पीकर सर, इस पर जरूर से जरूर संज्ञान लिया जाए और यह भी जरूर बताया जाए कि लॉ एण्ड ऑर्डर सभी के लिए बराबर होता है या नहीं क्योंकि लॉ एण्ड ऑर्डर सभी के लिए बराबर होना चाहिए, उसमें चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं। धन्यवाद।

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे 5 मिनट बोलने दें तो मैं बोलूं।

श्री अध्यक्ष : वरूण जी, आपको बोलने के लिए केवल तीन मिनट मिलेंगे।

श्री वरूण चौधरी : स्पीकर सर, मेरी पार्टी का एक नियम है कि अगर मैं गवर्नर एड्रस पर बोलूंगा तो फिर मैं बजट पर नहीं बोल सकूंगा इसलिए मैं न गवर्नर एड्रस पर बोल पाऊंगा और न बजट पर बोल पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : यह कोई जरूरी नहीं है, अगर आप बोलना चाहें तो बोलिये।

श्री वरूण चौधरी : स्पीकर सर, मैं अपना टाईम श्री जगबीर सिंह मलिक जी को देता हूं क्योंकि मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी नहीं कर सकता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, श्री वरूण जी ने अपना समय श्री जगबीर सिंह मलिक जी को दे दिया है। अब तो जगबीर सिंह मलिक जी को 10–15 मिनट बोल लेने दीजिए। ये इतने सीनियर मैंबर हैं।

श्री चिरंजीव राव (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़ रहा था तो मैं एक बार तो कंफ्यूज हो गया था कि मैं यह माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण पिछला पढ़ रहा हूं या अबकी बार का पढ़ रहा हूं क्योंकि इस अभिभाषण में भी वही सारी बातें थी जो पिछले अभिभाषण में थी। इस अभिभाषण में भी वही सारी बातें फिर दोबारा से नजर आई हैं। खैर माननीय राज्यपाल जी को तो सरकार या अधिकारी जो अभिभाषण लिखकर देते हैं वही चीज वे पढ़ देते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमारे राज्यपाल जी भी तो हर रोज सुबह अखबार पढ़ते होंगे। क्या वे अखबार के अन्दर नहीं देखते होंगे कि किस तरह से आए दिन हमारे प्रदेश के अन्दर मर्डर, लूटपाट, रेप और डकैती हो रही हैं। इस अभिभाषण के अन्दर गुड गवर्नैंस के बारे में लिखा गया है। अगर हम गुड गवर्नैंस की बात करेंगे तो मैंने आज क्वेश्चन ऑवर के अन्दर एक सवाल लगाया था लेकिन वह लगा नहीं। उसमें मैंने पूछा था कि प्रदेश के अन्दर वर्ष 2014 के बाद लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन पहले से बेहतर हुई है या खराब हुई है। मेरा वह सवाल तो नहीं लग पाया लेकिन उसका जवाब आया है जिसमें हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज जी कहते हैं कि– नहीं श्रीमान् जी, लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन अण्डर कंट्रोल है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जहां वर्ष 2014 में 1100 रेप केस होते थे उन्होंने ही लिखा है कि वर्ष 2021 के अन्दर 1762 रेप केस हुए हैं। फिर भी वह कहते हैं कि सिचुएशन अण्डर कंट्रोल है। वर्ष 2014 में किडनेपिंग के जो 2700 केस हुए थे अब वर्ष 2021 में 3100 केस हो गये हैं। वर्ष 2014 में मर्डर के 1100 केस थे अब वर्ष 2021 में वे और बढ़ गये हैं। वर्ष 2014 में थैपट केस 20000 थे अब वे 26000 हो गये हैं फिर भी कहते हैं कि इट इज अण्डर कंट्रोल। उसके बाद यह कहा जाता है कि–'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।' अगर इनका विश्वास लोगों के ऊपर होता तो आप

लोगों ने पिछले दिनों देख ही लिया था कि जब बरौदा हल्के का चुनाव हुआ तो उसमें सरकार हारी और जब ऐलनाबाद हल्के का चुनाव हुआ तो उसमें भी सरकार हारी। कोरोना काल के अन्दर लोगों को बैड नहीं मिले, ऑक्सीजन न मिलने के कारण लोगों की मौतें हो गई। किसानों को खाद नहीं मिल पाई। आज हमारे प्रदेश के अन्दर अनइम्प्लायमैंट की हालत इतनी खराब है जिसमें हम देश में नम्बर–1 पर हैं। महंगाई के अन्दर हम नम्बर–1 हैं, पैट्रोल और डीजल के दाम हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा हैं। जब हर तरीके से इस प्रदेश की हालत खराब है तब सरकार कहती है कि गुड गवर्नैंस है। हालात अच्छे हैं। मैंने इस विधान सभा सत्र के अन्दर तकरीबन 13 कॉलिंग अटैंशन मोशन लगाए थे जिनमें से कुछ तो नामंजूर हो गये थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमारे पास भी अपने मांग पत्र लेकर आए थे उनमें चाहे वह आंगनवाड़ी के वर्कर हों। अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार का ही नारा है कि–'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'। आज हमारी बेटियां तकरीबन 80 दिन से धरने पर बैठी हुई हैं। क्या सरकार का उन बेटियों की तरफ कोई ध्यान नहीं है? पी.टी.आई. टीचर्ज हमारे धरने पर बैठे हुए हैं, गैस्ट टीचर्ज धरने पर बैठे हुए हैं, क्लर्क एसोसिएशन 35400 के इनीशियल स्केल के लिए धरने पर बैठी हुई है। आज हर वर्ग को सड़कों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है लेकिन सरकार का उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सिवाय झूठ के पुलिंदे से ज्यादा कुछ नहीं था। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हलके की डिमांड रखना चाहता हूँ। सदन के पहले सत्र के दौरान भी मैंने हमारे एरिया में एम्स बनाने के लिए एक मांग उठाई थी लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक इसके लिए जमीन तक एक्वॉयर नहीं की गई है। यही नहीं सरकार ने यह भी कहा था प्रदेश के हर जिले में एक नया मैडिकल कालेज खोला जायेगा लेकिन हमारे यहां आज तक कोई मैडिकल कॉलेज नहीं खोला गया है। सरकार द्वारा पी.एच.सी. और सी.एच.सी. ज्यादा से ज्यादा खोलने की बात कही गई थी लेकिन इनकी भी हालत जस की तस बनी हुई है। आज प्रदेशों में रोड्ज की बहुत बुरी हालत हो गई है और रेवाड़ी भी इससे अछूता नहीं रह गया है। मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, आज पैट्रोल और डीजल के दाम भी आसमान छूते जा रहे हैं। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, हमारे रेवाड़ी में एक दिन छोड़कर अगले दिन पानी आता है अर्थात

महीने में 15 दिन पानी आता है जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं सदन के माध्यम से दरखवास्त करता हूँ कि नहरों का जो पानी है वह भी प्रदेश में सभी जगहों पर नियमित तरीके से देने का काम किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के यहां तो एक दिन छोड़कर अगले दिन पानी आता है लेकिन हमारे यहां तो महीने में चार दिन ही पानी आता है। हम किसके सामने रोना रोयें। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कुंडु जी, प्लीज आप बैठिए।

श्री चिरंजीव रावः अध्यक्ष महोदय, मैं बस एक–दो बात कहकर अपनी समाप्त कर दूंगा। सरकार द्वारा बार–बार जोर देकर कहा जाता है कि हमने राम मंदिर बना दिया। मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर कोर्ट बनवा रहा है या यह सरकार मंदिर बनवा रही है ? अध्यक्ष महोदय, बड़ी–बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। मैं पुरानी बात बताना चाहूंगा। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने सबसे पहले राम मंदिर का ताला खोलने का काम किया था। (इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई।) (विघ्न)

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह): अध्यक्ष महोदय, चिरंजीव राव ने प्रदेश के लॉ एंड आर्डर के बारे में बात की है और इस विषय पर आज इनका एक प्रश्न भी लगा था। लॉ एंड आर्डर के संबंध में इनकी शंका का निवारण करते हुए कहना चाहूंगा कि 17 जनवरी, 2022 को हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यही नहीं भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा फतेहाबाद जिले के थाना भट्टू कलां को भारत के तीसरे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चयन किया गया है। इसी प्रकार कुलदीप बिश्नोई ने भी एक फिरौती मांगने संबंधी शिकायत की थी, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि इस संदर्भ में दिनांक 20.2.2022 को केस दर्ज किया गया था और अगले दो दिन बाद अर्थात दिनांक 22.2.2022 को उस आदमी को गिरफ्तार करने का काम किया गया था इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्यों को वस्तु स्थिति जानकर ही सारी बात रखनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः कुलदीप वत्स जी, अब आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलिए।

श्री कुलदीप वत्स (बादली) : अध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सदन में बड़ी–बड़ी चर्चाए हुई और सरकार द्वारा बड़े–बड़े वायदे किए गए। सरकार द्वारा कहा गया कि कोरोना काल में सरकार ने क्या–क्या काम किए। अध्यक्ष महोदय, मैं कोरोना काल के उस समय की फिर से याद दिलाते हुए कहना चाहूंगा किः–

वह दौर नहीं भूला भारत–अपनों को मरते देखा था

तुम लाख छिपाओ सच्चाई–सांसों को लड़ते हुए मैंने देखा था।

अध्यक्ष महोदय, कोरोना का जो समय था, वह सबसे खतरनाक समय था। मैं आपके माध्यम से कुछ बातें सदन के सामने कहना चाहूंगा। वर्ष 2010 में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा व श्री दीपेन्द्र सिंह हुडा के प्रयासों से बाढ़सा में 'एम्स' की आधारशिला रखी गई थी और उसमें 11 फैकल्टी मंजूर हुई थी लेकिन अब केवल एक ही चल रही है। कोविड–19 वैश्विक महामारी के संक्रमण के दौरान प्रदेश की बहुत बुरी हालत थी क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। कई घरों से माता–पिता चले गये और कई घरों से उनके बच्चे चले गये। पूरे हरियाणा ने इस तरह का भयावह वातावरण देखा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी की स्वयं घोषणा थी कि बादली में 50 बेडिड का अस्पताल बनाया जायेगा लेकिन आज तक नहीं बना। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी कहते हैं कि बादली में अस्पताल नहीं बनायेंगे। माछरौली और भाखला में भी घोषणा होने के बावजूद भी राजकीय अस्पताल नहीं बनाया गया। इससे हमारे प्रदेश के लोग क्या सबक लेंगे? हरियाणा प्रदेश में इस तरह से अच्छी चिकित्सा शिक्षा दे पायेंगे? महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारे प्रदेश के लिये अच्छी हैल्थ और अच्छी शिक्षा की बातें लिखी गई हैं, वे किस प्रकार से पूरी होंगी। सरकार यह कहती है कि हमने प्रदेश में भय और भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है और सुशासन के लिए हमने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए ई–गवर्नेंस का रास्ता अपनाया है। 'शासन कम, सुशासन ज्यादा' को सुनिश्चित किया है। इस बात को लेकर हरियाणा की जनता में त्राहि–त्राहि मची हुई है और कहती है कि आज प्रदेश में 'शासन कम, शोषण ज्यादा' हो रहा है। आज प्रदेश के अंदर आम जनता का शोषण हो रहा है। माननीय सदस्य श्री चिरंजीव राव जी ने भी सही स्टेटमैंट सदन के पटल पर रखी है। आज प्रदेश के अंदर लूट, मर्डर, रेप आदि अपराधिक घटनाओं

का ग्राफ दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। माननीय गृह मंत्री जी को कानून बनाने का शौक है, अच्छी बात है कि अपराधों के लिये कानून बने और हम भी हर कानून के पक्ष में हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, नशे का बहुत बड़ा कारोबार हो रहा है आदि घटनाओं के लिये प्रदेश सरकार को कोई न कोई कानून जरूर बनाना चाहिए। प्रदेश में सरेआम हत्या हो जाती है और गवाह, गवाही देने से मुकर जाता है और यदि वह गवाही देता है तो उसका भी मर्डर हो जाता है। इस प्रकार से अपराधी फिर सक्रिय हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सरकार को नशे के ऊपर भी कोई न कोई कानून बनाना चाहिए ताकि प्रदेश में अमन चैन और भाईचारा का माहौल बना रहे। सरकार 'जीरो टॉलरेंस' का नारा देती है। अध्यक्ष महोदय, इस समय माननीय मुख्यमंत्री, उप–मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री सदन में उपस्थित नहीं है फिर भी मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा भय और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। प्रदेश की जनता के मन में इतना भारी भय है, जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। सोनीपत के अंदर बदमाशों से ए.के.–47 तक के हथियार मिले हैं। गुरूग्राम के अंदर बदमाशों से ग्रेनेड तक मिली है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में इतने बड़े–बड़े हथियारों की सप्लाई कहां से हो रही है? प्रदेश में जब रजिस्ट्री घोटाला हुआ तो सरकार कहती है कि जांच हो रही है, शराब घोटाला हुआ तो सरकार कहती है कि जांच करा रहे हैं, प्रदेश में धान घोटाला हुआ तो सरकार कहती है कि जांच करा रहे हैं और प्रदेश में खनन घोटाला हुआ तो सरकार कहती है कि जांच करा रहे हैं। सरकार कहती है कि जांच पर आंच नहीं आयेगी लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों ने सरकार की जांच भी देख ली है और आंच भी देख ली है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने सरकार पर जो विश्वास जताया था, वह अच्छी तरह से देख लिया है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस महकमे का एक ईमानदार ऑफिसर श्री जयवीर शर्मा, इंस्पैक्टर था। पुलिस विभाग के हक में बहुत कम लोग बोलते हैं और खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। लेकिन मैं इस ऑफिसर के हक में यह बोलता हूँ कि उनके पास से एक रुपया भी बरामद नहीं हुआ। फिर भी उसको जेल के अंदर डाल दिया गया। उसका क्या कसूर था? एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय गृह मंत्री जी उसको मैडल दे रहे हैं दूसरी तरफ उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। आज हरियाणा के अंदर टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग

विभाग में फरीदाबाद–गुरूग्राम–रोहतक–भिवानी से लेकर चण्डीगढ़ तक एक ही परिवार का कब्जा है। उसमें चाहे किसी भी लैवल का अधिकारी क्यों न हो उनका कुछ भी नहीं होता है। इस तरह से सरकार एक समाज के व्यक्ति को टारगेट कर रही है। मैं तो कहता हूँ कि उस ईमानदार ऑफिसर की दोबारा से जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण मैं अपनी अंतिम बात यह कहता हूँ जिसे सुनकर सदन को बड़ी हैरानी होगी कि झज्जर में श्री ढिंढवा, डी.ई.टी.सी. था, उससे रंगे हाथों पैसे पकड़े गये और उसको 39 घंटों में जेल से बाहर करके उसकी पोस्टिंग फिर से झज्जर में कर दी गई, इस तरह के ईमानदारी के सर्टिफिकेट सरकार दे रही है और एक ईमानदार ऑफिसर को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांगों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे क्षेत्र में लघु सचिवालय की आधारशिला रखी है, इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाये। 50 बेडिड अस्पताल जिसकी घोषणा पहले से हो चुकी है, उसे भी जल्दी से जल्दी बनाया जाये। मेरे क्षेत्र में बस–स्टैण्ड भी जल्दी से जल्दी बनाया जाये। मेरे क्षेत्र में सड़कों की बहुत बुरी हालत है, इसलिए उनको भी जल्दी से जल्दी मरम्मत करके ठीक किया जाये। पूरे हरियाणा की क्या स्थिति है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र बादली के सारे रोड्ज टूटे पड़े हैं । अतः उनकी मरम्मत अवश्य की जाए । जिन–जिन घोटालों की बात की गई है उनकी भी जांच करवाई जाए । आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री प्रमोद कुमार विज (पानीपत शहरी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद । महामहिम राज्यपाल, हरियाणा द्वारा अभिभाषण के अवसर पर अपने अभिभाषण में आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में सरकार का सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास की भावना और अंत्योदय की विचारधारा को सार्थक करते हुए हरियाणा के चहुंमुखी विकास के कर्णधार माननीय मनोहर लाल जी की सरकार के जनहित, पारदर्शी योजनाओं का वर्णन किया गया है । मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे एक विधायक होने के नाते पानीपत की सेवा करने का एक ऐसे इरा में मौका मिला है जब प्रदेश में श्री मनोहर लाल जी की सरकार है । इस सरकार में पानीपत में

लगातार काम हो रहे हैं । पानीपत में शुगर मिल का उद्घाटन 3–4 महीने में हो जाएगा, बस स्टैण्ड का उद्घाटन अगले 2–3 महीने में हो रहा है, खाली पार्क जिस पर लगभग 25 करोड़ रुपये का खर्च आया है, का उद्घाटन भी अगले 3 महीने में हो जाएगा, सनौली रोड जो पहले हाइवे अथॉरिटी के अंडर था अब वह पी.डब्ल्यू.डी. के अंडर है, के लिए 104 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं । इस धनराशि से पानीपत से कुराड़ तक का फोरलेन रोड बनने जा रहा है । इसी तरह गोहाना रोड और असंध रोड को फोरलेन करने के लिए काम चल रहा है । साथ ही साथ हमें रेलवे लाइन पर 4 अंडरपासिज के लिए तकरीबन 23 करोड़ रुपये दिए गए हैं । इसके अलावा हमारा 100 बैड का एक हॉस्पिटल भी अंडर कंस्ट्रक्शन है । इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पानीपत को ये देन दी हैं । पानीपत की जनता माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यों से बहुत खुश है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक प्रार्थना करना चाहता हूं । मुझे इस बात की चिंता भी बहुत है । पानीपत जो आज के दिन लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है । वहां की कठिन परिस्थिति यह है कि पानीपत में आज के दिन 22–23 करोड़ लीटर पर डे पानी यूज हो रहा है । अगर यही हालत रहे तो 8–10 साल में पानीपत रहने लायक नहीं रहेगा क्योंकि वहां पर पानी ही नहीं होगा । ऐसे में वहां पर क्या तो इंडस्ट्री करेगी और क्या लोग करेंगे । हमारे शहर में 2 प्रोजैक्ट्स की जरूरत है । पहला प्रोजैक्ट जैड. एल.डी. है जिसकी कोस्ट 1800 करोड़ रुपये और दूसरा प्रोजैक्ट रैनीवैल प्रोजैक्ट है। इन दोनों प्रोजैक्ट्स की कोस्ट 3000 करोड़ रुपये बनती है । इन प्रोजैक्ट्स के बिना पानीपत सर्वाइव नहीं कर सकेगा और 10–12 साल में खत्म हो जाएगा । हमारे शहर में कोई भी गर्ल्स कॉलेज नहीं है । अतः मेरी प्रार्थना है कि वहां पर एक गर्ल्स कॉलेज खोला जाए । इसके अलावा पानीपत की इंडस्ट्री को कॉमन बॉयलर की आवश्यकता है, इसलिए वह भी दिया जाए । वहां पर एन.जी.टी. की तरफ से डेली गाइडलाइंज आ रही हैं । अगर एन.सी.आर. में एक कॉमन बॉयलर दे दिया जाए तो वह सारी इंडस्ट्री को फीड कर सकता है । इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इंडस्ट्रीज एरिया को कनैक्ट करने के लिए जी.टी. रोड पर एक फ्लाईओवर आ रहा है । मैं जितने भी काम सदन में बता रहा हूं मेरी प्रार्थना है कि उन सभी कामों को जल्दी पूरा किया जाए क्योंकि हम इन सभी कार्यों की डी.पी.आर. पहले ही दे चुके हैं और वे डी.पी.आर. सभी विभागों एवं मंत्रालयों में

पहुंच चुकी हैं । पानीपत में एक एक फ्लाईओवर बन रहा है जो ओल्ड इंडस्ट्रीज एरिया को जी.टी. रोड से कनैक्ट करेगा । एक अन्य फ्लाईओवर कैनाल के पैरलल रिफाइनरी रोड पर बनने जा रहा है । इसी तरह से गोहाना रोड का फ्लाईओवर जोकि 2 लेन है अब वह फोरलेन होना है । इसके लिए भी हम डी.पी.आर. दे चुके हैं । इसके अलावा पानीपत की एक बहुत जरूरी मांग फायर स्टेशन से संबंधित है । इसके लिए भी हम डी.पी.आर. दे चुके हैं । इसके साथ–साथ मैं पानीपत के पुराने एरियाज में स्टॉर्म वाटर और सीवरेज की पाइपलाइन के लिए भी 82 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. दे चुका हूं । इसी तरह पानीपत में इंडोर स्टेडियम के लिए भी मैं डी.पी.आर. दे चुका हूं । अतः इसको भी जल्द ही पूरा किया जाए और साथ ही साथ मैं पानीपत की 28 बस्तियों से संबंधित डी.पी.आर. भी दे चुका हूं । इसी तरह मैं मॉडल टाउन की रेनोवेशन के लिए भी डी.पी.आर. दे चुका हूं । इसको भी जल्द ही पूरा किया जाए । अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि पानीपत में एच.एस.आई.आई.डी.सी. का एक सैक्टर 29 है जिसके 2 पार्ट्स पार्ट 1 एण्ड पार्ट 2 हैं । इसका इनहांसमैंट का मुद्दा काफी पुराना है । मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व करवा दिया जाए ताकि लोग अपने प्लॉट्स की रजिस्ट्री वगैरह करवा सकें । इसके अलावा मेरी एक और प्रार्थना है कि गोहाना रोड और सनौली रोड को एल. एण्ड टी. के फ्लाईओवर से कनैक्ट किया जाए ताकि शहर को जाम से मुक्ति मिल सके । मेरी एक और प्रार्थना है कि पानीपत का बस स्टैण्ड बहुत जल्द पूरा हो रहा है । वहां के लोगों की रिक्वायरमैंट है कि एक एलिवेटिड बस स्टॉप एल.एंड.टी. के फ्लाई ओवर ब्रिज के बराबर बनाया जाए। इसके लिए भी प्रावधान किया जाए।

श्री अध्यक्षः विज साहब, प्लीज, आप बैठ जाएं। आपकी बात पूरी हो चुकी है।

श्री प्रमोद कुमार विजः अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। हमारे पानीपत की एक राजीव कॉलोनी लगभग 40–50 सालों से बसी हुई है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह कस्टोडियन विभाग की लैंड है और उसको संबंधित लोगों को रीजनेबल रेट पर दे दिया जाए। वहां पर रहने वाले लोग बहुत गरीब हैं और उनके मकान वहीं पर बने हुए हैं। वे आज के र्स्कल रेट पर रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि राजीव कॉलोनी के उन लोगों का एज ए स्पैशल केस मानकर कम रेट पर रजिस्ट्री करवा दें। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय

मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री मेवा सिंह (लाडवा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार ने बड़े– लम्बे चौड़े नारे दिये हैं। जिसमें सबका–साथ, सबका–विकास और सबका विश्वास, हरियाणा एक–हरियाणवी एक, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर किया है विकास, की बात की गयी है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि विकास कहां पर हुआ है ? अगर विकास किया होता तो हरियाणा में इतनी बेरोजगारी क्यों है ? अगर विकास किया होता तो आज सरकारी स्कूल्ज की ऐसी हालत क्यों है ? आज सरकारी स्कूल्ज में कोई आदमी अपनी मजबूरी में ही अपने बच्चे का एडमिशन करवाता है। सरकार अपने अधिकारियों से यह पता करवा ले कि सरकारी स्कूल्ज में कितने बच्चे पढ़ते हैं ? सरकारी स्कूल्ज में पूरे टीचर्ज भी हैं। अगर विकास किया होता तो हॉस्पिटल की ऐसी हालत क्यों है क्योंकि हॉस्पिटल्ज में डॉक्टर्ज और पैरा मेडिकल स्टॉफ भी पूरा नहीं है। अगर विकास किया होता तो हरियाणा प्रदेश में सड़कों की खराब हालत नहीं होती क्योंकि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य अपने– अपने हल्के की सड़कों को बनाने के मुद्दे उठा रहे हैं। अगर हरियाणा प्रदेश में विकास किया होता तो इतना क्राइम क्यों है ? अगर विकास किया होता तो आज हरियाणा प्रदेश में लोग इतना नशा क्यों कर रहे हैं ? आज हरियाणा प्रदेश का युवा भटक गया है और नशे ने उसको अपनी चपेट में ले लिया है। अगर विकास किया होता तो आज हरियाणा प्रदेश के सभी बच्चे 10+2 पास करने के बाद IELTS का कोर्स करके विदेशों में जॉब के लिए जाना नहीं चाहते। बल्कि अपने प्रदेश में ही कॉलेजों में एडमिशन लेकर पढ रहे होते। अगर यही स्पीड रही तो सरकार को आगे वाले दिनों में प्रदेश में नौजवान बच्चा नहीं मिलेगा। आज हरियाणा प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटैक्निक कॉलेजों और बी.एड. कॉलेजों की हालत यह है कि उनमें पढ़ने वाले बच्चों की सीटें नहीं भर रही हैं और इसके बारे में सभी जानते हैं। क्या इस प्रदेश का यही विकास है ? सरकार ने किसान के विकास की बात की है। सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात की है, लेकिन उनकी फसलों का खर्चा

दोगुना कर दिया है। आज डीजल, बीज और खाद के दामों में मंहगाई के कारण उनकी फसलों पर आने वाली लागत दोगुनी हो गयी है। सरकार ने एम.एस.पी. पर फसलों की खरीद की बात की है। पिछले सीजन में जीरी की क्या हालत हुई, उसके बारे में सभी जानते हैं। किसानों की जीरी 15– 15 दिनों तक मंडियों में पड़ी रही। हमारे कुरूक्षेत्र शहर के सैक्टर– 2, सैक्टर– 3 और सैक्टर– 5 की सड़कों पर जीरी पड़ी रही। प्रदेश में जीरी की फसल की खरीद 15 सितम्बर से शुरू की जानी थी, लेकिन सरकार ने उसको 1 अक्टूबर से शुरू करवाया। इसके कारण किसान पूरे सीजन मंडियों में धक्के खाता रहा। इसी तरह से केन्द्र सरकार ने 3 कृषि काले कानून बनाकर 700 किसानों की जान लेने का काम किया है। हरियाणा सरकार ने गन्ने के भाव की बात की है और सरकार बड़े दावे के साथ कह रही है कि देश में वही सबसे ज्यादा गन्ने की फसल का भाव दे रही है। क्या सरकार को यह बताते हुए शर्म आती है कि आपने अपने साढ़े 7 साल के कार्यकाल में गन्ने का कितना भाव बढ़ाया है ? जब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय गन्ने की फसल का रेट 110 रुपये प्रति क्विंटल था। लेकिन उन्होंने अपने 10 सालों के कार्यकाल में गन्ने का भाव 200 रुपये बढाकर 310 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था और इस सरकार के कार्यकाल में साढ़े 7 सालों में केवल 52 रुपये ही गन्ने की फसल का भाव बढाया गया है। इस प्रकार हर साल प्रति क्विंटल के हिसाब से साढ़े 7 रुपये की बढौत्तरी की एवरेज आयी है। जबकि साढ़े 7 रुपये तो हर साल मजदूरी बढ़ जाती है। यह हालात इस प्रदेश के हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई की बात आती है। हमारी पार्टी की सरकार ने आने वाले समय में पीढ़ियों को पानी की समस्या से न जूझना पड़े, उसके लिए नहरें बनवायी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका नाम हरियाणा प्रदेश में नहर आटणे वालों में भी लिखा जाएगा। अभी आपकी सरकार का लगभग 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, इसलिए आप दादूपुर नलवी नहर को दोबारा से बनवाकर अपना नाम काले अक्षरों में लिखने से हटवा लीजिए।

श्री अध्यक्षः मेवा सिंह जी, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री मेवा सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं अपने अपने हल्के की मांग रखना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 6 साल पहले पीपली का बस स्टैंड बनाने की घोषणा की गयी थी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है।

अगर सी.एम. अनाउंसमैंट का यह हाल होगा तो पूरे प्रदेश के विकास का क्या हाल होगा ? मैं हर सैशन में लाडवा का बाईपास बनाने की मांग उठाता हूं। अगर वहां पर बाईपास के स्थान पर यदि 3 किलोमीटर की सड़क भी बन जाए तो समस्या का हल हो जाएगा। क्या यह सरकार 3 किलोमीटर की सड़क बनाने मे सक्षम नहीं है ? यह केवल लाडवा हल्के की ही समस्या नहीं है बल्कि अगर कैथल, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा के लोगों को यू.पी. में जाना हो तो उनको लाडवा से होकर जाना पड़ता है।

श्री अध्यक्षः मेवा सिंह जी, आपकी बात पूरी हो गयी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री मेवा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने हल्के की बात रखने के लिए और समय दे दें।

श्री अध्यक्षः मेवा सिंह जी, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज, अब बैठ जाएं।

श्री मेवा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने हल्के की बात रखने के लिए 1 मिनट का समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब देंगे।

श्री मेवा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ******

श्री अध्यक्ष : मेवा सिंह जी, आपका समय समाप्त हो गया है इसलिए अब आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं की जा रही है, आप प्लीज बैठ जायें।

श्री मेवा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ******

श्री अध्यक्ष : मेवा सिंह जी, आप प्लीज बैठ जायें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी रिप्लाई देंगे। अब आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण उपरांत मैं सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात कहने जा रहा हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने गत 2 मार्च, 2022 को इस सदन में सरकार की उपलब्धियों, नीतियों तथा भावी कार्यक्रमों के बारे में बड़ा ही सारगर्भित और मार्गदर्शक अभिभाषण दिया था। मैं इसके लिए सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदय का समूचे सदन की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय,

---

*** चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

इस अभिभाषण में सरकार द्वारा विगत वर्षों में राज्य के चहुंमुखी विकास के जो ऐतिहासिक काम किये हैं और इसके अलावा अंत्योदय को हासिल करने के लिए मील के पत्थर स्थापित किये हैं, उन पर तथा भविष्य में प्रदेश के विकास का विजिन क्या हो, मैं इन सब विषयों पर विस्तार से पुनः प्रकाश डालना चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के चर्चा के दौरान प्रदेश के विकास और लोगों की भलाई के लिए रचनात्मक सुझाव दिये हैं। जिसका मैं स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं कि ''आप शौक से निकालिये नुक्स मेरे किरदार में, आप नहीं होंगे तो मुझे तराशेगा कौन। इन्होंने आलोचना भी की होगी तो मैं उसको इस ढंग से लेता हूं। मैं इनको पहले से इस बात के लिए इनकी आलोचना का स्वागत करता हूं। अगर ये लोग हमारी आलोचना नहीं करेंगे तो आखिर हमको भी तो कोई न कोई तराशने वाला चाहिए तो हम अपने आपको इनके आलोचना के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन से और माननीय राज्यपाल महोदय जी की भी उपलब्धियां जो उन्होंने बताई हैं, उसके अनुसार आखिर तो विपक्ष की जो भूमिका होती है उसको इन्होंने निभाया है। भले इन्होंने आलोचना भी की है उस आलोचना का मैं पक्षधर हूं। राज्य के हित में चाहे विपक्ष हो चाहे समाज के प्रभावी नागरिक जो भी हो। उनके सुझावों का मैं स्वागत करता हूं क्योंकि हम एक धारणा पर चल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। हम सबको मिलकर के आखिर प्रदेश की भलाई का काम करना है लेकिन एक बात का खेद भी होता है कि कभी–कभी अच्छी बात की जाये तो भी उसकी आलोचना रटी–रटाई बातों से होती है। कुछ मीडिया के मित्र बोल रहे थे कि आपकी यह आलोचना की, आपकी यह आलोचना की तो मैंने कहा कि आज माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पेश हुआ है। उन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ लिया होगा और देख लिया होगा। उनको कुछ पुरानी बातें ध्यान में आ गई होंगी, उन्होंने इस अभिभाषण के साथ मिलान किया होगा तो आलोचना की होगी लेकिन मैं आज एक बात यह बताना चाहूंगा। मैं सदन में कल बजट भाषण भी पढ़ूंगा और अपनी बजट की मांगे भी रखूंगा। उसके बाद विपक्ष क्या कहेगा, मैं उस बारे में आज ही बता देता हूं कि वे सिर्फ और सिर्फ रटी–रटाई ही आलोचना करेंगे। हमारी ये लोग कितनी भी आलोचना कर लें। जो उड़ने का शौक रखते हैं, वो गिरने का खौफ नहीं करते। हमने अपने उड़ने की धार तेज की हुई है, हम जिस गति से उड़ेंगे। हम निश्चित

उड़ेंगे और हमें गिरने का कोई खौफ नहीं है। इस नाते से मैं तो लोगों के कल्याण, महिलाओं का सशक्तिकरण, किसान हित की बात, युवाओं का भविष्य आदि इन सब चीजों पर हम अडिग हैं और ऐसा करने के लिए अपनी कार्यप्रणाली में हम निरंतर सुधार भी कर रहे हैं । जो कार्यप्रणाली हमने अपनाई है उसमें जो रोड़े अटकाए जाते हैं उसके पीछे मंशा यह थी कि लोग अपने काम के लिए आपके आगे पीछे घूमते फिरें और आप उन के काम के लिए उन पर एहसान पर एहसान चढ़ाते रहें। हमने इस कार्यपद्धति को खत्म किया है । अब सरकार का काम हम इस तरीके से ढाल रहे हैं कि लोगों को हमारे आगे पीछे न घूमना पड़े बल्कि हम चाहते हैं कि सरकार की सारी योजनाएं और व्यवस्थाएं स्वतः लोगों के घरों तक पहुंचे । इसके लिए हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगें और इसके लिए नियमों और कानूनों को बदलने का काम हम करेंगे क्योंकि लोक कल्याण की बात और लोकहित की बात हम करते रहेंगें इससे एक परेशानी लगातार हमारे विपक्षी भाइयों को लगी रहती है।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं एक रोचक बात कहना चाहूंगा । मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी बात का तरजमा कर दूं । मैं हरियाणी भाषा की एक बात कहूंगा कि आप तो इनके लिए यह कह दो कि तुम चाहे कितना भी कुछ कह लो और कर लो लेकिन मैं तुम्हारी छाती पर मूंग दलूंगा ।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्षी मित्रों को वास्तव में इतना गरूर है कि ये कभी ठीक को ठीक कहना सीखे ही नहीं हैं और हमेशा अपनी बात को प्रभावी, हावी और तोड़ मरोड़ कर रखते हुए यह भी नहीं सोचते कि ये कहां हैं, क्या हैं और इनकी अपनी मर्यादा है । अध्यक्ष महोदय, इनको थोड़ा गरूर है और गरूर के नाते मैं कहूंगा कि–

गरूर में इंसान की कमी कि इंसान इंसान नहीं दिखता ।

जैसे छत पर चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात विपक्षी मित्रों के लिए कह रहा हूं । उनको हमें यह बताना पड़ता है कि जमींन पर टिके रहो क्योंकि गरूर, घमंड और अकड़ काम नहीं आता । किसी कवि ने ठीक ही कहा है–

अकड़ शब्द अ क ड़ में कोई मात्रा नहीं होती
पर यह अलग अलग मात्रा में सबमें होती है ।

(विघ्न) इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर यह अकड़ हममें हो तो हम उसका उपयोग जनहित में करेंगे लेकिन यदि आपमें हो तो आप उसका दुरुपयोग करने के अलावा

कुछ नहीं करते इसलिए इसकी सीमा हमको बनाकर रखनी चाहिए ।(विघ्न)आप लोगों कीं आलोचना के स्वागत के साथ मैं आगे बढ़ूंगा । आपकी आलोचनाओं से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात औरों पर लागू कर रहे हैं । मुख्यमंत्री जी ने अकड़ की बात सही कही है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, आप अकड़ के साथ अकल भी रख लो । (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, विपक्षी मित्रों की आलोचना का स्वागत है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर तीन दिन से चर्चा हो रही है । (विघ्न)

पंडित मूलचंद शर्माः हुड्डा साहब, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है कि अकल शब्द का इस्तेमाल आप मुख्यमंत्री जी के लिए करें । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, पिछले तीन दिन से यहां पर बहुत सी चर्चाएं हुई। (शोर एवं व्यवधान) पिछले तीन दिन में यहां पर बहुत से मुद्दे उठाये गये। उन सभी मुद्दों की सभी जानकारी यहां पर डिपार्टमैंट भी नोट करता है, हम भी नोट करते हैं और मंत्री भी अपने–अपने विभागों के हिसाब से नोट करते हैं। यहां पर उठाये गये मुद्दे बहुत है। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि स्वयं सामने सुझाव दे देते हैं और उत्तर दे देते हैं या कोई अपने हल्के की समस्या रखते हैं। उस समस्या को विभाग के अनुसार नोट किया जाता है लेकिन आलोचनाओं में कुछ ऐसे विषय भी आते हैं जिनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दो अलग–अलग धरातलों पर खड़े होते हैं। उनके अंदर डिमाण्ड्ज भी होती हैं। कई बार वास्तव में होता कुछ है और जानकारी के अभाव में बोल कुछ और दिया जाता है। कल जब बजट पेश होगा बहुत सी चीजों का उसमें समाधान भी होगा। जो अपने मैम्बर साहेबान हैं उसमें उनके काफी सुझावों को भी शामिल किया गया है। इस बार बजट तैयार करने से पहले जैसे लगातार हम पिछले साल से कर रहे हैं उसी श्रृखंला में इस बार भी बजट को लेकर मैंने आठ बैठके की हैं। इसके अलावा मेरे पास डाक के द्वारा भी बहुत से लोगों के सुझाव आये हैं। लगभग 550 लोगों द्वारा सुझावों से जानकारी हमें मिली है और लोगों से हमारी मुलाकात हुई है। मैंने स्वयं तीन दिन उन सभी का अध्ययन किया है। जहां तक सम्भव हुआ बजट की मर्यादाओं में जिस चीज को शामिल करना सम्भव लगा है, हमने उसको बजट में शामिल किया है। कुछ ऐसे सुझाव भी हैं जिनको अगर हम इस वर्ष के बजट में शामिल नहीं कर पाये तो उनको अगले वर्ष के बजट में शामिल करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार यह एक

लगातार चलने वाला काम है इसलिए इसको हम लगातार करते रहेंगे। अब मैं कुछ विषयों पर चर्चा करूंगा। एक विषय हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने एन.सी.आर. के एरिया के बारे में उठाया है। यह बात ठीक है कि एन.सी.आर. का बोर्ड बना था वह सन् 1985 में बना था। इसका उद्देश्य एन.सी.आर. एरिया का विकास और हमारी राजधानी पर बढ़ता हुआ दबाव कम करना था कि कैसे उसके आसपास के कुछ जिलों को उसमें जोड़कर उस दबाब को कम किया जाये? उस समय इसमें इस समय के नौ जिलों को जोड़ा गया था। उसके बाद इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2013 में भिवानी और चरखी दादरी को जोड़ा गया। पहले चरखी दादरी भी भिवानी जिले का ही हिस्सा था। उसके बाद वर्ष 2015 में महेन्द्रगढ़, जीन्द और करनाल इन तीन जिलों को भी एन.सी.आर. में शामिल किया। इस प्रकार से कुल 14 जिलों का कुल क्षेत्र 57 परसैंट उसमें शामिल हो गया था। उस समय यह धारणा थी कि जितने ज्यादा जिले एन.सी.आर. में जुड़ जायें उतना ही उनको विकास के नाते लाभ होगा, सस्ती ब्याज दरों पर कुछ ऋण मिलेगा। प्रारम्भिक दिनों में ऐसा वास्तव में हुआ भी था लेकिन धीरे–धीरे एन.सी.आर. प्लॉनिंग बोर्ड ने अपने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिये। ऋण की सीमायें कम कर दी, विभिन्न कंडीशंज लगा दी और ब्याज भी ज्यादा कर दिया। आज की स्थिति यह है कि 7 से लेकर 8.50 प्रतिशत वार्षिक दर का एन.सी.आर. प्लॉनिंग बोर्ड का ब्याज है जबकि हमारे वित्त विभाग द्वारा जो आज भी लोन लिया जाता है उसकी एवरेज 6.9 परसैंट आती है। पहली बात तो इसका चार्म नहीं रहा कि हम एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड से लोन लें। हमें जहां से सस्ता लोन मिलेगा हम वहीं से लोन लेंगे। यहां तक भी बात ठीक थी लेकिन धीरे–धीरे कुछ ऐसे प्रावधान भी आने लगे कि जिनसे एन.सी.आर. में रहने वालों के लिए कठिनाईयां भी पैदा होनी शुरू हो गई। उसमें जो चीज गुरूग्राम के लिए लागू हो सकती है वही चीज महेन्द्रगढ़, चरखी दादरी और करनाल के लिए भी लागू होनी शुरू हो गई। खास करके पॉल्यूशन और इन्वौयर्नमैंट के जो विषय हैं उनके लिए प्रतिबंध लगे कि यहां पर इंडस्ट्री नहीं चलाई जायेगी और यदि इंडस्ट्री को चलाया जायेगा तो पी.एन.जी. या सी.एन.जी. के ऊपर चलाओगे। दूसरा फ्यूल लागू नहीं किया जायेगा या वहां पर भट्ठे नहीं चलाये जा सकते या 10 और 15 वर्ष से ऊपर की गाड़ियों को नहीं चलाया जा सकता। आखिर हमारे किसान के साथ जुड़ा हुआ ट्रैक्टर है उसे भी वहां पर नहीं चलाया जा सकता। बहुत से क्षेत्रों में एन.जी.टी.

द्वारा भी प्रतिबंध लगाये जाते हैं। इस प्रकार की और भी बहुत सी शिकायतें मिलने के बाद इसी सदन में जब यह चर्चा चल रही थी तो श्री प्रमोद विज ने पानीपत का विषय उठाया कि पानीपत को एन.सी.आर. से निकाल दिया जाये। हमने भी कहा कि करनाल को भी एन.सी.आर. में से निकाल दिया जाये। जब सभी प्रदेशों ने मिलकर के इस सम्बन्ध में योजना बनाई तो जो 150 किलोमीटर का दायरा था उसको कम करके 100 किलोमीटर किया गया। 100 किलोमीटर के बाद जो रेडियस हैं चाहे हाईवेज के किनारे का एक किलोमीटर इधर और एक किलोमीटर उधर हो या फिर रेलवेज का इस प्रकार का एक ऐसा प्रारूप बनाया गया है अभी उसका फाईनल होकर नोटिफिकेशन निकलनी है। उसको एन.सी.आर. में रखेंगे। चारों तरफ जो उसका रेडियस है वह राजघाट से 100 किलोमीटर तक माना जायेगा। उदाहरण के लिए करनाल जिले में सिर्फ घरौंड़ा तहसील ही एन.सी.आर. में है उसके अलावा सारे का सारा करनाल जिला एन.सी.आर. से बाहर हो गया है। ऐसे ही महेन्द्रगढ़ भी एन.सी.आर. से बाहर निकला है। इस प्रकार से प्रदेश के बहुत से एरियाज हैं जो एन.सी.आर. से बाहर निकले हैं। इसका एक मिक्स–अप रिएक्शन था लेकिन जिनको कठिनाईयां थी वहां कठिनाईयां ज्यादा थी और लाभ कम था। आज भी दिल्ली से 50 से 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाकों में सभी प्रोजैक्ट्स के लिए लोन इत्यादि मिलता है। इससे आगे के प्रोजैक्ट के बारे में एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड वाले सोचते ही नहीं हैं। वे जो भी करते हैं वह प्रोजैक्टवाईज ही करते हैं इसलिए हमें यह निर्णय करना पड़ा। अभी इस निर्णय की नोटिफिकेशन नहीं हुई है। यह मामला अभी अंतिम परिणाम की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे ही यह मामला फाईनल हो जायेगा उसके बाद इसकी बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन होगी। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें हमारा कहीं पर कोई विरोध नहीं हो रहा है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, इस सम्बन्ध में यह सोचता हूं कि एन.सी.आर. में हमारे प्रदेश के किसी भी क्षेत्र के लम्बे समय तक रहने से हमारा फायदा ही होगा न कि कोई नुक्सान होगा। ये चीजें आज नहीं तो कल लागू होंगी। आने वाले समय में केन्द्र सरकार के एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड को उनके द्वारा दिये जाने वाले लोन पर इंट्रस्ट भी कम करना पड़ेगा। मैं यह समझता हूं कि एन.सी.आर. में प्रदेश के एरियाज रहने चाहिएं। इससे स्टेट को लाभ ही होगा और कोई नुक्सान नहीं होगा।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मेरा यही कहना है कि एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड में सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि रहते हैं। वहां पर भी विस्तृत रूप से विचार–विमर्श होता है। एन.सी.आर. क्षेत्र को कितना बढ़ाना है और कितना घटाना है इसका निर्णय भी एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड के स्तर पर ही किया जाता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि सी.एम. साहब को इस बारे में अपनी स्टेट के स्टैण्ड को क्लीयर करना चाहिए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मेरा इस मामले में यही कहना है कि एन.सी.आर. एरिया को बढ़ाने का हमें कोई विशेष लाभ नहीं है। इस सम्बन्ध में हमारे बहुत से जिलों से इस सम्बन्ध में हमें प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। कृषि मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल जी यहां पर बैठे हैं। मैं स्वयं करनाल जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं। इसी प्रकार से श्री प्रमोद विज जी स्वयं कह चुके हैं। रोहतक और सोनीपत में कोई समस्या नहीं है। इतना ही नहीं कल झज्जर के लोग मेरे पास आये कि भट्ठों को 1/3 पर ही चलाया जा सकता है 2/3 पर नहीं चलाया जा सकता। इस सम्बन्ध में एन.जी.टी. का क्लीयर ऑर्डर है। (विघ्न) मेरा यह भी कहना है कि हमारे जो क्षेत्र एन.सी.आर. से बाहर होंगे हम वहां पर विकास के कार्यों में कहीं पर भी कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। आर्थिक दृष्टि से आज हमारे प्रदेश की साख बहुत अच्छी है। अपनी जरूरत के अनुसार हम कहीं से भी लोन ले सकते हैं। हमारे लिए यह कोई जरूरी नहीं है कि हमें एन.सी.आर. प्लॉनिंग बोर्ड से ही लोन लेना है। हम जहां से भी चाहे वहां से लोन ले सकते हैं। हम अपनी योजना भी स्वयं बना सकते हैं। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से यहां पर एक विषय आंगनवाड़ी का भी उठाया गया। श्री प्रदीप चौधरी जी ने यह विषय उठाया है। इसमें मैं यह बताना चाहूंगा कि आंगनवाड़ी का विषय भी वॉलंटियर के रूप में शुरू हुआ था। जो बहने वांलटियर रूप में आगे आयेंगी जोकि उसी गांव की ही होंगी। छोटे बच्चों की पढ़ाई और खुराक के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण किया गया था ताकि बच्चों की पढ़ाई के साथ ही साथ उनकी सेहत का भी अच्छे रूप में ध्यान रखा जाना सम्भव हो सके। आंगनवाड़ी वर्कर का मासिक वेतन वर्ष 2014 में कांग्रेस की सरकार के समय में 7500 रूपये था। इस समय यह वेतन बढ़कर 12661 रूपये मासिक हो गया है। इसका प्रावधान यह है कि इसको केन्द्र सरकार के स्तर पर तय किया जाता है कि इनको कितना वेतन दिया जाना है? इसमें 60:40 के रेशो से राशि का भुगतान

किया जाता है अर्थात् इसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 60 परसैंट और राज्य सरकार का हिस्सा 40 परसैंट होता है। आज केन्द्र सरकार की ओर से इनका 4500 रूपये मासिक वेतन तय है इसको हम वेतन नहीं कहेंगे बल्कि यह एक प्रकार से ऑनरेरियम है क्योंकि गांव के गांव काम करना होता है और उन्हीं को सुविधा दी जाती है कि जिसको रखना होता है उसको रख लिया जाये। उस 4500 रूपये मासिक में केन्द्र सरकार का शेयर 2700 रूपये और हमारा शेयर 1800 रूपये है लेकिन आज हम 1800 रूपये की जगह 9961 रूपये का भुगतान कर रहे हैं यानि कुल 1800 रूपये की बजाय 9961 रूपये दे रहे हैं। More or less ten thousand और आज जो 12,600 है मानधन में कहीं भी कमी नहीं है। अगर मैं दूसरे प्रदेशों के मानधन की मैं इससे तुलना करूं तो हरियाणा का पूरे देश में केवल तेलंगाना को छोड़ करके यह मानधन सबसे ज्यादा है। हमारे यहां यह मानधन 12,600 रूपये है, पंजाब में यह मानधन 9,500 रूपये है, छत्तीसगढ़ में 6,500 रूपये, मध्य प्रदेश में यह मानधन 10,000 रूपये, दिल्ली में यह मानधन 9,600 रूपये, राजस्थान में यह मानधन 10,500 रूपये, पांडिचेरी में यह मानधन 6,400 रूपये है। ऐसे ही यह वर्कर्स का है। इसी प्रकार से आंगनवाड़ी हैल्पर्स के मामले में भी यही स्थिति है। हम हैल्पर्स को भी सबसे ज्यादा मानदेय दे रहे हैं। इसके आगे जब इन्होंने शुरू किया कि हमें कुछ और लाभ भी मिलने चाहिएं तो उनके साथ मीटिंग में इस बारे में बातचीत हो गई। इनके साथ हुई मीटिंग में इनकी 5–6 बातें मान ली गई। जब इनकी 5–6 बातें मान ली गई उसके बाद वे धन्यवाद भी कर गई और मेरे साथ फोटो भी खिंचवा कर गई। उसके दो घंटे बाद फोन आ गया कि हमारी तो कोऑर्डीनेशन कमेटी नहीं मानती। अगर कोई फैसला हुआ है और उसको आप सिरे चढ़ाने के लिए जा रहे हो और बाद में दो घंटे बाद फोन करते हो कि हमारी तो कोऑर्डीनेशन कमेटी नहीं मान रही है और ये चार–पांच यूनियंस हैं। इन चार–पांच यूनियंस में से दो यूनियंस ने कहा कि हम इसको मानते हैं और आज की स्थिति यह है कि 65 प्रतिशत आंगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर ड्यटी पर हैं और 35 प्रतिशत बाहर सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से हर काम दबाव में करने लग गये तो दबाव में कभी कोई काम नहीं चलता है। हर 6 महीने में साल में सबको अपनी मांगें रखनी होती हैं। हम कोई पीछे नहीं हैं, न आंगनवाड़ी वर्कर्स में न आशा वर्कर्स में न और चीजों में। जहां भी इस प्रकार की वॉलिंटियर्स का विषय है हम किसी में पीछे नहीं हैं लेकिन जो समझौता होता है

उसको लागू रखना पड़ता है। यह भी खेद की बात है कि न मानने के पीछे कुछ पॉलिटिकल लोग उनको उकसाते भी हैं खास करके मैं कम्यूनिस्ट पार्टी, जो लाल झंडे वाले हैं उनका तो मैं नाम लेकर कहूंगा कि उनका इन लोगों में थोड़ा सा अन्दर तक हस्तक्षेप है, यह नहीं करना चाहिए। उनका भी भला, प्रदेश का भी भला और सबका भला सोचना चाहिए। यह एक लगातार चलने वाला प्रोसैस है।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगी कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स आंदोलनरत हैं, मानदेय तो एक इश्यू है। मानदेय के अलावा वर्ष 2018 में उनके साथ मीटिंग में आपने कहा था कि उनको कुशल और अर्ध–कुशल श्रमिक का दर्जा दिया जायेगा। एक तो उनका यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरे पोषण ट्रैकर के लिए उनकी मोबाइल ऐप में ड्यूटी लगाई जा रही है उसके बारे में उनका कहना है कि हम इस तरह के काम मोबाइल से नहीं कर सकते हैं यह उनका ऑब्जैक्शन है। तीसरी बात यह है कि ज्यादातर आंगनवाड़ी हमारी सरकारी बिल्डिंग में न चल कर प्राइवेट किराये की बिल्डिंग में चल रही हैं जिनका कई महीनों तक उनको रेंट नहीं मिल पा रहा है। एक और विषय यह है कि प्ले–वे स्कूलों के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दिये जाने की बात है। जैसा कि सरकार ने 4 हजार प्ले–वे स्कूल खोलने की घोषणा की है तो उनका कहना यह है कि वे इस काम में इतनी ज्यादा सक्षम नहीं हैं कि ट्रेनिंग के बाद भी वे प्री–नर्सरी के बच्चों को पढ़ा पायें। इसलिए मेरा कहना यह है कि इन प्ले–वे स्कूलों के लिए आप नये सिरे से टीचर्स भर्ती कर लीजिए। यही उनके कुछ मुद्दे हैं जिनके कारण वे धरने पर बैठी हुई हैं।

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मोबाइल में ऐप पर डाटा भरने की बात है तो वह कोई जबरदस्ती भरना है, ऐसी बात नहीं है और वे बिल्कुल ही अनपढ़ हैं ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि वे दसवी पास और 12वीं पास हैं। आज मोबाइल में ऐप के ऊपर कुछ दिन की ट्रेनिंग और सिखाने के बाद सब कुछ आसान हो जाता है। उनको यह भी कह दिया गया है कि हम मोबाइल भी फ्री देंगे। यह हमारा निर्देश नहीं है बल्कि केन्द्र सरकार का निर्देश है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में जो 3 साल से 5 साल तक के बच्चे आते हैं उनका डाटा भी तैयार करना है कि उनका कुछ भला भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लीजिए 2 साल तक कोई बच्चा रहा तो 2 साल में उस बच्चे में क्या परिवर्तन हुआ है? वहां पर उसके 10 प्रकार के टैस्ट होते हैं, उसका वजन होता है और उसकी खुराक भी

होती है तो जब सबकुछ होता है तो उसका उद्देश्य पूर्ति भी तो एक विषय है। इसलिए उनको बहुत अधिक घबराने की जरूरत नहीं है। उनको मोबाइल हम दे रहे हैं और उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। जहां तक मैं अंदाजा लगा सकता हूं इससे उनकी जिम्मेदारी बढ़ जायेगी, यह मेरा अंदाजा है।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि कोरोना काल में आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स ने अपनी जिम्मेदारी तो बहुत अच्छी तरह से निभाई है।

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हमने तो उनको कोरोना वॉरियर्स तक भी कहा है लेकिन जिस काम के लिए उनको लगाया गया है उसमें कोई नई टैक्नॉलोजी आ रही है तो उसको भी उनको एडॉप्ट करना चाहिए। आज तो अगर किसी चपरासी से क्लर्क की प्रोमोशन होनी हो तो उसमें यह लिखा हुआ है कि इसको कम्प्यूटर का टैस्ट पास करना पड़ेगा। यहां उनको कम्प्यूटर का टैस्ट पास नहीं करना है बल्कि एक सिम्पल ऐप का काम है। उस ऐप की उनको ट्रेनिंग लेनी है। उनके पास सभी बच्चे पहले से ही रजिस्टर्ड हैं इसलिए उनको हर बच्चे के नाम के सामने उनका डाटा भरना है। यह बहुत मुश्किल काम नहीं है यह केवल काम न करने का बहाना है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स से करनाल में मिला था और मुझे उन्होंने जो बताया है वह मैं बता रहा हूं। उनका कहना यह था कि हमारी और कोई मांग नहीं है हमारी तो वही मांग है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले मंजूर की थी, जो अनाउंस की थी। उनका कहना है कि हमारी इतनी सी मांग है कि मुख्यमंत्री जी अपनी अनाउंसमैंट पूरी कर दें, बस इतनी सी बात है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, उन अनाउंसमैंट्स में एक अलाउंसमैंट यह थी कि हम आपको 1000 रुपये लमसम दे देंगे बल्कि जो आंगनवाड़ी वर्कर ड्यूटी अटैंड कर रही हैं उनको हमने 1000 रुपये दे भी दिये हैं और जो आंगनवाड़ी वर्कर ड्यूटी नहीं अटैंड करेंगी हम उनके घर तो नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे स्ट्राइक भी करेंगी और हम उनके घर 1000 रुपये भी पहुंचाएंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास तो उन आंगनवाड़ी वर्कर्ज के पत्र आये हैं।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, उन आंगनवाड़ी वर्कर्ज के पत्र हमारे पास भी आये हैं। दूसरी उनकी मांग है कि रिटायरमैंट होने के बाद हमको लमसम पैसा मिलना चाहिए। हमने उनकी यह मांग मानते हुए यह अनाउंस किया है कि रिटायरमैंट पर एक लाख रुपये वर्कर को और 50 हजार रुपये हैल्पर को मिलेगा। जबकि ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। यह है तो केन्द्र सरकार की योजना लेकिन इसको केवल हरियाणा सरकार देगी। उसके बाद कहीं किसी एक्सीडेंट में या और कहीं आकस्मिक मृत्यु होने पर दो लाख रुपये दिया जाएगा। उसके लिए भी हमने अनाउंस कर दिया है। वे इम्प्लॉई ही नहीं हैं। अगर वे हरियाणा की इम्प्लॉई होती तो इम्प्लॉईज के लिए पहले जो बहुत से प्रावधान बनाए हुए हैं वह हम करते। इसके साथ ही मैं स्किल और अन स्किल की बात बताता हूं क्योंकि एक बैठक में यह विषय भी आया था। हमने उसके बारे में कहा है कि ठीक है हम डिपार्टमैंट को कहेंगे कि उसके ऊपर विचार करके आपका कोई समाधान निकालें। अन्त में यही हुआ कि हमारे एक्ट में गवर्नमैंट के जो स्किल्ड–अन स्किल्ड के इम्प्लॉईज हैं उन्हीं का बाईफरकेशन कर सकते हैं। उनमें भी जिन पर मिनिमम वेजिज एक्ट लागू होता है उनमें ही कर सकते हैं। इन वौलंटीयर्स को हम बाईफरकेट नहीं कर सकते। उसकी दो ही बाईफरकेशन है एक वर्कर और एक हैल्पर। उसके बाद उनके सुपरवाईजर हैं। सुपरवाईजर में भी हमने कहा है कि जो आपके पढ़े–लिखे वर्कर्ज हैं उनको हम सुपरवाईजर बना देंगे। ऐसी कई बातें हैं। वास्तव में उनके पीछे जो सिखाने व बताने वाले हैं उनको यह पता नहीं है। सवाल यह है कि 'हवा आई किसके इशारे पर, चिराग किसके बुझे'। यह हवा किधर से आई है उनकी हमें पहचान करनी पड़ेगी। हरियाणा के वातावरण को खराब करने के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे नेता लगातार इन चीजों को उकसाए रखते हैं। अगर इस बात पर हम लोग थोड़ा विचार करेंगे तो जो बातें प्रदेश हित में हों वही सामने वाले को सिखानी चाहिए। वरना प्रदेश का भी नुकसान और जिनको सिखाया जाता है उनका भी नुकसान होता है इसलिए हमें किसी का नुकसान नहीं होने देना चाहिए। एक बार वे आंगनवाड़ी वर्कर्ज ड्यूटी ज्वाइन करें और ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद जो सुविधाएं होंगी उनके बारे में बातचीत अगले दौर में चलेंगी। हम यहां कोई अडिग नहीं हैं कि सारी बातें हुई हैं। पहले हम उनको जब बजाए 1800 रुपये के 10000 रुपये दे रहे हैं तो इसके अलावा भी कोई और बात होगी तो फिर देखेंगे। अभी तो हमने यही

कहा है कि यह जो पैसा है वह हरियाणा सरकार का है। इसमें जो महंगाई दर है वह भी हर साल अपने आप बढ़ती रहेगी। उसको मांगने की आपको जरूरत नहीं है। अगर इस प्रकार से व्यवस्था की है तो इसके लिए कोई न कोई सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बिना सिस्टम के हम इस प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से एक विषय सरकारी अस्पताल व मैडिकल कॉलेज का रखा गया है। इसमें पहली बात तो यह है कि अस्पतालों में डॉक्टर्ज चाहिए और वे डॉक्टर्ज मैडिकल कॉलेजिज से आएंगे। श्रीमती गीता भुक्कल जी द्वारा मैडिकल कॉलेजिज के बारे में एक बात कही गई कि एक भी नया सरकारी मैडिकल कॉलेज नहीं खुला है लेकिन इसमें मैं खुलासा करके आपको बताता हूं कि वर्ष 2014 में केवल सात मैडिकल कॉलेजिज थे जिनमें तीन सरकारी, तीन प्राईवेट और एक सहायता प्राप्त अग्रोहा में था। जिनमें उस समय बच्चों के एडमिशन की संख्या केवल 700 थी। यह मैं वर्ष 2014 के आंकड़ों की बात बता रहा हूं। आज उसमें जो नये और कॉलेजिज जुड़े हैं उन कॉलेजिज में वर्ल्ड मैडिकल कॉलेज झज्जर, एन.सी. मैडिकल कॉलेज इसराना, आदेश मैडिकल कॉलेज शाहबाद। ऑल इण्डिया फलां ए. आई. फलां मैडिकल कॉलेज। ऐसे जो नये कॉलेजिज हैं उनकी सीटें भी बढ़ाई गई हैं और जो पुराने मैडिकल कॉलेजिज थे उनकी सीटें भी बढ़ाई गई हैं। पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक में 150 सीट्स से बढ़ाकर 250 सीट्स कर दी गई हैं। सोनीपत में 100 सीट्स से बढ़ाकर 120 सीट्स कर दी गई हैं। नूंह में 100 सीट्स से बढ़ाकर 120 सीट्स कर दी गई हैं। हां, ई.एस.आई. फरीदाबाद जोकि वर्ष 2015 में बना था उसमें भी 125 सीट्स हैं। ये मैडिकल कॉलेजिज की सीटें वर्ष 2015 की दिखाई गई हैं। हो सकता है कि अस्पताल पहले हों। मेरे पास जो लिखा हुआ है उसमें मैडिकल कॉलेजिज 2015 का डाटा है। आप पता कर लीजिए पहले होगा तो ठीक है। मैं तो जिस दिन एडमिशन हुए हैं वह साल बता रहा हूं। वर्ष 2017 में कल्पना चावला मैडिकल कॉलेज में 120 सीट्स हैं, अटल बिहारी मैडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 100 सीट्स हैं जो पहले प्राईवेट मैडिकल कॉलेज होता था जो कि बन्द हो गया था। उसके बाद उसमें 100 सीट्स की गई हैं। अम्बाला में मुलाना के मैडिकल कॉलेज में 100 सीट्स से बढ़ाकर 150 सीट्स कर दी गई हैं। एस.ई.टी. बुढ़ेरा में 100 सीट्स से बढ़ाकर 150 सीट्स कर दी गई हैं। इस प्रकार से आज 1685 स्टूडैंट्स मैडिकल कॉलेजिज में पढ़ रहे हैं। आगे वर्ष 2025 तक जिन नये

मैडिकल कॉलेजिज को बनाने की हमने घोषणा की है उनमें मैडिकल कॉलेज कोड़ियावास में 150 सीट्स हैं।

———————

बैठक का समय बढ़ाना

16:00 बजे

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 1 घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है, जी।

उपाध्यक्ष महोदयः ठीक है, सदन की बैठक का समय 1 घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है।

———————

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बीच में बोलने से इंट्रप्ट कर रही हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सरकार केवल प्राईवेट मैडिकल कालेजिज की संख्या ही बढ़ाने पर ही क्यों काम कर रही है? (विघ्न) क्या सरकार को इन मैडिकल कालेजिज में रेगुलर डॉयरेक्टर्ज, प्रोफेसर्ज व एसोसिएट प्रोफेसर्ज की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए? (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को ध्यान से सारी बातें सुननी चाहिए। जो पुराने मैडिकल कालेजिज हैं, वे तो हैं ही लेकिन जो नए मैडिकल कालेज खोले जा रहे हैं, उनके बारे में भी तो सदन में बताना पड़ेगा। जब मैडिकल कालेजिज की संख्या बढ़ेगी तभी तो आगे अच्छा काम होगा। अगर डाक्टर नहीं बनेंगे तो डॉक्टर के बिना प्रोफेसर कहां से आयेंगे, डॉक्टर के बिना डॉयरेक्टर कहां से आयेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो गवर्नमैंट मैडिकल कालेजिज हैं, उन मैडिकल कालेजिज में न तो रेगुलर डॉयरेक्टर्ज हैं, न प्रोफेसर्ज हैं, न एसोसिएट प्रोफेसर्ज हैं और यहां पर केवल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या चार दीवारी का ही काम चलता नज़र आता है। मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो मैडिकल कालेजिज की लिस्ट गिनवाई है, वे सारे के सारे प्राइवेट मैडिकल कालेजिज हैं जिनमें बहुत बड़ी–बड़ी फीस लेने का काम किया जाता है। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्या बात रख रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक में भी डॉयरेक्टर है और वाइस चांसलर भी नियुक्त है। बी.पी.एस. मैडिकल कालेज, सोनीपत में भी डॉयरेक्टर है। नूंह के नल्हड मैडिकल कालेज में भी डायरेकटर है और वाइस चांसलर भी है। अध्यक्ष महोदय, इसी श्रेणी में अब जो भिवानी, जींद, कैथल, यमुनानगर, सिरसा तथा गुरूग्राम में नए गवर्नमैंट मैडिकल कालेज बनने वाले हैं और आगामी चार साल की समयावधि में यह सारे गवर्नमैंट मैडिकल कालेज बनकर तैयार हो जायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक तो बहुत पुराना मैडिकल कालेज है। इसमें डायरेक्टर की नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। बी.पी. एस., मैडिकल कॉलेज, सोनीपत के बारे में तो आज अखबारों में भी छपा है कि यह मात्र रैफरल सैंटर बनकर रह गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमदः उपाध्यक्ष महोदय, नूंह के मैडिकल कालेज में डॉयरेक्टर नहीं है बल्कि पिछले 4–5 साल से यहां पर इंटरिम डॉयरेक्टर का प्रावधान करके केवल अस्थाई व्यवस्था बनाई हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, बी.पी.एस. मैडिकल कॉलेज, सोनीपत में वर्किंग डॉयरेक्टर है, नूंह के मैडिकल कालेज में भी इंटरिम वर्किंग डॉयरेक्टर है और फरीदाबाद के छायसा में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी मैडिकल कॉलेज में भी वर्किंग डायरेक्टर है लेकिन यहां पर रेगुलर डॉयरेक्टर्ज, प्रोफेसर्ज व एसोशिएट प्रोफेसर्ज तक नहीं है। इस तरह की सुविधायें मुहैया न करवाना, किसी सरकार के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, मैंने अभी पहले भी सारी बातें बताई थी और उसके साथ एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जो नए मैडिकल कालेजिज बनाए जा रहे हैं, ये सभी के सभी अगले चार साल के अंदर चालू हो जायेंगे। अतः हमारे विपक्ष के साथियों को थोड़ा इत्मिनान रखना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

राव दान सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, सैंटर्ल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का जिस दिन फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, उस दिन एच.आर.डी. मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह आए थे और उन्होंने यहा पर मैडिकल कालेज देना भी प्रस्तावित किया था। हमने उस यूनिवर्सिटी के लिए 500 एकड़ जमीन देने का काम किया था जिसमें से 78 एकड़

जमीन मैडिकल कालेज के लिए चिन्हित करके रखी हुई है। अगर सरकार यहां पर एक नया मैडिकल कालेज और देना चाहती है तो यह प्रदेश के लिए चिकित्सा क्षेत्र को और ज्यादा स्ट्रैंथन करने का काम करेगा। सरकार को यहां पर मैडिकल कालेज के लिए अलग से जगह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां पर आलरेडी जगह अवेलेबल है। अतः मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि सरकार द्वारा वहां पर जल्द से जल्द एक मैडिकल कालेज देने का काम किया जाये।

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने प्रदेश के सभी 22 जिलों में एक–एक मैडिकल कालेज बनाने का वादा किया हुआ है। अभी कुछ जिलों में मैडिकल कालेज बनाया जा रहा है और बाकी में बनने अभी बाकी है। एक बार इस लक्ष्य को पूरा होने के बाद दो–दो मैडिकल कॉलेज के विचार पर भी आगे बढ़ने का काम किया जायेगा लेकिन अगर कोई प्राइवेट मैडिकल कॉलेज चलाना चाहता है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार का प्रत्येक जिले में एक–एक मैडिकल कालेज बनाने का वादा है तो मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये सभी मैडिकल कालेज कितने सालों में बन जायेंगे।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं यहां पर किसी वायदे के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। अभी जो वस्तु स्थिति हैं मैंने केवल उसके बारे में सदन में बताने का काम किया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एक विषय आया था अनाधिकृत कालोनीज का। इनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वैबसाइट्स पर लगभग 1250 कालोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। जिसमें 835 कॉलोनीज तो अर्बन लोकल बाडीज डिपार्टमैंट के अधीन कवर होती हैं और बाकी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट में कवर होती हैं। इनके उपर काम शुरू हो गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या–क्या चीजें चाहिए होंगी, उनका भी एक प्रकार से सर्वे हो गया है। इसके बाद जो कालोनियां नार्म्ज के हिसाब से खरी उतरेंगी उनको हम जल्द से जल्द बनाने का करेंगे। जहां तक फसल की गिरदावरी की बात है। मैंने पहले भी इसका उत्तर दे दिया था कि 561 करोड़ रूपये, 2021 की खरीफ की फसलों के लिए मुआवजे के रूप में दिया जा चुके हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी लगभग 800 करोड़ रूपये सैंग्शन हो चुके हैं जिसमें से काफी पैसों तो किसानों के खातों में पहुंच भी गया है और कुछ पैसा इस मार्च के अंत तक किसानों के खातों में पहुंच जायेगा। जहां तक

रबी–2022 की फसल की बात है, उसकी भी सामान्य गिरदावरी हो चुकी है और जहां जहां से रिपोर्ट आनी बाकी है, वहां पर भी 15 मार्च तक स्पेशल गिरदावरी की रिपोर्ट आ जायेगी और उसके बाद इस बारे में भी आगामी निर्णय लिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां 42 गांव हैं जिनमें से 14 गांवों में मुआवजा दिया गया है और इन 14 गांवों में भी जो मुआवजा दिया गया है वह भी केवल 40 परसेंट लोगों को दिया गया है। 60 परसेंट लोग तो आज भी मुआवजे के लिए चिल्ला रहे हैं। मुआवजा देने में पीछे जो गड़बड हुई है, उसके बारे में भी तो कुछ विचार किया ही जाना चाहिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता। पीछे जो हुआ, वो हुआ लेकिन आगे गड़बड़ न हो इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। अगर माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो वह डिपार्टमैंट में लिखकर अपनी शिकायत भेज दें। अगर उस शिकायत का निवारण करने के लिए डिपार्टमैंट के पास कोई फार्मूला होगा तो समस्या का निवारण जरूर होगा।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास इसका कोई तरीका नहीं है।

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसकी फसल कट गई हो और उसके लिये कोई कमिट्मैंट करूं, ऐसा संभव नहीं है।

श्री बलराज कुण्डू: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि .....।

श्री उपाध्यक्षः कुण्डू साहब, सदन के नेता जवाब दे रहे हैं, इसलिए आप बीच में न बोले, कृपया करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, एक विषय 'बेरोजगारी में सी.एम.आई.ई.ई. की रिपोर्ट' (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लि0) जो बार–बार उठता है और उसका हर बार मेरा जवाब भी रिकॉर्ड पर होता है। विपक्ष के साथी या तो मेरा जवाब पढ़ते नहीं है या फिर जानबूझ कर ऐसा विषय उठाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सी.एम.आई.ई.ई. के बारे में बहुत बार कह चुका हूँ और आज भी वही बातें कहूंगा। आज मैं लेटैस्ट आंकड़ों के अनुसार सदन में यह कह रहा हूँ कि दिसम्बर, 2021 में सी.एम.आई.ई.ई. की रिपोर्ट ने कहा कि हरियाणा में 34 प्रतिशत की बेरोजगारी है और जनवरी, 2022 में सी.एम.आई.ई.ई. की रिपोर्ट आई है कि

हरियाणा में 25–26 प्रतिशत की बेरोजगारी है। सी.एम.आई.ई.ई. की रिपोर्ट निराधार और झूठ का पुलिंदा है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इसी एजेंसी को रैंकिंग के आधार पर विज्ञापन दे रही है और कहती है कि हमारे स्टेट में इतने प्रतिशत बेरोजगारी है। इस प्रकार से सी.एम.आई.ई.ई. की रिपोर्ट हरियाणा प्रदेश के लिये गलत और उत्तर प्रदेश के लिये ठीक है। ऐसे कैसे हो सकता है?

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूँ कि उनके अपने आंकड़े हैं, छपे हुए हैं और वे वेबसाइट और मैग्जीन में मैंशन हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी सी.एम.आई.ई.ई. ने हरियाणा में वर्ष 2017 के किसी एक महीने में हम देख सकते हैं कि बेरोजगारी की रिपोर्ट 2 प्रतिशत ही दिखा रखी है। इस प्रकार से हम कैसे सी.एम.आई.ई.ई. की रिपोर्ट पर भरोसा कर सकते हैं। वर्ष 2017 में भी हमारी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने लगभग तीन वर्ष हो चुके थे। इस प्रकार से बढ़ते–बढ़ते 2 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 36 प्रतिशत और हम एक दिन उसका भी इंतजार कर रहे हैं कि जब सी.एम.आई.ई.ई. की रिपोर्ट यह कहेगी कि हरियाणा में 100 प्रतिशत बेरोजगारी हो गई है। हम किस प्रकार से सी.एम.आई.ई.ई. की रिपोर्ट पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उनका कोई पैरामीटर नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास डाटा है और वह डाटा 'परिवार पहचान पत्र' से बढ़िया नहीं हो सकता है। जिसके अंदर 67 लाख परिवारों के लगभग 2.75 लाख लोगों ने किसका क्या व्यवसाय है, स्वयं डिक्लेयर किया हुआ है और उसमें भी लगभग 8 लाख लोगों ने स्वीकार किया हुआ है कि हम बेरोजगार हैं, जिसकी बेरोजगारी दर लगभग 5.5 प्रतिशत ही बनती है।

श्री भारत भूषण बतराः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि 'परिवार पहचान पत्र' में ऐसा कौन सा फॉमूला है, जिससे हमें बेरोजगारी होने का पता लग सके। 'परिवार पहचान पत्र' में ऐसा कौन सा पैमाना दिया हुआ जिससे बेरोजगारी दर का पता चल सके। इस प्रकार का डाटा कहां से लिया हुआ है?

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उसमें परिवार के लोगों के हस्ताक्षर हैं और हर सदस्य के आगे उसका ऑक्यूपेशन क्या

है, उसका कॉलम बना हुआ है और उसमें लिखा जाता है। यदि वह वृद्ध है तो वृद्ध लिखा जाता है, यदि वह पेंशन वाला है तो पेंशनधारक लिखा जाता है, यदि कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी लिखा जाता है और यदि कोई व्यवसाय करने वाला होता है तो उसको भी लिखते हैं।

श्री भारत भूषण बतराः उपाध्यक्ष महोदय, क्या जिस एप्लीकेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाते हैं, उससे पता लग सकता है कि इम्प्लॉईमैंट है या नहीं है? क्या उस एक्ट के अंदर ऐसा कोई प्रौविज़न बना हुआ है? क्या इस संबंध में भी कोई ऐसा फॉर्म है, जिससे बेरोजगारी दर का पता लग सके, जिससे हम सबको पढ़कर पता लग सके?

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, बतरा साहब सम्मानित वकील हैं और बहुत पुराने सदस्य भी हैं, इसलिए आपको सब बातों का पता होना चाहिए। एक्ट में तो केवल एक्ट की परिभाषा लिखी जाती है कि उसमें क्या–क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके रूल्ज क्या होंगे, उसकी पैलिसी क्या होगी आदि । यह माननीय सदस्य भी बनाते रहे हैं और हम भी बना रहे हैं । अतः ये फार्म हर एक्ट में नहीं छापा जाता क्योंकि फार्म तो 4 महीने बाद भी बदलना पड़ सकता है । अगर कोई नई जानकारी लेनी हो तो उसे बदला जा सकता है । अतः यह बात नहीं की जानी चाहिए कि यह एक्ट में कहां लिखा है । अगर माननीय सदस्य को उसका अध्ययन करना है तो ए.डी.सी. ऑफिस में उसे बुला करके कि आप उसे कैसे–कैसे भरवाते हैं आप उसे ले आइये । (विघ्न) एच.आर.ई.एक्स. एक पोर्टल है । यह सरकारी पोर्टल है । (विघ्न) हम सरकारी पोर्टल से आंकड़े लेंगे । हम सी.एम.आई.ई. से आंकड़े नहीं लेंगे । हम प्राइवेट पोर्टल से कुछ भी नहीं लेंगे । सरकार के पोर्टल से जिसको जो जानकारी लेनी है वह जानकारी ले ले । एच.आर.ई.एक्स. पोर्टल पर आज भी 8 लाख 87 हजार बेरोजगारों ने अपने आपको पंजीकृत करवाया हुआ है । अतः इन चीजों को बहुत ज्यादा हवा देने का कोई अर्थ नहीं है । युवाओं को पता है कि उनको कहां से और कैसे रोजगार मिल रहा है ? मैंने सदन में बताया है कि हर साल 4 लाख बेरोजगार युवाओं की आबादी बढ़ती है । इसमें से आधे युवा तो अपने आप ही रोजगार पकड़ लेते हैं फिर चाहे वह कोई दुकान हो या फैक्ट्री हो या पारिवारिक व्यवसाय हो । इसके बाद लगभग 2 लाख युवा ऐसे होते हैं जिनको रोजगार की तलाश होती है । अतः ऐसे युवाओं का बेरोजगारी का 3–4 साल का यह डाटा तो रहना ही है ।

हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनन्दन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज पूर्व मंत्री श्री सुभाष कत्याल जी सदन की वी.आई.पीज. गैलरी में सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हुए हैं मैं सदन की तरफ से उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ ।

———————

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बात को थोड़ा शॉर्ट में कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत–से विषय ऐसे हैं जो बजट में भी आएंगे । वैसे तो सारी चर्चा हुई ही है । विषय पर केवल चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं होता । अर्थ तो तब होता है जब जितनी चर्चाएं हमारे सामने आई हैं उसका हमने सरकार की ओर से जवाब देना होता है । सरकार का जवाब विपक्ष को पसन्द आता है या नहीं आता है उसका भी कोई अर्थ नहीं होता । विपक्ष उस जवाब का अपने ढंग से उपयोग कर सकता है । हमारा तो कंसर्न यह है कि इस प्रश्न का हमारा यह जवाब है । विपक्ष चाहे बार–बार कितना ही हमें टोके उससे हमारा जवाब तो बदलेगा नहीं । अगर विपक्ष का कोई अच्छा सुझाव होगा तो हम उसे लागू करने का प्रयास करेंगे । हमारे सामने बी.बी.एम.बी. का एक विषय आया था । यह बात ठीक है कि केन्द्र सरकार ने और सिंचाई विभाग ने उसमें कुछ परिवर्तन किया है । जिस समय हमें इस परिवर्तन का पता लगा तो उससे पहले ही मैंने स्वयं 10 नवम्बर, 2020 को केन्द्रीय बिजली नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री श्री आर.के. सिंह को पत्र लिखकर अनुरोध किया था । हमने कहा था कि बी.बी.एम.बी. में चेयरमैन का जो पद है वह हरियाणा से निमित्त सदस्य होने तक उसका कार्यभार अध्यक्ष, बी.बी.एम.बी. को दे दिया जाए क्योंकि उस समय चेयरमैन नहीं बने थे । मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी आग्रह किया था कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय को निर्देश दिया जाये कि बी.बी.एम.बी. के सदस्य की नियुक्ति पहले की परम्परा के अनुसार हरियाणा राज्य से सदस्य (सिंचाई) और पंजाब से सदस्य (विद्युत) की तर्ज पर ही जारी रखी जाए । माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस मामले में आश्वासन जरूर दिया था लेकिन बाद में यह घटनाक्रम इस प्रकार से बना और मैंने 19 अप्रैल, 2021 को दोबारा पत्र लिखा । इसके जवाब में हमें 4 मई, 2021 को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि इस मामले में उचित कार्यवाही की जा रही है । अब ये उचित कार्यवाही क्या कर रहे हैं यह हमें नहीं पता ? अंत में जब इस पर निर्णय हो गया

तो इसके बाद हमने फिर से एक पत्र लिखा है और इस बार हमने यह पत्र माननीय गृह मंत्री जी को लिखा है । हमने कहा कि यह ठीक नहीं किया गया है और इसमें हमारी भी आपत्ति है तथा पंजाब की भी आपत्ति है । उस में पंजाब और हरियाणा दोनों की आपत्ति है । हमने यहां तक कहा है कि इसमें राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का अगर एक–आध सदस्य बेशक ले लिया जाए क्योंकि वे भी अपने प्रदेश से सदस्य चाहते हैं । सामान्यतः हिमाचल प्रदेश से चेयरमैन बनता था । इसके अलावा राजस्थान के लोगों का बहुत आग्रह था । हमने केन्द्र सरकार को यहां तक भी अपनी वर्बल सहमति दे दी थी कि अगर आपको लगता है कि राजस्थान को ऐसा लगता हो कि उनके हित का कोई ध्यान रखने वाला नहीं है तो आप बी.बी.एम.बी. के दो की बजाय तीन सदस्य बना दीजिए । अगर उसमें एक सदस्य राजस्थान का भी बना देंगे तो हमें इसमें आपत्ति नहीं है क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और थोड़ा–सा हिस्सा दिल्ली को भी जाता है। इसमें लगभग यही प्रदेश शामिल हैं और इन्हीं प्रदेशों को मिलकर ही बीबीएमबी का कार्य संभालना चाहिए। इस मामले में प्रदेश सरकार सजग है। मैं इस विषय को लेकर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने वाला हूं और उस दौरान इस पर बात कर लेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इसमें यह भी कहा था कि सरकार ऑल पार्टीज की मीटिंग बुलाएं और केन्द्र सरकार से जाकर दिल्ली में मिले। चूंकि यह हरियाणा प्रदेश के हित का विषय है। पंजाब रि– आग्रेनाइजेशन एक्ट के अन्तर्गत बीबीएमबी बनाया गया था। यह सैंट्रल गवर्नमैंट के अंडर नहीं है। चूंकि इसमें सैलरीज और दूसरे खर्चे हमारी तरफ से दिये जाते हैं। इसमें राजस्थान की बात आयी थी तो वह बाईलेट्रल एग्रीमेंट था। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें जो समस्या आ रही है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। इसमें समस्या यह है कि जब बीबीएमबी बनाया गया तो इसके सुपरविजन का काम केन्द्र सरकार के महकमे को दिया गया था और उस समय केन्द्र सरकार में इरीगेशन और पॉवर महकमा एक था, परन्तु वह बाद में स्प्लीट हो गया। यानी एक पॉवर डिपार्टमैंट बना गया दूसरा वॉटर रिसोर्सिज डिपार्टमैंट बन गया। यह बीबीएमबी वॉटर रिसोर्सिज के अंडर आना चाहिए था क्योंकि बेसिकली डैम का कार्य इरीगेशन विभाग के अंडर आता है। यह पॉवर डिपार्टमैंट तो इसकी बाई प्रोडैक्ट है। बीबीएमबी इरीगेशन विभाग के अंडर बना था। इसके लिए हरियाणा सरकार को केन्द्र सरकार से कहना चाहिए कि

बीबीएमबी को इरीगेशन डिपार्टमैंट के अंडर करें। उनको हरियाणा सरकार यह कह सकती है कि यह कार्य इरीगेशन विभाग को दे दें और इसका मैम्बर भी इरीगेशन विभाग का होना चाहिए। इसमें राजस्थान राज्य का मैम्बर क्यों रहे क्योंकि उनकी स्थिति अलग है। इसमें पंजाब राज्य का मैम्बर पॉवर डिपार्टमैंट का रहे और हरियाणा राज्य का मैम्बर इरीगेशन विभाग का रहे। चूंकि यह पद पिछले कई दिनों से खाली है और मैंने उसके बारे में पिछले सैशंज में भी सवाल उठाया था कि इसमें हरियाणा सरकार की तरफ से कोई मैम्बर नहीं भेजा गया है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बात को चेयरपर्सन देखेगा। पहले बीबीएमबी का चेयरपर्सन भी इन पार्टिसिपेटिंग स्टेट का नहीं होता था बल्कि इनसे बाहर का होता था, परन्तु अब इसका चेयरपर्सन भी हिमाचल प्रदेश का लगा दिया। यह बेसिक बात है और इस पर सरकार को स्ट्रौंगली स्टैंड लेना चाहिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं और हम इस बात को केन्द्र सरकार के समक्ष स्ट्रौंगली रखेंगे। जैसी व्यवस्था पहले थी, उसी व्यवस्था पर अडिग रहेंगे। इसके लिए हरियाणा प्रदेश के माननीय सांसदगणों से भी कहूंगा कि वे चाहे इस विषय को लोक सभा का इशू बनाए, लेकिन इस विषय को जरूर उठाएं। इसके अतिरिक्त वाहन पॉलिसी की बात आती है। हम इस विषय को पहले भी रख चुके हैं। इसमें एन.जी.टी. ने जो स्टैंड लिया है, उसी से यह विषय आया है कि एन.सी.आर. रीजन में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पैट्रोल के वाहन न चलने दें। हमने इसके बारे में उनको वर्बली भी कहा है और लिखित में भी भेजा है कि आप इसको सख्ती से लागू न करें। फिर भी मैं विश्वास दिला रहा हूं कि हमने इसमें ट्रैक्टर के लिए पहले भी छूट ली थी और अगले सैशन में एक एक्ट लाएंगे जिसमें उनसे वर्ष 2025 तक छूट लेने के लिए आग्रह करेंगे। मेरे पास यह समाचार आया है कि हम इसी सैशन में ट्रैक्टर के लिए एक्ट ला रहे हैं और उसकी तैयारी भी कर ली है। इसके अतिरिक्त प्रौपर्टी आई.डी. के विषय के बारे में भी माननीय सदस्यों ने बात की है। चूंकि हमको पता है कि सभी चीजों का डिजिटलाईजेशन हो रहा है। फिर उसमें चाहे गांवों की प्रौपर्टी हो, ग्रामीण क्षेत्र की रिवैन्यू की प्रौपर्टी हो या शहरों की प्रौपर्टी हो। मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं कि लाल डोरा की व्यवस्था को समाप्त किया जाए और उसके लिए हर घर की कोई प्रौपर्टी आई.डी. या रजिस्ट्रेशन हो जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जब हमारे इस प्रयोग के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को

जानकारी मिली तो उसकी प्रजैंटेशन ली गयी। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस स्वामित्व योजना को पूरे देश में लागू करेंगे। इस प्रकार स्वामित्व नाम की यह योजना पूरे देश में लागू हुई है ताकि गांवों को लाल डोरा से मुक्त किया जाए। इसका रिकार्ड बनने से संबंधित गांव के लोगों के हाथ में एक पक्की रजिस्ट्री आ गयी है। इससे उनकी जमीन का नाप– तोल आ गया है कि उनकी कितनी जमीन है ? इस प्रकार अगर वह संबंधित डॉक्यूमैंट के आधार पर बैंक से लोन लेना चाहता है तो लोन भी मिल जाएगा और अपनी प्रौपर्टी बेचना चाहता है तो उसके ज्यादा दाम भी मिलेंगे। इस प्रकार लोगों के पास उनकी प्रौपर्टी का एक पक्का ऑथैंटिकेटिड डॉक्यूमैंट आ गया है। हम अब हर गांव की लार्ज स्केल मैपिंग करवा रहे हैं ताकि खेतों के झगड़े भी खत्म हो जाएं। एक समय था जब हमारे गांवों में इसके लिए पत्थर लगे हुये थे, लेकिन वह पत्थर भी उन लोगों ने प्रायः प्रायः सब खत्म कर दिये हैं। अब उसको दोबारा से पत्थर लगाने की बजाय आज टैक्नोलॉजी के विषय को लेकर के सबका longitude, latitude के आधार पर उसकी सीमाएं हैं। कहीं भी किसी भी जगह पर खड़े होकर बताया जा सकता है कि इस किल्ले का यह कॉर्नर है। दो कॉर्नर पता करके उसकी सीधी लाइन लगाई जा सकती है तो उसकी large-scale mapping का भी काम शुरू हो गया है और यह काफी गांवों में हुआ है लेकिन ड्रोन के माध्यम से इस काम में काफी समय लगता है। मैं इसके साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा कि हम Surveyor General of India से यह काम करवा रहे हैं लेकिन इस काम में समय जरूर लगेगा। पहले शहरों की प्रौपर्टीज का खाका डाटा का काम पक्का नहीं था। हमारे शहरी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको पहले 50 परसैंट, 40 परसैंट और 30 परसैंट तक हाउस टैक्स कलैक्शन में सफलता मिलती थी, इससे आगे सफलता नहीं मिलती थी। अब सरकार ने इस काम के लिए एक एजेंसी को भी लगाया है। हालांकि उस एजेंसी के काम से हमें सैटिस्फैक्शन नहीं है फिर भी हम लोगों से शिकायतें लेकर, जहां से उस एजेंसी की शिकायतें आयेंगी, उसको वहां से हटाकर कहीं दूसरी जगह पर काम पर लगायेंगे।

श्री भारत भूषण बतरा : सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हरियाणा प्रदेश में प्रौपर्टी आई.डी. शुरू की है, परन्तु हरियाणा प्रदेश में प्रौपर्टी आई.डी. लेने के लिए न जाने कितनी जनता परेशान हो रही है। जनता और किसी चीज के लिए परेशान नहीं हो रही है। It is breeding corruption. हमें यह पता नहीं है कि

प्रौपर्टी आई.डी. बनाने में कितनी करप्शन हो रही है? अगर दो नम्बर में पैसे दिये जाते हैं तो प्रौपर्टी आई.डी. बन जाती है और अगर पैसे नहीं देते हैं तो उसके बाप के नाम की स्पैलिंग गलत लिख दी जाती है, जिसके कारण उनको प्रौपर्टी आई.डी. नहीं मिल पाती है। इसके अलावा रजिस्ट्री का कोई खसरा नम्बर एक आधा नहीं मिलता है तो उसको प्रौपर्टी आई.डी. नहीं मिल पाती है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस काम को रोकिये और इसकी फीड बैक भी लीजिए। In every Corporation, in every Municipal Council, in every Municipal Committee, it is not only my voice, but it is the voice of all the M.L.As कि हरियाणा प्रदेश में प्रौपर्टी आई.डी. बनाने को लेकर बहुत ज्यादा धांधली हो रही है इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस गवर्नेंस में सुधार करने का प्रयास कीजिए।

श्री मनोहर लाल : बतरा जी, मैंने इस बारे में पहले ही कह दिया है कि इसमें कई कमियां हमारे ध्यान में आई है, जिस एजेंसी को सर्वे का काम दिया है। उसको नोटिस भी दिया है कि इस चीज को ठीक करके दो, नहीं तो एजेंसी को टर्मिनेट भी करने का काम करेंगे। हमें जो व्यवस्था करनी पड़ेगी, हम वह जरूर करेंगे। हमारी सरकार एक चीज यह करने जा रही है, मैं समझता हूं कि यह करने से सभी को बहुत सुविधा होने वाली है। ये रोज–रोज के लोगों के झगड़े मिटेंगे। हमारी टोटल प्रौपर्टीज कितनी है, इसका आंकड़ा हमारे यू.एल.बी. के पास आयेगा। इस आंकड़े को मंथली या ईयरली जो उसका चार्जिज है, उसको इक्ट्ठा कर पायेंगे। कहीं कोई समस्या नहीं है। गांवों में लाल डोरे की जमीनों को लेकर काफी झगड़ा था, वैसे ही शहरों में खूब झगड़े हैं।

चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शहरों में खूब झगड़े हैं तो इस को लेकर गांवों में भी खूब झगड़े हैं। लाल डोरा खत्म कर दिया, यह बात ठीक है। गांव में क्या हो रहा है प्रौपर्टी की जब रजिस्ट्री होती है तो एक आदमी के नाम रजिस्ट्री हो जाती है। जैसे मान लो एक परिवार में 4 भाई हैं तो एक भाई के नाम पर रजिस्ट्री हो गई तो उन चारों भाईयों के बीच में झगड़े बढ़ेंगे क्योंकि एक भाई के नाम पर प्रौपर्टी रजिस्ट्री हो गई। उस रजिस्ट्री में तीनों भाईयों का कोई जिक्र तक नहीं होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : हुड्डा जी, पहली बात तो यह है कि जो गांव में रजिस्ट्री होती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : सभापति महोदय, मैं प्रैक्टिल तौर पर बताना चाहता हूं।

श्री मनोहर लाल : मलिक साहब, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : सभापति महोदय, मेरे परिवार के 10 आदमियों की प्रौपर्टी मेरे नाम पर चढ़ा दी गई। अगर मैं इस चीज को ठीक करवाने के लिए जाता हूं तो हमें कितना भारी खर्चा उठाना पड़ेगा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं।

श्री मनोहर लाल : मलिक साहब, अगर सड़क पर कोई एक्सीडैंट हो जाये तो यह नियम नहीं बनाया जा सकता है कि सड़क पर चलना मना है। मलिक साहब, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए मैं आपको बता रहा हूं। इसमें प्रावधान बनाये गये हैं। क्या प्रावधान बनाये गये हैं कि पहले तो प्रौपर्टी की आई.डी. ग्राम सभा की मीटिंग के हिसाब से बनती है। मैं यह मानता हूं कि ग्राम सभा द्वारा भी प्रौपर्टी आई.डी. फर्जी दिखा दी जाती है। ये भी दिखाते हैं लेकिन उसमें प्रावधान है। गांव के सरपंच के द्वारा प्रौपर्टी की रजिस्ट्री की जायेगी। अब अगर किसी गांव में सरपंच नहीं है तो उसके बदले में ग्राम सचिव प्रौपर्टी की रजिस्ट्री करेगा। अब ग्राम सचिवों ने भी अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है कि कल को झगड़े होंगे और हम इसमें फंसेंगे। हम प्रौपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करेंगे। मैं उनकी यह बात मानता हूं कि उनकी जायज बात है कि वे बहुत पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते है, इसलिए हमने वहीं पावर बी.डी. पी.ओ. को दे दी है और बी.डी.पी.ओ. गांव के लोगों को इक्ट्ठा करने का काम करेगा।

श्री जगबीर सिंह मलिक : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर यह प्रौपर्टी बनेगी, वहां पर एवरी प्रौपर्टी चूना मार्किंग होनी चाहिए लेकिन कहीं पर भी चूना मार्किंग नहीं होती है और सिर्फ लाल डोरा की मार्किंग होती है और वह भी गलत मार्किंग होती है।

श्री मनोहर लाल : मलिक साहब, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप बोलना बोलना जानते हो। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप ऐसे कोई दो गांवों के बारे में ग्राम विकास डिपार्टमैंट को लिखित में शिकायत दे दें या अपने संबंधित डी. सी. को भी इस बारे में शिकायत दे दें। मलिक साहब, आप कुछ कलम अपनी भी चलाने सीख लो। आप अपने संबंधित डी.सी. को शिकायत लिखकर भेज दो हम इसकी इन्क्वायरी करवायेंगे। डिप्टी स्पीकर सर, मेरा यह भी कहना है कि बिना चूने की मार्किंग के सारी फोटोग्राफ्स मिल जायेंगे। हम उन्हें देखेंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिक : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से सी.एम. साहब को यह कहना है कि मेरे गोहाना हल्के में एक जगह भी यह काम नहीं हुआ है। मेरा तो यही कहना है कि किसी भी गांव की व्यक्तिगत सम्पत्ति पर कोई भी चूना मार्किंग नहीं है। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा तो यही कहना है कि जब जगबीर सिंह मलिक इस सम्बन्ध में लिखकर देंगे, तभी आगे की कार्यवाही होगी। मेरा यह भी कहना है कि इस मामले में जो भी शिकायतें हमें प्राप्त होंगी उन शिकायतों को दूर करने के लिए जो प्रावधान करने पड़ेंगे, उन्हें हम करेंगे लेकिन किसी एक अच्छे काम को सिर्फ एक कारण या कमी की वजह से वापिस लेने के बारे में कहा जायेगा तो यह सम्भव नहीं है इसलिए हम इसे वापिस नहीं लेंगे। इसमें जो–जो भी कमियां होंगी हम उन सभी को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से यहां पर एक विषय डौमिसाइल का उठाया गया है। इस मामले को मीडिया में भी नेता प्रतिपक्ष उठाते रहे हैं और इस विषय को यहां पर भी किसी ने उठाने का काम किया है। इस बारे में मेरा यह कहना है कि जहां तक डौमिसाइल का विषय है इसके लिए हरियाणा में मूल निवासी होने के लिए वर्ष 1975 में प्रदेश के निवास की तीन साल की समय सीमा तय की गई थी। इस प्रकार से वर्ष 1975 में यह समय अवधि तीन वर्ष की थी और आज भी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी यह समय अवधि तीन वर्ष ही है। इसके अलावा पंजाब और मध्य प्रदेश में पांच वर्ष का निवास इसके लिए निर्धारित किये गये हैं। यह अवधि तमिलनाडु और कर्नाटक में 6 वर्ष है। पड़ोसी राज्यों और देश के दूसरे राज्यों की निवास अवधि को देखते हुए प्रदेश में एक प्रकार का जो यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के पीछे की वजह भी मैं बताना चाहूंगा।

श्री भारत भूषण बतरा : डिप्टी स्पीकर सर, इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि इस मामले में सरकार की पूरी की पूरी क्लीयर गाइडलाइन्ज हैं। उन गाइडलाइन्ज में यह मैंशन है कि who is a resident of इस मामले में डौमिसाइल वर्ड को भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमैंट के तहत खत्म कर दिया गया था अर्थात् resident and that is for fifteen years. Fifteen years से लेकर आपने जो वर्ष 2021 की नोटिफिकेशन की वह भी 1996 की फाइव नम्बर क्लॉज को लागू करके आपने पांच साल कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि पांच साल करने का क्या औचित्य है? डौमिसाइल का पूरा इशू यहां पर डिस्कस होना चाहिए कि 15

साल से 5 साल डिक्रीज किया है अर्थात् what is the necessity और आपने क्यों किया है?

श्री मनोहर लाल : डिप्टी स्पीकर सर, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह ठीक है। यह इसमें भी लिखा है कि उस तीन वर्ष की अवधि को 15 वर्ष तक बढ़ाने के लिए सितम्बर, 1991 में संशोधन किया गया लेकिन अब जैसा मैंने पड़ोसी राज्यों के बारे तो बताया ही है। इसमें विषय इतना ही था जब हमने प्राईवेट सैक्टर में जॉब्स के लिए 75 परसैंट का एक्ट बनाया और जिसके अंदर आखिरकार स्टेकहोल्डर्ज से बात करने की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रदेश के उद्योगपतियों से बातचीत की। अगर उद्योगपति एकदम इसके विरोध में आते हैं तो तब भी यह सम्भव नहीं था कि हम जबरदस्ती उनके ऊपर यह निर्णय थोप देते। प्रदेश के उद्योगपतियों ने जो विषय हमारे सामने रखे उनमें से ये दो ही विषय सबसे महत्वपूर्ण थे। एक विषय उनका यह था कि आखिर हमारे यहां वर्षों से जो लोग काम कर रहे हैं वे सारे के सारे हरियाणा के रेजीडैंट तो नहीं हैं। उनमें से कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई उड़ीसा का है या किसी दूसरे राज्य का है। उनका यह भी कहना था कि उनके यहां पर अधिकांश लोग दूसरे राज्यों के ही रहे हैं। उनके यहां हरियाणा के लोग कम ही रहे हैं और उद्योग जगत की कुछ प्रवृत्ति भी रही है कि हरियाणा के लोगों को कम लगाया जाये। इसमें सभी भुगतभोगी हैं। इसमें सभी के सामने सारा कुछ हुआ है। हमने भी उसको देखा है। इसके बाद हमने प्रदेश के उद्योगपतियों को किसी तरीके से सहमत किया कि हरियाणा के 75 प्रतिशत लोगों को अपने संस्थानों में नौकरी देंगे। इस मामले में हमने कई काम किये। पहला काम हमने यह किया कि ग्रुप ए, बी, सी और डी में अगर वे हरियाणा के व्यक्ति को नौकरी देंगे तो सरकार उनको सबसिडी देगी। पहले इस सबसिडी की राशि तीन हजार रुपये प्रति मास थी। डिप्टी स्पीकर सर, हमने उनको यही कहा कि अगर वे अपने संस्थान में हरियाणा के किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर रखते हैं तो सरकार उनको तीन साल के लिए यह सबसिडी देगी। यह घोषणा हमने इसीलिए की ताकि वे हरियाणा के लोगों को अपने संस्थान में नौकरी पर रखें। इतना लालच तो उनको होता ही है। दूसरा उन्होंने यह कहा कि हमारे उन परिवारों के लोग 10–10 साल से उनके पास हैं उनके बच्चे तो आज यही रहते हैं, वे यहीं पैदा हुए हैं और यहीं पर पढ़ते हैं। जब दूसरे प्रदेशों की बात चली तो हमने कहा कि ठीक है अगर दूसरे प्रदेशों में यह

अवधि पांच वर्ष है तो हम भी इसको पांच वर्ष करेंगे लेकिन केवल उस 75 परसैंट के लिए यह किया गया है।

श्री भारत भूषण बतरा : डिप्टी स्पीकर सर, इसमें यह कहीं पर भी लिखा है कि यह प्रावधान सिर्फ 75 परसैंट के लिए है यह यूनीफॉर्म एप्लीकेबिलिटी है। इसका एजूकेशन पर और एस.सी./बी.सी. सभी पर असर पड़ रहा है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : डिप्टी स्पीकर सर, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि इसका एस.सी./बी.सी. की रिजर्वेशन पर क्या इम्पलीकेशन होगा? डोमीसाईल तो उत्तर प्रदेश का हो सकता है लेकिन certificate of residence जो है वह आप पांच साल का दे रहे हैं। इस मामले में वर्ष 1996 की नोटिफिकेशन है। सी.एम. साहब कह रहे हैं कि यह हरियाणा प्रदेश के निवासियों को प्राईवेट संस्थानों में नौकरी दिलवाने के विषय को ध्यान में रखकर किया गया है। क्या यह कहीं पर लिखा है कि certificate of residence जो है उसको आप 15 साल से घटाकर पांच साल का करेंगे। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि इससे हरियाणा के यूथ को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसमें मूलभूत हरियाणावासियों और एस.सी./बी.सी. का कोई फायदा होने वाला नहीं है।

श्री मनोहर लाल : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा यह कहना है कि तीन साल के लिए डोमीसाईल शब्द तो है ही नहीं। हमने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन ही निकाली है। हमने इसको नोटिफाई नहीं किया है। जब तक इंस्ट्रक्शन के हिसाब से नोटिफिकेशन नहीं हो जाती तब तक सरकारी चीजों पर यह लागू नहीं हो सकता। यह कहीं पर भी सरकारी विषयों पर लागू नहीं है। हम इसका सारा प्रावधान करेंगे। उसके अंदर विभिन्न समस्याओं का क्या रास्ता निकलेगा उसको हम करेंगे। अभी मैं यह बताना चाहूंगा कि हमने इसको 15 जनवरी, 2022 को लागू किया था। इस मामले में बाद में हाई कोर्ट से स्टे हो गया था। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गये। हमने वहां पर अच्छी दलील दी जिसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को हटा दिया है। अभी यह केस चलेगा। यह केस किस ढ़ंग से आगे चलता है उसको हम देखेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : डिप्टी स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में केवल मात्र स्टे को ही हटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सरकार को जिताया नहीं है।

श्री मनोहर लाल : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारी सरकार बड़े–बड़े केसिज में हमारे पक्ष में फैसला देकर हमें जिताया है।

हमने सुप्रीम कोर्ट में बड़े–बड़े केसिज में जीत प्राप्त की है जहां पर हुड्डा साहब पहुंच ही नहीं सकते थे। मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश की पंचायतों को पढ़ा लिखा करना है इस केस में भी हम ही जीत कर आये। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को भी हम जीतेंगे। किसी अच्छे काम के लिए लड़ाई लड़नी हो तो वह हम किसी भी सूरत में लड़ेंगे। डिप्टी स्पीकर सर, विपक्ष को तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए कि 33 परसैंट की बजाये हम उसमें महिलाओं का 50 परसैंट प्रतिनिधित्व लेकर आ रहे हैं। हमने यह कोई छोटा काम नहीं किया है। कोरोना के कारण इस मामले में थोड़ा बहुत डिले हो गया।

श्री भारत भूषण बतरा : डिप्टी स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : बतरा जी, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं इसलिए आप कृपया बैठ जायें। आप इसको डिबेट न बनायें।

श्री मनोहर लाल : डिप्टी स्पीकर सर, मैंने शुरू में ही यही कहा था कि विपक्ष के लोग आलोचना करने के अलावा कुछ नहीं जानते। इनको खुद तो कुछ करना नहीं है ये औरों को भी कुछ करने नहीं देना चाहते।

श्रीमती गीता भुक्कल : डिप्टी स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहती हूं कि (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : गीता जी, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं इसलिए आप कृपया बैठ जायें और मुख्यमंत्री जी का जवाब सुनें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : डिप्टी स्पीकर सर, सरकार ने महिलाओं को तो प्रतिबंधित कर दिया है और वे 50 परसैंट से ज्यादा तो लड़ ही नहीं सकती। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार महिलाओं के ऊपर पाबंदी कैसी लगा सकती है। यह बात महिलाओं के खिलाफ जायेगी।

श्री मनोहर लाल : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा यही कहना है कि अगर हुड्डा साहब को बहस करनी है तो उन्होंने भी वकालत पास की हुई है और वकालत की थोड़ी सी जानकारी मैं भी रखता हूं। मेरा यही कहना है कि रिजर्वेशन का एक फण्डामैंटल नियम है कि where there is no adequate reservation और जहां adequate representation नहीं है वहीं रिजर्वेशन होता है। यहां पर वकीलों में से कोई भी खड़ा होकर बता दे कि रिजर्वेशन का क्या क्लॉज है। (विघ्न)

श्री मेवा सिंह : डिप्टी स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : मेवा सिंह जी, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं इसलिए आप कृपया बैठ जायें और मुख्यमंत्री जी का जवाब सुनें।

श्री मनोहर लाल : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा यही कहना है कि जहां तक adequate representation का विषय है इस प्रदेश और देश में महिलायों की संख्या गिनेंगे तो हम पायेंगे कि वह less than 50% है। जब 50 परसैंट की रिप्रैजैंटेशन करेंगे तो वह नियम उस पर लागू नहीं होता लेकिन हम तो 33 परसैंट के बाद 50 परसैंट कर रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा यह कहना है कि सरकार इसको 50 परसैंट करे लेकिन 50 परसैंट से ज्यादा भी जितनी महिलायें लड़ना चाहें उन्हें लड़ने दें। मेरा यही कहना है कि सरकार इस संख्या को सीमित क्यों कर रही है?

श्री मनोहर लाल : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा यही कहना है कि कि यह एक संवैधानिक विषय है। हमने इस संख्या को बढ़ाकर 50 परसैंट किया है। इस विषय के बारे में विपक्ष का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष के साथियों को डर है कि कहीं भाजपा की बात हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को अच्छी न लग जाये।

श्री आफताब अहमद : डिप्टी स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : आफताब जी, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं इसलिए आप कृपया बैठ जायें और मुख्यमंत्री जी को बोलने दें।

श्री मनोहर लाल : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा यही कहना है कि –

हवा को कह दो, खुद को आजमा कर तो दिखाये।
बहुत चिराग बुझाती है, एक जला कर तो दिखाये।।

डिप्टी स्पीकर सर, मेरा विपक्ष के साथियों से भी यही कहना है कि विपक्ष के साथी सिर्फ आलोचना करना ही जानते हैं। मेरा इनसे भी यही कहना है कि ये कुछ करके तो दिखायें। (शोर एवं व्यवधान) हम सब कुछ कर रहे हें। इसी प्रकार से एक विषय यूक्रेन का भी आया था। इस सम्बन्ध में पहली बात तो मैं यह बताना चाहूंगा कि यूक्रेन में हमारे हरियाणा के जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे उनकी संख्या लगभग 1800 है। पूरे देश के हिसाब से यह संख्या 18 से 19 हजार है। जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ हमने उसी दिन संज्ञान लिया और मेरी स्वयं एक्सटर्नल अफेयर्ज मिनिस्टर से बात हुई। इसी प्रकार से हमारे चीफ सैक्रेटरी ने भी वहां के सैक्रेटरी से बात की। हमारे यहां फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमैंट है उसने एक फोन नमबर और ई–मेल आई.डी. भी जारी की है। वहां रह रहे लोगों की हमारे पास लिस्ट नहीं थी वह लिस्ट तो एम.ई.ए. में ही थी। हमने एम.ई.ए. से वह लिस्ट प्राप्त की

और उस लिस्ट को लेकर सभी डिप्टी कमिश्नर्ज को जिलावाईज लिस्ट भेजी और कहा कि वे तुरंत खुद जायें या किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजें ताकि सारे का सारा काम संतोषजनक तरीके से हो। आज की डेट में 1800 विद्यार्थियों में से 1480 विद्यार्थी सकुशल अपने–अपने घरों को आ चुके हैं। इसके अलावा लगभग 80 के आसपास विद्यार्थी ऐसे हैं जो कल तक वहां से निकल नहीं पाये थे। हमारी लगातार कोशिश जारी है कि वे सभी वहां से सकुशल निकल आयें। इसके साथ ही साथ मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि अब वहां पर यह एक अच्छी बात हुई है कि वहां पर युद्ध विरोम हुआ है इसलिए हमें उम्मीद है कि जो विद्यार्थी अभी भी वहां पर हैं वे भी वहां से जल्दी और सकुशल अपने–अपने घरों को लौट आयेंगे। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी बॉर्डर पर भी हैं वे भी जल्दी से जल्दी वहां से निकल आयेंगे। (शोर एवं व्यवधान) यह विषय केवल हरियाणा प्रदेश का नहीं है बल्कि यह सारे देश का विषय है। वैसे भी मैडीकल कॉलेज के जितने भी एडमिशन हैं उनको स्टेट द्वारा नहीं किया जाता हे। इससे सम्बंधित सारी नीति एम.सी.आई. या एन.सी.एम. द्वारा ही बनाई जाती है। इस मामले के सम्बन्ध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कह दी है कि जिन विद्यार्थियों का कोर्स पूरा हो गया है उन सभी को यहां पर इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जायेगा। इसके अलावा मेरी गुरूग्राम व नारायणगढ़ सहित तीन चार जगहों पर यूक्रेन से लौटे विद्यार्थियों से बात हुई है। वे मुझसे मिलने के लिए आये थे। मैंने उनको यह कहा कि वे अपने सुझाव सरकार को दें। उसके बाद इस मामले में अलग–अलग सुझाव आये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा इस मामले में यह कहना है कि मैडीकल की फीस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। जो विद्यार्थी वहां से आयेंगे हो सकता है कि उनमें से कुछ यहां पर एडमिशन मिल जाये। मेरा यही कहना है कि सरकार को उन सभी को फीस के साथ ही साथ दूसरे सभी मामलों में भी पूरा कंसैशन देना चाहिए ताकि सरकार की तरफ से उनको प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। वे वहां पर गये ही इसलिए थे क्योंकि हमारे यहां पर मैडीकल की फीस बहुत ही ज्यादा है। हमारो यहां पर डोनेशन बहुत ही ज्यादा है। अगर हमारे यहां पर फीस कम होती तो किसी को भी यूक्रेन जाने की जरूरत न पड़ती। वे वहां पर मैरिट के बेस पर नहीं गये थे अपितु वहां पर मैडीकल एजूकेशन सस्ती है इसलिए वे वहां पर गये थे।

श्री मनोहर लाल : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा तो यही कहना है कि विद्यार्थियों के वहां जाने के ये दोनों ही कारण हैं। वहां पर मैडीकल एजूकेशन की फीस भी कम है और दूसरा कारण यह रहा है कि अपने यहां पर वे मैरिट में नहीं आ पाये। मेरी इस सम्बन्ध में उनसे बात हुई है। उन्होंने मुझे यही बताया कि यहां पर मैरिट में उनका नम्बर नहीं आया था इसलिए वे वहां पर गये थे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा इस मामले में यह कहना है कि हमारे मैडीकल कॉलेज यूक्रेन से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। वे वहां पर इसीलिए गये थे क्योंकि वहां पर मैडीकल एजूकेशन सस्ती है।

श्री मनोहर लाल : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा यही कहना है कि कम से कम 20 विद्यार्थी मुझे मिले हैं। मैंने उन सभी से यह पूछा कि वे वहां पर क्यों गये थे? इस पर उन्होंने मुझे यही बताया कि उन्हें यहां पर एडमिशन नहीं मिला।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा इस मामले में यह कहना है कि वे वहां पर इसलिए गये थे क्योंकि उनको यहां पर एडमिशन नहीं मिा था। यह ठीक है लेकिन मैं सिर्फ हरियाणा की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं तो यह कह रहा हूं कि पूरे देश में जो डौनेशन है उसके कारण ही वे यूक्रेन में गये थे क्योंकि अगर वे डौनेशन दे सकते तो यहां पर भी एडमिशन ले सकते थे। हमारा तो यही कहना है कि सरकार के स्तर पर उनकी जो भी मदद हो सकती है वह ज्यादा से ज्यादा की जाये। इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि हम इस मामले में पूरी तरह से सरकार के साथ हैं।

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज दुनियाभर में हमारे देश के 11,33,749 विद्यार्थी हैं जो दूसरे देशों में पढ़ रहे हैं। यह एक दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना का कैसे रास्ता निकलेगा यह केवल हमारे हाथ में नहीं है। इस स्थिति से निपटने के लिए हमने मुम्बई में अपना एक सैंटर बनाया है और वहां पर जो भी हरियाणा का नागरिक या विद्यार्थी आता है तो उसको टिकट लेकर देते हैं और साथ में रास्ते के खर्च के लिए 1000/– रुपये भी देते हैं। इस प्रकार से यह सारी व्यवस्था जो हमसे हो सकती थी वह हमने की है। आगे उनकी व्यवस्था करेंगे। केन्द्र सरकार करेगी और हम भी उसमें सहयोग करेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसी प्रकार से एक विषय सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी और सी.ई.टी. से संबंधित है। पहले मैं सी.ई.टी. के बारे में बता देता हूं। हमने यह प्रावधान किया कि क्लास–3

और क्लास–4 में इंटरव्यू की प्रथा को हम समाप्त करेंगे और हमने इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त किया। बाद में हरेक विभाग की अपनी–अपनी रिक्विजीशन किसी की 1000 की किसी की 2000 की आती रही। सबसे पहला प्रयोग हमने ग्रुप–डी में किया था। एक ही कैडर बना कर सभी विभागों की ग्रुप–डी की इकट्ठी भर्ती की जाये। आपको ध्यान में होगा कि 18218 भर्तियां एक ही साथ की थी और जिस दिन भर्ती की उससे अगले दिन उनको ज्वाइन करवा दिया। उसका बहुत अच्छा परिणाम रहा और सबको लगा की मैरिट पर ही भर्तियां हो गई हैं और किसी को मौका ही नहीं मिला कि किसी को पैसे पहुंचाये जायें या सिफारिश करवाई जाये। मैं यह निश्चित रूप से जानता हूं कि अगर मैं इस विषय को ज्यादा विस्तार से बताऊंगा तो आप लोग किसी और विषय पर चल पड़ेंगे।

श्री राम कुमार गौतमः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि उन्होंने यह बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमने उसको आगे बढ़ाते हुए ग्रुप–डी के साथ ग्रुप–सी को भी उसी लाईन पर लाए हैं। ग्रुप–डी में एक ही एग्जाम होगा और ग्रुप–सी में दो एग्जाम होंगे। एक पहला तो जनरल क्वालीफाई एग्जाम होगा और दूसरा जिस विभाग की जो पोस्ट है और जिस ज्ञान की है उसके हिसाब से एक अलग टैस्ट होगा। दूसरा एग्जाम कॉमन टैस्ट में क्वालीफाई कैंडीडेट्स में से कुल उपलब्ध पोस्ट्स का टॉप के तीन गुणा बुलायेंगे। अन्यथा हर किसी पोस्ट्स के लिए 1000–2000 सीटों के लिए अलग एग्जाम लेना पड़ता है। 2000 सीटों के लिए भी 5 लाख लोग एग्जाम देने के लिए आ जाते हैं। एग्जाम का सारा जो सिस्टम है वह सैट नहीं हो रहा था इसीलिए हम सी.ई.टी. पर आये हैं। सी.ई.टी. का सिस्टम यह समझो अब शुरू हो गया है। हमने केन्द्र में जो नैशनल टैस्टिंग ऐजेन्सी(एन.टी.ए.) है उससे बात कर ली है। वह केन्द्र सरकार की ऐजेन्सी है। वे हमारे एग्जाम को जून, 2022 में लेंगे और उससे पहले हम सारी फॉरमैलिटीज पूरी कर लेंगे और हम बच्चों को मैरिट के आधार पर लेंगे वे चाहे ग्रुप–सी या ग्रुप–डी के हों। इसमें एक विषय यह भी आया था कि सरकार ने 5 हजार पोस्ट्स वापिस क्यों ली हैं। यह बात ठीक है कि 5 हजार रिक्विजीशन आई हुई थी और हमने विज्ञापन भी दिया हुआ था और अब उनको वापिस ले लिया है। उसके दो कारण थे। एक कारण तो यह था कि हम सोशियो इकॉनोमिक मार्क्स 10

नम्बर और 10 नम्बर अलग से व्यक्तिगत अचिवमैंट के देते थे। इस प्रकार से 20 मार्क्स एक बहुत बड़े अन्तर को जन्म देते थे। हमारे पास शिकायतें आई कि इन 20 मार्क्स में से किसी को 10 मिल गये किसी को 8 मिल गये और लोगों ने 17–17 मार्क्स भी लिए हैं। वे नम्बर बहुत ज्यादा हो जाते थे। इस प्रकार से जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं जिनको इनमें से एक भी लाभ नहीं मिलेगा वे पीछे रह जायेंगे। अब हमने उसमें परिवर्तन किया है और उन मार्क्स को 20 से घटा कर 10 कर दिया है। आधे मार्क्स करने के बावजूद भी हमारा हेतु यही है कि कोई ऐसा परिवार है जिसके घर में आज तक एक भी नौकरी नहीं मिली है उसके परिवार को अगर हम 5 प्रतिशत का थोड़ा सा बढ़ावा दे दें तो उसको लाभ हो सकता है। विपक्ष की तरफ से भी बार–बार यह आवाज उठती रही है कि आपने उस वर्ग को क्या दिया है, गांव के लोगों को क्या लाभ दिया है। आखिर एक परिवार ऐसा है जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसके लिए हमने एक क्राइटेरिया बनाया है। पहले इसमें 10 और 10 बीस मार्क्स थे और यहां पर हमने उनको घटा कर 10 कर दिया है इसलिए उन पोस्ट्स को वापिस लेना पड़ा है। दूसरी बात यह है कि उसमें भी कुछ पोस्ट्स ऐसी थी जिनमें इंटरव्यू का प्रावधान था। जिस समय पोस्ट का विज्ञापन दिया जाता है उस समय जो रूल्ज होते हैं वे ही लागू होते हैं इसलिए इन पोस्ट्स को वापिस लेना पड़ा। अब हमने ग्रुप–सी और ग्रुप–डी में इंटरव्यू समाप्त कर दिया है इसलिए उन 5 हजार पोस्ट्स की रिक्विजीशन मुख्य सचिव ऑफिस में पहुंच गई है और मुख्य सचिव ऑफिस से वह एच.एस.एस.सी. के पास जायेगी। अब ग्रुप–सी और ग्रुप–डी का एक ही कैडर हो जायेगा। ये कुछ परिवर्तन हमने इसलिए किये हैं ताकि हमारे इम्पलाईज को रोज–रोज जो दिक्कतें आती हैं कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है, उनसे छुटकारा मिल जाये। कई बार अलग–अलग विभागों में एक ही भर्ती से सलैक्ट कर्मचारी अलग–अलग समय पर प्रोमोट हो जाते हैं। किसी विभाग में कर्मचारी जल्दी प्रोमोट हो जाते हैं और किसी विभाग में देरी से प्रोमोट होते हैं। इसलिए इन समस्याओं का हल निकालने के लिए हमने यह कोशिश की है कि एक ही समय पर भर्ती हुए कर्मचारियों का एक ही कैडर बना दिया जाये।

श्री भारत भूषण बतरा : मुख्यमंत्री जी, यह ठीक है कि CET is a good step taken by the HSSC so far इसमें आप रिफार्मेटिव कर रहे हैं। आपने Normalization का जो प्रोसैस किया है उसके बारे में आपने कोई एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं तो यह कहता हूं कि आपको ये नया परसैंटाईल लाने की क्या जरूरत थी। इस

परसैंटाईल में you are killing the merit. आप सी.सी में जो मार्क्स आते हैं उसके बाद सोशियो इक्नॉमिक के मार्क्स एड कीजिए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने पता नहीं इस फॉर्मूले को कहां से पिक किया है, इसकी किस हिसाब से कैल्कुलेशन होती है। यह कौन सा फॉर्मूला है और कमीशन में इसको किस सिस्टम से फीड करते हैं। इसकी इंफॉरमेशन के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर किसी स्टुडैंट्स के 80 मार्क्स हैं तो आप उसको परसैंटाईल में टॉपर मानकर 100 मार्क्स दे देते हैं। उसके बाद सोशियो इक्नॉमिक की बात है। अगर किसी के 64 मार्क्स हैं तो आपका परसैंटाईल का पता नहीं क्या फॉर्मूला है कि उस बच्चे को 99 मार्क्स मिल जाते हैं। it is to be clarify आपको परसैंटाईल करने की जरूरत ही क्या है? अगर किसी बच्चे के 80 मार्क्स आते हैं और सोशियो इक्नॉमिक में 5 या 7 नम्बर आते हैं तो उनको आप एड कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : बतरा जी, आप अपनी बात को खत्म कीजिए।

श्री भारत भूषण बतरा :उपाध्यक्ष महोदय, मैं परमिशन लेकर बोला हूं। सदन के नेता ने मुझे परमिशन दी है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के नेता आपकी बात का जवाब देंगे।

श्री भारत भूषण बतरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्टेट के यूथ के लिए एक जरूरी मैटर है।

श्री उपाध्यक्ष : बतरा जी, इस तरह तो डिबेट बहुत लम्बी हो जाएगी।

श्री अमित सिहाग : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैं भी एक सुझाव देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सिहाग साहब, मुख्यमंत्री जी इसी बात का जवाब दे रहे हैं। आप अपने सुझाव को लिखकर दे देना। प्लीज अब आप बैठ जाईये।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, सिहाग साहब का जो भी सुझाव है वे लिख कर दे दें। ये बहुत जरूरी विषय है मैं इसका जवाब दे देता हूं। मैं माननीय बतरा जी को एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पोस्टें कम होती हैं और एग्जाम देने वाले बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं। उसमें या तो उन सभी को एक ही बैच में इतने सारे सैंटर बनाकर, इतनी सारी फोर्स लगाकर आठ लाख, दस लाख, पंद्रह लाख जितने भी हैं उन सभी का एग्जाम एक ही शिफ्ट में एक ही स्थान पर कराया जाए तो फिर न्यूट्रिलाईजेशन की जरूरत नहीं होती है लेकिन अगर उसके बारे में स्टाफ सलैक्शन कमीशन ने यह कहा कि हम इस एग्जाम को एक साथ कराने में सक्षम नहीं हैं। हम तो अगर 10 लाख लोग हैं तो

दो–दो लाख लोगों का एग्जाम पांच शिफ्टों में कराएंगे और पांच शिफ्टों में होगा तो पेपर भी अलग–अलग होंगे क्योंकि हर पेपर का हार्डशिप का लैवल अलग–अलग होता है। आप तो इन विषयों में बहुत पारंगत रहे होंगे। यह न्यूट्रिलाईजेशन कोई यहां पहली बार हुआ है ऐसा नहीं है। यह देश और दुनिया का नियम है।

श्री भारत भूषण बतरा : मुख्यमंत्री जी, ऐसा कहीं नहीं है कि 64 मार्क्स के 99 मार्क्स हो जाएं।

श्री मनोहर लाल : बतरा जी, आप पता कर लीजिए। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो मैं आपको इसकी जानकारी लाकर दे दूंगा। यह बात ठीक नहीं है कि जहां एक ही लैवल का एक ही टैस्ट चार अलग–अलग शिफ्टों में कराया जाता है और चार ही उसके प्रश्न–पत्र होते हैं तो हार्डशिप के लैवल पर उसको न्यूट्रिलाईज किया जाता है। एक पेपर थोड़ा सा कठिन आ गया उसके नम्बर कम आएंगे। एक पेपर थोड़ा आसान आ गया उसके नम्बर ज्यादा आएंगे। इसमें भी बहुत से बच्चे कोर्टों में जाकर खड़े हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप सुन लीजिए, आपमें सुनने का मादा नहीं है। मैं समझा रहा हूं फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं। मैं आपको पता कराकर दूंगा कि किस–किस बोर्ड में किस–किस कमीशन में कब ये न्यूट्रिलाईजेशन हुए और अब ये कहां–कहां चल रहा है। यह बात ठीक है कि यह न्यूट्रिलाईजेशन पहली बार किया है। जे.ई.ई. और यू.पी.एस.सी. में भी न्यूट्रिलाईजेशन होती है। यानी ये तो ऑलरेडी एग्जाम हैं लेकिन इनमें भी न्यूट्रिलाईजेशन होती है। कहीं न्यूट्रिलाईजेशन नहीं होती है ऐसा नहीं है। इसके अलावा बोर्डों में भी होती है वह भी हम लाकर दिखा देंगे। हमने यह इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आसान और मुश्किल पेपर आते रहते हैं। अब उसमें पहली बार ये किया है। यह भी सत्य है क्योंकि पहले यहां कभी नहीं किया गया था। अगर पहली बार किया है तो उसमें थोड़ी उनसे चूक हुई है और वह चूक भी हमें स्वीकार है। जो फॉर्मूला लगाना चाहिए था उसमें किसी ने उनको गाईड कर दिया और जिसने उनको गाइड किया उनके यहां सोशियो इकॉनोमिक नम्बर नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि स्टुडैंट जो भी नम्बर अचीव करेंगे उस पर न्यूट्रिलाईजेशन करवाईये और उस हिसाब से मैरिट बना दीजिए क्योंकि जिसने उनको गाईड किया वहां सोशियो इकॉनोमिक नम्बर नहीं होते थे। सोशियो इकॉनोमिक नम्बर जोड़ने के बाद बहुत उल्टा पुल्टा हो गया। जब उल्टा पुल्टा हो गया तो वे स्टुडैंट्स कोर्ट में चले गये।

कोर्ट ने यह कहा कि ठीक रास्ता निकालकर लाईये। जिनको सोशियो इकॉनोमिक की जानकारी है और जो इसको सोल्व कर सकते हैं। उन्होंने फॉर्मूला बदलकर इसको करवाया और वह फॉर्मूला बदलकर कोर्ट में दिखा दिया और कोर्ट ने कहा कि यह ठीक है। वह ठीक होने के बाद आगे यह बात और आएगी कि पहले के रिजल्ट में दूसरा जब ठीक रिजल्ट निकला है तो उसमें कुछ दो सौ लोगों का नाम उथल–पुथल हो गया है। उसमें वे दो सौ लोग पहले चयन हो गये, बाद में दूसरे चयन हो गये वे निकल गये और अब आगे यह होगा कि जो निकले हैं वे कोर्ट में जाएंगे इसलिए हमने तो जो ठीक है वह करना है और जो गलत है वह बिल्कुल नहीं करना है। चाहे हमें अपना स्टैप वापिस भी लेना पड़े तो हम ले लेंगे क्योंकि गलत चीज को वापिस लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं है हम उसको वापिस ले सकते हैं। धन्यवाद।

श्री राम कुमार गौतमः उपाध्यक्ष महोदय, जब पहली भर्ती की गई थी, इस तरह का काम तो उस दिन करना चाहिए था। जितनी पोस्टें बची हुई हैं, उन पोस्टों पर ज्वॉयनिंग से पहले सरकार को बायोमीट्रिक चैंकिंग जरूर करवानी चाहिए क्योंकि पेपर्ज में बहुत से घपले हुए हैं। बेहिसाबा घपले हुए है।

उपाध्यक्ष महोदयः गौतम जी, प्लीज बैठिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात अभी समाप्त नहीं हुई है।

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पिछले 2–3 दिन से बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा करते हुए अपने–अपने सुझाव रखे हैं और अपनी–अपनी शंकायें भी प्रस्तुत की हैं। आरोप–प्रत्यारोप का दौर भी हुआ, जिनके बारे में मैं अपनी बात भी रख चुका हूँ। अब मैं सारी चर्चा का समापन करते हुए केवल इतनी ही कहना चाहूंगा कि जो सरकार ने जो कुछ भी किया है, वह सब कुछ आपके सामने है। हमारे माननीय सदस्यों ने जो शंकायें प्रस्तुत की हैं, सरकार ने उन शंकाओं का निवारण करने का काम किया है। अब मेरा प्रस्ताव है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाये। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न है–

"कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाएः–

> 'कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 2 मार्च, 2022 को 2.00 बजे मध्याहन–पश्चात् सदन में देने की कृपा की है।'।"

प्रस्ताव पारित हुआ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद हजारों बच्चों को निजी विद्यालयों में दाखिला न मिलने संबंधी।

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री बलराज कुंडू, विधायक द्वारा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद हजारों बच्चों को निजी विद्यालयों में दाखिला न मिलने से संबंधित सूचना बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–7 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–27 जोकि श्री वरूण चौधरी, विधायक, श्री जगबीर सिंह, विधायक तथा श्री शीशपाल सिंह, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–7 के साथ जोड़ दी गई है। श्री वरूण चौधरी, विधायक तथा अन्य हस्ताक्षरी विधायक भी सप्लीमैंट्री पूछ सकते है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–55 जोकि श्री चिरंजीव राव, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–7 के साथ जोड़ दी गई है। श्री चिरंजीव राव, विधायक भी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–62 जोकि श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–7 के साथ जोड़ दी गई है। श्री नीरज शर्मा, विधायक भी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–77 जोकि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–7 के साथ जोड़ दी गई है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक भी सप्लीमैंट्री पूछ सकती हैं।

अब श्री बलराज कुंडू, विधायक अपनी सूचना पढ़ें।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब के दौरान एक शेर पढ़कर सुनाया था कि जो उड़ने का शौक रखते हैं–वे गिरने का खौफ नहीं रखते, यह बहुत सत्य कथन है और इस कथन के पीछे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भावना है, उसका तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अब मैं अपनी ध्यानाकर्षण सूचना–7 को पढ़कर सुनाता हूँ। अध्यक्ष महोदय, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद हजारों बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला न मिलने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जैसाकि सबको मालूम है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाखों परिवारों के होनहार बच्चों को निजी स्कूलों में अच्छी एवं गुणवत्तापरक शिक्षा दिलवाने के लिए प्रदेश में नियम 134–ए लागू है, जिसके तहत दाखिले के लिए पात्रता परीक्षा पास करने पर गरीब छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला दिया जाता है लेकिन देखने में आ रहा है कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद हजारों बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला नहीं दिया गया। पुराने स्कूलों से एस. एल.सी. लेकर हजारों अभिभावक अपने बच्चों को अलाट किए गए स्कूलों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटते रह गए और हजारों अभिभावकों को जनवरी की भीषण सर्दी में विभिन्न जिलों में धरने–प्रदर्शन एवं आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा लेकिन प्रशासन से उनको सिवाय झूठे आश्वासनों के कुछ भी नसीब नहीं हुआ। सवाल उठता है कि पात्रता परीक्षा पास करने एवं योग्यता रखने के बावजूद इन गरीब परिवारों के बच्चों के साथ यह ना–इंसाफी क्यों हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अतः आग्रह है कि आज बाकी सभी मुद्दों को छोड़कर सबसे पहले दाखिलों से वंचित रहे गरीब परिवारों के बच्चों के मामले पर विस्तृत चर्चा करवाई जाये तथा सरकार इस पर सदन में अपना वक्तव्य दें।

CALLING ATTENTION NOTICE NO. 27

CLUBBED WITH ADMITTED CALLING ATTENTION NOTICE NO. 7

Shri Varun Chaudhary, MLA & two other MLAs (Shri Jagbir Singh and Shri Shish Pal Singh) wants to draw the kind attention of this august House towards a matter of great public importance that hardships faced by the students with their parents belonging to below Poverty line and Economically Weaker Sections in getting admissions in the private schools of Haryana after fulfilling the criteria prescribed by the Education Department. The Constitution of India under Article 21 (A)

provides for, free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years. Rule 134A of Haryana School Education Rules provides that 10% seats for B.P.L. and E.W.S. in private schools will be reserved for Students in class 2nd to 12th who are mentioned above and will be compensated monetarily. Neither the private schools are giving admissions nor the Government is compensating them. There is an urgent need to review Rule 134A in the light of The Right of Children to free and compulsory Education, 2009 and therefore this Calling Attention Motion.

CALLING ATTENTION NOTICE NO. 55

CLUBBED WITH ADMITTED CALLING ATTENTION NOTICE NO. 7

Shri Chiranjeev Rao, MLA want to draw the kind attention of this august House on issue of urgent public importance that there are several private schools which ignoring instruction under rule 134A for EWS students by not giving them admission and even they give admission they not provide transport facilities due to which EWS students fail to attend school Government give details replay on this on the floor of the house.

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 62

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 62 के द्वारा, श्री नीरज शर्मा, विधायक हरियाणा में 134 ए के तहत प्राईवेट स्कूल वालो द्वारा एडमिशन ना देने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि हरियाणा 134 ए के तहत वर्ष 2021–22 में कितने आवेदन आए तथा उनमें से कितने बच्चों को चयनित किया गया एवं जिन बच्चों को चयनित किया, उनमें से कितने बच्चों को एडमिशन दिया गया और कितने बच्चों को नहीं मिला, उसका स्कूल वाईज एवं जिले वाईज ब्यौरा उपलब्ध करवाया जाए तथा जिन स्कूलों को सरकार द्वारा रियायती दरों पर जमीन दी जाती है उनमें गरीब बच्चों के एडमिशन का कितने प्रतिशत कोटा होता है, वर्ष 2014 से 31 दिसंबर, 2021 तक इसका जिलेवार एवं स्कूल वार ब्यौरा क्या है। जो स्कूल सरकार की शर्तों को पूर्ण नहीं करते उनपर

आज तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? सरकार इस पर स्थिति स्पष्ट कर इस महान सदन को अवगत करवाएं।

CALLING ATTENTION NOTICE NO. 77

CLUBBED WITH ADMITTED CALLING ATTENTION NOTICE NO. 7

Smt. Kiran Choudhry, MLA wants to draw the kind attention of this august House on issue of urgent public importance that the State Government failed in taking remedial steps to either bridge this digital divide between the students hailing from the poor and the privileged during this period or to make good the loss caused due to closure of these Institutions on account of successive three waves of Corona Pandemic. As per the news reports thousands of school students from the EWS category, who have been given 10% quota in private schools, have been denied admission by schools allotted to them due to Government apathy and policy paralysis. Hence this notice of calling attention to the matter of wide public import. Instead of showing empathy for the economically and weaker sections of society, the Haryana Government has virtually left the EWS students at the mercy of unscrupulous management of private schools. As per news report in various papers, more than 20000 students were deprived of admission to private schools allocated to them out of 10% quota under Rule 134-A of the Haryana School Education Rules, as the State Government failed to reimburse the arrears under this head of previous years in time. Many more were deprived due to late opening of Government portal, delay and interminable extensions in last for admissions, On my visit to my constituency, these students narrate their tales of woes to me- how the private schools make them run from pillar to post-denying them enrolment on such flimsy pretexts as non-furnishing of pink BPL cards or an affidavit regarding non availability of a fridge or a cooler in the house. Why the State Government does not take the route of admission through the RTE instead of taking recourse to Rule 134-A for a more effective intervention in the matter is beyond my comprehension.

Equally bizarre and absurd is the flip-flop on holding or not holding the Board exams for 5th and 8th standards in the State, instead of keeping everybody on the tenterhooks and making about turn at the eleventh hour, a timely decision could have saved harassment and trauma to Students and their parents. The notice of calling attention motion is in order and does not suffer from any infirmity under the rules. This is a matter of great public import, which may be taken up for discussion immediately and the Minister concerned may be asked to make a statement on the floor of this august House regarding the issues delineated in this notice.

वक्तव्य–

शिक्षा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : श्रीमान जी, हरियाणा राज्य में नियम 134–ए में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में दस प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के गरीब एवं गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) श्रेणियों से सम्बन्धित मेधावी छात्रों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है।

शैक्षणिक सत्र 2021–22 में भी कोविड–19 महामारी के कारण सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों के बन्द होने की स्थिति में फरवरी–मार्च 2021 में भी समय–सारणी जारी नहीं की जा सकी। शैक्षणिक सत्र् 2021–22 में नियम 134–ए के तहत दाखिले के सम्बन्ध में समय सारणी जारी करने के लिए दिनांक 08.10.2021 को माननीय उच्च न्यायालय में याचिका नं0 16736 ऑफ 2021 दायर होने के उपरांत जारी की गई। निजी विद्यालयों के आवेदित 55,029 छात्र/छात्राओं की मूल्यांकन परीक्षा ली गई, जिसमें 36,167 छात्र उत्तीर्ण हुए तथा सरकारी विद्यालयों के 11,466 बच्चे दाखिले के लिऐ पात्र बने। इन पात्र बच्चों में से प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए 45,289 बच्चों को उनके विद्यालय के विकल्प के आधार पर विद्यालय अलॉट किये गए।

उपरोक्त समय–सारणी जारी होने के पश्चात् Haryana Progressive Schools Conference (Regd.) द्वारा याचिका न0 22164/2021 दायर की गई जिसमें विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 08.10.2021 एवं जिला मौलिक षिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद के पत्र दिनांक 19.10.2021 को रद्द करने की मांग की गई।

इस याचिका में माननीय कोर्ट द्वारा दिनांक 01.11.2021 को अन्तिरम आदेश निम्नानुसार पारित किए गएः–

Meanwhile, no coercive steps be adopted.

विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 में विभिन्न निजी विद्यालयों में कुल 21,577 (कक्षा 2 से 8 में 20,385 तथा 9वीं कक्षा में 1192) बच्चों का दाखिला किया गया तथा 11,706 बच्चों ने दाखिला लेने से मना किया है या उन्हें अयोग्य करते हुए निरस्त किया गया है। पिछले वर्षों में नियम 134–ए के तहत हुए दाखिलों के आधार पर समीक्षा की जाए तो इस वर्ष भी कक्षा 2 से 8 में दाखिले पिछले वर्षों की तुलना में अधिक हुए हैं।

राज्य के कुछ निजी विद्यालयों द्वारा 12,006 बच्चों को दाखिला नही दिया गया, उन विद्यालयों को मान्यता रद्द करने के नोटिस भेजे गए। जिनके विरूद्ध Haryana Progressive Schools Conference (Regd.) द्वारा याचिका न0 22164/2021 के अन्तिरम आदेशों की अनुपालना में COCP-200/2022 दायर कर दी गई। अतः उन निजी विद्यालयों, जिन्होंने नियम 134–ए के तहत दाखिले नहीं किये थे उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकी। मामले की माननीय उच्च न्याायलय में अगली सुनवाई दिनांक 21.03.2022 को होनी निश्चित है।

दाखिले के लिए पात्र छात्रों के जिन अभिभावकों ने पूर्व विद्यालयों से विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र ले लिये गए थे उनकी सुविधा के लिए विभाग द्वारा दाखिले की दिनांक 15.12.2021 से 18.02.2022 तक दाखिले करने के लिए तीन बार तिथियाँ भी बढ़ाई गईं। राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर नियम 134–ए के तहत निजी विद्यालयों में दाखिला कराने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये गए हैं, किंतु मामला माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित होने के कारण विभाग द्वारा दाखिला न करने वाले निजी विद्यालयों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकी।

नियम 134–ए के तहत दाखिले के पात्र छात्रों का शैक्षणिक सत्र खराब न हो, उसके लिए सरकार द्वारा, जिन अभिभावकों ने पूर्व विद्यालयों से विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र ले लिये गए थे उन्हें पुनः उनके पूर्व निजी विद्यालय या सरकारी विद्यालय में दाखिला देने हेतु दिनांक 07.02.2022 को आदेश पारित कर दिए हैं।

अनुच्छेद 21 ए अनुसार भारत सरकार द्वारा बनाए गए निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम –2009 के तहत सरकार छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। अड़ोस–पड़ोस के क्षेत्र की स्थिति के आधार पर राज्य में प्राईमरी स्तर के 8656 तथा माध्यमिक स्तर के 2421 सरकारी स्वतंत्र विद्यालय खोले हुए हैं, ताकि कोई भी छह वर्ष से चौदह वर्श की आयु का छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 के नियम 134–ए के अंतर्गत बी0पी0एल0/ई0डब्लयू0एस0 वर्ग के मेधावी बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाई के लिए अवसर प्रदान करने का प्रावधान है।

मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में दाखिल बच्चों को परिवहन सुविधा केवल एक वैकल्पिक सुविधा के तौर पर दी जाती है जिसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 08.12.2021 को जारी की गई है जिसके नियम 158 के उपनियम 4 के खण्ड (पप) में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

(पप) वैकल्पिक फीस घटक–मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली वैकल्पिक गतिविधियों और सुविधाओं के लिए भुगतानयोग्य फीस निम्नलिखित शामिल होगा–

(क) परिवहनय

(ख) बोर्डिंगय

(ग) भोजनालय या भोजन कक्षय

(घ) अध्ययन–भ्रमणय

(ड़) कोई अन्य समरूप गतिविधिय

परन्तु वैकल्पिक फीस घटक केवल उन्हीं छात्रों से प्रभारित किया जाएगा, जो विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली वैकल्पिक गतिविधियों और सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए विकल्प देते हैंय इसके अतिरिक्त विद्यालय के किसी छात्र या माता–पिता या अभिभावक की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके लिए फीस तथा निधि नियामक समिति (FFRC) का गठन किया हुआ है उक्त समिति जांच करेगी जिसमें विद्यालय और षिकायतकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दे सकती है।

शैक्षणिक वर्श 2021–22 में नियम 134–ए के तहत आवेदित 66,495 बच्चों में से 45,289 छात्र पात्र पाये गये, जिन्हें विभिन्न विद्यालय आबंटित किये गए।

विद्यालयों द्वारा नवीनतम स्थिति (04.03.2022) अनुसार जिलावाईज आबंटन/दाखिला/निरस्त/लम्बित, छात्रों का अपडेट विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रम	जिला	आवेदित छात्रों की संख्या (i)	अलॉटिड छात्रों की संख्या (ii)	दाखिला हुए छात्रों की संख्या (iii)	रद्द किए गए (iv)	लम्बित दाखिले (iii) +(iv) -(ii) = (v)
1	अम्बाला	3257	2182	742	562	878
2	भिवानी	4114	2558	1418	1007	133
3	चरखी दादरी	1547	1174	652	247	275
4	फरीदाबाद	4454	2943	570	293	2080
5	फतेहाबाद	1813	1400	790	463	147
6	गुरूग्राम	2331	1586	597	286	703
7	हिसार	5062	3640	2081	1222	337
8	झज्जर	3408	2289	1339	819	131
9	जीन्द	3275	2249	1269	819	161
10	कैथल	3877	2604	1400	571	633
11	करनाल	4864	3070	1588	514	968
12	कुरूक्षेत्र	3417	2478	1571	822	85
13	महेन्द्रगढ़	1631	1214	566	389	259
14	नूंह(मेवात)	1057	750	272	112	366
15	पलवल	2620	1712	659	397	656
16	पंचकूला	642	454	146	40	268
17	पानीपत	3790	2403	1240	742	421
18	रेवाड़ी	3208	2249	628	161	1460
19	रोहतक	2829	1913	813	472	628
20	सिरसा	2006	1419	917	502	0
21	सोनीपत	4332	2815	1172	643	1000
22	यमुनानगर	2961	2187	1147	623	417
	कुल	66495	45289	21577	11706	12006

स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा किसी प्रकार की भूमि आबंटन का कार्य नहीं किया जाता है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना अनुसार ह0श0वि0प्रा0 द्वारा विकसित की गई विभिन्न शहरी सम्पदाओं में स्कूल हेतु उपलब्ध भू–खण्डों को दिनांक 06.05.1997 से खुली नीलामी द्वारा बेचा जाता है। दिनांक 06.05.1997 के बाद से स्कूलों की स्थापना हेतु भू–खण्डों का आबंटन रियायती दरों पर नहीं किया गया है।

निःषुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के संशोधित अधिनियम, 2019 के प्रावधान अनुसार कक्षा 5वीं और 8वीं के प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में नियमित परीक्षाओं के आयोजन अनुसार सरकार द्वारा दिनांक 25. 06.2020 को आठवीं कक्षा की हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा बोर्ड परीक्षा करवाने हेतु नीतिगत निर्णय लिया गया था। तत्पश्चात् कुछ निजी विद्यालयों ने माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका नं0 17096 ऑफ 2020 एवं अन्य याचिका नं0 87, 92, 94, 131, 332, ऑफ 2022 दायर की गई। जिसके संदर्भ में सरकार द्वारा पुनः विचार करते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की बजाय राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, गुरूग्राम जो कि शैक्षणिक प्राधिकरण घोषित किया हुआ है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को पाँचवी एवं आठवीं कक्षा की नियमित परीक्षा लेने बारे अधिकृत किया हुआ है। दिनांक– 18 जनवरी, 2022 को जारी की गई अधिसूचना अनुसार नियम 21 एवं 22 में संशोधन किया गया, जो कि निम्नानुसार हैः–

नियम 21 (ग)– राज्य में सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर कक्षा पांचवीं और आठवीं की नियमित परीक्षाओं का आयोजन करेगा अथवा ऐसी परीक्षाओं को आयोजित करने में विशेषज्ञता रखने वाले किसी अन्य अभिकरण को प्राधिकृत करेगा;

परन्तु यदि कोई बालक कक्षा पांचवी या कक्षा आठवीं, जैसी भी स्थिति हो, की नियमित परीक्षा में अनुर्तीण रहता है, तो उसे अतिरिक्त शिक्षण दिया जाएगा और परिणाम की घोशणा की तिथि से दो मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। यदि वह अतिरिक्त शिक्षण और पुनः परीक्षा के लिए अवसर देने के बाद भी कक्षा पांचवी या कक्षा आठवीं, जैसी भी स्थिति हो, की नियमित परीक्षा में अनुर्तीण रहता है, तो उसे उपरोक्त कक्षा में ही रखा जाएगा,”।

नियम 22 –''(1) शैक्षणिक प्राधिकरण या ऐसी परीक्षाएं आयोजित करने हेतु प्राधिकृत अभिकरण, कक्षा पांचवी या कक्षा आठवीं, जैसी भी स्थिति हो, की नियमित परीक्षा पूरी करने के एक मास के भीतर कक्षा पांचवी तथा कक्षा आठवीं पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र जारी करेगा।''

शैक्षणिक सत्र 2021–22 समापन के समीप होने के कारण वर्तमान शैक्षणिक सत्र की नियमित परीक्षा का आयोजन स्थगित कर दिया गया है।

कोविड–19 महामारी के दौरान बच्चों के सीखने के नुकसान से निपटने के लिए विभाग द्वारा कई कदम उठाए गए। सीखने की हानि और स्कूली शिक्षा निरन्तरता में अंतर से निपटने के लिए, राज्य द्वारा ऑनलाईन और ऑफलाईन उपायों को अपनाया गया। ऑडियो–वीडियो सामग्री चार चैनलों पर एजुसैट के माध्यम से पूरे वर्ष प्रतिदिन प्रसारित की गई तथा पी0डी0एफ0 के रूप में सीखने की सामग्री को ऐप के माध्यम से छात्रों के साथ सांझा किया गया। अवसर ऐप को राज्य द्वारा घर से भी सीखने में निरन्तर विकसित किया गया इत्यादि।

नियम 134–ए के तहत दाखिले के लिए इस वर्ष निजी विद्यालयों से 55,029 तथा सरकारी विद्यालयों से 11,466 कुल 66,495 छात्रों द्वारा आवेदन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि नियम 134–ए का फायदा अधिकांशतः प्राईवेट विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र ही उठा रहे है जबकि 134–ए नियम का प्रावधान सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे गरीब मेधावी छात्रों के हित हेतु बनाया गया था। 134–ए नियम के तहत वर्ष 2015–16 से अब तक 70,31,30,700/– रूपये की राशि प्राईवेट विद्यालयों को प्रतिपूर्ति हेतु दी गई है। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के मध्यनजर, राज्य सरकार द्वारा पारित 134–ए नियम के पुनर्विचार हेतु मामला सरकार के विचाराधीन है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा राज्य में नियम 134–ए के अनुसार मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में 10 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी संबंधित मेधावी छात्रों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। कोविड–19 वैश्विक महामारी के संक्रमण के कारण शैक्षणिक सत्र 2020–21 में स्कूल नहीं खुल पाए जिसके कारण 134–ए के तहत एडमिशन प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकी तथा वर्ष 2021–22 में भी कोविड–19 के कारण सितम्बर–2021 तक सरकारी तथा प्राइवेट स्कूल बंद रहे जिसके कारण फरवरी–मार्च 2021 में उपरोक्त एडमिशन के लिए समय–सारणी जारी नहीं की जा

सकी। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका नं. 16736 ऑफ 2021 के उपरांत, दिनांक 08.10.2021 को दाखिले के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। समय सारणी जारी करने के बाद दिनांक 05.12.2021 को मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की गई जिसमें एडमिशन प्रक्रिया का समय जो दिनांक 15.12. 2021 से 24.12.2021 तक रखा गया था, बच्चों व अभिभावकों की मांग व सुविधानुसार इस पीरियड को तीन बार आगे बढ़ाया गया और एडमिशन प्रक्रिया दिनांक 18 फरवरी, 2022 तक चली, जिसमें 66 हजार 495 बच्चों ने आवेदन किया जिसमें 45 हजार 289 बच्चे एडमिशन के लिए पात्र बने। (**इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।**) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूँ कि 11 हजार 706 बच्चों ने एडमिशन के लिए संपर्क नहीं किया, फिर मना कर दिया और अन्य कारणों से इनके आवेदन रद्द हो गये। इस प्रकार से 33583 बच्चे बच गये उनमें से 21 हजार 577 बच्चों को एडमिशन विकल्प देकर स्कूलों में कर दिये गये। अध्यक्ष महोदय, 12006 विद्यार्थी एडमिशन से लंबित रह गये। स्पीकर सर, दिनांक 4 मार्च, 2022 तक जिले वार एडमिशन का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। पिछले वर्षों में नियम 134–ए के तहत हुए दाखिलों के आधार पर समीक्षा की जाए तो इस वर्ष एडमिशन पिछले वर्षों की तुलना से अधिक हुए हैं। राज्य के कुछ प्राइवेट स्कूलों द्वारा 12006 बच्चों को एडमिशन नहीं दिया गया, संबंधित विभाग द्वारा उन स्कूलों को मान्यता रद्द करने बारे नोटिस भेजे गये हैं। इस नोटिस भेजने की कार्रवाई के खिलाफ हरियाणा प्रो–ग्रेसिव स्कूल कांफ्रेंस जो प्राइवेट स्कूलों की एक एसोसिएशन है ने कोर्ट में याचिका 22164/2021 दायर कर दी जिसमें कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि 'इस बीच, कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।' अध्यक्ष महोदय, माननीय कोर्ट द्वारा जारी आदेश के बाद भी विभाग द्वारा छात्रों के हित में स्कूल पर एडमिशन करने बारे दबाव बनाना जारी रखा गया। स्कूल एसोसिएशन आदेशों की पालना न करने का हवाला देते हुए दोबारा कोर्ट में चली गई और अंतरिम आदेशों की अनुपालना हेतु सी.ओ.सी.पी. 200/2022 दायर की हुई है जिसकी आगामी सुनवाई दिनांक 21 मार्च, 2022 निश्चित है। विभाग द्वारा 134–ए के तहत पात्र बच्चों के एडमिशन के लिए हर संभव प्रयास किया गया है चाहे वह एडमिशन की तारीख को तीन बार बढ़ाय जाने बारे हो या एडमिशन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना हो, परंतु मामला अब माननीय न्यायालय में लंबित है।

17:00 बजे

अध्यक्ष महोदय, दाखिले के लिये जिन पात्र बच्चों ने विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र ले लिये थे ऐसे विद्यार्थियों का साल खराब न हो उसके लिए विभाग द्वारा दिनांक 07.02.2022 को जारी आदेश में यह सुनिश्चित किया गया है कि इन बच्चों का एडमिशन उनके पुराने स्कूल में या सरकारी स्कूल में किया जाये। स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा किसी भी प्रकार की भूमि का आबंटन नहीं किया जाता ।

———————

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

———————

वक्तव्य (पुनरारम्भ)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी संपदाओं में स्कूल हेतु भू–खण्डों को दिनांक 6.05.1997 से खुली नीलामी द्वारा बेचा जाता है । दिनांक 6.05.1997 के बाद से स्कूल संस्थानों को भू–खण्डों का आबंटन रियायती दरों पर नहीं किया जाता । निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के संशोधित अधिनियमों का वर्ष 2019 के प्रावधान अनुसार कक्षा 8 और कक्षा 5 की नियमित परीक्षाओं का आयोजन करवाने के लिए सरकार द्वारा 25.06.2020 को नीतिगत निर्णय लिया गया था । 8वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन हरियाणा विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा किया जाएगा । इस विषय को लेकर प्राइवेट स्कूल कोर्ट में चले गए और सरकार द्वारा इस संबंध में पुनर्विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त संशोधन नियम की पालना हेतु ये परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बजाय एस.सी.ई.आर.टी. से लेने बारे सूचना जारी कर दी गई लेकिन बाद में एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से परीक्षाएं करवाने की सिफारिश की गई । सरकार ने कोविड–19 के कारण बनी परिस्थितियों और अभिभावकों की मांग पर ये परीक्षाएं एक वर्ष के लिए रद्द कर दी। नियम–134'ए' के तहत कुल 66,495 छात्रों द्वारा आवेदन किया गया था जिसमें प्राइवेट स्कूल्ज के केवल 55,029 छात्रों ने आवेदन किया और सरकारी स्कूल्ज के कुल 11,466 छात्रों ने आवेदन किया था । इससे यह स्पष्ट

होता है कि नियम 134'ए' का फायदा अधिकांश प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे छात्र उठा रहे हैं जबकि इस नियम का प्रावधान सरकारी स्कूल्ज में पढ़ रहे गरीब एवं मेधावी छात्रों के लिए किया गया था । ऐसे भी कई उदाहरण है जिनमें उसी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने उसी स्कूल को नियम 134'ए' के तहत विकल्प के तौर पर फॉर्म में भर दिया । इस विकल्प के तहत किये गये ऐडमिशंज की एवज में वर्ष 2015–16 से अब तक 70 करोड़ 31 लाख 30 हजार 700 रुपये की राशि हमने प्राइवेट स्कूल्ज को दी है । निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा पारित नियम 134'ए' के पुनरावृति हेतु सरकार के विचाराधीन है । हमने इस पर सैद्धांतिक रूप से फैसला कर लिया है और अगले सैशन से हम इसे शुरू कर देंगे ।

श्री बलराज कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक छोटा–सा सवाल पूछना चाहता हूं कि किसी भी चीज के लिए ली जाने वाली परीक्षा का क्राइटेरिया पहले फिक्स किया जाता है या बाद में फिक्स किया जाता है ?

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, परीक्षा का क्राइटेरिया पहले ही फिक्स किया जाता है ।

श्री बलराज कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से संबंधित विभाग माननीय मंत्री जी के संज्ञान में सारी चीजें नहीं लेकर आता । मैं बताना चाहता हूं कि विभाग के द्वारा पहले परीक्षा ली गई थी और उसका रिजल्ट भी आ गया था । फिर विभाग के द्वारा पत्र संख्या 33/5, 2021 पी.एस. दिनांक 28.12.2021 जारी होता है और उसके अन्दर यह बात प्वॉयंटआउट की जाती है कि फैमिली आई.डी. को मैंडेट्री करो और उसको चैक किया जाएगा । इसके अलावा जिस माता–पिता की आय 1.80 लाख रुपये से ज्यादा होगी उसको नियम 134 'ए' से बाहर कर दिया जाएगा । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह क्राइटेरिया पहले क्यों नहीं बनाया गया ? क्या सरकार अब उन बच्चों को नियम 134 'ए' से बाहर करने के बहाने ढूंढ रही है ? विभाग ने अभी आखिरी लिस्ट जारी की है । विभाग इस बात को मानता है और मेरे द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न के रिप्लाई में विभाग ने डिटेल दी है कि 45,289 बच्चों ने क्वालिफाई किया गया था, परन्तु उनमें से मात्र 21,577 बच्चों के दाखिले किये गये हैं। इस प्रकार 23,712 बच्चों के अभिभावक आज भी एडमिशन के लिए धक्के खा रहे हैं।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 12006 बच्चों के एडमिशंज लम्बित हैं और 11,706 बच्चों ने एडमिशन के लिए सम्पर्क नहीं किया।

श्री बलराज कुंडूः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि विभाग ने 11,706 बच्चों का एडमिशन फैमिली आई.डी. के क्रायटेरिया के आधार पर रद्द कर दिया। सरकार ने 1,80,000 रुपये की वार्षिक इन्कम का क्रायटेरिया बनाया हुआ है। इस प्रकार विभाग ने 11,706 बच्चों का रिजल्ट आने के बाद भी डिसक्वालिफाई कर दिया। जबकि विभाग ने संबंधित क्रायटेरिया पहले शो नहीं किया था, लेकिन बाद में इसी इन्कम वाले क्रायटेरिया के आधार पर उनको डिसक्वालिफाई कर दिया। यह संबंधित बच्चों के साथ घोर अन्याय है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मैंने इस संबंध में जनवरी के महीने में माननीय मंत्री जी के पास एक लैटर भी भेजा था और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लैटर लिखा था। मेरे पास अखबारों की कटिंग की फोटोज भी हैं जिनमें संबंधित छात्र सड़कों पर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। इसके लिए माननीय मंत्री जी ने 3 बार एडमिशन की डेट भी बढायी थी और मैं भी उनके कार्यक्रम में शामिल हुआ था। यह बात सभी न्यूज पेपर्ज में भी हाईलाइट हुई थी। उन स्टूडैंट्स के पैरेंट्स चक्कर काट रहे हैं और स्कूल्ज वाले उनको स्कूल्ज में घुसने नहीं दे रहे हैं। वे अपने पूराने स्कूल्ज से लिविंग सर्टिफिकेट भी ले आये थे, लेकिन किसी भी स्कूल ने उनके एडमिशंज नहीं किये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सरकार अपनी रिस्पॉसिब्लिटी को प्राइवेट स्कूल्ज वालों पर क्यों थोपने जा रही है ? सरकार और प्राईवेट स्कूल्ज वालों का कोई सिस्टम नहीं बैठ रहा है। सरकार की उनके साथ अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो रही है ? वे सरकार से सैटिस्फाई क्यों नहीं हो रहे हैं ? चूंकि संबंधित बच्चों के एडमिशन की रिस्पॉसिब्लिटी सरकार की है, इसलिए सरकार अपने फैसले को उन स्कूल्ज पर कैसे थोप सकती है ? क्या सरकार उनको फंड कम दे रही है ? अगर उनको फंड लेट दे रहे हैं तो यह सरकार की ड्यूटी बनती हैं कि सरकार उनको समय पर फंड दे। हरियाणा सरकार अन्तोदय की बात करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी अन्तोदय की बात करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी अन्तोदय की बात करते हैं कि हम अंतिम लाईन में बैठे गरीब व्यक्ति को भी लाभ

पहुंचाएंगे। आज सबसे बड़ी बात यह है कि उनको फ्री के राशन नहीं चाहिए बल्कि शिक्षा चाहिए।

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि अगर सरकार उन गरीबों के बच्चों को शिक्षा देगी तो वे अपने बलबूते पर काबिल होकर आगे जाएंगे। यह बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार उन गरीबों की सुनें क्योंकि बगैर शिक्षा के उनका उत्थान नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से कहना है कि यह अति महत्वपूर्ण विषय है। इसको सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए क्योंकि शिक्षा के बगैर गरीब का उत्थान नहीं हो सकता है। इसके लिए सरकार को चिन्ता करनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, आपका विषय सरकार के संज्ञान में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से आ गया है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि गरीबों को फ्री में चीजें देने की बजाए शिक्षा दे देंगे तो उनका उत्थान हो जाएगा।

श्री वरुण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना विषय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया था।

श्री अध्यक्षः वरुण जी, आप अपने विषय को स्पेसिफिक और क्वैश्चन के रूप में ही रखें। इसमें मेरा कहना यही है कि डिबेट के रूप में अपनी बात न रखें। चूंकि कॉलिंग अटैंशन मोशन के ऊपर डिबेट नहीं हो सकती है।

श्री वरुण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आपकी बात सही है कि कॉलिंग अटैंशन मोशन के ऊपर डिबेट नहीं हो सकती। अभी मुझे अपने विषय पर बोलना शुरू करना है। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इस बात की हैरानी है कि आपको मेरे ऊपर शक कैसे हुआ?

श्री अध्यक्षः वरुण जी, मुझे आपके ऊपर शक नहीं है। इसमें मेरा यही कहना है कि आप रूल्ज के बारे में जानते हैं।

श्री वरुण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जो प्रश्न उठाए थे, उनके बारे में माननीय मंत्री जी द्वारा लिखित या ओरली जानकारी नहीं दी गयी है।

श्री अध्यक्षः वरुण जी, आप इस विषय पर अपना क्वैश्चन पूछ लें।

श्री वरुण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे 2–3 सवाल हैं। हमारा जो राईट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्प्लसरी एजूकेशन एक्ट है उसमें पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक शिक्षा देने का प्रावधान है। जो 134ए है, वह हरियाणा सरकार का एजूकेशन रूल्ज है और उसमें दूसरी कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक शिक्षा देने का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसमें पहली कक्षा से ही शिक्षा देने का प्रावधान क्यों नहीं है ? दूसरा यह है कि केन्द्र सरकार के एक्ट में 25 प्रतिशत एडमिशंज देने का प्रावधान है जबकि हरियाणा सरकार के 134ए में सिर्फ 10 प्रतिशत एडमिशंज देने का ही प्रावधान है। मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में यह भी कहा था कि "Neither the private schools are giving admissions nor the Government is compensating them." अध्यक्ष महोदय, आज तक सरकार द्वारा नौंवी, दसवीं, ग्यारहवीं और बाहरवीं कक्षा के संबंधित विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति एक बार भी नहीं दी गयी है। इस प्रकार अगर सरकार द्वारा प्राईवेट स्कूल्ज वालों को पैसे ही नहीं दिये जाएंगे तो वे संबंधित बच्चों का एडमिशन कैसे करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, यह बच्चों को धक्के खाने पड़े रहे हैं और उनके माता पिता को प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। क्या यह सब सरकार की वजह से नहीं हो रहा है? इस बारे में सरकार यह बतायें कि सरकार की कितनी लायबिलिटी प्राईवेट स्कूलों की तरफ बकाया है। जैसा कि बताया गया कि उनकी तरफ 70 करोड़ रुपये बकाया है और न्यूज पेपर में भी आया है कि सरकार ने प्राईवेट स्कूलों की तरफ 700 करोड़ रुपये देने हैं लेकिन अभी तक सरकार ने 70 करोड़ रुपये ही दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आपका प्रश्न क्या है?

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जो सरकार की लायबिलिटी प्राईवेट स्कूलों की ओर बकाया है, वह कितनी है? जिन स्कूलों ने बच्चों को एडमिशन नहीं दिये हैं क्या उनकी लायबिलिटी सरकार की तरफ है या

नहीं है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बच्चों के एडमिशन के लिए कितने–कितने ड्रा निकले हैं और हर ड्रा के बाद कितने–कितने एडमिशन हुए? माननीय मंत्री जी इस बारे में बताये। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि जो पहले 66000 इलीजिबल बच्चे थे, उनको टैस्ट के लिए कितनी बार तारीख दी गई और इसकी वजह से कितने बच्चे परीक्षा देने से वंचित हुए?

श्री शीश पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है और माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो एडमिशन हो रहे हैं। टोटल 66000 एप्लीकेशन आई थी, उसमें से 55000 बच्चे प्राईवेट स्कूलों से आये थे परन्तु 11000 बच्चे सरकारी स्कूल से आये थे। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक कमी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सरकारी स्कूल के बच्चे का टैस्ट नहीं लिया जाता। सरकारी स्कूल के बच्चे के 55 परसैंट नम्बर या 60 परसैंट नम्बर है तो वही मान लिये जाते हैं जबकि प्राईवेट स्कूल के बच्चे का मल्टीपल क्वैश्चन देकर उसका टैस्ट लिया जाता है जोकि लगभग 100 नम्बर का होता है अगर प्राइवेट स्कूलों मे पढ़ने वाले बच्चे उसमें 80 या 90 नम्बर लेते हैं तब जाकर वे एडमिशन के इलीजिबल होते हैं तो ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि वैसे तो पहले ही सरकारी स्कूलों से आने वाले बच्चों की संख्या कम है और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तकरीबन गरीब परिवारों से संबंधित है लेकिन एक प्रावधान के रूप में मेरा सुझाव इस प्रकार से है कि टोटल एप्लीकेबल बच्चों की संख्या में से यदि 50 परसैंट सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे शामिल हैं तो उन सभी बच्चों को एडमिशन दिया जाये क्योंकि वे बहुत गरीब परिवारों से संबंधित हैं और इस तरह का प्रावधान उनके जीवन में नई उंचाइयां ला सकता है। मेरा अगला प्रश्न यह है कि इसमें सरकार ने लिखा है कि जो फीस है वह सिर्फ परिवहन बोर्डिंग भोजनालय ये तमाम प्रकार चार–पांच आंकड़े दिये गये हैं कि इसमें बच्चे को फीस देनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय आप जब भी कहते हैं कि कोई चीज मेंशन कीजिए तो मैं आज अपनी बात मेंशन कर रहा हूं कि एक सावन पब्लिक स्कूल है और उसके नजदीक वाले 6 किलामीटर दूर के गांव के बच्चे का उसमें एडमिशन हो रखा है तो स्कूल की तरफ से उसको ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं दी गई जबकि उस बच्चे के घर के आगे से खाली बस आती है। जब मैंने खुद उनसे बात की तो उनका जवाब यह था कि नहीं, हम 134–ए वाले बच्चे को परिवहन की सुविधा नहीं देंगे। मैंने कहा

कि वह बच्चा परिवहन की फीस देगा। उन्होंने कहा कि हम उस बच्चे को परिवहन की सुविधा नहीं देंगे। इस तरह से यह कोई जवाब नहीं होता है। माननीय मंत्री जी ने अपनी रिप्लाई में लिखा है कि अगर बच्चा स्कूल की फीस देगा तो उसको परिवहन की सुविधा मिलेगी। मैं चाहूंगा कि इस पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी? इसके अलावा मेरा यह कहना है कि मुझे सरकारी स्कूल के बच्चों के एग्जाम के बारे में भी बताया जाये।

श्री चिरंजीव राव : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। वैसे सभी माननीय सदस्यों ने ज्यादातार सवाल पूछ लिये हैं। मेरे एक दो छोटे–छोटे सवाल है। पहला तो यह है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए मैंने पूछा था कि जो बच्चे लेना चाहते हैं, उसके बावजूद भी उनको स्कूल अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं दे रही है, वह क्यों नहीं दे रही है? मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो सरकार के एंड से स्कूल अथॉरिटीज को पैसे नहीं पहुंचे उसकी वजह से बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाये हैं इसलिए आगे से ऐसा न हो इसके लिए सरकार की क्या तैयारी कर रही है?

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि सरकार ने 300 से ज्यादा स्कूलों को रियायती दर पर जमीन दी है। हर जिले में सबसे ज्यादा दिक्कत भी उन्हीं स्कूलों से है जो सरकार से औने–पौने कौड़ियों के भाव में जमीन ले गये और उस समय वह पार्कों और ग्रीन बेल्ट की जमीन थी। कोर्ट का आदेश भी आया था कि जो सैक्टर कटता है, उस सैक्टर में पार्क और ग्रीन बेल्ट की जो भी कॉस्ट होती है, उसकी कॉस्ट उस सैक्टर वाले के ऊपर होती है। बच्चों के एडमिशन की प्राथमिकता उस सैक्टर के बच्चों को हो, वो नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सरकार ने माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देश पर खास तौर से इन स्कूलों के लिए कमेटीज बनाई हैं। जो कि पालना नहीं की गई। अभी तक एक जिले में भी कमेटी नहीं बनाई गई है तत्पश्चात् इनकी एक एफ.आर.सी.सी. कमेटी होती है, मंडल अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में कि ये जो फीस बढ़ायेंगे, उसकी सलाहमशविरा उनके अंतर्गत होगी, उसके बाद वो फीस लेंगे। उसके बाद यह स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी स्कूल इस तरह का कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं करेगा। स्कूल के अंदर न तो कॉपी किताब बेचेगा, न कैंटीन चलायेगा और न ही ऑडीटोरियम किराये पर

देगा। न बारात घर देगा । उसके बाद बाल संरक्षण कानून में एक प्रावधान है कि आप बच्चों को फाइनल पेपर देने से मना नहीं कर सकते । यदि बच्चे ने फीस जमा नहीं की तो उसमें उसका कसूर नहीं है बल्कि उसके माता–पिता की कमी है कि उनके पास पैसे नहीं हैं । बच्चे ने पढ़ाई पूरी कर ली तो भारत का संविधान उस बच्चे को संरक्षण देता है कि वह फाइनल पेपर देगा । अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में कई उदाहरण हैं । ऐसे कई स्कूल्ज हैं जिनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । अध्यक्ष महोदय, जो सबसे बडी बात है –भूतो न भविष्यति । एक गरीब आदमी एच.एस.वी.पी. से 100 गज का प्लॉट लेता है और उसको यदि रिज्यूम का आर्डर मिल जाए तो एच.एस.वी.पी. पहली बार में ही हड़प लेता है लेकिन फरीदाबाद के 8 स्कूल ऐसे हैं जोकि दो बार रिज्यूम हुए लेकिन आज तक वे स्कूल चल रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, अलॉटमैंट की शर्तों में यह साफ लिखा हुआ है कि ये नॉन ट्रांसफेरेबल हैं । तीन तरीके के स्कूल होते हैं । पहले नम्बर के वे स्कूल हैं जो जो गली मोहल्लों में 100–200 या 500 गज में खुलते हैं और जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, इन स्कूलों में तो कोई दिक्कत नहीं होती है । दूसरे फाइव स्टार स्कूल होते हैं जो 5 या 10 एकड़ जमीन पर खुले होते हैं और जहां रईसों के बच्चे पढ़ते हैं, इनमें भी कोई ग्रीवैंसिज नहीं होती हैं । अध्यक्ष महोदय, 134–ए. के बारे में मैं कहना चाहूंगा । जो सरकार से फ्री में जमीन लेते हैं और स्कूल चलाते हैं । अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि पैरलल गवर्नमैंट बन गई है । अध्यक्ष महोदय, हमें आपसे उम्मीद है कि आप शिक्षा के इस व्यवसायीकरण को रोकेंगे । जो सरकार के कायदे कानून हैं वे इन पर लागू होते हैं। भले ही 1997 से पहले जमीन अलॉट हुई थी लेकिन 99 सालों के लिए अलॉट हुई थी । सरकार के कायदे कानून उनको हर साल मानने होंगे । इस तरह के स्कूल न तो ट्रांसफर हो सकते हैं और न ही बेच सकते हैं । उदाहरण के लिए हमारे यहां के एक स्कूल ने अपने स्कूल की बिल्डिंग दूसरे स्कूल को बेच दी । अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस तरह के गैर कानूनी कामों पर रोक लगाई जाए ।

श्री बलराज कुण्डू: अध्यक्ष महोदय, यहां 134–ए के तहत एडमिशन हुए बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की बात आई, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत गम्भीर विषय है । जिन बच्चों का 134–ए के तहत एडमिशन हो जाता है उनके मां बाप रेहड़ी आदि लगाकर अपना गुजारा करते हैं । वे हर रोज 5–6 किलोमीटर तक

अपने बच्चों को कैसे स्कूल छोड़ने जा सकते हैं क्योंकि उन स्कूल वालों ने कंडीशन लगा दी कि इन बच्चों को हमारे स्कूल की बसिज नहीं लेकर जाएंगी । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के केसिज में मान के चलो कि एडमिशन हुए ही नहीं ।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, कुण्डू जी जो कह रहे हैं वह रीयल प्रोब्लम है और यह प्रोब्लम सब जगह है । मुझे लगता है कि इस तरह के स्कूलों के खिलाफ जब तक डिपार्टमैंट स्ट्रॉग स्टैप नहीं लेगा तब तक ये स्कूल नहीं रुकेंगे । इस समय इन स्कूलों की मनमानी चल रही है ।

श्री बलराज कुण्डूः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूलों के जो ड्यूज हैं उनको मिल बैठकर क्लीयर करवाएं तथा जिन बच्चों को एडमिशंज नहीं मिल पाया है यानि जिन्हें स्कूलों ने एडमिशन नहीं दिया है क्या उनका एक साल बर्बाद होगा । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस बारे में जरूर क्लीयर करें ।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अगले साल का 134–ए. का प्रोसैस टाइमली चालू कर दिया जाए ।

श्री कंवरपालः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि कोरोना की वजह से ही कई तरह की दिक्कतें आई हैं । अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकर बड़ी खुशी है कि किस प्रकार गरीब की चिंता और पीड़ा माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है । 134–ए. वर्ष 2007 में बना था । जिस सरकार ने 2007 में यह बनाया था उसने 2014 तक एक बच्चे का भी इसके तहत एडमिशन नहीं करवाया । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, दूसरा कानून आर.टी.ई. वर्ष 2009 में बना था तथा सरकार 2014 तक चली लेकिन 2014 तक एक भी एडमिशन नहीं किया गया है । यह माननीय सदस्यों की जो चिंता है यह केवल दिखावे की है और यह वास्तविक चिंता नहीं है । अध्यक्ष महोदय, अब जो सवाल कई साथियों ने किया उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा ।(विघ्न)

श्री शीशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले की सरकारों ने जो गलत काम किए तो जरूरी तो नहीं है कि अब भी गलत करो । कम से कम अब तो ठीक काम कर लिए जाएं ।(विघ्न)

श्री कंवरपालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी शीशपाल जी को कहना चाहूंगा कि आपको पता तो चले कि वह सरकार क्या कर रही थी और वर्तमान सरकार क्या कर रही है । (विघ्न)

श्री शीशपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्षः शीशपाल जी, आप बैठें ।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, श्री चिरंजीव राव, विधायक ने जानना चाहा है कि सरकार ने स्कूलों की पेमेंट नहीं दी जिसके कारण गरीब बच्चों का एडमीशन स्कूलों में नहीं हुआ लेकिन अभी तक हमनें वर्ष 2015–16 से अब तक 70,31,30,700 रुपये की पेमेंट प्राइवेट स्कूलों को प्रतिपूर्ति हेतु कर दी गई है। प्राइवेट स्कूलों के लिए 134–ए के तहत क्लेम करने के लिए पोर्टल अभी भी खुला है और हमनें सभी स्कूलों से कहा है कि यदि किसी का क्लेम बकाया है तो वे अभी पोर्टल पर अप्लाई कर सकते है। अप्लाई करने के बाद तुंरत उनकी पेमेंट कर दी जायेगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी मुझे अब बीच में न टोके, पहले मेरी पूरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्षः प्लीज, आप सभी बैठें। आप सभी मंत्री जी का जवाब सुन लें।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब सुनने के बाद यदि विपक्ष के साथी संतुष्ट न हो तो दोबारा से प्रश्न पूछ लेंगे। (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं ।(विघ्न)

श्री अध्यक्षः मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपनी सीट्स पर बैठें। मलिक साहब, आप सीनियर मैंम्बर हैं और कानून के ज्ञाता भी है । आपने सारे नियम और कानून पढ़े हुए हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इस तरह से चर्चा नहीं होती है। मेरा निवेदन है कि आप मंत्री जी को जवाब देने दें।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों ने जो प्रश्न पूछे हैं मैं उनका नम्बरवाईज जवाब दे रहा हूं, इनको मेरी बात सुननी चाहिए। श्री बलराज कुण्डू जी ने सवाल उठाया है कि पात्रता परीक्षा उतीर्ण करने के बावजूद हजारों बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला नहीं दिया गया। मैं जवाब देना चाहूंगा कि 12,006 बच्चों का एडमीशन वर्ष 2021–22 के लिए नहीं हो पाया, विभाग इसके लिए लगातार प्रयासरत रहा है, स्कूलों के खिलाफ मान्यता तक रद्द करने के नोटिस जारी कर दिये गये लेकिन स्कूल्ज इस विषय को लेकर कोर्ट में चले गये और कोर्ट ने यह कहते हुए उनको स्टे दे दी है कि सरकार इतना सख्त निर्णय नहीं ले सकती। उसके बाद वे कंटैंप्ट में चले गये अब इस पर हम क्या कर सकते है। इसी तरह से श्री बलराज कुण्डू जी ने पुराने स्कूलों से एस.एल.सी. लेकर हजारों अभिभावक अपने बच्चों को अलॉट किए गए स्कूलों एवं शिक्षा विभागों के अधिकारियों के दफ्तरों के

चक्कर काटते रह गये का विषय उठाया । इसके बारे में बताना चाहूंगा कि हमने दिनांक 07.02.2022 को जारी आदेशों में यह सुनिश्चित किया है कि इन बच्चों का एडमिशन उनके पुराने स्कूल में या सरकारी स्कूलों में किया जायेगा। इसी तरह श्री नीरज शर्मा जी ने जो बच्चे चयनित किए गए उनमें से कितने बच्चों को एडमिशन दिया गया, कितने बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाया, उनका स्कूल वाइज तथा जिलेवाइज ब्यौरा उपलब्ध करवाये जाने का विषय उठाया है इस बारे में मैंने पहले ही जवाब दे दिया है कि 21,577 बच्चों का एडमीशन हो गया है और 12006 बच्चे रहे गये हैं। इसी तरह श्री नीरज शर्मा जी ने जिन स्कूलों को सरकार द्वारा रियायती दरों पर जमीन दी जाती है उनमें गरीब बच्चों के एडमिशन का कितने प्रतिशत कोटा है । इस बारे में भी मैंने पहले बता दिया है कि दिनांक 06. 05.1997 से खुली नीलामी द्वारा जगह बेची जाती है और दिनांक 06.05.1997 के बाद से स्कूल स्थापना भू–खंडों का आबंटन रियायती दरों पर नहीं किया गया है। इसी तरह से श्री नीरज शर्मा जी ने जो स्कूल सरकार की शर्तों को पूर्ण नहीं करता उन पर कार्यवाही करने का विषय उठाया, इस बारे में भी मैंने बता दिया है कि विभाग ने उनकी मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई कर दी थी लेकिन वे कोर्ट में चले गये थे और उनको स्टे मिल गया था। इसी तरह श्रीमती किरण चौधरी जी ने समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों को सरकार ने सहानुभूति दिखाने की बजाय प्राइवेट स्कूल के बेईमान प्रबंधन की दया पर छोड़ने संबंधी विषय उठाया। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि श्रीमती किरण चौधरी जी की सरकार के समय में यह लागू हुआ था उस समय के सात साल तक उन्होंने क्यों छोड़कर रखा यह तो मैं नहीं बता सकता लेकिन हमनें जो कार्रवाई की है उसकी जानकारी मैंने दे दी है कि हमनें प्राईवेट स्कूलों पर एडमिशन के लिए दबाव बनाया है। इसी तरह से श्रीमती किरण चौधरी ने विभिन्न समाचार रिपोर्ट के आधार पर 134–ए नियम के तहत 10 प्रतिशत एडमिशन कोटा में से 20 हजार से अधिक छात्र एडमिशन से वंचित रह गये क्योंकि सरकार इन स्कूलों के बकाया की प्रतिपूर्ति करने में विफल रहने का विषय उठाया है इसका जवाब मैंने दे दिया है कि केवल 12,006 बच्चे ही रहे हैं। इस तरह से श्रीमती किरण चौधरी जी ने बच्चों के एडमीशन न होने का मुख्य कारण पोर्टल का देरी से शुरू होना, दाखिले की अंतिम तिथि में विलंब व अंतिम विस्तार का विषय उठाया । इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कोविड–19 के कारण स्कूल बहुत लम्बे समय तक बंद रहे हैं। यदि माननीय

विधायक इसकी डेट्स की जानकारी चाहेंगे तो वह जानकारी भी उपलब्ध करवा दी जायेगी। जब हमने कोविड कम होने पर स्कूल खोल दिये थे, तो दोबारा कोविड आने पर स्कूलों को दोबारा बंद कर दिया गया था। इस तरह से उस समय परिस्थितियां असामान्य थी। असामान्य परिस्थितियां होते हुए भी हमने पिछले साल के मुकाबले ज्यादा एडमिशन गरीब बच्चों के करवाये हैं। (विघ्न) इसी तरह से श्रीमती किरण चौधरी जी ने घर में फ्रिज या कूलर की अनुपलब्धता के संबंध में, गुलाबी, बी.पी.एल. कार्ड प्रस्तुत न करने के बारे या हलफनामे के रूप में इस तरह के मामूली बहाने पर एडमीशन से वंचित करने बारे विषये उठाया है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह की कोई शिकायत विभाग के पास नहीं आई और आय से संबंधित किसी भी मामले के निपटारे के लिए जिले में ए.डी.सी. की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। इसी तरह से श्रीमती किरण चौधरी और वरूण जी ने विषय उठाया है कि इनकी समझ से परे है कि राज्य सरकार मामले में 134–ए की बजाये अधिक प्रभाती आर.टी.ई. के माध्यम से प्रवेश का रास्ता क्यों नहीं अपनाती है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं सारी जानकारी दे रहा हूं और मैं इनके इस विषय से सहमत भी हूं क्योंकि 134–ए का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाती है जबकि आर.टी.ई. में 60 प्रतिशत खर्चा केन्द्र सरकार से मिलता हैं। मेरा मानना है कि जितना पैसा आज हम खर्च कर रहे हैं इतने ही पैसे में हम 25 प्रतिशत बच्चों को एजूकेशन दे सकते हैं इसलिए मैं इनकी इस बात से सहमत हूं। जो यह बात माननीय सदस्यों ने कही है इसको लागू करने के लिए सरकार ने सैद्धांतिक रूप से पहले ही फैसला कर लिया है और मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि अगले सैशन से हम आर.टी.ई. के माध्यम से बच्चों के पहली कक्षा से एडमीशन शुरू कर देंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, 134–ए का नियम जब 2007 में बना उस समय की सरकार ने इस तरह का प्रावधान नहीं किया था इसी कारण से इसमे गड़बड़ रही है। आने वाले समय में इस पर भी विचार कर लिया जायेगा। (विघ्न)

श्री नरेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों ने गरीब बच्चों के एडमिशन के बारे में बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है । मेरा मानना है कि कुछ माइनॉरिटी इंस्टीटूशन ऐसे हैं जिन पर 134–ए नियम लागू नहीं होता क्या इस तरह की संस्थाएं समाज से ऊपर उठकर हैं । सरकार ने इन संस्थाओं को जमीन उपलब्ध करवाई है और वे भी सरकार की बात नहीं मानेंगी तो उन पर एक्शन होना चाहिए।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे बताया है कि इन्हें कोर्ट से स्टे मिला हुआ है।

श्री नरेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, कोर्ट से स्टे सभी लेकर आ जायेंगे और कोर्ट ने तो 134–ए नियम पर भी स्टे दे दिया है।

श्री बलराज कुण्डूः अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं जोकि बहुत जरूरी है और मैं सरकार के तहेदिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरकार इस विषय को लेकर काफी गंभीर है। मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि जो बच्चे एडमीशन से वंचित रह गये हैं उनका जल्दी से एडमीशन करवाया जाये। उसके बाद मैं स्वयं उन बच्चों को बस में बैठाकर चंडीगढ़ लेकर आऊंगा और मंत्री जी आपका सम्मान करवाऊंगा। (विघ्न)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, यह रोक कोर्ट ने लगाई है। माननीय सदस्य इसका तरीका बताये हम उस पर जरूर अमल करेंगे। हमनें उन स्कूल्ज पर सख्ती की तो वे कोर्ट में चले गये और कोर्ट ने हम पर कंटैप्ट भी डाल दी और उसकी 22 तारीख लगी हुई है।

श्री बलराज कुंडूः अध्यक्ष महोदय, हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्कूल्ज के खिलाफ नहीं है। हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो गरीब बच्चों को स्कूलों में एडमिशन करवाने बारे है। सरकार इसका हल निकाले।

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, प्लीज आप बैठिये।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से श्री वरूण चौधरी जी ने भारत के संविधान के आर्टिकल 21 (ए) के तहत मामला उठाया कि भारतीय संविधान 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और जरूरी शिक्षा का अधिकार देता है हरियाणा स्कूल एजूकेशन के रूल 134–ए के तहत बी.पी.एल. तथा ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के स्टूडैंट को कक्षा 2 से 12 वीं तक के लिए प्राइवेट स्कूलों में 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है इन वंचित बच्चों को आर्थिक रूप से मुआवजा दिया जाए। प्राइवेट स्कूल न तो इन बच्चों को एडमीशन दे रहे हैं और न ही सरकार उन्हें मुआवजा दे रही है से सबंधित विषय उठाया है। इस बारे में जवाब देना चाहूंगा कि प्रदेश में 134–ए के तहत बी.पी. एल. तथा ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के बच्चों को कक्षा 2 से 12 वीं तक के लिए प्राइवेट स्कूलों में 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है। अध्यक्ष महोदय, एडमीशन से वंचित बच्चों को आर्थिक रूप से मुआवजा देने का कोई प्रावधान नियम में नहीं है। जिन बच्चों के एडमीशन नहीं हो पाये उनके पुराने स्कूल में एडमीशन सुनिश्चित करने बारे विभाग द्वारा आदेश जारी किये जा चुके है।

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में ऐसा कही नहीं लिखा कि जिन बच्चों का एडमीशन नहीं हुआ उन बच्चों को आर्थिक रूप से मद्द दी जाये। अगर आप चाहे तो मैं अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दोबारा पढ़ देता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन मंगलवार, दिनांक 08 मार्च, 2022 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

***17:30 बजे**

(तत्पश्चात् सभा मंगलवार दिनांक 08 मार्च, 2022 प्रातः 10:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई ।)